
और जो लोग ईमान लाये और नेक अमल करते रहे उनके लिये बख्शिश
और बड़ा सवाब है (३५:७)

चरागे दीने नबवी

१३३६ हिज्री

क्रौमे महेदवियह के लिये जरूरियाते दीन का जामे
और मुकम्मल रिसाला

मुरत्तिब व मुअल्लिफ़ (सम्पादक)

हज़रत मौलवी सैयद पीर मुहम्मद रहे०

हिन्दी रूपान्तरकार
शेख् चाँद साजिद

प्रकाशक

इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइब्ररी
अन्जुमने महेदवियह बिल्डिंग, चंचलगुड़ा, हैदराबाद-२४

चरणे दीने नबवी

मुअल्लिफ़ / सम्पादक :
हज़रत मौलवी सैयद पीर मुहम्मद रहे०

हिन्दी रूपान्तरकार :
शेख़ चाद साजिद

संस्करण :
पहला 2012/1433 हिज़्री

Typesetting : RHEEL GRAPHICS, Hyderabad. - Cell : 09963977657

प्रकाशक :
इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइब्ररी
अन्जुमने महेदवियह बिल्डिंग, चंचलगुड़ा, हैदराबाद-500 024. (A.P.)

हदया : **Rs. 100/-**

मिलने का पता :
A to Z स्टेशनरी
16-4-18/1, अन्जुमने महेदवियह बिल्डिंग,
चंचलगुड़ा, हैदराबाद-500 024. (A.P.)
Cell : 9700222281 / 9642441862



प्रस्तावना

अल्हम्दु लिल्लाह चराग़े दीने नबवी का हिन्दी एडिशन पहली मर्तबा प्रकाशित किया जा रहा है। हमारी खाहिश पर जनाब शेख् चाँद साजिद ने इस को हिन्दी में मुन्तक़िल किया है।

चराग़े दीने नबवी फ़िक्ह की एक मशहूर किताब है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस किताब में तमाम ज़रूरी मसालयल शामिल है। उर्दू भाषा में इस किताब के बारह एडीशन और अंग्रेज़ी में दो एडीशन प्रकाशित हो चुके हैं। अफ़रादे क़ौम की खाहिश पर इस किताब को अब हिन्दी में शाये किया जा रहा है और उमीद है कि हिन्दी में भी इस किताब को बारहा शाये करने की ज़रूरत पेश आयेगी।

जनाब सैयद पीर मुहम्मद साहब के इस किताब को हिन्दी में शाये करने की हम को इजाज़त दी है जिस के लिये हम उनके आभारी हैं और बाज़ मुखैयर अफ़रादे क़ौम ने इस किताब की इशाअत के लिये माली इमदाद फ़राहम की है जिसके लिये हम उन सब के शुक्र गुज़ार हैं। जनाब शेख् चाँद साजिद साहब ने वक़्त निकाल कर इसको मुखतसर मुद्दत में हिन्दी रूपान्तर का काम मुकम्मल किया और इसकी टाइपिंग, तस्हीह और तबाअत की ज़िम्मेदारी बख़ूबी निभाइ जिसके लिये हम उनके शुक्र गुज़ार हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि सहयोग करने वाले इन तमाम हज़रात को जज़ाए ख़ैर और सिहत और सलामती अता फ़र्माये। आमीन

इस किताब को क़ीमतन् फ़रोख्त किया जायेगा ता कि उस रक़म से इस किताब को बार बार शाये किया जा सके। उमीद है कि अफ़रादे क़ौम जो हिन्दी जानते हैं इस किताब को हाथों हाथ लेंगे और इस से इस्तिफ़ादा करेंगे।

आख़िर में अल्लाह तआला का शुक्र है कि जो इरादा हम ने किया था उसको अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल व करम से पायए तकमील को पहुंचाया और दुआ है कि इसी तरह मज़ीद क़ौमी कुतुब को हिन्दी में शाये करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़र्माये। आमीन

२७ रजज़ान १४३३ हिज़्री/

१६ आगस्ट २०१२

फ़कीर सैयद हुसेन मीराँ

प्रबंधक

इदारतुल इल्म महेदवियह

इस्लामिक लाइब्ररी

भूमिका

हर मुसलमान के लिये उमूरे शरई और फ़िक़ही मसायल से वाक़िफ़ियत निहायत ज़रूरी है। उलूमे इस्लामी पर किताबें अरबी, फ़ारसी और उर्दू भाषा में दस्तयाब हैं लेकिन दौरे हज़िर में बदले हुवे अन्दाज़े फ़िक़्र और तर्ज़े तालीम की वजह से नौजवान नसल उर्दू से ना वाक़िफ़ है और उनका भी उमूरे शरई से वाक़िफ़ होना ज़रूरी है। इस अहम ज़रूरत के पेशे नज़र मज़हबी कुतुब को दूसरी ज़बानों में मुन्तक़िल किया जा रहा है। क़ौमे महेदवियह में भी यह काम हो रहा है लेकिन रफ़तार धीमी हैं।

चरागे दीने नबवी को हज़रत मौलवी सैयद पीर मुहम्मद साहब रहे० (देहांत १९ शाबान १३६३ हिज़्री) ने १३३६ हिज़्री/१९१८ में मुरत्तिब किया था जिस में जन्म से मौत तक जीवन में दरपेश आने वाले तमाम शरई और फ़िक़ही मसायल को फ़िक़ह को मोतबर किताबों से अख़्ज़ (ग्रहण) करके जमा कर दिया गया है। किताब की अहमियत और इफ़ादीयत के पेशे नज़र उर्दू से ना वाक़िफ़ ब्रादराने मिल्लत की सहूलत के लिये हज़रत सैयद हुसेन मीराँ साहब अहले रसूल पूरा और दीगर अस्थाब ने मुझ से ख़ाहिश की कि इसको हिन्दी लिपि में रुपान्तर किया जाये चुनांचे अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम से यह काम मुकम्मल हो कर आप की खिदमत में पेश किया जा रहा है।

असल किताब में मुअल्लिफ़ साहब ने हर इबारत के ख़त्म पर मूल पुस्तक का हवाला दिया है लेकिन हिन्दी पुस्तक में उसकी जगह एक हवाला नम्बर दिया गया है और हवालेजात की फ़ेहरिस्त दी गई है। कुरआन मजीद की आयतों के मआमले में पारा और रूकू न० के बजाय सूरह और आयत का न० दिया गया है। पढ़ने वालों की सहूलत के लिये इस्तेलाहात (परिभाषा) और भारी शब्दों की तशरीह भी की गई है। आयतों, दुआओं और निय्यतों को अरबी के साथ उसको हिन्दी लिपि में भी लिखा गया है। हमारी क़ौम में औक़िया के हिसाब से महेर बांधने का तरीक़ा चला आरहा है जिसकी मिक्दात तोला, माशा, रति में लिखी गई थी उसका मौजूदा राइजुल वक़्त (प्रचलित) वज़न जामिआ निज़ामिया के मुफ़ती साहब से हासिल करके इस हिन्दी किताब में शामिल किया गया है। चरागे दीने नबवी उर्दू वर्णन में क़ौम के दस उलमा और मशाहीर और तीन शोअरा के तक्रीज़ मौजूद हैं लेकिन हिन्दी किताब में सिर्फ़ हज़रत मौलाना सैयद मुर्तुज़ा यदुल्लाही रहे० और मौलवी मुहम्मद सआदतुल्ला ख़ाँ साहब के तक्रीज़ बतौरे नमूना शामिल किये गये हैं।

पढ़ने वालों से गुजारिश है कि इस हिन्दी वर्णन में कोई लग्ज़िश नज़र आये तो सुचित करें ता कि आगामि संसक्रण में उसकी इस्लाह हो सके और मेरे लिये दुआए ख़ैर करें। अल्लाह तआला के फ़ज़्लो करम से यह काम पायए तकमील को पहुंचा है, अल्लाह तआला से दुआ है कि इस कोशिश को कुबूल फ़र्माये और मेरे लिये ज़खीरए आखिरत बनाये। *आमीन*

शेख़ चाँद साजिद
हिन्दी रूपान्तरकार

फ़ेहरिस्त हवालेजात

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| १) ज़ौक़ शौके नमाज़ | २०) अहसनुल मसाइल |
| २) नूरुल हिदाया | २१) शाबुल ईमान |
| ३) मुनियतुल मुसल्ली | २२) मिश्कात शरीफ़ |
| ४) माला बुद्द मिन्हु | २३) कंजुद दक़ाइक़ |
| ५) दुर्रे मुख्तार | २४) क़दूरी |
| ६) आलमगीरी | २५) शम्सी हाशिया माला बुद्द मिन्हु |
| ७) ग़ायतुल औतार | २६) कबीरी |
| ८) सिराजुल वहाज | २७) अर्मग़ाने बत्हाई |
| ९) शामी | २८) सफ़रुस् सआदत |
| १०) तहतावी | २९) शर्ह सफ़रुस् सआदत |
| ११) हिदाया | ३०) क़ाज़ी ख़ाँ |
| १२) शर्ह वक़ाया | ३१) बहरुर् राइक़ |
| १३) सही मुस्लिम | ३२) तज्हीज़ुल मुसादिक़ीन |
| १४) हिर्ज़ुल मुसल्लीन | ३३) फ़त्हुल क़दीर |
| १५) हब्रे माजा | ३४) रदुल मुख्तार |
| १६) नसाई | ३५) बेहकी |
| १७) बुख़ारी | ३६) मुसनद इमाम अहमद |
| १८) अबू दाऊद | ३७) दैलुमी |
| १९) तिरमिज़ी | |

तक्ररीज़ हज़रत मौलाना सैयद मुर्तुज़ा साहब सुल्तानुल वायज़ीन

१ रजब १३५४ हिज़्री / २९ सेप्टेम्बर १९३५

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

हामिदन व मुसल्लियन् - जनाब मौलवी सैयद पीर मुहम्मद साहब ने किताब चराग़े दीने नबवी तालीफ़ फ़र्मा कर क़ौम के ख़ास व आम तबके पर ऐक एहसान फ़र्माया है। दर अस्ल क़ौम में एक मुफ़ीद किताब का इज़ाफ़ा फ़र्मा कर अपने लिये हसनाते ज़ारिया भी क़ायम कर लिया है। इस किताब में हर क़िस्म के मसायल मौजूद हैं जो एक मुस्लिम महेदवी की ज़िन्दगी में हर वक़्त कार आमद हुए हैं। इस की तालीफ़ में अपने मोतबर कुतुब और ज़ी इल्म हज़रात से इमदाद हासिल की है। मैं ने अपने सफ़र में हर मक़ाम पर क़ौमी अफ़राद के पास इस को पाया है और शायक़ीन ने हर वक़्त मुझ से इस को तलब किया है इस की क़दर क़ौम ने इस क़दर की है कि इस वक़्त मौलवी साहब इस की तीसरी इशाअत पर मज्बूर हुवे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इस किताब की इशाअत में सईए बलीग़ करें ता कि क़ौम के उर्दू ख़ाँ हज़रात को मज़हबी मसायल से वाक़फ़ियत होने का मौक़ा हासिल हो। हमेशा मैं हत्तल इमकान इस मुफ़ीद किताब की इशाअत में कोशिश करता रहता हूँ और दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह तआला मुअल्लिफ़ साहब को इस मज़हबी किताब से दारैन का फ़ाइदा अता फ़र्माये। **आमीन सुम्म आमीन**

तक्ररीज़ ख़ाँ अल्लामा मौलवी मुहम्मद सआदतुल्ला ख़ाँ साहब

(मौलवी कामिल व मुतकल्लिम)

इल्मी और अमली ज़रूरियात की तकमील में क़ौमे महेदवियह के जैयिद उलमाए साबिक़ रहमहुमुल्लाह ने कोई दक्कीका उठा नहीं रखा जिस के लिये एक साफ़ और वाज़ेह रास्ता हज़रत महेदी मौऊद अलैहिस्सलाम का बताया हुआ मौजूद है “भाइयों ने मूशिगाफी की है जिस का मज़हब आलियत पर हो उस पर अमल करो” अमलन् उसकी रहनुमाई करती रही, लेकिन ज़रूरते ज़माना के लिहाज़ करते उस अमल के ज़बते क़लम करने को मैं आज मज़हब का एक जुजे ला युनफ़क् समझता हूँ। अमल तो वही है जो मन्नी बर एहतियात (आलियत) है लेकिन मौजूदा हालात का तबाए माइला की भरी महफ़िल में बआवाज़े बुलंद अपना दिलचस्प ख़ुत्बा (लेकचर) सुनाना दूर अन्देश इल्म दोस्त अक्ले सलीम को हरकत देने में बड़ा हिस्सा लिया है।


मुकर्मी हज़रत मौलवी सैयद पीर मुहम्मद साहब का एहसास इस खुसूस में बेशक़ क़ाबिले तशक्कुर है कि उन्होंने ने मेहनते शाक़का बर्दाश्त फ़र्मा कर फ़िक़ही मसायल का एक मज्मूआ मौसूमा अल मसायल जो अपने तारीख़ी नाम “चराग़े दीने नबवी” और बेहतरीन उन्वानात पर मुश्तमिल होने से गोया इस्मे बा मुसम्मा है क़ौम के हाथ में दे दिया है। खुदाए तआला से दुआ है कि क़ौम को इस से मुस्तफ़ीद और क़ौम में इस को मक़बूल फ़र्माये। **फ़क्त**

१ शाअबान १३३७ हिज़्री/२ मे १९१९

फ़ेहरिस्त (विषय सूची)

१) हम्द व नाअत	1	२०) दुगाना तहीयतुल वुजू	51
२) अहकामे शरीअत	3	२१) सज्दए मुनाजात	57
३) पाँच कलिमाते तय्यबात	5	२२) फ़ज़्र की नमाज़	60
४) ईमाने मुज्मल और मुफ़स्सल	7	२३) अहकाम नमाज़ बा जमाअत	63
५) अहकामे नजासत	8	२४) नमाज़े तरावीह	72
६) अहकाम और तरीक़ए इस्तिन्जा	11	२५) दुगाना शबे क़द्र	77
७) पानी के मसाइल	14	२६) दुआएँ	79
८) कुंवे के मसाइल	15	२७) नमाज़े तहज्जुद	85
९) अहकामे हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा	17	२८) अहकाम नमाज़े मुसाफ़िर	86
१०) अहकामे गुस्ल	19	२९) नमाज़े क़सर	88
११) वुजू	23	३०) अहकाम नमाज़े क़ज़ा	90
१२) तयम्मुम	30	३१) नमाज़ उम्र क़ज़ा	91
१३) औक़ाते नमाज़	33	३२) अहकाम नमाज़े जुमा	91
१४) अज़ाँ	34	३३) अहकाम नमाज़े ईदैन	92
१५) अहकामे नमाज़	38	३४) तिलावते कुरआने पाक	93
१६) सत्रे औरत	40	३५) अहकाम सज्दए तिलावत	97
१७) मुफ़सिदाते नमाज़	44	३६) ख़त्मे कुरआन का तरीक़ा	101
१८) मक्रूहाते नमाज़	44	३७) ज़िक़े दवाम, नौबत, सवीयत	104
१९) सज्दए सहव	48	३८) रात के चार पहर	109
		३९) तर्के दुन्या और तौबा	110

४०) इयादत	115	५८) तस्वियते मन्कूहात	175
४१) नमाजे जनाज़ा और तज्हीज़ व तकफ़ीन	116	५९) अहकामे तलाक़, रज़ूअत, खुला	176
४२) ताअज़ियत	128	६०) अहकामे नफ़का	179
४३) ज़ियारते कुबूर	131	६१) अहकामे इद्दत	181
४४) मैयित को सोंपने का तरीक़ा	134	६२) अहकामे निकाहे सानी	182
४५) क़ब्र के अक़साम	136	६३) मुद्दते हम्ल	185
४६) अहकामे इद्दत	136	६४) बच्चे के कान में अजाँ देना	185
४७) अहकामे ज़कात और उश्र	138	६५) अक़ीक़ा	185
४८) अहकामे हज़, अय्यामे तशरीक़	141	६६) ख़ल्ता	188
४९) अहकामे कुरबानी	145	६७) हज़ानत्	189
५०) अहकामे रोज़ा	147	६८) अहकामे ज़बीहा	190
५१) एतिकाफ़	159	६९) अहकामे तक़वा	194
५२) अहकाम सदक़ए फ़ित्र	161	७०) अहकामे लुक्ता	197
५३) अहकामे निकाह	163	७१) शाने क़ौमे महेदवियह	199
५४) अहकामे रज़ाअत	167	७२) हज़रत महेदी मौऊद अले० की विलादत और दावत	201
५५) अक़द का तरीक़ा	168	७३) फ़राइजे विलायत	204
५६) अहकामे महेर	173	७४) अय्यामे नहस	205
५७) ख़िल्वते सहीहा	174		



हमद व नाअत

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ نِ الْمُصْطَفَى أَحْمَدَ نِ الْمُجْتَبَى
شَفِيعُ الْمُنْتَبِينَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِ الْمَهْدِيِّ الْمَوْعُودِ إِمَامِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى
إِلِهِمَا وَأَزْوَاجِهِمَا وَأَصْحَابِهِمَا وَالتَّابِعِينَ وَتَبَعَ التَّابِعِينَ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

अल्लाह तआला फ़र्माता है: और अगर तुम खुदा की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन न सकोगे बेशक अल्लाह बख़्ताने वाला मेहरबान है। (१६:१८)

गौर करो तो खुदाए तआला की बेमिसाल और ला क़ीमत नेमतें बे हद व हिसाब पाई जाती हैं जो शाह व गदा, अदना, आला, आम, ख़ास, जाहिद, फ़ासिक़, दोस्त, दुश्मन सब को मुफ्त और बराबर तक़सीम होती हैं, चुनाँचे इन्सान के तमाम आज़ा, हवासे ख़म्सा (पाँचों इन्द्रियाँ) अज़वाज, औलाद, आसमान, शजर, हजर वग़ैरह माकूलात, मेवेजात में ज़ाइका और ज़बान को उस का एहसास, हुस्न, गुलो गुलज़ार में बहारे मर्गूब और बसारत को उसका एहसास। इन नेमतों के अलावा मोमिनीन को उक़बा की नेमतें यानि कलिमए तस्दीक़, नमाज़ रोज़ा, हज़, ज़कात भी अता फ़र्माया है। ग़ौर करने वाले को दरख़्त के हर पत्ते में, हर ज़र्रे में और हर साँस में खुदाए तआला की कुद़त और नेमत का ज़हूर नज़र आता है।

अगर खुदाए तआला की मुफ्त अता की हुई नेमतों में से कोई नेमत कोशिश और क़ीमत से हासिल हुई होती तो उसकी बड़ी क़दर की जाती लेकिन जो ला क़ीमत नेमतें मुफ्त अता हुई हैं हम उनकी क़दर और देने वाले का शुक्र नहीं करते हालाँक हर नेमत के लिये शुक्र वाजिब है। जो साँस अन्दर जाती है वह जीवन को मदद् देने वाली है इस लिये कि जब तक वह अन्दर है जिन्दगी बाक़ी है। हर एक नेमत के लिये शुक्र वाजिब है और शुक्र की अदाई हज़रत महेदी मौऊद अले० की तालीम के मुवाफ़िक़ ज़िक़रे दवाम के बग़ैर मुम्किन नहीं।

हजरत नबी करीम सल्ला० के अज़ीम एहसानात का शुक्रिया भी अदा करना चाहिये कि जिन्हों ने कुफ़्र के अंधेरों से निकाल कर नूरे इमान से मुशर्रफ़ फ़र्माया और २३ साल की मुद्दत में ता क्रियामत दीन और दुन्या के तमाम ज़रूरियात की पूरी तालीम फ़र्मादी और अपनी उम्मत के गुनाहगार बन्दों की शफ़ाअत का वादा फ़र्माया।

हज़रत महेदी मौऊद अले० के बेपायाँ एहसानात का भी शुक्रिया अदा करना चाहिये जिन्हों ने २३ साल की मुद्दत में अहकामे विलायत की मुकम्मल तालीम फ़र्माई और तालिबाने सादिक़ को दुन्या में सर की आँखों से दीदारे खुदा से मुशर्रफ़ फ़र्माया जिसके बराबर दीन में कोई नेमत नहीं है। पस खातिमैन अले० पर और उनकी आल और औलद पर खुदाए तआला की रहमते कामिला नाज़िल हो।

यह पुस्तक लिखने का कारण : मौलाई व मुर्शिदी व वालिदी हज़रत मियाँ सैयद खुंदमीर उर्फ़ खाँजी मियाँ रहे० का इरादा था कि रिसाला ज़ौक़ शौक़े नमाज़ (१३१० हिज़्री/१८९२) में जो ज़रूरी और कार आमद उमूर शामिल न हो सके थे उनको जमा करके तबा कराया जाये लेकिन हज़रत के जीवन में यह काम न हो सका। इस लिये अहकरुल् इबाद (सैयद पीर मुहम्मद इसहाकी) ने हज़रत मर्हूम की यादगार में रिसाला ज़ौक़ शौक़े नमाज़ के पूरे अब वाब को नक़ल करके उसके साथ महेल और मौका और ज़रूरियात के लिहाज़ से हज़रत के दूसरे तसानीफ़, तालीम और फ़िक़ह के मोतबर किताबों से मालूमात जमा करके मुरत्तिब किया ताकि शाइकीन को सहूलत हो।

बुजुर्गाने दीन और नाज़िरीन की ख़िदमत में अर्ज़ है कि इस ना चीज़ की यह तालीफ़ पसंद हो और मुफ़ीद साबित हो तो लिल्लाह इस गुनाहगार के हक़ में दुआए ख़ैर करें और इस में कहीं कमतरिन की सहव और ख़ता नज़र आये तो उसकी इस्लाह फ़र्मायें या उसको नज़र अन्दाज़ करके मुफ़ीद उमूर से मुस्तफ़ीद हों।

मुअल्लिफ़
संग्रह कर्ता



अहकामे शरीअत आठ हैं

- | | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| (१) फ़र्ज | (२) वाजिब | (३) सुन्नत | (४) मुस्तहब |
| (५) हलाल | (५) हराम | (७) मकरुह | (८) मुबाह |

(१) **फ़र्ज** : वह है कि जिसका वुजूब दलीले क़तई (निश्चित प्रमाण) से साबित हुवा हो और उसमें कोई शुबह न हो। दलीले क़तई चार उमूर (विषय) पर मुन्हसिर (निर्धारित) है: पहला कुरआन, दूसरा हदीस, तीसरा इज्माअ (किसी बात पर सब का सहमत होना), चौथा क्रियास।

फ़र्ज की दो किस्में हैं - एक फ़र्जे ऐन, दूसरा फ़र्जे किफ़ाया।

फ़र्जे ऐन वह है कि हर आक़िल और बालिग़ पर (जो एज़ारे (कारण) शरईया से ख़ाली है) उसकी अदाई फ़र्ज है जैसा कि नमाज़, रोज़ा वग़ैरह।

फ़र्जे किफ़ाया वह है कि बाज़ के अदा करने से सब की जानिब से उसकी फ़र्जियत साक़ित होजाती है जैसा कि नमाज़े जनाज़ा यानि हाज़िरीन में से बाज़ पढ़लें तो सब की जानिब से उसकी फ़र्जियत साक़ित होजाती है। अगर कोई भी अदा न करे ते सब के सब पर उसकी फ़र्जियत और जिम्मेदारी बाक़ी रहेगी।

याद रहे कि फ़र्ज का इन्कार करने वाला काफ़िर और बे उज़र उसको छोड़ने वाला गुनाहगार होता है।

(२) **वाजिब** : वह है कि जिसका वुजूब दलीले ज़न्नी से साबित हुवा हो। दलीले ज़न्नी का अर्थ यह है कि उसके सुबूत में अइम्मए किराम का इख़तिलाफ़ या कुछ शुबह हो। उसका इन्कार करने वाला फ़ासिक़ और बद अमल होगा और बे उज़र छोड़ने वाला गुनाहगार होता है और आख़िरत में मुअज़्ज़ब (सन्ताप पानेवाला) होगा जैसा कि नमाज़े वित्र और नमाज़े ईदैन वग़ैरा (छोड़ने वाला)।

(३) **सुन्नत** : वह है कि जिस काम को हज़रत ससूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अकसर किया हो या जिसकी अदाई की ताकीद फ़रमाइ हो। उसको बे उज़र छोड़ने वाला

क्राबिले मलामत होता है और अंदेशा है कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शफ़ाअत से महरुम रहे।

सुन्नत की दो किस्में हैं - एक मुअक्कदा दूसरी ग़ैर मुअक्कदा।

सुन्नते सुअक्कदा वह है कि जिसकी अदाइ के लिये आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताकीद (आदेश) फ़रमाइ हो और खुद भी हमेशा उसको अदा फ़रमाया हो, जैसा कि फ़ज़्र, जुहर, इशा की नमाज़ के साथ सुन्नत पढ़ना। फ़ज़्र और जुहर की सुन्नत ज़ियादा मुअक्कद है।

ग़ैर मुअक्कदा वह है कि जिस की अदाइ की हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताकीद नहीं फरमाई हो और कभी कभी खुद भी उसको छोड़ दिया हो, जैसा कि इशा की फ़र्ज़ से पहले चार रकात सुन्नत वग़ैरा। उसके अदा करने में सवाब है और उसको छोड़ने में अज़ाब नहीं।

- (४) **मुस्तहब** : वह है कि फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत के सिवा यानि उस से ज़ाइद हो। उसके करने में सवाब है और उसको छोड़ने में अज़ाब नहीं। मुस्तहब, नफ़िल, ततव्व यह सब ज़ियादती (अतिरिक्त) के माना में हैं।
- (५) **हलाल** : वह है कि उसको अमल में लाना जाइज़ होने पर कोई दलीले क़तई मौजूद हो और उसको हराम जानना कुफ़्र है।
- (६) **हराम** : वह है कि दलीले क़तई से उसकी मुमानअत (मनाही) और हुर्मत (हरामहोना) साबित हो और उसका इख़तियार करना फ़िस्क (पाप) और अज़ाब का मूजिब है और उसको हलाल जानना कुफ़्र है।
- (७) **मकरुह** : वह है कि उसकी मुमानअत दलीले क़तई से साबित न हो। उसकी दो किस्में हैं - एक मकरुहे तहरीमी जिसकी मुमानअत दलीले ज़न्नी से साबित हो, वह हराम के क़रीब है, बग़ैर उज़र के उसका अमल में लाना गुनाह का बाअस है लेकिन उसका इन्कार कुफ़्र का मूजिब नहीं है। दूसरा मकरुहे तन्ज़ीही है। यह वह फ़ेल (कार्य) है जिसकी मुमानअत हदीसे अहाद से साबित हो जिसके न करने में सवाब हो और करने में अज़ाब न हो।
- (८) **मुबाह** : वह है कि उसके करने में सवाब है और न उसको छोड़ने में अज़ाब।

उसूल और फ़राइज़े इस्लाम पाँच है

सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िअल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम ने

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

यानि इस्लाम की बुन्याद पाँच चीज़ों पर है। पहला यह कि दिल से यक़ीन करना और ज़बान से गवाही देना इस अम्र की कि

- (१) नहीं कोई माअबूद बरहक़ सिवाय ख़ुदाए वाहिद के जिसका कोई शरीक नहीं और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम ख़ुदा के बंदे और उसके रसूल हैं।
- (२) पाँच नमाज़ें रोज़ाना पाबंदी से अदा करना।
- (३) हर साल माल की ज़कात देना।
- (४) अगर शराइत हासिल हों तो उम्र में एक बार हज्ज अदा करना।
- (५) हर साल रमज़ान शरीफ़ के महीने के पूरे रोज़े रखना।

पाँच कलिमाते तैयिबात

(१) अब्वल कलिमय तैयब

لا إله إلا الله إلهه لا اله الا الله محمد رسل الله

لا إله إلا الله محمد رسل الله

(यानि पहला कलिमा पाकी का है नहीं है कोई माअबूद बरहक़ सिवाय ख़ुदा तआला के, मुहम्मद ख़ुदा के रसूल हैं।)

(२) दुव्वम कलिमय शहादत

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू वशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु! (दूसरा कलिमा गवाही का है - गवाही देता हूँ मैं कि नहीं है कोई माअबूदे वरहक़ सिवाय ख़ुदा के

वह एक है उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूँ मैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बंदे और रसूल हैं)।

(३) सुव्वम कलिमय तम्जीद

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

सुब्हानल्लाहि वलहमदु लिल्लाहि वला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीमा।

(तीसरा कलिमा बुजरगी का है - पाक है अल्लाह और सब तारीफ़ अल्लाह के लिये है और नहीं है कोई माअबूदे बरहक़ सिवाय अल्लाह के और अल्लाह बड़ा बुज़र्ग है और नहीं है ताक़त और नहीं है कुव्वत मगर खुदा तआला के लिये जो बुलदं है बुज़र्ग है।

(४) चहारुम कलिमय तौहीद

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا
أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुलकु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुव हैयुन ला यमूतु अबदन अबदन जुल जलालि वल इक्रामि बि यदिहिल ख़ैरु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर।

(चौथा कलिमा वहदानियत का - नहीं है कोई माअबूदे बरहक़ सिवाय खुदा के वह एक है और नहीं है उसका कोई शरीक, उसी के लिये हक़ीक़ी रियासत है और उसी के लिये कुल तारीफ़ है वही जिलाता है और वही मारडालता है और वह ज़िन्दा है उसको मौत नहीं भलाई उसी के हाथ में है और वही हर चीज़ पर क़ादिर है।)

(५) पाँचवाँ कलिमा रदे कुफ़र -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تَبْتُ عَنْهُ
وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिका मिन अन अश्रिक बिका शैऔ व अना आलमु बिहि व अस्तग़फ़िरुक
लिमा ला आलमु बिहि तुब्तु अनहु व तबर्रातु मिनल कुफ़ि वश शिरकि वल मआसि कुल्लिहा
अस्लमतु व अकूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि।

(पाँचवाँ कलिमा रद्दे कुफ़्र का है - या अल्लाह बेशक मैं शरण मांगता हूँ तेरी कि तेरे साथ किसी को शरीक करूँ किसी चीज़ को जान बूझ कर और मग़फ़िरत (मुक्ति) चाहता हूँ उस शिर्क से कि जिसको मैं नहीं जानता, तौबा किया मैं उस शिर्क से और बाज़ आया मैं कुफ़्र और शिर्क और सब गुनाहों से और इस्लाम और ईमान लाया मैं और कहता हूँ मैं कि नहीं है कोई माअबूदे बरहक़ सिवाय अल्लाह के और मुहम्मद सलअम खुदा के रसूल हैं।)

ईमाने मुज्मल

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ

आमन्तु बिल्लाहि कमा हुव बिअस्माएही व सिफ़ातिही व क़बिल्तु जमीअ अहकामिही।

(ईमान लाया मैं अल्लाह तआला पर जैसा कि वह अपने नामों और अपनी सिफ़तों के साथ मौसूफ़ है और स्वीकार किया मैं ने उसके तमाम हुकमों आदेशों को।)

ईमाने मुफ़स्सल

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلِكْتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الْبُعْثِ
بَعْدَ الْمَوْتِ حَقَّ

आमन्तु बिल्लाहि व मलाईकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आख़िरि वल क़द्री ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि बादल मौति हक़कुन।

(ईमान लाया मैं और ज़बान से इक्रार किया और दिल से सच जाना कि खुदा तआला एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा और तारीफ़ किया गया है कमाल की सिफ़तों से और ज़वाल और नुकसान की सिफ़तों से पाक है और उसकी हक़ीक़त बयान करने में नहीं आती, और तमाम ख़ल्कत का ज़ाहिर और बातिन उसके इल्म से एक ज़र्रा बराबर भी पोशीदा नहीं है और एक तिनका भी उसके हुकम के बग़ैर नहीं हिलता और उसका कोई शरीक नहीं है और खुदाय तआला को सर की या दिल की आँखों से या ख़ाब में देखना जाइज़ है और हज़रत महेदी अले हिस्सलाम के फ़रमान से दीदारे खुदाय तआला की तलब फ़र्ज़ है।)

ईमान लाया मैं उसके तमाम फ़रिश्तों पर जो बे हिसाब हैं और मर्द और औरत की सिफ़त से पाक हैं और हमेशा खुदाय तआला की इबादत में मशगूल रहते हैं और उनका जन्म नूर से है और वे छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं और उनको फ़ना भी है और उनमें चार फ़रिश्ते मुक़र्रब (समीपस्थ) हैं - (१) ह० जिब्राईल अले० (२) ह० मीकाईल अले० (३) ह० इसराफ़ील अले० (४) ह० इज़राईल अले०, तमाम फ़रिश्तों में से एक का भी इन्कार किया तो काफ़िर होता है।

ईमान लाया मैं उसकी किताबों पर जिनकी सहीह तेदाद अल्लाह को मालूम है और उनमें से यह चार किताबें बुजर्ग (प्रतिष्ठत) हैं - (१) तौरैत जो ह० मूसा अले० पर नाज़िल हुवी (२) ज़बूर जो ह० दावूद अले० पर नाज़िल

हुवी (३) इन्जील जो ह० ईसा अले० पर नाज़िल हुवी (४) कुरआने मजीद जो ह० मुहम्मद सुस्तफ़ा सला० पर नाज़िल हुवी और उसके सहीफ़े (धर्म ग्रंथ) बे हिसाब हैं, अगर इन किताबों और सहीफ़ों में से एक का भी इन्कार किया तो काफ़िर होता है और हमारा अमल कुरआने मजीद पर है और क़यामत तक रहेगा।

ईमान लाया मैं उसके पैग़म्बरों पर जो कमोबेश एक लाख चौबीस हज़ार हैं लेकिन उनकी सहीह संख्या अल्लाह को मालूम है और वे छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं ओर उन पैग़म्बरों में बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत है, अगर उनमें से एक का भी इन्कार किया तो काफ़िर होता है।

ईमान लाया मैं क़ियामत (महाप्रलय) के दिन पर कि उसका आना बरहक़ है और क़ियामत के आने की निशानियाँ (लक्षण) ज़ाहिर होना भी बरहक़ है और क़ियामत का या उसकी निशानियों का इन्कार किया तो काफ़िर होता है।

ईमान लाया मैं क़द्र पर कि उस क़द्र की नेकी और बदी हक़ तआला से है मगर नेकी से राज़ी है और बदी से राज़ी नहीं और उसका भी इन्कार किया तो काफ़िर होता है।

ईमान लाया मैं बअस पर यानि मरने के बाद हशर में जी कर उठने पर और जिस समय मैदाने हशर में जिन्नात और इनसान, पशु पक्षी सब जीकर उठेंगे और जिन्नात और मानव जाति के आमालनामे तराजू में तोले जाएंगे और उन आमाल (कर्म) की जज़ा सज़ा (प्रत्युपकार और दंड) मिलेगी और ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लिया जाएगा सो हक़ है अगर उसका भी इन्कार किया तो काफ़िर होता है।

अहकामे नजासत

नजासत (गदंगी) दो क़िस्म (प्रका) की है - (१) नजासते ग़लीज़ा (गाढ़ी/मोटी/सख़्त)
(२) नजासते ख़फ़ीफ़ा

नजासते ग़लीज़ा वह है कि जिस चीज़ का नजस होना आयत या हदीस से साबित हुवा हो और दूसरी आयत या हदीस उसके मुख़ालिफ़ न हो। उसके सिवाय जो है वह नजासते ख़फ़ीफ़ा है। (नूरुल हिदाया)

इमाम अबूहनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि के विचार में कपड़े और बदन की नजासत को पानी या गुलाब या सिरका वग़ैरा तेल और दूध के सिवा जो चीज़ पानी की तरह बहने वाली हो उस से धोकर पाक करना जाइज़ है, लेकिन इमाम मुहम्मद और इमाम शाफ़ई और इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाहि अलैहिम के विचार में पानी के सिवाय (किसी दूसरी चीज़ से) नजासत पाक नहीं होती। (२०)

नजासते गलीज़ा

आदमी और उन जानवरों का पेशाब जिनका गोश्त (मास) हराम है जैसा कि गधा, बिल्ली, चूहा, वगैरा और पायखाना (मल), मनी (वीर्य), खून (रक्त), शराब (मदिरा) और मुर्गी, बतख और मुर्गाबी (जल कुक्कुट) की बीट नजासते गलीज़ा है। नजासते गलीज़ा शरीर या वस्त्र पर एक दिरम (चांदी का एक सिक्का) से कम लग जाये और उसको धोकर पाक न कर सकें ते मआफ़ है, लेकिन दिरम के बराबर या उस से ज़ियादा नजासत लग जाय तो मआफ़ नहीं है, उस से नमाज़ बातिल होजाती है, उसका धोना फ़र्ज़ है।(३)

नजासत पानी की तरह पत्ली हो तो दिरम की मात्रा हतेली के गढ़े की चौड़ाई के बराबर और गाढ़ी हो तो दिरम की मात्रा एक मिस्काल के बराबर मुराद ली जाती है जिसका वज़न साढ़े तीन माशे होता है।

अगर दिरम की मात्रा के बराबर नजासत लग जाय तो उस से नमाज़ कराहते तहरीमी के साथ अदा होजाती है और उसका धोना वाजिब है और अगर उस से कम मात्रा में लगी हो तो उस से कराहते तंज़ीही के साथ नमाज़ दुरुस्त होती है और उसका धोना मस्नून है। (४,५)

नजासते ख़फीफ़ा

घोड़े, बक्रे, गाय भैंस वगैरा जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनका पेशाब, गोबर, लीद, मेंगनी और हराम पक्षियों की बीट नजासते ख़फीफ़ा है। नजासते ख़फीफ़ा शरीर या वस्त्र के चौथाइ हिस्से से कम लगी हो तो मआफ़ है यानि हाथ पैर या कोई दूसरे अंग या आस्तीन या कली या दामन वगैरा के चौथाइ भाग से कम हो तो मआफ़ है लेकिन कराहत (घृणा) के साथ। चौथाइ या उस से ज़ियादा हिस्से को नजासते ख़फीफ़ा लग जाय तो मआफ़ नहीं है। चौथाइ कपड़े से उस कपड़े का चौथाइ हिस्सा मुराद है जितने कपड़े से नमाज़ दुरुस्त होती है और इमाम अबू यसुफ़ रहे ० ने उसका अन्दाज़ा (अनुमान) लम्बाइ और चौड़ाइ में एक बालिशत का किया है और चौथाइ से कम नजासते ख़फीफ़ा लगी हो तो उसका धोना भी बेहतर है।(२)

विभिन्न निर्देश

- १) जुगाल (पागुर) हर जानवर का उसके पाखाने में दाख़िल (पाखाने के समान) है। (६)
- २) ख़िन्ज़ीर (सुअर) के सिवा मुर्दा जानवर के बाल, हड्डी (अस्थि) पट्टा, खुर, सुम, सींग, पर, चूच नाखुन यह सब चीज़ें पाक हैं लेकिन शर्त यह है कि उन पर चिकनाई न हो।(५)

- ३) अगर पेशाब की छीटें सूई की नोक के बराबर पड़ जाएं जो दिखाइ न देती हों तो मआफ़ है उसका धोना वाजिब नहीं है। (२)
- ४) जिस कपड़े को नजासत लगी हो तो उसको तीन या सात बार धोकर खूब जोर से निचोड़ने से पाक होजाता है अगरचे कि उसके बाद भी उसका रंग या असर बाकी रहा हो। (७)
- ५) अगर कोई ऐसी बड़ी चीज़ हो जो निचोड़ी न जासकती हो तो उसको तीन बार धोकर सुखालेना काफ़ी है और सूख जाने से यह मुराद है कि उसका पानी टपकना रुक जाए।(२)
- ६) मछली का खून, खच्चर और गधे का लुआब (शल) नजस नहीं है।(२)
- ७) जिगर (कलेजा) और तिल्ली का खून पाक है। (५)
- ८) मचछर, पिस्सू जूँ और जो जानवर पानी में रहते हैं उन सब का खून पाक है अगर ज़ियादा न हो (६)
- ९) अगर किसी कपड़े का अस्तर नजस हो और वह सिया हुवा न हो तो उस पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। (२)
- १०) अगर बिछोने का एक जानिब नजस हो और दूसरा जानिब पाक हो तो उसपर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है और बाज़ों की राय में अगर वह बिछोना इतना बड़ा हो कि एक तरफ़ के हिलाने से दूसरा जानिब न हिले तो उस पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है और अगर हिल जाय तो उसमें इखतिलाफ़ है, बाज़ की राय में दुरुस्त है और बाज़ की राय में दुरुस्त नहीं है। (२)
- ११) अगर पाक कपड़े को नजस कपड़े के साथ लपेट दिया जाय और नापाक कपड़े की तरी पाक कपड़े पर इस क़द्र आजाए कि उसको निचोड़ने से पानी न टपके तो उस पर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है और अगर एक क़त्रा भी टपक जाए तो दुरुस्त नहीं है। (२)
- १२) मिट्टी और गोबर मिलाकर लीपी हुई खुशक ज़मीन पर गीला कपड़ा बिछाकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। (२)
- १३) घरेलू जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, नेवला, छिपकली और वह पक्षी जिनका गोशत हराम है जैसे कव्वा, चील, शिकरा, गली में फिरने वाली मुर्गी और नजस खाने वाली गय भेंस का झूटा मकरूह है। (२,५)
- १४) सूअर, कुत्ता और चौपाय दरिन्दों का झूटा नजस है। (७)

- १५) शराब पीने वाले का झूटा पीने के समय नापाक है और उसकी मूँछें लम्बी हों जब तक वह पानी से न धोए उसका झूटा नापाक है। (७)
- १६) ऐसे शख्स का झूटा जिसका मूँह लहू में भरा हुआ हो नापाक है। (८)
- १७) आदमी मर्द हो या औरत, काफ़िर हो या मुसलमान, पाक हो या नापाक उसका झूटा और पसीना पाक है। (५)
- १८) अज़्ज़बी औरत का झूटा मर्द के लिये और अज़्ज़बी मर्द का झूटा औरत के लिये तलबे लज़्ज़त (आनंद उठाने) के लिए मकरूह है। (७, १०)
- १९) घोड़े, गधे और खच्चर का और जिन जानवरों का गोश्त हलाल है चाहे वह चौपाय हों या पक्षी उनका झूटा पाक है सिवाय गली में फिरने वाली मुर्गी और गंदा खाने वाली गाय के। (२, ६)
- २०) जिनका झूटा पाक है उनका पसीना भी पाक है और जिनका झूटा नापाक है उनका पसीना भी नापाक है। (२)
- २१) हाथी की सूंड का लुआब नापाक है। (६)
- २२) दूध धोते समय बक्री की मेंगनी दूध में गिर जाय और तुरंत निकाल दी जाय तो दूध पाक रहेगा और अगर मेंगनी टूट जाय तो नापाक होगा। (६)

इस्तिंजा के अहकाम और तरीक़े

शरीर के सामने और पीछे की नजासत दूर करने को इस्तिंजा कहते हैं और यह सुन्नते मुअक्कदा है।

- १) पेशाब और पाखाना करते समय क़िब्ले की जानिब मूँह या पीठ करके बैठना मकरूहे तहरीमी है। अगर भूल कर उस तरफ़ बैठ जाय तो याद आते ही क़िब्ले के आदर के कारण पलट जाय और क़िब्ले की जानिब पाँव फैलाना भी मकरूह है।
- २) पेशाब और पाखाना के समय चाँद और सूरज के सामने बैठना भी मकरूह है।
- ३) ठहरे हुए (स्थिर) पानी में पेशाब या पाखाना करना मकरूहे तहरीमी है और बहते हुवे

पानी में कराहते तंजीही लेकिन उज़र (क्षमा या छूट के किसी कारण) की सूरत में मसलन कश्ती या जहाज़ से उतरना मुम्किन न होने की सूरत में मकरूह (घृणित) नहीं है।

- ४) नहेर, कुंवाँ, हौज़ या चश्मे के किनारे या फल देने वाले पेड़ के नीचे या खेत में या उस छाया में जिस से लोग लाभ उठाते हैं पेशाब और पाखाना करना मकरूहे तहरीमी है, लेकिन जो छाया आबादी से दूर हो उसके नीचे पेशाब पाखाना करना मकरूह नहीं है।
- ५) मस्जिद और ईदगाह के आस पास और क़ब्रिस्तान में पेशाब पाखाना करना मकरूह है। क़ब्रिस्तान में कराहत का कारण यह है कि मैयित को कष्ट होता है और फुक़हा (धर्म शास्त्र के विद्वानों) ने वज़ाहत की है कि क़ब्रिस्तान में जो नया मार्ग बनजाता है उसमें चलना हराम है तो पेशाब पाखाना करना उस से भी ज़ियादा ममनूअ (वर्जित) है।
- ६) चौपायों के बीच में, लोगों के रास्ते में, चूहे सांप या चियूटी की बिल और हर सूरख में और निचली ज़मीन पर बैठकर ऊंची ज़मीन की तरफ़ पेशाब करना मकरूह है।
- ७) वज़ू और गुस्ल (स्नान) करने की जगह भी पेशाब करना मकरूह है।
- ८) पेशाब और पाखाना के समय बात करना और छींक आने पर अल्हम्दु लिल्लाह कहना या छींकने वाले के लिये दुआ कहना और सलाम का जवाब देना और अज़ाँ का जवाब देना और बिला ज़रूरत शर्मगाह और पेशाब पाखाने को देखना और वहाँ थूकना, नाक झाड़ना, खंकारना, बायें और दायें तरफ़ देखना, अपने बदन से फ़ेले अबस करना, आस्मान की तरफ़ सर उठाना और बहुत (देर तक) बैठना मकरूह है।(७,९)
- ९) पेशाब पाखाने के लिये खुले सर नहीं जाना चाहिये और उस मक़ाम पर ऐसी अंगूठी को लेजाना मकरूह है जिस पर खुदा का नाम या कुरआन लिखा हो।(७)
- १०) बैतुल ख़ला (शौचालय) में दाख़िल होते समय यह कहे

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ الْمُنْحَبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिक मिनल ख़ुब्सि वल ख़बाइसि व अऊज़ुबिक मिनर रिज्सिल ख़ुब्सिल मुख़बिसिश शैतानिर रजीम।

(या इलाही मैं पनाह मांगता हूँ तेरी एक या ज़ियादा नापाकियों से और तेरी पनाह मांगता हूँ नापाक शरीर पलीद शैतान मर्दूद से।)

हज़रत अनस रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब बैतुल ख़ला में दाख़िल होते तो यही फ़रमाते थे। (१७)

- १ १) बैतुल ख़ला में दाख़िल होते समय बायाँ पैर पहले दाख़िल करे और दोनों पैर कुशादा करके बैठे और बायें पैर पर झुका रहे।(७)
- १ २) इस्तिंजा करना ऐसी पाक चीज़ से मस्नून है जो नजासत को दूर करने वाली हो जैसे पत्थर, ढेला, लकड़ी, पुरानी खाल, दीवार, ज़मीन लेकिन दूसरों के मकान से जाइज़ नहीं। जाड़े के मौसम में पहला ढेला पीछे की जानिब से आगे लायें और दूसरा आगे से पीछे लेजायें और तीसरा पीछे से आगे लायें लेकिन गर्मी के मौसम में इसका उलटा करें।(७)
- १ ३) औरत हर मौसम में पहला ढेला पीछे से आगे लाय और दूसरा आगे से पीछे और तीसरा पीछे से आगे लाये।(७)
- १ ४) ढेले वगैरा से पाक करने के बाद पानी से धोना सुन्नत है जब कि नजासत अपने निकलने की जगह से फैल न गई हो।(७)
- १ ५) अगर निकलने की जगह से नजासत दिरहम के बराबर फैल गई हो तो उसका धोना वाजिब है और अगर दिरहम से ज़ियादा फैल गई हो तो उसका धोना फ़र्ज़ है।(६)
- १ ६) बेहतर तरीका यह है कि इस्तिंजा के समय बदन को ढीला करे। रोज़ेदार न होने की सूरत में पानी से यहाँ तक धोना चाहिए कि इस्तिंजा करने वाले को विश्वास होजाय कि इस्तिंजा का मक़ाम पाक होगया और उस जगह की चिकनाई दूर होजाए। शक्की मिज़ाज शख्स के लिये तीन बार धोना काफ़ी है। पानी से धोने के बाद पेशाब पाख़ाने के मक़ाम को कपड़े से पोछ डाले। कपड़ों को इस्तेमाल किये हुए पानी से बचायें। अगर कपड़ा मौजूद न हो तो पानी के क़त्रों को हाथ से दूर करके उठने में कुछ देर करें।(७)
- १ ७) हड्डी, खाने की चीज़, सूखी लीद, सूखा पाख़ाना जली हुवी ईंट, ठीकरी, जानवरों के चारे, लाभदाइक और हुर्मत वाली (पुनीत) चीज़ और काग़ज चाहे वह सादा हो, वज़ू के बचे हुवे पानी, आबे ज़मज़म, कांच, कोयले से और दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है अगर बायें हाथ में कुछ उज़्र न हो।(७)

१ ८) फ़ारिग होने के बाद यह कहे -

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي دَفَعَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

अल्हम्दु लिल्लाहिल लजी दफ़अ अन्नी अल अज़ा व आफ़ानी (तारीफ़ उस अल्लाह के लिये है जिस ने मुझ से तकलीफ़ दूर की और मुझ को सलामती अता की) (७, १०)

१९) अगर पाख़ाने की बहुत सी मक्खियाँ कपड़े और बदन पर बैठें तो नापाक होगा वरना नहीं।(६)

पानी के मसाइल

अल्लाह तआला फ़रमाता है “और अल्लाह तआला उतारता है पानी आस्मान से ताकि पाक करे तुमको उस से” (८:११)।

★ जो हौज़ (जलाशय), चश्मा (सोता) या बावली चारों तरफ़ दस दस गज़ शरई जिस के मौजूदा ज़माने के लग भग सात गज़ होते हैं या सौ गज़ मुरब्बा (वर्ग) या उस से ज़ियादा हो वह पानी पाक और बहते हुए पानी का हुकम रखता है। उस में कोई नजस चीज़ गिर जाए तो जब तक उसका असर ज़ाहिर न हो पानी नापाक नहीं होता।(७)

★ उसकी गहराई इतनी हो कि चुल्लू से पानी भरने के समय ज़मीन खुल न जाए और पानी में गंदला पन न आजाए।(६)

★ बड़े हौज़ में जहाँ नजासत पड़ी हो वह जगह इज्माअ की राए में नापाक है, उस जगह से एक छोटे हौज़ के बराबर हटकर वजू या गुस्ल करें।(६)

पानी की नापाकी के तीन अलामात

- (१) तग़ैयुरे मज़ा (स्वाद में परिवर्तन)
- (२) तग़ैयुरे रंग (रंगत में परिवर्तन)
- (३) तग़ैयुरे बू (गंध में परिवर्तन)

हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व मल्लम ने फ़रमाया कि पानी पाक है और उसको कोई चीज़ नापाक नहीं करती जब तक कि उसका रंग या बू या मज़ा बदल जाए। रिवायत किया उसको बैहक़ी ने अबी अमामा रज़ी० से।(११)

★ अगर पानी में किसी नापाक चीज़ के गिर जाने या मिल जानने से इन तीनों अलामात में से एक भी पैदा हो तो वह पानी नापाक होगा। अगर किसी पाक चीज़ के उस में मिलजाने

से उसका कोइ वस्फ़ (गुण) बदल जाए मसलन खाक (मही) या पेड़ के पत्ते या साबुन या ज़ाफ़रान (मिलजाने से) वह पानी नापाक नहीं होता। पानी रखे रखे बदबूदार होजाए तो वह भी नापाक नहीं होता और बर्फ़ का पानी भी पाक है, लेकिन वहरूरइक़ में क़ीना से रिवायत है कि अगर ज़ाफ़रान (केसर) के पानी से कपड़े वगैरा का रंगना मुम्किन हो तो उस से तहारत जाइज़ नहीं है जैसे खजूर के शर्बत से जाइज़ नहीं है।(७)

विशेष : बहते हुवे पानी में कोइ नजस चीज़ गिर जाये लेकिन उस पानी का रंग, बू या मज़ा न बदले तो वह पानी पाक है। (७)

★ वाज़ेह हो कि आबे जारी (बहते हुवे पानी) के विषय में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। बाज़ की राय में आबे जारी वह है जो घांस और तिन्के वगैरा बहा ले जाये, शर्ह विक़ाया में भी यही है और बाज़ उलमा ने कहा है कि आबे जारी वह है कि लोग उसको जारी (बहता हुवा) समझें।(७)

★ अगर हौज़ का नाप दस दस ग़ज़ से कम हो और उसमें एक तरफ़ से पानी आता हो और दूसरे तरफ़ से निकल जाता हो तो वह भी आबे जारी के हुक्म में दाख़िल है और उस हौज़ के हर तरफ़ वज़ू जाइज़ है और उसी पर फ़तवा है। (२)

★ जो पानी धूप में रखा गया हो उस से तहारत जाइज़ है। (७)

★ पेड़ के और फल के निचोड़े हुवे पानी से तहारत और वज़ू जाइज़ नहीं है। अगर बिल्कुल पानी न मिले तो तयम्मूम करना चाहिये। (७)

कुंवें के मसाइल

★ कुंवें में कोई ऐसा जानवर गिर कर मर जाए जिस से खून जारी नहीं होता जैसे मच्छर, मख़वी, मछली, पानी की मेडंक, खेकड़ा वगैरा या अगर उस में ऊंट या बक़्री के दो मेंगनियाँ या कबूतर या चिड़या की बीट गिर जाए तो वह पानी नापाक नहीं होता।(७)

★ जंगली मेंडक जिस में खून जारी रहता है और जिसकी उंगलियों के बीच में बतख़ के जैसा पर्दा नहीं होता उस के पानी में मरजाने से पानी नापाक होजाता है। (७)

विशेष : हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलेही व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम्हारे पानी में मक़बी गिर जाए तो चाहिये कि उसको डुबा दे फिर उसको निकाल डाले इस लिये कि उसके एक पर में मर्ज़ (रोग) है और दूसरे पर (पंख) में शिफ़ा (स्वास्थ्य) है। इस को बुख़ारी रहे० ने अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत किया है और यह हदीस निहायत सहीह है और इस हदीस से मालूम

हुवा कि ऐसा हैवान जिसमें खून नहीं होता उसके (पानी में गिरकर) मरने से पानी नापाक नहीं होता। (२)

★ वाजेह हो कि इस आदेश के आधार पर अगर मक्खी सालन में गिर जाए तो उसको डुबोकर निकालना चाहिये। अगर चिड़या, चूहा या उसके मारिंद (समान) कोई दूसरा जानवर कुंवे में गिरकर मरजाए तो उसको निकालकर बीस डोल से तीस डोल तक पानी निकालने से वह पानी पाक होजाता है। (७)

★ अगर कबूतर, मुर्गी या बिल्ली या उसके बराबर कोई जानवर (कुंवे मे गिरकर) मरजाए तो चालीस डोल निकालना वाजिब है और साठ डोल तक निकालना मुस्तहब है। (७,२)

★ अगर उसमें नजासत गिरजाए या आदमी, बक्रा, कुत्ता या उसके जैसा कोई जानवर गिर कर मर जाए या कोई छोटा हो या बड़ा जानवर उसमें फूल जाए या फट जाए ते तमाम पानी निकालना वाजिब है। अगर किसी कुंवे में ऐसा झिर्रा हो जिस से तमाम पानी खाली करना मुम्किन न हो तो इतना पानी निकाला जाए जितना उस कुंवे में हो। पानी की मिक़दार (मात्रा) मालूम करने के लिये दो मर्द मुत्तकी (संयमी पुरुष) के क़ौल (वचन) पर जिनको पानी का उत्तम अनुमान हो अमल करना चाहिये। इस क़ौल पर फ़तवा है और यह क़ौल माइल ब एहतियात (सुरक्षा की भावना) है। दूसरा उपाय यह है कि दो सौ से तीन सौ डोल तक पानी निकालें, यह क़ौल इमाम मुहम्मद रहे० से रिवायत किया गया है जबकि उन्होंने ने देखा कि बग़दाद के कुंवे तीन सौ डोल से ज़ियादा पानी के नहीं थे जब उन्होंने ने यह फ़तवा दिया लेकिन यह क़ौल ज़ईफ़ है इस लिये कि शरई हुक्म यह है कि नजासत के कारण तमाम पानी निकाला जाए तो (डोल की) एक ख़ास संख्य तक सीमित करना कि इस से पानी पाक होजायगा किसी दलील के बिना कैसे क़ाबिले कुबूल (मान्य) होगा बल्कि इब्ने अब्बास रज़ी० और इब्ने जुबैर रज़ी० ने इसके ख़िलाफ़ राय दी है। (७,२)

★ अगर किसी कुंवे में से पानी बहता हो तो वह पाक है अगरचे कि थोड़ा ही बहता हो।(७)

★ जिस कुंवे में से जितना पानी निकालना वाजिब है उतना पानी ज़मीन में समा जाय तो वह पानी पाक होजायगा और अस्फल (तल यानि निचला हिस्सा) सूख जाने के बाद फिर पानी आये तो नापाक न होगा। अगर पानी नहीं निकाला गया और वह सूखा भी नहीं और उसमें नया पानी आगया तो नापाक रहेगा।(७)

★ जो जानवर (नाप में) कबूतर और चूहे के बेच में हो और मुर्गी और बक्रे के बीच में हो वह छोटे जानवर के हुक्म में दाख़िल रहेगा।(७)

★ तीन से पाँच चूहों तक एक बिल्ली के बराबर है (जिनके गिर कर मरजाने पर) चालीस(४०) डोल पानी निकालना चाहिये। दो बिल्लियाँ और छे चूहे एक बक्रे के बराबर हैं (इनके गिरकर मरजाने पर) तमाम पानी ख़ाली करने का हुक्म है। कुन्जिशक (गौरैया), कबूतर, कव्वे, चील और बाज़ की पंचाल (मल) कुवें में गिरे तो नापाक नहीं होता। (७)

★ पेशाब की छीटें सूई की नोक के बराबर और नापाक गुबार (धूल/गर्द) के गिरने से पानी नापाक नहीं होता।

★ तातार ख़ानिया में लिखा है कि चूहा कुवें में गिरकर ज़िन्दा निकले तो बीस(२०) डोल और बिल्ली, गली में फिरने वाली मुर्गी और बे वज़ू और बे गुस्ल आदमी के लिये चालीस(४०) डोल पानी निकालना मुस्तहब है। (७)

★ वाज़ेह हो कि डोल औसत दर्जे का होना चाहिये जो सामान्य रूप से हर शहर में इस्तेमाल किया जाता हो, जिस में ऐक साअ यानि तीन सेर पानी आता हो। अगर उस से बड़ा डोल हो तो हिसाब करके बराबर करलें और डोल फटा हो तो कुवें से निकलने तक अगर आधा पानी वह जाता हो तो दुरुस्त न होगा। अगर आधे से कम गिरता हो तो जाइज़ होगा। (७)

★ अगर डोल बहुत बड़ा यानि बीस या चालीस डोल के बराबर हो तो एक या दो डोल निकालना काफ़ी है। (७)

★ अगर किसी कुवें में कोइ मरा हुवा जानवर फूल जाये या फट जाये और उसके गिरने का समय मालूम न हो तो उस पानी को तीन रात और तीन दिन से नापाक ख़याल करके तीन दिन की नमाज़ को दोहराना चाहिये। अगर जानवर फूल न जाये ते एक रात और एक दिन से पानी को नापाक समझें और जिन चीज़ों को वह पानी पहुंचा है उनको पाक करें। (७,२)

हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा के अहकाम

तीन किसम का ख़ून औरतों के लिये मख़सूस है

- १) हैज़ - स्त्री का आर्तव या मासिक धर्म या माहवारी।
- २) निफ़ास - प्रसव रक्त यानि वह ख़ून जो बच्चे को जन्म देने के बाद स्त्री को चालीस दिन तक निकलता है।

३) **इस्तिहाज़ा** - हैज़ और निफ़ास के अलावा स्त्री को जो खून जारी हो वह इस्तिहाज़ा है।

हैज़ : हैज़ का खून नौ वर्ष की उम्र के बाद बालिगा औरत के रहम (गर्भाशय/बच्चादानी) से जारी होता है। उसकी कम से कम मुद्त तीन दिन है और ज़ियादा से ज़ियादा दस दिन। हैज़ से पाक होने को तुहर कहते हैं और इसकी कम से कम मुद्त पंद्रा(१५) दिन है और ज़ियादा की कोई हद नहीं। दो हैज़ के बीच में पाकी के दिनों को "तुहरे मुतखल्लल" (मध्यवती पवित्रता) कहते हैं। (२)

★ हैज़ की मुद्त में ख़ालिस सफ़ेद रंग के सिवा जो रंग हो वह हैज़ है।

★ सिने इयास (निराशा की उम्र) यानि बुढ़ापा आने के बाद हैज़ जारी नहीं होता। इयास का अर्थ निराशा या नाउम्मीदी है यानि उस सिन में हैज़ से नाउम्मीदी हो जाती है। सिने इयास बाज़ की राय में पचपन(५५) और बाज़ की राय में साठ(६०) साल है। इस सिन के बाद खून आना बंद होजाने के बाद फिर कभी जारी हो तो वह हैज़ नहीं है। (२)

★ निफ़ास का खून वह है जो औरत को बच्चा जन्म देने के बाद जारी होता है। उसकी कम से कम मुद्त की कुछ हद नहीं और आखरी मुद्त चालीस दिन है। (२,४)

★ इस्तिहाज़ा रहम (गर्भाशय) का खून नहीं है बल्कि रग के फट जाने से जारी होता है और औरत को तीन दिन से कम और दस दिन से ज़ाहद मुद्त तक जारी रहे तो वह इस्तिहाज़ा है। (२,४)

★ हामिला (गर्भवती) औरत को या ज़ज्जी के बाद चालीस दिन से ज़ायद मुद्त तक या नौ साल से कम उम्र की औरत को या आइसा (बूढ़ी औरत जिसको हैज़ की आश नहीं) औरत को खून जारी हो तो वह भी इस्तिहाज़ा है। (४,५)

★ हैज़ और निफ़ास की हालत में जिमाअ (मैथुन) करना हराम है और इस्तिहाज़ा की हालत में जाइज़ है। (२,४)

अल्लाह तआला फ़र्माता है : "ऐ मुहम्मद आप से लोग हैज़ के बारे में दर्याफ़्त करते हैं कह दी जिये कि वह तो नजासत है इस लिये हैज़ के दिनों में औरतों से अलग रहो और जब तक वह पाक न हो जायें उन से मुक़ारबत (सह वास) न करो, हाँ जब पाक हो जायें तो जिस जगह से खुदा ने तुम को हुक्म किया उनके पास जाओ"। (२:२२)

★ हैज़ और निफ़ास की हालत में नमाज़ मआफ़ है और उसकी क़ज़ा भी लाज़िम नहीं है। उन दिनों में रोज़े रखना भी मना है लेकिन पाक होने के बाद रोज़ों की क़ज़ा वाजिब है। (२,४)

- ★ हैज़ और निफ़ास का खून बंद होने के बाद गुस्ल के बग़ैर औरत से जिमाअ करना अकसर अइम्मा की राय में जाइज़ नहीं है लेकिन इमाम आज़म रहे० की राय में गुस्ल (स्नान) के बग़ैर भी उस सूरत में जिमाअ जाइज़ है जब कि दस दिन गुज़रने के बाद हैज़ रुकजाय और चालीस दिन के बाद निफ़ास और उसके बाद एक नमाज़ का वक़्त गुज़र जाये। (२,४)
- ★ अगर आदत के दिनों से कम मुद्दत में हैज़ बंद होजाए तो गुस्ल करके नमाज़ और रोज़ा की अदाई करे, लेकिन आदत के दिन तमाम होने तक उस से वती (संभोग) हलाल नहीं है। (६,२)
- ★ अगर औरत को दस दिन से कम हैज़ की आदत हो और उस को किसी महीने में आदत से ज़ाइद दस रोज़ तक खून जारी रहे तो वह हैज़ होगा और नमाज़ साक़ित होगी और अगर दस रोज़ से भी ज़ाइद दिनों तक जारी रहे तो आदत की हद तक हैज़ रहेगा और उस से ज़ाहद इस्तिहाज़ा। पस आदत के दिनों से दस दिन तक जो नमाज़ें अदा न की गई हों उन की क़ज़ा करे। (१२) (१)
- ★ इस्तिहाज़ा का खून जारी रहना मानेअ (निषेधक) नमाज़ और रोज़ा नहीं है। (४)
- ★ मुस्तहाज़ा औरत को हर नमाज़ के वक़्त इस्तिंजा करना और नया वजू करना वाजिब है। (६)
- ★ अगर औरत उमर के लिहाज़ से बालिगा हो जाये और उस को उमर भर खून न आये तो वह नामज़ पढ़ा करे और रोज़े रखा करे और शौहर से कुर्बत किया करे। (७)

गुस्ल के अहकाम

अल्लाह तआला फ़र्माता है : “और अगर तुम हालते नापाकी में हो तो तुम अपने को पाक करो। (५:६)

हदीसे शरीफ़ - फ़र्माया हज़रत नबी करीम सल्ला० ने गुस्ल करना निस्फ़ (आधा) ईमान है।

अबू हुरेरा रज़ी० ने कहा की हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि अल्लाह का हक़ है हर मुसलमान पर कि हर हफ़ते (सप्ताह) में एक मर्तबा नहाये और अपना सर और बदन धोये।(१३)

(१) नमाज़ की माफ़ी और रोज़ों की क़ज़ा वाजिब होने की यह वजह बयान की जाती है कि साल भर में एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अगर रमज़ान के महीने में दस रोज़ हैज़ रहे तो साल भर में क़ज़ा के दस रोज़े रखने में हरज और दुश्वारी नहीं है। इसके बर ख़िलाफ़ हर महीने में दस दिन के पचास और साल भर के छे सौ नमाज़ें क़ज़ा होती हैं और इतनी नमाज़ों की क़ज़ा अदा करना हरज और दुश्वारी का मूजिब है और यह वजह भी है कि जब हज़रत हब्बा हैज़ में मुक्बिला हुवीं तो हज़रत आदम अले हिस्सलाम ने रब्बुल इज़्जत से नमाज़ की अदाई के बारे में अर्ज़ किया तो उसकी मआफ़ी का हुक्म सादिर हुआ। जब रोज़ों के ज़माने में हज़रत आदम अलेहिस्सलाम ने पूछे बग़ैर रोज़ों की मआफ़ी का हुक्म दे दिया इस लिये रोज़ों की क़ज़ा वाजिब होगई। (तहतावी वगैरा)

गुस्ल ग़ैन पर ज़बर से लुगत में मैल दूर करने को कहते हैं और ग़ैन पर पेश से (गुस्ल) तमाम बदन के धोने को कहते हैं।(७)

गुस्ल की चार किस्में हैं - फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब

दर्जे ज़ेल असबाब में गुस्ल करना फ़र्ज है :

- १) मनी (वीर्य) ज़ोर से और लज़्जत से (आनंद के साथ) ख़ारिज हो।
- २) एहतिलाम (स्वपनदोष) वाक़े हो यानि खाब के बाद मनी का धब्बा या तरी पाई जाये। अगर खाब में जिमाअ करें और लज़्जत भी हासिल हो और याद भी रहे लेकिन बेदारी के बाद बदन या कपड़े या बिस्तर पर मनी की कोई निशानी नहीं पाई जाये तो उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं है और औरत के लिये भी यही हुक्म है। (६,७)
- ३) फ़र्ज (योनि) या दुबुर (पिछले हिस्से) में ज़कर (लिंग) का सर ग़ाइब हो जाये तो मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल फ़र्ज है अगरचे कि इन्ज़ाल (मनी निकलना) न हो।
- ४) औरतों को हैज़ व निफ़ास का ख़ून जारी होकर बंद हो। (२)
- ५) किसी शख्स को पेशाब करते वक़्त मनी निकले और उस वक़्त तुन्दी (तीव्रता) भी थी तो उस पर गुस्ल फ़र्ज है वर्ना नहीं। (६)

दर्जे ज़ेल अस्बाब में गुस्ल वाजिब है

- १) जब कि आदमी के तमाम जिसम पर नजासत लगी हो या थोड़े जिसम पर लगी हो और नजासत का मक़ाम मालूम ना हो।
- २) जब कि काफ़िर मुसलमान हो हालते जनाबत या हैज़ या निफ़ास में अगरचे कि हैज़ व निफ़ास बंद होने के बाद इस्लाम कुबूल करे।
- ३) मय्यत को गुस्ल देना भी वाजिब है। (७)
- ४) किसी शख्स को एहतिलाम हो और जागने के बाद कोई अलामत नहीं पाई गई ओर वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली उसके बाद मनी निकले तो उस शख्स पर गुस्ल वाजिब है लेकिन नमाज़ का एआदा नहीं। (६)
- ५) किसी औरत ने मुजामअत (संभोग) के बाद गुस्ल किया और नमाज़ पढ़ी उसके बाद उस

की पेशाब गाह से शोहर की मनी बरामद हो तो उस औरत पर गुस्ल का एआदा है न नमाज़ का (५)

दर्जे ज़ेल अस्बाब के लिये गुस्ल सुन्नत है :

नमाज़े जुमा, नमाज़े ईदैन, एहराम और वुकूफे अरफ़ात के लिये गुस्ल सुन्नत है। (७)

अगर जुमे के दिन ईद वाके हो और किसी शख्स को जनाबत भी हो तो एक बार नहाना सुन्नत और फ़र्ज गुस्ल को किफ़ायत करता है। इसी तरह हैज़ बंद होने के बाद जिमाअ या एहतिलाम वाके हो तो एक गुस्ल काफ़ी है। (७)

दर्जे ज़ेल अस्बाब में गुस्ल मुस्तहब है :

मजनून को इफ़ाका (रोग में कमी) के बाद, साहबे ग़शी या मस्त को होश आने के बाद, पचने लगाने के बाद, शबे बरात यानि शाअबान की पंदरहवीं रात में, शबे अरफ़ा यानि ज़िलहज्जा की नवीं रात में, शबे क़द्र में, मक्का मुअज़्जमा में दाख़िल होने, तवाफ़े ज़ियारत और हर बार उस मकाने मुक़द़स में दाख़िल होने के लिये, मदीना मुनव्वरा में दाख़िल होने के लिये, सूरज गहेन और चाँद गहेन की नमाज़ के लिये, तलबे बारिश के लिये, आदमियों के मज्मे में जाने के लिये, नया कपड़ा पहन्ने के लिये, मुर्दे को नहलाने के लिये, गुनाह से तौबा करने के लिये, सफ़र से वापस आने के बाद। (७)

फ़राइजे गुस्ल : गरगरा करना, नाक धोना यहाँ तक कि उसके अंदर सूखी पपड़ी हो तो उस में पानी पहुंचाना, तमाम जिसम धोना (२,७)

औरत के फ़र्ज का ख़ारिजी हिस्सा धोना भी फ़र्ज है। (७)

गुस्ल की सुन्नतें : दोनों हाथ धोना, जिसम से नजासत दूर करना, वजू करना, तीन बार जिसम पर से पानी बहाना, निय्यत करना।(४)

एहतिलाम के गुस्ल की निय्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أُغْتَسَلَ مِنْ غُسْلِ الْإِحْتِلَامِ فَرَضًا امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى طَهَارَةً لِلْبَدَنِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلَاةِ وَرَفْعًا
لِلْحَدِيثِ

नवैतु अन् अगतसल मिन गुस्लिल एहतिलामि फ़र्ज़न इस्तिसालन् लिस्सलति व रफ़अन् लिल हदसि।

अनुवाद : मैं ने निख्यत की है कि एहतिलाम का गुस्ल अदा करूं जो कि फ़र्ज है अल्लाह तआला के हुक्म की फ़र्माबरदारी के लिये बदन की तहारत के वास्ते और नमाज़ को अपने पर मुबाह करने के वास्ते और हदस् को दूर करने के वास्त।

वाज़ेह हो कि अगर एहतिलाम के गुस्ल कि बजाए जनाबत यानि जिमाअ या हैज़ या निफ़ास के गुस्ल की अदाई की ज़रूरत हो तो शब्द **एहतिलाम** के बजाए हस्बे ज़रूरत **उल्जनाबति** या **अलहैज़ि** या **अन्निफ़ासि** कहना और हर गुस्ल के लिये बाक़ी तमाम अलफ़ाज़ वही हैं।(१)

★ अगर गुस्ल करने वाले के हाथ में तंग अंगोठी हो तो उसको निकालना या हिलाना वाजिब है। इतना हिलाया जाये कि वहाँ पानी पहुंच जाने का गुमान हासिल हो जाये। (७)

★ गुस्ल की सुन्नतें वजू की सुन्नतों के मानिदं हैं, चुनांचे निख्यत करना और बिस्मिल्लाह कहना सिवाय तरतीब के, इसलिये कि वजू की तरतीब और गुस्ल की तरतीब एकसाँ नहीं है और गुस्ल के मुस्तहबात वजू के मुस्तहबात के मानिदं नहीं हैं सिवाय इस्तिक़बाले क़िब्ला के, इस वास्ते कि गुस्ल बरहना भी हो सकता है। मिन जुम्ला मुस्तहबात के यह भी है कि आज़ाए गुस्ल का मलना और निख्यत ज़बान से करना और ऊंची जगह बैठकर नहाना ता कि पानी की छीटें बदन पर न पड़ें। (७)

★ गुस्ल के मक्रुहात वजू के मानिदं हैं यानि मुंह पर ज़ोर से पानी मारना और ज़रूरत से कम या ज़ियादा पानी खर्च करना । (७)

★ शर्अ में गुस्ल के लिये एक साअ पानी मुअय्यन है। साअ चार मद् के होता है और मद् लगभग ढाई पाव का और साअ पुख़ता सवा दो सेर का होता है। (७)

★ जारी पानी में इस्राफ़ नहीं है इस लिये कि वह पानी तल्फ़ नहीं होता।(७)

★ गुस्ल में सुन्नत है दोनों हाथों ओर शर्मगाह के धोने से शुरु करना अगरचे कि पेशाब की जगह पर कुछ नजासत न हो और अगर बदन पर कुछ नजासत हो तो पहले उस को धोने से शुरु करना ता कि बाक़ी बदन पर नजासत न फैले और वजू के बाद अपने तमाम बदन पर तीन बार पानी बहाना इस तरीक़े पर कि पहले तीन बार सर पर फिर तीन बार दाहने मोंढे पर फिर तीन बार बायें मोंढे पर। (७)

★ सिहाह सित्ता से हज़रत आइश रज़ी० की हदीस इस तरह मन्कूल है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० जब गुस्ले जनाबत फ़र्माते थे तो पहले दोनों हाथ धोते फिर नमाज़ के मानिदं

वजू फ़र्माते फिर उंगलियाँ पानी में डालते और उन से बालों की जड़ों में ख़िलाल फ़र्माते यहाँ तक कि सारी जिल्द पर पानी पुहंच चाने का ज़न् हासिल होता तब उस पर तीन बार पानी बहाते फिर बाक़ी बदन को धोते फिर दोनों पाँव धोते। (७)

★ हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी मैमूना रज़ी० से सिहाह सिल्ला में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० के गुस्ले जनाबत के वास्ते पानी लाई तो आँहज़रत सल्ला० ने दोनों हाथ दो बार या तीन बार धोये फिर अपने दोनों हाथ (पानी के) बर्तन् में डाले फिर शर्मगाह पर पानी डाला और बायें हाथ से उसको धोया फिर बायाँ हाथ ज़मीन पर ख़ूब रगड़ा फिर वजू किया नमाज़ के वजू जैसा, फिर तीन बार सर पर पानी डाला फिर बाक़ी बदन धोया फिर उस मक़ाम से हट कर दोनों पाँव धोये। (७)

★ नहाते हुवे या वजू करते हुवे इस्तेमाल किया हुवा पानी की छींटें पाक पानी में गिर जायें तो वह पानी पाक है ता वक़्तेकि इस्तेमाल किया हुवा पानी ग़ालिब न हो। (७)

★ जनब यानि नापाकी की हालत में गुस्ल से पहले अपनी पत्नी से सुहबत करना मक़्रूह नहीं है और इस हालत में मुंह हाथ धो कर खाना पीना भी मक़्रूह नहीं है। (७)

★ नापाकी यानि जनाबत और हैज़ व निफ़ास की हालत में पढ़ने के इरादे से कुरआन पढ़ना, उसको छूना, मस्जिद में जाना और काबे का तवाफ़ करना जाइज़ नहीं है। (४)

वुजू

अल्लाह तआला फ़र्माता है : “ऐ लोगो जो ईमान लाये हो जब खड़े हो तुम नमाज़ के लिये तो धो अपने मुंहों और अपने हाथों को कुहनियों तक और मसह करो अपने सरों को और अपने पाँवों को टखनों तक।” (५:६)

हदीस शरीफ़ : फ़र्माया हज़रत नबी करीम सल्ला० ने नमाज़ नहीं है जिस को वुजू नहीं है और वुजू नहीं है उस को जो आगाज़ में बिस्मिल्लाह न कहे।

हदीस शरीफ़ : फ़र्माया हज़रत नबी करीम सल्ला० ने जो कोई वुजू पर वुजू करे यानि जिस वुजू से कोई नमाज़ अदा की हो वह वुजू होते हुवे फिर वुजू किया तो लिखता है अल्लाह तआला उसके वास्ते दस नेकियाँ।

★ बुखारी व मुस्लिम में है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि वुजू करने से अल्लाह तआला सगीरा गुनाहों को मआफ़ फ़र्मा देता है और उसके तमाम बदन के गुनाह निकल जाते हैं और मस्नून् तरीक़े से वुजू करने और उसके बाद कलिमय शहादत पढ़ने से उसके लिये जन्नत के आठ दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।

★ वुजू में जो आज़ा (अंग) धोये जाते हैं क्रियामत के दिन वह आज़ा निहायत मुनव्वर (प्रकाशमान्) और रोशन हो जायेंगे।

★ बा वुजू रहने से आदमी शैतान के शर से महफूज रहता है।

★ नमाज़ के लिये बा वुजू मस्जिद में जाने से हर क़दम पर गुनाह मआफ़ हो जाते हैं।

★ वुजू फ़र्ज है नमाज़ के लिये, नमाज़ चाहे फ़र्ज हो या नफ़िल हो और वाजिब है काबे के तवाफ़ और मस्हफ़ (कुरआन) को छूने के लिये। (७)

★ कोई शख्स नमाज़े जनाज़ा की निय्यत से वजू करे और फ़र्ज नमाज़ का वक़्त आ जाये तो ताज़ा वुजू करे, इस लिये कि नमाज़ के लिये वजू करना फ़र्ज है। (१४)

दर्जे ज़ेल सूरत में वुजू करना मुस्तहब है

झूट, ग़ीबत, क़हक़हा के बाद, हर गुनाहे सगीरा व कबीरा के बाद, ज़कर या औरत को छूने के बाद, जागने के बाद, वजू पर वजू, ऐसी शेर ख़ानी के बाद जो हिकमत, हमदे बारी और मदह नबवी सल्ला० से ख़ाली हो, ऊंट का गोश्त खाने के बाद (बाज़ों के पास इस सूरत में वजू वाजिब है), मय्यत के गुस्ल और उसके उठाने के लिये, हर नमाज़ के वक़्त, जिमाअ के वक़्त, जनाबत के गुस्ल से पहले, खाने पीने और सोने के वक़्त, गुस्से के बाद, हदीस शरीफ़ की रिवायत और इल्म के दर्स के लिये, अजाँ और इक़ामत के लिये, खुत्बा पढ़ने के लिये अगरचे निकाह का हो और ज़ियारत के वास्ते, कुतुबे शरइया छूने के लिये, वुकूफ़े अरफ़ात और सई वग़ैरा के वास्ते। (७)

वुजू में चार फ़र्ज हैं :

- १) पहला मुंह धोना पेशानी से थूडी के नीचे तक और एक कान की लोलकी से दूसरे कान की लोलकी तक।^(१)

(१) डाढ़ी के बालों की जड़ों का धोना उस सूरत में फ़र्ज नहीं है जब कि बाल निहायत धने हों और जिलद नज़र न आती हो अगर जिल्द नज़र आती हो तो जड़ों का धोना भी फ़र्ज है। (७)

- २) दूसरा दोनों हाथ कोहनियों के साथ धोना।
- ३) तीसरा मस्ह करना चौथाई सर का। (२,७)
- ४) चौथा दोनों पैर टखनों के साथ धोना।

★ रिवायत किया मुस्लिम, तन्नानी, अबू दाऊद और बगवी ने हज़रत मुगीरा इब्ने शाअबा रज़ी० से तहक़ीक़ वजू किया हज़रत रसूले ख़ुदा सल्ला० ने तो मस्ह किया अपनी पेशानी के ऊपर और अमामे के ऊपर और मौज़ों के ऊपर और पेशानी आगे से चौथाई सर के बराबर होती है।

★ रिवायत किया अबू दाऊद और हाकिम ने अनस रज़ी० से कि मैं ने हज़रत रसूले ख़ुदा सल्ला० को वुजू करते हुवे देखा और उनके सर पर अमामा था, पस लाये अपना हाथ अमामा (पगड़ी) के नीचे और मस्ह किया मुक़द्दम (अगले) सर का। मुक़द्दम सर के आगे से चौथाई हिस्से सर को कहते हैं। (२)

★ रिवायत किया ऐसा ही बेहक़ी ने अता से और शाफ़ई ने और आगे से चौथाई सर का मस्ह करना हज़रत उसमान रज़ी० से भी मर्वी है, और रिवायत किया उसको सईद बिन मन्सूर ने और इब्ने उमर रज़ी० से सहीह हुवा है कि इकतिफ़ा किया उन्होंने बाज़ सर के मस्ह के साथ रिवायत किया उसको इब्नुल मुनज़िर ने और किसी सहाबी से उसका इनकार सेहत को नहीं पहुंचा मज़क़ूर रिवायात फ़त्हुल बारी, शर्ह विक़ाया, नूरूल हिदाया से मन्कूल हैं।

★ इमाम शाफ़ई रहे० के नज़दीक एक या दो बाल का भी मस्ह करले तो सहीह हो जायेगा, मगर इमाम मालिक रहे० की नज़दीक तमाम सर का मस्ह फ़र्ज़ है। (२)

★ इमाम आजम रहे० के नज़दीक चौथाई दाढ़ी का मस्ह फ़र्ज़ है और इमाम अबी यूसुफ़ रहे० के नज़दीक तमाम दाढ़ी का मस्ह फ़र्ज़ है। (२)

★ वाज़ेह हो कि मस्ह फ़र्ज़ में यह शर्त है कि बर्तन से नया पानी लेकर तर हाथ को उस अजू पर जिस का मस्ह करना है पहुंचाना और किसी अजू (अंग) के मस्ह करने के बाद जो तरी बाक़ी रहे उस से या धोये हुवे या मस्ह किये हुवे आज़ा से हाथ को तर करके मस्ह करना जाइज़ नहीं है। (२)

★ वाज़ेह हो कि इसी तरह वजू करते वक़्त सर पर दस्तार रख कर चौथाई सर का मस्ह करने की तक़लीद (अनुकरण) हज़रत महदी मौऊद अले० के हुज़ूर से इस गिरोहे मुबारक में

चली आई है, और बरहना सर वजू करने में जो नुक्स है उसकी तहकीक पीरे कामिल से हो सकती है।

वुजू की सुन्नतें :

इस्तिजा करना, निथ्यत करना, बिस्मिल्लाह कहना, दोनों हाथ कलाई तक धोना, मिसवाक करना (१) कुल्ली करना, नाक धोना, हर अजू को तीन बार धोना, हाथ और पैर की उंगलियों में खिलाल करना, दाढ़ी में खिलाल करना, तमाम सर का मस्ह करना, गर्दन का मस्ह करना, कान का मस्ह करना, हर अजू को पै दर पै (निरन्तर) धोना, तरतीब से करना।(२)

मुस्तहबात और आदाबे वजू :

मिट्टी के बर्तन से वुजू करना और उसको बायें जानिब रखना, हर अजू धोते वक्त मुतअल्लिका (संबंधित) दुआयें पढ़ना या बिस्मिल्लाह कहना, क़िब्ला की तरफ मुंह करके बैठना, हर अजू धोते वक्त उस पर हाथ फेरना, नाक में उंगली फेर कर धोना, वक्त से पहले वुजू करना अगर कोई उजर न हो और वक्त आने के बाद फ़र्ज है, अंगोठी हो तो उसको फेरना, अगर वह तंग हो और उसके नीचे पानी न पहुंचना मालूम हो तो उसको इरकत देना फ़र्ज है, बात न करना, ऊँची जगह बैठना, दिल और ज़बान से निथ्यत करना, हर नमाज़ के लिये ताज़ा वुजू करना, वुजू से फ़ारिग होने के बाद बचा हुआ पानी क़िब्ले की तरफ मुंह करके खड़े होकर पीना, वुजू ख़तम होने के बाद यह दुआ पढ़ना

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

अल्लाहुम्मज् अलनी मिनत् तव्वाबीन वज् अलनी मिनल् मुततहहिरीन

मक्रूहाते वुजू :

वजू करते हुवे बात करना, मुंह पर ज़ोर से पानी मारना, पानी ज़ियादा खर्च करना, तीन तीन बार पानी लेकर मस्ह करना, अजू को तीन बार से ज़ियादा धोना, मुंह और आँखें सखती से बंद करना, नाक सीधे हाथ से धोना, किसी अजू को तीन बार से कम धोना, मस्जिद के अंदर वुजू करना लेकिन बर्तन के अन्दर करना जाइज़ है और उस मक़ाम पर भी जो मस्जिद के लबे फ़र्श वजू के लिये बनाया जाता है, नापाक जगह करना, पानी में थूकना और सूंघना अगरचे

(१) मिसवाक के फ़ज़ाइल में बुहत से अहादीस मर्वी हैं, चुनांचे गायतुल औतार में लिखा है कि आँहज़रत सल्ला० ने इरशाद फ़र्मया है कि उस नमाज़ की फ़ज़ीलत जिस के वास्ते मिसवाक की गई उस नमाज़ पर जिस के वास्ते मिसवाक नहीं की गई सत्तर दरजे सवाब मे ज़ियादा है।

बहता पानी हो, पैर धोते वक़्त उनको क़िब्ले की रूख़ से न फेरना, किसी बर्तन को अपने वुजू के लिये ख़ास करलेना। (६,७)

औरत के इस्तेमाल से बचे हुवे पानी से वजू या गुस्ल करना मक़ूह (घृणित) है इस वजह से कि शाइद उस से मर्द को कुछ तलज़्ज़ुज़ (स्वाद) हासिल हो या इस वजह से कि अकसर औरतों को नजासत से महाफ़िज़त कमतर होती है और यह कराहते तंज़ीही पर दलालत करता है। (७,१०)

वुजू की निख्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

नवैतु अन् अतवज़्ज़ लिस्सलति तक़रूबन् इलल्लाहि तआला

(मैं ने वजू का हरादा किया नमाज़ के लिये अल्लाह तआला से नज़दीकी हासिल करने की गरज़ से।)

दुआयें :

१) दोनो हाथ कलाई तक धोते वक़्त : اللَّهُمَّ احْفَظْنِي يَدَيَّ عَنْ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالْمَلَاهِي
अल्लाहुम्मह फ़िज़नी यदय्य अन् इरतिका बिल मआसी वल मलाही

(या अल्लाह बचा मेरे दोनों हाथों को गुनाहों में मुरतकिब होने से और बुरे कामों से।)

२) कुल्ली करते वक़्त : اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَيَّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ وَذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ
अल्लाहुम्म अइन्नी अला तिलावतिल कुरआनि व ज़िकरिक व शुकरिक व हुसनि इबादतिक

(या अल्लाह मेरी मदद कर कुरआन की तिलावत और अपने ज़िक्र और शुक्र और ख़ूबीए इबादत पर)

३) नाक धोते वक़्त : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
अल्लाहुम्म अरहनी राइहतिल जन्नति

(या अल्लाह सुंघा मुझ को बू जन्नत की)

४) चहेरा धोते वक़्त : اللَّهُمَّ تَبَيَّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ أَوْلِيَاءِكَ
अल्लाहुम्म तब्यज़ वज़्ही यौमुन् तब्यज़ु वजूहुन् औलियाइक

(या अल्लाह रोशन कर मुंह मेरा जिस दिन तेरे दोस्तों के मुंह रोशन होंगे)

५) सीधा हाथ धोते वक़्त : اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَسَابِي حِسَابًا يَسِيرًا
अल्लाहुम्म आतिनी किताबी बि यमीनी व हासिबुनी हिसाबन् यसीरन्

(या अल्लाह मेरे सीधे हाथ में मेरा आमाल नामा अता फ़र्मा और मुझ से हिसाब ले थाड़ा आसानी से।)

६) बायाँ हाथ धोते वक्त : *اللَّهُمَّ لَا تَعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي*

अल्लाहुम्म ला ताअतिनी किताबी बि शिमाली वला मिन वराह ज़हरी

(या अल्लाह मेरे बायें हाथ में मेरा आमाल नामा मत अता फ़र्मा और न पीठ की तरफ़ से)

७) सर का मसह करते वक्त : *اللَّهُمَّ أَظْلِنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ*

अल्लाहुम्म अज़िलनी तहत ज़िल्लि अरशिक यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लि अरशिक

(या अल्लाह मुझ को अपने अर्श के साये तले साया कर जिस दिन कोई साया न होगा सिवाय तेरे अर्श के साये के।)

८) कानों का मसह करते वक्त : *اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ سَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ*

अल्लाहुम्म अजअलनी मिनल् लज़ीन सयस्तमेऊनल क़ौल फ़ यत्तबेऊन अहसनहु

(या अल्लाह मुझ को उनमें से करदे जो बात सुनते हैं और उसमें से बेहतर की पैरवी करते हैं)

९) गर्दन का मसह करते वक्त : *اللَّهُمَّ اعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ*

अल्लाहुम्म आतिक़ रक़बती मिनन् नार

(या अल्लाह आज़ाद कर मेरी गर्दन दोज़ख़ से)

१०) पाँव धोते वक्त : *اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى صِرَاطِ يَوْمَ تَزَلُّ الْأَقْدَامُ*

अल्लाहुम्म सब्बित क़दमी अला सिराति यौम तज़ल्लल् अक़दामि

(या अल्लाह साबित रख मेरा क़दम पुले सिरात पर जिस रोज़ पाँव लगज़िश करेंगे)

★ वुजू के बाद सूरए क़द्र पढ़ने में सवाबे अज़ीम है। (७)

मुस्लिम में हज़रत उमर फ़रूक़ रज़ी० से रिवायत है कि फ़र्माया हज़रत नबी करीम सल्ला० ने जो वुजू कामिल करे फिर कलिमए शहादत पढ़े तो खुदाए तआला उसके लिये जन्नत के आठों दरवाज़े खोल देता है जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाख़िल हो।

तिर्मिज़ी की रिवायत में इतना और ज़ियादा है : *اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ*

अल्लाहुम्म अजअलनी मिनत् तव्वाबीन वज अलनी मिनल् मततहहिरीन

(या अल्लाह मुझ को तौबा करने वालों में से बना और मुझ को पाकी हासिल करने वालों में से बना।)

वुजू टुटने के असबाब :

पीप, खून जिसम से निकलना, मज़ी, वदी, मनी, पेशाब का क़त्रा, संगरेज़ा, कीड़ा आगे की

शर्मगाह से निकलना, बराज़ (गू), कीड़ा, हवा, कुछ तरी पीछे की शर्मगाह से निकलना, हुकना करना (गुदा में जल या दवा चढ़ाना), मुंह भर के क़ै करना, बेहोश होना, मस्त होना, दीवाना होना, टेके से सोना, जिस नमाज़ में रुकू और सुजुद हो क़हक़हा से हंसना या मोंढे उछालना,^(४) औरत और मर्द या दो औरतें या दो मर्द का बदन बरहनगी में एक दूसरे से मिलना अगर चे मज़ी ख़रिज न हो। (७)

★ जोंक के खून चूसने से वजू टूट जाता है लेकिन मच्छर, खटमल वगैरा के खून चूसने से वजू नहीं टूटता। (६)

★ आँख, नाक, कान वगैरा से दर्द के साथ पानी बरामद हो तो नाक़िसे वजू है। (७)

★ आँसू और पसीने के निकलने से वजू नहीं टूटता। (५)

★ थूक में अगर खून ग़ालिब हो यानि थूकने में सुरखी नमूदार हो तो वजू टूट जायगा, अगर ज़रदी रहे तो नहीं टूटेगा। (५)

★ जकर (लिंग) को छूने से वजू नहीं टूटता हाथ धोलेना मुस्तहब है लिकिन ज़कर और औरत को छूने के बाद वजू करलेना मुस्हब है ता कि बइतिफ़ाके मुज्तिहिदीन तहारत हासिल हो, खुसूसन् इमाम के लिये। (७)

★ औरत या बे रीश (बिना दाढ़ी) लड़के को छूने से भी वजू नहीं टूटता और बवासीर वाले की मक़अद (गुदा) जो बाहर निकली हो अगर उसको अपने हाथ से अन्दर कर दिया जाये तो वजू टूट जायेगा और अगर खुद बखुद अन्दर होजाये तो वजू नहीं टूटेगा। अगर कुछ नजासत ज़ाहिर हो जाये तो नाक़िसे वजू है। इसी तरह अगर कीड़ा थोड़ा सा निकला और फिर घुस गया तो नाक़िसे वजू नहीं है। अगर वजू करते हुवे किसी अजू के धोने या मस्ह करने या न करने के बारे में शक पैदा हो और शक का होना उसकी आदत में दाख़िल न हो तो उसका एआदा करले, अगर शक की आदत हो तो एआदा न करे और अगर वजू के बाद शक पैदा हो तो ख़ाह उसको शक की आदत हो या न हो दोनों सूरतों में एआदा न करे और शक की जानिब इलतिफ़ात (तवज्जुह) न करे और अपने को बा वजू समझे। (७)

^(४) मोज़म तब्रानी में अबुल आलिया अबू मूसा अशअरी रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० नमाज़ पढ़ाते थे कि एक कम नज़र आदमी आया और उस गढ़े में गिर पड़ा जो मस्जिद में था इस पर बहुत लोग जो नमाज़ में थे हंस पड़े तो रसूलुल्लाह सल्ला० ने हंसने वालों को फ़र्माया कि वजू और नमाज़ का इआदा करें। क़हक़हा वह हंसी है जिस को पास के लोग सुनें और जिस को खुद सुने और पास के लोग न सुनें तो वह ज़हक है उस से नमाज़ टूटती है वजू नहीं टूटता और तबस्सुम वह हंसी है जिस में मुल्लक़ आवाज़ न हो बल्कि रिफ़ दाँत खुल जायें उस का हुक्म यह है कि वजू उस से जाता है न नमाज़। नमाज़े जनाज़ा और सज्दय तिलावत में क़हक़हा से वजू नहीं टूटेगा लेकिन वह नमाज़ और सज्दा बातिल होगा। (७)

तयम्मुम्

अल्लाह तआला फ़र्माता है : और अगर तुम बीमार हो या हालते सफ़र में हो या कोई तुम में से बैतुल - ख़ला से होकर आया हो या तुम औरतों से हम बिस्तर हुवे हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक ज़मीन से तयम्मुम कर लिया करो यानि अपने चेहरों और हाथों पर हाथ फेर लिया करो (उस ज़मीन पर से)। अल्लाह तआला तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता बल्कि यह चाहता है कि तुमको पाक व साफ़ रखे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ता कि तुम शुक्र अदा करो। (५:६)

ग़ौर करने से ज़ाहिर होता है कि ख़ुदाए तआला ने अपने फ़ज़लो करम से तहारत और नमाज़ की अदाई के लिये बेहद आसानी और सहूलतें फ़र्माई है। नापाकी की हालत में भी गुस्ल के लिये पानी न मिले या बीमारी की वजह से और सफ़र वग़ैरह वुजू और गुस्ल करने में हरज या ज़रर् या दुश्वारी हो तो गुस्ल और वुजू दोनों के मुआवज़े में तयम्मुम् के जैसी निहायत आसान चीज़ से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त फ़र्माई है और इस तयम्मुम् से तिलावत, मस्हफ़ को छूना, तवाफ़े काबा, दुखूले मस्जिद सब जाइज़ है, और उसके साथ अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिये भी हुक्म हुवा है, इस लिये हर नेमत के लिये शुक्र वाजिब है।

तयम्मुम् करना जाइज़ होने के असबाब :

- १) पानी ऐक मील के फ़ासले के अन्दर न हो।^(१)
- २) कोई मर्ज़ ऐसा हो कि वजू करने से आज़ा को ज़रर् (हानि) या जान का ख़ौफ़ या तिशनगी (प्यास) का ख़ौफ़ हो।
- ३) पानी के पास दरिन्दा या मूज़ी जानवर या दुश्मन हो जिस से हलाकत का ख़ौफ़ हो।
- ४) पानी बग़ैर सीढ़ीयों की बावली में हो और अपने पास डोल सस्सी या पानी को हासिल करने का कोई सामान न हो और न कहीं से मिल सकता हो।

(१) ऐक मील का फ़ासला तीन हज़ार पाँच सौ गज़ से चार हज़ार गज़ तक होता है। इस में इख़तिलाफ़ है यानि ऐक रिवायत में मुसाफ़िर के जानिब तवज्जुह यानि जिस तरफ़ मुसाफ़िर जाता है उस तरफ़ ऐक मील के फ़ासले पर पानी हो तो तयम्मुम जाइज़ हो जायेगा और दूसरी रिवायत में जाइज़ न होगा बल्कि मुसाफ़िर के जानिब ग़ैर तवज्जुह यानि जिस तरफ़ मुसाफ़िर नहीं जाता है उस तरफ़ ऐक मील के फ़ासले पर पानी हो तो जाइज़ है, जाने आने में दो मील होजाते हैं। (२) पानी की तलाश फ़र्ज़ है अगर ऐक मील के अन्दर पानी होने का क़वी गुमान हो या कोई मुत्तक़ी आदमी ख़बर दे लेकिन तलाश में नमाज़ी की ज़ात को ज़रर पहुँचे या सफ़र में साथियों में से किसी ऐक को भी इन्तेज़ार करने से ज़रर पहुँचे तो अदम तलब जाइज़ है। (७)

५) पानी कीमत से मिलता हो और उस क़दर दाम अपने पास न हों या इस्तिताअत (क्षमता) न हो।

★ उज़र और नापाकी की हालत में एक तयम्मुम् गुस्ल और वुजू दोनों के मुआवज़े में काफ़ी है। अगर जनाज़े की नमाज़ फ़ोत होने का ख़ौफ़ हो तो बावजूद सिहत और पानी मौजूद होने के तयम्मुम् जाइज़ है मगर वली को जाइज़ नहीं है, इस वास्ते कि लोग खुद उसका इत्तेज़ार करेंगे। (२)

★ तयम्मुम उस चीज़ पर करना जाइज़ है जो ज़मीन की जिंस (वर्ग) से हो और पाक हो जैसे ख़ाक, पत्थर, रेत, कंकर, गच दीवार, सुर्मा, हड़ताल वग़ैरह अगरचे कि वह बग़ैर गुबार के हों और चाँदी, सोना, गेहूँ और जौ पर तयम्मुम् जाइज़ नहीं है लेकिन अगर वह गर्द आलूद हों तो जाइज़ है लेकिन राख और चूने पर जाइज़ नहीं है। (२,७)

★ नजासत डालने की जगह तयम्मुम जाइज़ नहीं है अगरचे कि वह खुश्क होगई हो, इस लिये कि कुरआन शरीफ़ में मिट्टी के तय्यब होने की क़ैद है। (२)

★ अगर किसी ने जनाज़े की नमाज़ या सज़्दए तिलावत के वास्ते तयम्मुम किया हो तो उस तयम्मुम से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। (२,७)

★ अगर कुरआन शरीफ़ छूने या मस्जिद में दाख़िल होने तयम्मुम किया हो तो उस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। (७)

★ तयम्मुम दुरुस्त है नमाज़ के वक़्त और वक़्त से पहले भी लेकिन इमाम शाफ़ई रहे० के नज़दीक नमाज़ के वक़्त से पहले दुरुस्त नहीं है। (२)

★ अगर तयम्मुम से नमाज़ पढ़ने के बाद पानी मिल जाये और नमाज़ का वक़्त बाक़ी रहे तो वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़े। (२)

★ अगर एक शख़्स ने अपने साथी से पानी मांगा और उस ने न दिया तो तयम्मुम से नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, अगर बाद नमाज़ दिया तो नमाज़ को फिर न पढ़े, लेकिन तयम्मुम उसका टूट जायेगा। अगर अपने रफ़ीक़ से पानी नहीं मांगा और तयम्मुम से नमाज़ पढ़ी तो इमाम आजम रहे० के नज़दीक नमाज़ जाइज़ हुवी और इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ रहे० के नज़दीक दुरुस्त नहीं हुवी। (२)

★ अगरन पानी मिलने की उम्मीद हो तो नमाज़ के लिये आख़िर वक़्त तक इत्तेज़ार करना मुस्तहब है और अगर उम्मीद न हो तो ताख़ीर न करे। (६)

★ एक तयम्मुम से दो या कई नमाज़ें पढ़ना दुरुस्त है लेकिन इमाम शाफ़ई रहे० के नज़्दीक एक तयम्मुम से दो नमाज़ें पढ़ना जाइज़ नहीं है। (२)

फ़राइजे तयम्मुम : (१) निय्यत (२) पाक मिट्टी (३) दो ज़रब (६) पहले ज़रब में दोनों हाथों से तमाम मुंह को मलना और दूसरे ज़रब में कोहनियों के साथ दोनों हाथों को मलना।(२,४)

तयम्मुम की सुन्नतें : (१) दोनों हाथों को हतेली की जानिब से पाक मिट्टी पर मारना (२) मारते वक़्त उंगलियों को कुशादा रखना (३) मारते वक़्त हाथों को किसी क़दर आगे और पीछे खींचना (४) बाद ज़रब पुत्ते कफ़ से झटकना (५) बिस्मिल्लाह कहना (६) वुजू में जिस क़दर मुंह धोना फ़र्ज़ है उस तमाम हिस्से का मसह करना (७) दोनों हाथों का कोहनियों के साथ मसह करना (८) मसह तर्तीब से करना यानि पहले मुंह पर फिर दोनों हाथों पर (९) पै दर पै करना। (७)

तयम्मुम की निय्यत : *نَوَيْتُ أَنْ أَتَيْمَمَ لِلَّهِ تَعَالَى رَفْعًا لِلْحَدِّثِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلَاةِ*
नवैतु अन् अतयम्ममा लिल्लाहि तआला रफ़अन् लिल हदसि व इस्तिबाहतन् लिस्सलात।

अनुवाद : मैं निय्यत करता हूँ कि तयम्मुम करूँ अल्लाह तआला के वास्ते नापाकी को दूर करने और नमाज़ को मुबाह करलेने के वास्ते।

तयम्मुम का तरीक़ा : तयम्मुम की निय्यत करते हुवे पाक मिट्टी पर हाथों की उंगलियों को कुशादह रखकर पहली ज़रब मार कर जितना चहरा वुजू में धोना फ़र्ज़ है दोनों हाथों से उसका मसह करे। उसी तरह दूसरा ज़रब मार कर बायें हाथ खिन्सर, बिन्सर और वुस्ता (अंगोठा और शहादत की उंगली छोड़कर बाक़ी तीन उंगलियों) से आधी हतेली पर सीधे हाथ की मज़कूरा उंगलियों की पीठ से कोहनी तक मसह करे फिर बायें हाथ की शहादत की उंगली और अंगोठे से सीधे हाथ के बतन पर से बंद दस्त तक मसह करे फिर सीधे हाथ के पंजे को औंधा करके बायें हाथ की शहादत की उंगली, अंगोठा और बाक़ी कफ़े दस्त से सीधे हाथ के पुत्त सब्बाबा (शहादत की उंगली) और अंगोठें पर मसह करे उसके बाद सीधे हाथ से बायें हाथ का उसी तरतीब से निय्यत और कलिमए शहादत पढ़ते हुवे मसह करे। (१)

तयम्मुम टूटने के असबाब : वजू टूटने के असबाब से तयम्मुम भी टूट जाता है और उनके अलावा पानी मिल जाये या बीमारी से सिहत हासिल हो जाये या वह तमाम असबाब जिन से तयम्मुम करना जाइज़ हुवा था कोइ सबब उठ जाये तो तयम्मुम टूट जायेगा। (७)

(१) अगर दूसरे को तयम्मुम कराये तो तीन बार हाथ ज़मीन पर मारे, एक चहरे के वास्ते दूसरा दाहने हाथ के वास्ते तीसरा बायें हाथ के वास्ते लेकिन निय्यत तयम्मुम करने वाले पर फ़र्ज़ है न कराने वाले पर। (७)

पट्टी पर मस्ह : अगर नमाज़ी के आज़ा ज़ख़मी या फटे हों और उनके धोने से ज़रर होता हो तो उस अजू का मस्ह करले और अगर मस्ह से भी आजिज़ हो तो उतना अजू छोड़ देना और उसके अत्राफ़ धोलेना चाहिये। (२)

★ पट्टी पर मस्ह करना दुरुस्त है अगरचे कि हदस के वक़्त पट्टी बांधी हो और पट्टी का खोलना मस्ह को बातिल नहीं करता मगर जब कि ज़ख़म अच्छा होगया हो। (७)

★ अगर पट्टी गिर पड़े और ज़ख़म अच्छा होगया हो तो उस जगह का धोना वाजिब है, अगर बग़ैर अच्छा होने ज़ख़म की पट्टी गिर जाये तो मस्ह बातिल नहीं होगा। (२)

★ अगर अजू के मस्ह पर क़ादिर हो तो पट्टी पर मस्ह करना सहीह नहीं है। अगर सर्द पानी से धोना ज़रर करता हो तो गरम पानी से धोना चाहिये। अगर गरम पानी से धोना भी ज़रर करता हो तो उस अजू का मस्ह करे और अगर अजू का मस्ह भी ज़रर करता हो तो उसकी पट्टी पर मस्ह करे, अगर पट्टी पर भी मस्ह करना ज़रर करता हो तो मस्ह बिलकुल साक़ित होगया यानि न धोना लाज़िम रहा न मस्ह करना। (७)

★ मस्ह के हुक्म में जबीरह (वह लकड़ियाँ जिन से टूटी हुवी हड्डियाँ बांधी जाती हैं), फाहा, पट्टी और वह तन्दुरुस्त (स्वस्थ) मक़ाम जो ज़ररत के सबब से पट्टी के नीचे आगया हो सब दाख़िल और बराबर है। (७)

★ पूरी पट्टी पर मस्ह करना और मुकरर मस्ह करना शर्त नहीं है। सही तर क़ौल में पट्टी का एक बार आधी से ज़ियादा मस्ह करना काफ़ी है, इसी क़ौल पर फ़त्वा है। (७)

औक़ाते नमाज़

- १) **फ़ज़्र :** फ़ज़्र का वक़्त तुलू सुब्ह सादिक़ से किनारए आफ़ताब तुलूअ होने से पहले तक है। (२,५,७)
- २) **जुहर :** जुहर का वक़्त सूरज के ज़वाल के बाद से हर चीज़ का साया सिवाय सायये अस्ली के दो चंद होने तक है लेकिन साया एक मिस्ल (बराबर) होने के बाद जुहर मकरुह है। (७)
- ३) **अस्र :** नमाज़े अस्र का वक़्त हर चीज़ का साया सिवाय सायये अस्ली के दो चंद होने के बाद से गुरूबे आफ़ताब तक है। (२)

आफ़ताब ज़र्द (पीला) होने के बाद अस्र की नमाज़ कराहते तहरीमी के साथ जाइज़ है। (५)

४) **मग़रिब** : नमाज़े मग़रिब का वक़्त सूरज के ग़रूब होने से शुरू होकर शफ़क़ की सफ़ेदी ग़ायब होने तक है और कसरत से तारे नमूदार होने के बाद नमाज़े मग़रिब की अदाई मकरुह है और नमाज़े मग़रिब की अदाई में जल्दी करना मुस्तहब है। (२)

५) **इशा** : नमाज़े इशा का वक़्त शफ़क़ की सफ़ेदी ग़ायब होने के बाद से सुब्ह सादिक़ तुलू होने तक है लेकिन आधी रात गुज़रने के बाद नमाज़े इशा पढ़ना मकरुह है। (२)

★ वितर का वक़्त नमाज़े इशा की अदाई के बाद से सुब्ह सादिक़ नमूदार होने के पहले तक है। (२)

★ अब्र के दिनों में अस्र और इशा में जल्दी और दूसरी नमाज़ों में ताख़ीर मुस्तहब है और इशा की नमाज़ के लिये तिहाई रात तक ताख़ीर मुस्तहब है। (२)

★ जुहर की नमाज़ गरमी के मोसम में देर से और जाड़े के मोसम में जल्दी पढ़ना मुस्तहब है। (२,९)

★ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी० से रिवायत है कि नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जुहर का वक़्त बाकी है जब तक कि अस्र का वक़्त आजाये (यानि सूरज का साया एक मिस्ल होजाये)।

अहक़ामे अज़ाँ व इक़ामत :

जिस वक़्त नमाज़ बा जमाअत पढ़ने का हुक़म सादिर हुवा उस वक़्त लोगों को नमाज़ के वास्ते बुलाने के लिये कोई तरीक़ा इख़तियार करने की निसबत मश्वरा किया गया। एक साहब ने कहा कि नमाज़ों के वक़्त मीनार पर आग रोशन की जाये, दूसरे साहब ने कहा क़र्ना या नाकूस फूँके जायें। आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि आग जलाना अतिश प्रस्तों का शेवा है और क़र्ना यहूदी बजाते हैं और नाकूस ईसाइ, उस जल्से में कोई अम्र तै नहीं पाया।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी० ने खाब में अज़ाँ की कैफ़ियत देखी और आँहुज़ूर सल्ला० से अर्ज किया आप ने इर्शाद फ़रमाया कि यह सच्चा खाब है। अज़ाँ के कलिमात में सिर्फ़ बुलाना ही मक़सूद नहीं है बल्कि उसमें माअबूद का ज़िक़र, नबुव्वत की तस्दीक़, मुअज़्ज़िन का अक़ीदा, नमाज़ की दाअवत मक़सूद है और आँहुज़ूर सल्ला० ने फ़र्माया कि अज़ाँ की बदौलत मुअज़्ज़िन के बुहत से गुनाह मआफ़ होंगे। (१५,१६)

मुअज़्ज़िन को पच्चीस नमाज़ों का सवाब मिलेगा। (१५, १६, १७)

- ★ जो शख्स बाराह बरस तक पाँचों वक़्त अज़ाँ कहे वह जन्नती है। (१५)
- ★ मुअज़्ज़िन की हर रोज़ की अज़ाँ के बदले में साठ और इक़ामत पर तीस नेकियाँ लिखी जाती हैं। (१५)
- ★ अज़ाँ और इक़ामत के दरमियान् जो दुआ मांगी जायेगी कुबूल होगी। (१८, १९)
- ★ किसी ने आँहुज़ूर सल्ला० से अर्ज़ किया कि अज़ाँ न देने वाले इस नेमत और सवाब से महरुम रह जाते हैं तो आप ने इर्शाद फ़र्माया कि अगर तुम भी वही दर्जा हासिल करना चाहते हो तो जब मुअज़्ज़िन अज़ाँ दे तुम भी वही कलिमे दोहराओ जो वह कहता है फिर दुआ मांगो तो कुबूल होगी। (१८)
- ★ पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये अज़ाँ मरदों के वास्ते ऊंचे मकान में सुन्नते मुअक्किदा है। उसके तर्क करने में तर्के वाजिब की मानिंद गुनाहगार होता है। (७)
- ★ कानों के सूराख में उंगलियाँ रखे बग़ैर अज़ाँ कहना ख़ूब है और उंगलियाँ रख कर अज़ाँ कहना बुहत ख़ूब है। (७)
- ★ कान मे उंगली रखने से आवाज़ बुलन्द होती है। चुनांचे आँहुज़ूरत सल्ला० ने हुज़ूरत बिलाल रज़ी० से फ़र्माया कि दोनों कानों में उंगलियाँ रख लो उस से तुम्हारी आवाज़ बुलंद होगी। दूसरा फ़ाइदा यह है कि बहरा और दूर का आदमी जिसको आवाज़ सुनाइ नहीं देती इस फ़ेल को देख कर आगाह हो जाता है कि अज़ाँ हो रही है। (७)
- ★ इक़ामत कहने वाले को कान में उंगलियाँ रखने की ज़रूरत नहीं है इस लिये कि इक़ामत की आवाज़ अज़ाँ की आवाज़ से पस्त होती है। (७)
- ★ अगर कहीं सब लोगों की नमाज़ क़ज़ा होगई हो और जमाअत से क़ज़ा नमाज़ पढ़ी जाये तो उसके लिये अज़ाँ और इक़ामत कहना मसनून् है। (७)
- ★ अज़ाँ जाइज़ है अन्धे, वलदुज़्ज़िना और दहक़ानी की। (७)
- ★ एक शख्स का दो मस्जिदों में अज़ाँ कहना मकरूह है, उस सूरत में जब कि मुअज़्ज़िन पहली मस्जिद में नमाज़ पढ़ चुका हो। (७)
- ★ रिवायत किया तिरमिज़ी ने जाबिर रज़ी० से कि आँहुज़ूरत सल्ला० ने फ़र्माया बिलाल रज़ी० को कि जब अज़ाँ कहो तो टहर टहर कर कहो और इक़ामत कहो तो जल्दी जल्दी कहो। (२)

★ अज़ाँ और इक़ामत के दरमियान् इस क़दर तवक्कुफ़ (देर) चाहिये कि खाने वाला खाने से, पीने वाला पीने से और पाख़ाना फिरने वाल क़जाए हाजत से फ़ारिग़ होजाये, लेकिन मगरिब की अज़ाँ और इक़ामत में देर न की जाये। (२)

★ जो शख़्स मस्जिद में जमाअत से नमाज़ पढ़ता हो उसका अज़ाँ और इक़ामत को तर्क करना मकरुह (घृणित) है, लेकिन मुसाफ़िर फ़क़त इक़ामत कहे तो जाइज़ है। (२)

★ जो शख़्स अपने घर में नमाज़ पढ़े अगर अज़ाँ और इक़ामत दोनों तर्क करे और मुहल्ले में अज़ाँ और इक़ामत होती हो तो जाइज़ है। (२,७)

★ अगर वक़्त से पहले अज़ाँ कही जाये तो वक़्त पर उसका एआदा करे। (२,४,१०)

अज़ाँ के अलफ़ाज़ :

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर	अल्लाह बुहत बुजुर्ग है	اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर	अल्लाह बुहत बुजुर्ग है	اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
अशहदु अन् ला इलाह इल्लल्लाह	(मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं)	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
अशहदु अन् ला इलाह इल्लल्लाह	(मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं)	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
अशहदु अन्न मुहम्मदर् रसूलुल्लाह	(मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं)	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
अशहदु अन्न मुहम्मदर् रसूलुल्लाह	(मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं)	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
हय्य अलस्सलात	(आओ नमाज़ की तरफ़)	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
हय्य अलस्सलात	(आओ नमाज़ की तरफ़)	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
हय्य अलल् फ़लाह	(आओ फ़लाह की तरफ़)	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
हय्य अलल् फ़लाह	(आओ फ़लाह की तरफ़)	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर (अल्लाह बुहत बुजुर्ग है, अल्लाह बुहत बुजुर्ग है,)		اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
ला इलाह इल्लल्लाह	(अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं)	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

फ़ज़्र की अज़ाँ में **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** हय्य अलल् फ़लाह के बाद **مِنَ النَّوْمِ** अस्सलातु ख़ैरुम् मिनन् नौम दो बार कहना, इस लिये कि एक वक़्त आँहज़रत सल्ला० सो रहे ये, हज़रत बिलाल रज़ी० ने दो बार कहा **अस्सलातु ख़ैरुम् मिनन् नौम** तो आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि कया अच्छा है यह कलिमा इस को अपनी अज़ाँ में शरीक करो। (२)

इक़ामत यानि तकबीर में **हय्य अलल् फ़लाह** के बाद **فَدَفَأْتِ الصَّلَاةَ كَرَدَ كَرَامَتِيسَلَات** (नमाज़ खड़ी हो गई है) दो बार कहना। (२)

★ सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी० से मर्वी है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जब तुम मुअज़्ज़िन को सुनो तो उसके कलिमात को दोहराओ जो वह कहता है फिर मुझ पर दुरुद पढ़ो इस वास्ते कि जो मुझ पर दुरुद पढ़ेगा हक़ तआला इसके बदले उस पर दस बार रहमत फ़र्मायेगा, फिर अल्लाह से मेरे लिये वसीला मांगो इस वास्ते कि वसीला एक मर्तबा है जन्नत में, जो शख़्स मेरे लिये वसीला मांगेगा तो मेरी शफ़ाअत उसके लिये वाजिब होगी। जवाब देने वाला मुअज़्ज़िन से पहले कलिमाते जवाब न कहे बल्कि हर कलिमे के तमाम होने पर उसके जवाब में वही कलिमा कहे जो मुअज़्ज़िन ने कहा मगर **हय्य अलस् सलात** और **हय्य अलल् फ़लाह** के जवाब में **ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लहि** और **अस्सलातु ख़ैरुम् मिनन् नौम** के जवाब में **सदक़ता व बररता** यानि तू सादिक़ और नेक़कार है, कहे। (७)

★ अगर अज़ाँ का सुन्ने वाला हाइज़ा या ज़च्चा, कोई ख़ुत्बा सुन रहा है या नमाज़ या जनाज़े में या पाख़ाने में या सुहबत करने या खाना खाने या इल्म सीखने या सिखाने में हो तो अज़ाँ का जवाब न दे लेकिन कुरआन पढ़ता हो तो मौकूफ़ करके (रोक कर) अज़ाँ का जवाब दे लेकिन मस्जिद में कुरआन पढ़ता हो तो पढ़ना क़ता न करे। (७)

★ अज़ाँ के बाद यह दुआ पढ़ना मसनून है

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا
مَّحْمُوْدًا نِ الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहिद् दाअवतित् ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल् वसीलत वल् फ़ज़ीलत वब् असहु मक़ामम् महमूद निल्लज़ी वाअदत्तहु इन्नक ला तुख़लिफुल मेआद।

सही मुस्लिम वग़ैरह में जाबिर रज़ी० से मर्वी है कि नबी करी सल्ला० ने फ़र्माया जो शख़्स अज़ाँ सुन कर यह दुआ पढ़े तो उसके वास्ते मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी।

वाज़ेह हो कि अज़ाँ नमाज़ की दाअवत यानि तल्बी है। पस अज़ाँ सुनते ही सब काम छोड़कर नमाज़ के लिये मस्जिद को चला जाना चाहिये। चुनांचे नक़ल है कि हज़रत महेदी मौऊद अले ० नमाज़ की अज़ाँ के बाद खाने का लुक़मा नोश नहीं फ़र्माते थे बल्कि हाथ में का लुक़मा रख देते थे और नमाज़ के लिये तश्रीफ़ ले जाते थे।

अहकामे नमाज़

अल्लाह तआला फ़र्माता है कि क़ायम करो तुम नमाज़ को। एक और जगह फ़र्माता है और वह लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं यही लोग बारिस हैं जो बिहिश्त की मीराम हासिल करेंगे और वह उसमें हमेशा रहेंगे। (अल मोमिनून् - ९, १०, ११)

हज़रत नबी करीम सल्ला ० ने फ़र्माया :

- नमाज़ दीन का सुतून है जिस ने नमाज़ को क़ायम किया उस ने अपने दीन को क़ायम किया और जिस ने नमाज़ को तर्क किया उस ने अपने दीन को मुनहदिम (ध्वस्त) कर दिया।
- हर चीज़ के वास्ते एक निशानी है और ईमान की निशानी नमाज़ है।
- जिस ने नमाज़ को अमदन (जान बूझ कर) तर्क किया तहक़ीक़ वह काफ़िर है।
- नहीं है कोई फ़र्क़ इस्लाम और कुफ़्र के दरमियान सिवाय नमाज़ के।
- नमाज़ को तर्क करने वाला मलऊन (दुतकारा हुआ) है।
- नमाज़ मोमिन के लिये मेराज है।

★ सूरज तुलू और गुरुब होने और ऐन दोपहर के वक़्त नमाज़, सज्दय तिलावत और नमाज़े जनाज़ा जायज़ नहीं है। मुस्लिम वग़ैरह में रिवायत है उक़बा बिन आमिर रज़ी ० से कि कहा तीन साअत हैं जिन में रसूलुल्लाह सल्ला ० हम को नमाज़ पढ़ने से या क़बर में मुरदों को रखने से मना फ़र्माते थे जब कि सूरज तुलू करे यहाँ तक कि बुलंद हो जाये और जिस वक़्त दोपहर हो यहाँ तक कि ज़वाल हो आफ़ताब का, और जब कि सूरज डूबता हो यहाँ तक कि डूब जाये।

★ मुअत्ता में है कि आँहज़रत सल्ला ० ने उन साअतों (समय) में नमाज़ से मना फ़र्माया है और सूरज के गुरुब होने के वक़्त फ़क़त उस दिन की असर की नमाज़ अलबत्ता जायज़ है इस लिये कि हदीसे शरीफ़ में आया है कि जिस ने नमाज़ से एक रकाअत पाई तहक़ीक़ उसने सारी नमाज़ पाई, इस को बुहत से उलमा ने सही असनाद से रिवायत किया है। (२, १३)

★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने नमाज़े फ़ज़्र के बाद सूरज तुलू होने तक और नमाज़े असर के बाद सूरज गुरूब होने तक नफ़िल वग़ैरह पढ़ने को मना फ़र्माया है। (२, १३)

★ हिज़्रत से देढ़ साल पहले शबे मेराज में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हुयीं। उस से पहले दो नमाज़ें पढ़ी जाती थी एक सूरज निकलने से पहले और दूसरी गुरूब से पहले। (७)

★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि अपनी औलाद को नमाज़ का हुकम करो जबकि वह सात बरस के हों और नमाज़ तर्क करने पर उनको हाथ से मारो जब कि वह दस बरस के हों। (७, १९)

★ नमाज़ खुदाय तआला की ख़ास नेमत है और रूकू, सुजूद, कायदा, क्रियाम वग़ैरह अरकान उसके आज्ञा हैं बातिन की सफ़ाई और हुजूरे क़ल्ब उसकी जान है, पस अरकाने नमाज़ को जैसा कि चाहिये अच्छी तरह अदा करने से नमाज़ मुकम्मिल और अच्छी सूरत में अदा होती है, वरना अरकाने नमाज़ में से किसी रुकन को जल्दी में नाक़िस तौर पर अदा करने से नमाज़ भी नाक़िस होजाती है।

अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कि रसूले करीम सल्ला० मस्जिद में तश्रीफ़ लाये। एक शख्स आया उस ने नमाज़ पढ़ी फिर आप को सलाम किया आप ने सलाम का जवाब दिया और फ़र्माया जा फिर नमाज़ पढ़ तूने नमाज़ नहीं पढ़ी, वह गया और जैसे पहले पढ़ी थी फिर पढ़ कर आया और सलाम किया आप ने जवाब दिया और फ़र्माया जा फिर नमाज़ पढ़ तू ने नमाज़ नहीं पढ़ी, तीन बार ऐसा ही किया आख़िर वह शख्स अर्ज़ किया क़सम उसकी जिस ने आप को सच्चा पैग़म्बर करके भेजा मैं तो इस से अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता मुझे बतलाइये। आप सल्ला० ने फ़र्माया जब तू नमाज़ के लिये खड़ा हो तो तकबीर कह फिर जितना कुरआन तुझ से पढ़ा जाये पढ़ उसके बाद इतमेनान से रूकू कर फिर सर उठा कर सीधा खड़ा हो फिर इतमेनान से सज्दा कर फिर सर उठा कर बैठ, इतमेनान से फिर सारी नमाज़ उसी तरह अदा कर। (१३)

★ हिदाया में है कि अबू ज़र रज़ी० ने फ़र्माया कि मुझ को आँहज़रत सल्ला० ने तीन चीज़ों से मना किया, एक यह कि मुरग़ के चोंच मारने का तरह चोंच मारूं यानि जल्दी जल्दी सज्दे में जाऊं और फिर जल्दी उठ खड़ा होजाऊं, दूसरा यह कि कुत्ते की बैठक की तरह बैठूं, तीसरा यह कि लोमड़ी के बिछाने की तरह बिछाऊं। (२)

★ नमाज़ के लिये मस्जिद में ऐसे लिबास से जाना चाहिये जिस तरह दरबारे शाही में जाता

है चुनांचे नमाज़ के वक़्त ज़ीनत (शोभा) इख़तियार करने को ख़ूद ख़ुदाए तआला हरशाद फ़र्माता है “ऐ बनी आदम! हर नमाज़ के वक़्त अपने को मुज़य्यन (सुसज्जित) किया करो।” (७: ३१)

बुजर्गाने दीन का ऐसा ही अमल रहा है चुनांचे राक़िम (लेखक) अपने पीरो मुर्शिद मर्हूम व मग़फ़ूर रहे० को देखा है कि हमेशा हर नमाज़ को पगड़ी और जामा या अंगरखा और उस पर शमला से कमर बस्ता अदा फ़र्माया करते थे।

★ जिस लिबास से लोगों में न जाते हों उस लिबास से नमाज़ पढ़ना मकरूह है। (२)

अल्लाह तआला फ़र्माता है : हिफ़ाज़त करो नमाज़ों की और बीच वाली नमाज़ की। (२: २३८)

मुफ़स्सिरीन ने बीच वाली नमाज़ असर की बतलाइ है। नमाज़ों की हिफ़ाज़त का हुक़्म देते हुवे ख़ास कर नमाज़े असर की हिफ़ाज़त की ताकीद इस वास्ते फ़र्माई गई है कि उसका वक़्त उमूमन उमरा के लिये सैर और हवा ख़ोरी का होता है और दुन्यावी मआमलात वालों की तिजारत और ख़रीद व फ़रोख़्त का वह ख़ास वक़्त है इस लिये ख़ास तौर पर सावधान किया गया है कि इन दुन्यावी चीज़ों में मसरुफ़ होकर नमाज़े असर फ़ोत न करें।

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जिस की असर की नमाज़ जाती रही ऐसा है गोया उसका घर बार बरबाद हो गया।

★ मुसल्ली को नमाज़ के फ़रायज़ जानना फ़र्ज़ है, वाजिबात का जानना वाजिब, सुन्नतों का जानना सुन्नत और मुस्तहबात का जानना मुस्तहब है, क्यों कि नमाज़ के कोनसे अरकान फ़र्ज़ व वाजिब व सुन्नत हैं याद न रहने से नमाज़ नाक़िस हो जाती है और नमाज़ में सज्दए सहू वाजिब होने की सूरत में उसका इम्तियाज़ भी नहीं हो सकता। फ़तावा कुब्रा व नासिरी व शहाबी व मसऊदी में लिखा है कि जो शख्स फ़राइज़ व वाजिबाते नमाज़ न जानता हो उसकी नमाज़ जाइज़ नहीं होती।

★ सतरे औरत^(१२) यानि नमाज़ में बरहनगी को ढांकना मर्द के लिये नाफ़ से घुटनों के नीचे तक और आज़ाद यानि हुर्र औरत के लिये सिवाय चहरा, दोनों हतेलियों और तलवों के पूरा जिस्म ढांकना फ़र्ज़ है और लौंडी का सतरे औरत मानिदं मर्द के है लेकिन फ़र्क़ सिर्फ़ इस क़दर है कि वह अपना पेट और पीठ भी छुपाये। (४)

★ सतरे औरत का चौथाइ हिस्सा नमाज़ में खुल जाये तो नमाज़ दुरुस्त न होगी। (२०)

(१२) फ़िक़ही इस्तेलाह में औरत जिस्म के उस हिस्से को कहते हैं जिसका छुपाना मुतलक़न फ़र्ज़ है, नमाज़ में और नमाज़ से बाहेर भी और उसका ज़ाहिर करना हराम है।

नमाज़ के फ़रायज़, वाजिबात और सुन्नतों की तफ़सील

	फ़रायज़े नमाज़	वाजिबाते नमाज़	सुन्नतें
१	जिस्म पाक रखना	सूरए फ़ातिहा पढ़ना	सफ़अ यदैन् करना (१०)
२	कपड़े पाक रखना	ज़म्मे सूरह करना (७)	वज़य यदैन् करना (११)
३	जगह पाक होना	तअय्युने क़िरात पहली दो रकात में करना (८)	सना पढ़ना तअव्वुज़ पढ़ना
४	सतरे औरत छुपाना	तादीले अरकान करना	बिस्मिल्लाह पढ़ना
५	नियत करना	क्रादय ऊला में बैठना	रूकू, सुजूद में तस्बीहात पढ़ना
६	नमाज़ का वक़्त पहचानना	तशहुद पढ़ना (९)	तकबीराते इन्तेक़ालात कहना
७	क़िबला पहचानना	सलाम फेरना	समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहना
८	तकबीरे ऊला कहना	वितर में दुआये कुनूत पढ़ना	क्रौमा और जल्सा में तवक्कुफ़ करना
९	क्रियाम करना	ईदैन् की तकबीरात पढ़ना	दुरूदे शरीफ़ पढ़ना
१०	क़िरात पढ़ना	फ़ज़्र, मगरिब, इशा में उंची आवाज़ से पढ़ना	
११	रूकू करना	जुहर, अस्त्र में अहिस्ता पढ़ना	दुआये मासूरा पढ़ना
१२	सज्दे करना	तर्तीब में रिआयत करना	सूरह फ़ातिहा के ख़त्म पर आमीन आहिस्ता कहना
१३	आख़री क़ाअदे में बमिक्दारे तशहुद बैठना अस से ज़ियादा सुन्नत है		
१४	अपने इरादे से नमाज़ से बाहर होना		

★ अगर किसी मक़ाम में क़िबला मालूम न हो तो क़ियास यानि ग़ौर व फ़िक्र करे उसके बग़ैर नमाज़ जाइज़ न होगी और जिस जानिब क़िबला होने का गुमान हो उस जानिब नमाज़ अदा करे। अगर क़ियास (अनुमान) में ग़लती हो तो नमाज़ दोबारह न पढ़े, अगर ऐन नमाज़ की हालत में ग़लती मालूम हो तो हालते नमाज़ में ही क़िबले की जानिब फिर जाये। (२, २०)

★ नमाज़ में क़ियाम (सीधा खड़ा होना) की हद यह है कि अगर अपने हाथ लांबे करें तो घुटनों तक न पहुंचें इस सूरत से थोड़ी देर टहरने से भी क़ियाम अदा होजायेगा। (६)

(७) ज़म्मे सूरह यानि सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत या छोटी तीन आयात बग़ैर फ़ास्ले के पढ़ना, और फ़ातिहा पढ़ने के बाद अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद पढ़ने की मिक्दारे बे उज़र देर की जाये तो सज्दय सहू लाज़िम आयेगा।

(८) फ़ज़्र नमाज़ की पहली दो रकातों को क़िरात के लिये मुअय्यन (नियत) करना वाजिब है। अगर दूसरी या तीसरी या तीसरी चौथी रकातों में क़िरात की जाये तो तर्क वाजिब होगा अलबत्ता सज्दय सहू से नमाज़ हो जायेगी।

(९) क़ाअदय ऊला में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ने तक बैठना वाजिब है अगर उस से कुछ देर ज़ायद मसलन् अल्लाहुम्म सालि अला मुहम्मद कहने तक बैठे तो वाजिब तर्क और सज्दय सहू लाज़िम होगा।

(१०) सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा (नमाज़ शुरू करते वक़्त अल्लाहु अकबर कहने) के वक़्त मर्द कानों तक और औरत मोँदों तक हाथ उठाना। (७)

(११) मर्द नाफ़ के नीचे और औरत छातियों के नीचे हाथ बांधना। (७)

- ★ नमाज़ में जिस क़दर क़िरात फ़र्ज़ है उसी क़दर क़ियाम भी फ़र्ज़ है (यानि बड़ी एक आयत की मिक़दार) और बक़दरे सूरह फ़ातिहा और एक छोटी सूरत के क़ियाम वाजिब है, उस से ज़ियादा सुन्नत या मुस्तहब है। (५)
- ★ बिना उज़र एक पाँव से क़ियाम मकरूह है। (६)
- ★ हस्बे ज़ेल उज़रात (कारण) हों तो फ़र्ज़ नमाज़ बैठ कर पढ़ना जाइज़ है।^(१) बीमारी^(२) बरहनगी^(३) बुढ़ापा। इन उज़रात के अलावा फ़र्ज़ नमाज़ या मुलहिक़ बफ़र्ज़ बैठ कर नमाज़ अदा करेगा तो जाइज़ न होगा। (५)
- ★ अगर कोई बीमार क़ियाम, रूकू और सुजूद पर कुद़रत (शक्ति) नहीं रखता हो तो उसको बैठ कर सर के इशारे से नमाज़ अदा करना चाहिये लेकिन रूकू से सज्दे के लिये ज़ियादा झुके, अगर रूकू और सज्दे के झुकने में फ़र्क़ नहीं करेगा तो नमाज़ न होगी। (६)
- ★ सहारे से बैठ कर नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर नहो तो लेट कर नमाज़ पढ़ना भी जाइज़ है। (६)
- ★ नफ़िल नमाज़ में क़ियाम फ़र्ज़ नहीं है बिना उज़र भी बैठ कर पढ़ना जाइज़ है। (५)
- ★ फ़र्ज़ नमाज़ के दो रकात में क़िरात फ़र्ज़ है नमाज़ चाहे दो रकात वाली हो या चार रकात वाली और यह रकातें पहली हों या पिछली। अगर किसी रकात में भी क़िरात न पढ़ी जाये या सिर्फ़ एक रकात में पढ़ी जाये तो नमाज़ न होगी। वितर और नफ़िल की सब रकातों में क़िरात फ़र्ज़ है। (३, ६, १२)
- ★ गूंगा और ऐसा अन् पढ़ जो अच्छी तरह कुछ नहीं पढ़ सकता हो उनकी नमाज़ सिर्फ़ निय्यत से होजाती है ज़बान हिलाना वाजिब नहीं है। (६)
- ★ माअज़ूर के अलावा कुद़रत होने पर अगर सहीह हुरूफ़ (अक्षर) अदा न करेगा तो क़िरात जाइज़ न होगी। (६)
- ★ कुबड़ा आदमी जो हर वक़्त रूकू की तरह झुका रहता है वह रूकू के लिये सर से इशारा करे। (६)
- ★ हज़रत रसूले करीम सल्ला० रूकू करते तो अपने सर को न बुलन्द करते और न पस्त बल्कि इन दोनों हालतों के दरमियान् रखते थे। (१३, १५)
- ★ नमाज़ की हर रकात में दो सज्दे बइज्माए उम्मत फ़र्ज़ हैं। (६)

- ★ अगर किसी ने बिला उज़र सिर्फ़ नाक ही सज्दे में रखी और पेशानी नहीं रखी तो उसका सज्दा नहीं होगा इसी क़ौल पर फ़त्वा है लेकिन साहबे उज़र का सज्दा दुरूस्त है। अगर सिर्फ़ पेशानी सज्दे में रखी जाये और नाक न रखी जाये तो उसका सज्दा मकरुह है। (६)
- ★ नाक के सख्त हिस्से पर सज्दा करना चाहिये, अगर नाक के नर्म हिस्से पर जो नाक का सिरा है सज्दा किया जाये तो जाइज़ नहीं है। (६)
- ★ अगर किसी की नाक और पेशानी दोनों में उज़र हो तो वह शख्स सज्दे का इशारा करे। (६)
- ★ अगर घांस या रुई के गद्दे पर सज्दा किया जाये और सज्दे के वक़्त नाक और पेशानी पूरी तरह ज़मीन पर न टिके इस तरह पर कि अगर सर पर ज़ोर दिया जाये तो सर नीचे होजाये तो दुरूस्त नहीं है वरना दुरूस्त है। (६)
- ★ अगर किसी शख्स की पेशानी में ज़ख़म हो और नाक पर न हो तो वह शख्स सज्दा करने से आजिज़ और माअज़ूर (क्षम्य) न होगा बल्कि उस शख्स को नाक पर ही सज्दा करना वाजिब है, अगर नाक पर सज्दा न करके इशारे से सज्दा करेगा तो नमाज़ न होगी। (६)
- ★ दोनों सज्दों के दरमियान् में बैठने के करीब होजाये अगर उस से पहले दूसरा सज्दा किया जाये तो क़ौले सही यह है कि सज्दा न होगा। (७)
- ★ अगर सज्दे की जगह कांटा हो तो सर उठा कर दूसरी जगह रखना एक ही सज्दे का हुक्म रखता है, चाहिये कि दूसरा सज्दा अलाहिदा किया जाये। (२१)
- ★ हज़रत अनस रज़ी० से मर्वी है कि हज़रत रसूले करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि ऐ अनस अपनी निगाह को उस जगह रखो जहाँ तुम सज्दा करते हो। (२१)
- ★ जहरिया नमाज़ बुहत बुलंद आवाज़ से न पढ़े और न बुहत ही आहिस्ता बल्कि बैन बैन (बीच का) तरीक़ा इख़तियार करे। (२०)
- ★ इब्तिदा में हज़रत नबी करीम सल्ला० सब नमाज़ों मे जहेर फ़र्माते थे उस मौक़े पर कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन ने ईज़ा रसानी (कष्ट देना) और दिशनाम दही (गाली देना) शुरू की तो यह आयत नाज़िल हुवी “नकुल नमाज़ों में जहर करो न कुल में आहिस्ता पढ़ो बल्कि दोनों के दरमियाँ एक राह तलाश करो” (१७:११०)। इसके बाद आप ने जुहर और अस्र में आहिस्ता और फ़ज़्र, मग़रिब, इशा में जहर (उंची आवाज़ से) पढ़ने का अमल फ़र्माया इस लिये कि मग़रिब के वक़्त कुफ़्फ़ार खाना खाने में मशगूल रहते थे और इशा और फ़ज़्र के वक़्त सोते थे। (७)

मुफ़सिदाते नमाज़ : (नमाज़ में ख़राबी पैदा करने वाली चीज़ें)

(१) नमाज़ में बात करना (२) क़स्दन् सलाम करना (३) क़स्दत् या सहवन सलाम का जवाब देना (४) आह या उफ़ कहना (५) आवाज़ से रोना (६) बग़ैर उज़र के खांसना (७) छींक का जवाब देना (८) खुशी या ना खुशी की ख़बर का जवाब देना (९) इमाम के सिवा दूसरे को क़िरात का बताना या ग़ैर से लुक़मा लेना (१०) मस्हफ़ से देखकर पढ़ना (११) नापाक जगह सज्दा करना (१२) जो आदमियों से मांगते हैं अल्लाह से मांगना (१३) खाना पीना (१४) अमले कसीर करना (१५) इमाम से आगे खड़े होना (१६) मुंह क़िब्ला से फेरना (१७) कुरआन ग़लत पढ़ना (मानों में तब्दीली हो तो नमाज़ फ़ासिद होगी और तब्दीली न हो तो फ़ासिद न होगी) (१८) हंसना (१९) सतरे औरत का चौथाई हिस्से का खुलना (२०) औरत महीन (पतला) कपड़ा पहेंना (२१) मर्द औरत एक सफ़ में खड़ा होना। (२,७)

★ अगर नमाज़ में किसी के दांतों में कोई चीज़ चने की मिक्दार से कम निकले और उसको निगल जाये तो नमाज़ फ़ासिद न होगी, अगर चने के बराबर या उस से ज़ियादा हो और वह निगल जाये तो नमाज़ टूट जायेगी। (५)

★ अगर किसी ने मिठाई खा कर नमाज़ शुरू की और नमाज़ में मिठाई का मज़ा आता रहा तो नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी। अगर मिठास मुंह में रहे या और कोई चीज़ तिल की मिक्दार में नमाज़ की हालत में बाहर से मुंह में जाये और उसको चबा कर निगल जाये तो नमाज़ फ़ासिद होजायेगी। (६)

मकरूहाते नमाज़ :

(१) चादर को सर या कन्धे पर से किनारों को लटके हुवे ओढ़ना या कुबा को बग़ैर आस्तीन पहने उसी तरह डालना (२) कपड़े को समेटना या ऊपर उठाना और आस्तीन या दामन को चढ़ाते हुवे नमाज़ पढ़ना (३) कपड़े या बदन से खेलना (४) बालों को जमा करना या लपेट कर जड़ में दाख़िल करना यानि जोड़ा या चोंढा बांधना (५) उंगलियों को चटखाना (६) गर्दन फेर कर देखना (७) एक बार से ज़ियादा कंकरियों को सज्दे की जगह से हटाना (८) कमर पर हाथ रखना (९) दोनों हाथों को खींचना और सीने को आगे करना सुस्ती भगाने के लिये यानि अंगड़ाई लेना (१०) कुत्ते की तरह बैठना (११) सज्दे में दोनों बाजुवों को बिछा देना (१२) चार ज़ानू बे उज़र बैठना (१३) इमाम अकेले मस्जिद के मेहराब में खड़े होना या इमाम अकेले बुलन्दी पर मुक़तदी नीचे या इमाम नीचे मुक़तदी बुलन्दी पर खड़े रहना^(११) (१४) नमाज़ी का तन्हा सफ़

^(११) बुलन्दी से मुराद बाज़ अइम्मा के नज़दीक बक़द्रे क़ामते आदमी (आकार) और बाज़ के पास एक हाथ है उस से कम बुलन्दी हो तो कराहत नहीं। (२)

के पीछे खड़े रहना जब कि सफ़ में जगह बाक़ी हो (१५) तसवीर का सर के ऊपर या आगे होना (१६) सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना (१७) बुरे कपड़ों से नमाज़ पढ़ना यानि जिन कपड़ों से लोगौं में न जाता हो (१८) खाक के दूर करने को नमाज़ में पेशानी ज़मीन पर मलना (१९) आसमान पर नज़र करना (२०) सज़्दा पगड़ी या शमले के पेच पर करना (२१) आयतों को गिन्ना (२२) जिन कपड़ों पर तस्वीर हो उसका पहेन्न (२३) सीधे हाथ पर बायाँ हाथ बांधना (२४) टेके से खड़े होना (२५) पंजों पर खड़े होना या एक क़दम पर ज़ोर देकर दूसरा क़दम उठाना (२६) दोनों क़दम के दरमियान् चार उंगल से ज़ियादा फ़ास्ला रखना (२७) हाथ बग़ैर उठाये बांधना (२८) इमाम जुहर और असर में सज़्दे की आयत पढ़ना (२९) पहली रकात से दूसरी रकात में बड़ी क़िरात पढ़ना (३०) जमाई लेना (३१) आँखें बंद करके नमाज़ पढ़ना लेकिन खुशू व खुजूअ (विनय) के लिये बंद की जायें तो मकरूह नहीं है (३२) कोई सुन्नत तर्क करना (३३) रुकू और सुजूद इमाम से पहले करना (३४) बे वक़फ़े के दो सज़्दे करना (३५) तंग वक़्त में नमाज़ पढ़ना (३६) झगड़े की जगह नमाज़ पढ़ना (३७) बाजे की जगह नमाज़ पढ़ना (३८) सहारा (जंगल) में बग़ैर सुत्रा के नमाज़ पढ़ना (३९) सलाम के वक़्त शानों (कंधों) के तरफ़ न देखना (४०) नमाज़ पढ़ने वाला अपने सामान को पीछे रखना (४१) मस्जिद का दर्वाज़ा बंद करना (४२) किसी आदमी के मुंह की तरफ़ नमाज़ पढ़ना अगरचे कि दूर हो और दरमियान् में कुछ आड़ न हो (४३) अमामा या पगड़ी इस तरह बांधना कि बीच में सर खुला रहे (४४) पाख़ाना या पेशाब की हाजत के वक़्त नमाज़ पढ़ना (४५) रुकू व सुजूद, क़ौमा व जलसा इतमेनान के साथ न करना (४६) ढाटा बांध कर नमाज़ पढ़ना। (७)

★ नमाज़ मकरूह है पेशाब , पाख़ाना और रीह (ग्यास) के दबाव के वक़्त और खाना आने पर ख़ाहिश के वक़्त। अगर खाने की तरफ़ तबीअत माइल न हो तो नमाज़ मकरूह नहीं है। जो चीज़ नमाज़ी के दिल को नमाज़ के अफ़आल और खुशुअ और खुजूअ से बाज़ रखे और उस में ख़लल डाले मकरूह है और हुजूरे दिल अहले दिल के नज़दीक फ़र्ज़ है। (७)

★ नमाज़ में सुर्ख (लाल), ज़र्द (पीला), रेशमी और मग़सूबा (छीना हुआ) और ऐसा बारीक कपड़ा पहन्ना जिस में से बदन नज़र आता हो और नया और बेहतर लिबास होते हुवे पुराना और ख़राब लिबास पहन्ना और दस्तार व शम्ला होते हुवे बरहना सर नमाज़ पढ़ना और बेनमाज़ी के कपड़े से पढ़ना, औरत के मानिंद चादर सर पर लपेटना, क़ब्ज़ा की हुवी ज़मीन पर, आम रास्ते पर, जानवरों को बांधने और ज़िब्ह करने की जगह, कचरा डालने की जगह, क़ब्रिस्तान में क़ब्र के सामने, कुफ़ार की ज़मीन और मकान में बग़ैर इजाज़त के और अंधेरे घर में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना मकरूह है। (१४)

★ सज्दे में जाते वक़्त किसी कपड़े या पायजामे को हाथ से ऊपर खींचना मकरुह है बल्कि इस अमल से नमाज़ फ़ासिद होजाती है। (१४) चूंकि यह अमल बार बार किया जाता है इस लिये एहतियात चाहिये।

★ अल्लाह तआला उस शख्स की नमाज़ कुबूल नहीं फ़र्माता जो अपना तहबन्द (पाजामा) टख़नों से नीचे लटकाये हुवे हो। (१८)

★ कोई शख्स ज़मीन पर नमाज़ पढ़ रहा हो और दूसरा शख्स उसके आगे कपड़ा या मुसल्ला डाल दे तो उस पर सज्दा करना जाइज़ है। (६)

वह अस्बाब जिन में नमाज़ का तोड़ना दुरुस्त है :

नमाज़ का तोड़ना कभी वाजिब, कभी मुस्तहब, कभी मुबाह, कभी हराम होता है।

★ वाजिब जान बचाने के लिये, मुस्तहब हुसूले जमाअत या किसी और वजह से कामिल करने के लिये और मुबाह माल को नुक़सान से बचाने के लिये और किसी उज़र के वग़ैर नमाज़ तोड़ना हराम है। (७)

★ हालते नमाज़ में अगर रेल चलने लगे और उसमें अपना सामान या बीवी बच्चे सवार हों तो नमाज़ तोड़ कर सवार होजाना दुरुस्त है।

★ हालते नमाज़ में कोई दरिन्दा या साँप सामने आ जाये तो उसके डर से या उसको मारने के लिये नमाज़ तोड़ देना दुरुस्त है।

★ अगर कोई चोर जूती या कुछ सामान लेकर जाने लगे और नमाज़ ख़तम होने तक उसके भाग जाने का अन्देशा हो और न मिलने का गुमान हो तो नमाज़ तोड़ कर वह लेना दुरुस्त है जिसकी क़ीमत ऐक दिरम यानि पांच आने हो और वह चीज़ नमाज़ी की हो या किसी दूसरे की। (७)

★ हालते नमाज़ में पेशाब या पायख़ाना ज़ोर करे तो नमाज़ तोड़ कर उस से फ़ारिग़ होना मुस्तहब है।

★ अगर हालते नमाज़ में कोई अंधा किसी ऐसे कूवे या बावली की जानिब जाता हुवा नज़र आये जिसको हिसार न हो अगर उसको न रोका जाये तो गिर कर हलाक होने का अन्देशा हो तो नमाज़ तोड़ कर उसको रोका जाये अगर न रोका गया और अंधा उसमें गिर कर मर जाये तो नमाज़ी गुनाहगार होगा।

★ अगर किसी बच्चा वगैरह के कपड़ों में आग लग जाये तो नमाज़ तोड़ कर आग बुझाना फ़र्ज़ है।

★ हालते नमाज़ में माँ बाप दादा दादी नाना नानी किसी मुसीबत की वजह से पुकारें तो नमाज़ तोड़ देना वाजिब है और माँ बाप वगैरह हालते बीमारी में रफ़ए हाजत (शौच के लिये) या किसी और ज़रूरत को जाने या आने में गिर जायें या गिरने का अन्देशा हो तो नमाज़ तोड़ कर उनको उठाना या संभालना दुरुस्त है अगर वहाँ कोई दूसरा शख्स उठाने वाला मौजूद न हो। हालते नमाज़ में अगर बे ज़रूरत पुकारे तो फ़र्ज़ नमाज़ तोड़ना दुरुस्त नहीं है।

★ सुन्नत या नफ़िल की हालत में माँ बाप, दादा, दादी, नाना नानी पुकारें और उनको मालूम न हो कि यह नमाज़ पढ़ता है तो ऐसी सूरत में नमाज़ तोड़ कर उनका जवाब देना वाजिब है, चाहे वह किसी मुसीबत और ज़रूरत से पुकारें या बिला ज़रूरत, अगर नमाज़ तोड़ कर जवाब नदे तो मूजिबे गुनाह होगा और अगर वह जानते हों कि नमाज़ पढ़ रहा है ऐसी हालत में अगर वह बगैर मुसीबत और ज़रूरत के पुकारें तो नमाज़ तोड़ कर जवाब देना दुरुस्त नहीं है। (७)

नमाज़ी के सामने से गुज़रना :

★ हिदाया में लिखा है कि कोई शख्स नमाज़ अदा करता हो और उसके आगे कोई शख्स पीठ करके बैठे तो जाइज़ है।

★ नमाज़ी के आगे से कोई शख्स गुज़र जाये तो नमाज़ में कुछ खलल न होगा अलबत्ता गुज़रने वाला गुनाहगार होगा। (५)

★ बड़ी मस्जिदों और जंगल में नमाज़ी के आगे से गुज़रने की हद यह है कि सज्दे की जगह देखते हुवे जहाँ तक नमाज़ी की नज़र पड़े और छोटी मस्जिदों और घरों के लिये नज़र की जगह का एतेबर नहीं है, यहाँ बगैर सुतून या आदमी की आड़ के गुज़रने से गुनाहगार होगा। (६)

★ अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को यह मालूम हो कि उस पर क्या गुनाह है तो चालीस दिन या महीने या बरस खड़ा रहना पसंद करे मगर नमाज़ी के आगे से गुज़रना पसंद न करेगा। (१७, १८)

★ अगर दो शख्स गुज़रें तो वह शख्स गुनाहगार होगा जो नमाज़ी से ज़्यादा करीब है। (६)

★ अगर मनाज़ी इस क़दर ऊंची जगह नमाज़ पढ़ रहा हो कि गुज़रने वाले के आज़ा नमाज़ी के मुक़ाबिल में न होते हों तो गुज़रने वाला गुनाहगार न होगा, अगर आज़ा मुक़ाबिल में होते हों तो गुनाहगार होगा। (६)

★ जंगल वग़ैरह में नमाज़ पढ़ी जाये तो नमाज़ी को चाहिये कि अपने सामने सुत्रा (लकड़ी) जो तूल में हाथ बराबर और मोटाइ में उंगली के बराबर हो खड़ा करे, और अगर खड़ा न कर सके तो आगे तूलन (लंबा) डाले उरज़न् (चौड़ा) न डाले। इमाम का सुत्रा मुक़तदियों के लिये काफ़ी है इस सूरत में अगर कोई जमाअत के आगे से गुज़रेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। (६)

★ सुत्रा को नमाज़ी के तीन हाथ के फ़ासले पर दाहने अब्रू के मुक़ाबिल रखे। (७)

★ नमाज़ी के आगे से कोई चीज़ हाथ बढ़ाकर ली जाये तो गुनाह नहीं है। (७)

सज्द - ए - सहव : नीजे दिये गये उमूर में नमाज़ में सज्द-ए-सहव वाजिब होता है।

- | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| (१) तक्रारे फ़र्ज़ | (२) ताख़ीरे फ़र्ज़ | (३) तर्के वाजिब |
| (४) तक्रारे वाजिब | (५) ताख़ीरे वाजिब | |

★ नमाज़ के अर्कान में से फ़र्ज़ को छोड़ देने से नमाज़ भी तर्क हो जाती है और सुन्नत को तर्क करने, तक्रार (दोहराने) और ताख़ीर (देर करने) से सवाब में कमी और नमाज़ नाक़िस हो जाती है, ऐसी नमाज़ का एआदा (दोहराना) बेहतर है। उमूरे मज़क़ूरा सहवन् (भूल - चूक) से हो जायें तो सज्दय सहव वाजिब होता है। दानिस्ता (जान बूझ कर) हो तो नमाज़ का एआदा लाज़िम है। (७)

★ सज्दय सहव वाजिब होने की सूरत में अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ़ दाहने (सीधे) जानिब सलाम फेरने के बाद दो सज्दे कर के अत्तहियात दुरूदे शरीफ़ वग़ैरह पढ़ कर नमाज़ मुकम्मल की जाये और अगर दोनों जानिब सलाम फेर दिया जाये तो सज्दय सहव साक़ित होजायेगा ऐसी सूरत में नमाज़ का एआदा करना होगा (७)

★ मुक़तदी के सहव से किसी पर सज्दय सहव लाज़िम नहीं आयेगा बल्कि इमाम के सहव से सज्दय सहव लाज़िम आता है। मस्बूक (नमाज़ में देर से शामिल होने वाला) भी इमाम के साथ सज्दय सहव करे और उसके बाद अपनी बक़िया नमाज़ पढ़ ले और अगर उस बक़िया नमाज़ में भी सहव होजाये तो दोबारा सज्दये सहव करे। (२,७)

★ अगर क़ादये ऊला को भूल कर खड़ा होना चाहे और अगर बैठने की जानिब नज़्दीक हो तो बैठ जाये और सज्दय सहव न करे, अगर क़ियाम से नज़्दीक हो जाये तो न बैठे और नमाज़ के आख़िर में सज्दय सहव करे। (२)

★ अगर क़ाअदये आख़िर को भूलकर खड़ा होजाये तो जब तक उस रकात का सज्दा नहीं किया है याद आजाये तो बैठ जाये और फ़र्ज़ की अदाई में देर करने की वज्ह से सज्दय सहव करे और अगर सज्दा कर लिया तो क़ाअदये आख़िर जो कि फ़र्ज़ है उसको तर्क करने की वज्ह से फ़र्ज़ उसका बातिल हो जायेगा, अगर चाहे तो उसके साथ छटी रकात को भी मिलाले यह छ रकातें नफ़िल हो जायेंगे। (२)

★ अगर क़ाअदये अख़िर को भूल कर फिर खड़ा होजाये तो जब तक पांचवीं रकात का सज्दा नहीं किया है याद आजाये तो बैठ जाये और सज्दये सहव करले और अगर पांचवीं रकात का सज्दा कर लिया हो तो चाहिये कि एक रकात और मिलाले और सज्दय सहव करे तो चार रकातें फ़र्ज़ अदा हो जायेंगी और दो नफ़िल। (२)

★ सज्दय सहव का हुक्म फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत वग़ैरह सब नमाज़ों में बराबर है। (६)

★ एक नमाज़ में कई वाजिब तर्क हों तो एक सज्दय सहव सब के लिये काफ़ी है। (६)

★ अगर सज्दय सहव करने के बाद फिर सहव हो तो उसके बाद सज्दय सहव न करे वना यह सिल सिला ख़त्म न होगा (६)

★ अगर कोई शख्स पहली रकात में भूल कर सूरह फ़ातिहा दो बार पढ़े तो सज्दय सहव करे इस लिये कि पहले दुगाने में एक बार अल-हम्दु का सूरह पढ़ना वाजिब है और अगर दूसरे में पढ़े तो सज्दय सहव न करे। (६)

★ अगर किसी को दो सलाम के बाद अपने ज़िम्मे सज्दय सहव होना याद आये तो एक क़ौल के मुवाफ़िक़ जब तक कि क़िब्ले से मुहं न फेरा हो या कुछ कलाम न किया हो सज्दय सहव कर सकता है और दूसरे क़ौल के मुवाफ़िक़ नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे सलाम से सज्दय सहव साक़ित हो जाता है नमाज़ का एआदा करे (५,६,९)

★ अगर कोई शख्स भूल कर इस ख़याल से कि चार रकात हो चुकी हैं दो रकात के बाद सलाम फेरदे और फिर याद आजाये तो उसी वक़्त खड़ा हो कर चार रकात की तकमील करके आख़िर में फ़र्ज़ में ताख़ीर की वज्ह से सज्दय सहव करे। अगर सलाम् के बाद कोई फ़ेल मुफ़सिदे

नमाज़ (नमाज़ में ख़राबी पैदा करने वाला) किया हो तो नमाज़ का एआदा करे और अगर मस्बूक भी भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दे तो वह भी उस सलाम से ख़ारिज न होगा और न मस्बूक पर सज्दय सहव लाज़िम आयेगा। (५, २०)

★ शक की सूरत में सज्दय सहव वाजिब होजाता है ख़ाह गुमाने ग़ालिब पर अमल करे या वहम (शक) को इख़तियार करे। (६)

★ अगर नमाज़ में शक हो कि कितनी रकातें पढ़ी हैं और यह शक पहली बार हो और शक की आदत न हो तो नमाज़ फिर शुरू से पढ़े और अगर कई बार शक हो तो ग़ौर करे और गुमाने ग़ालिब (बलवान संभावना) पर अमल करे और अगर सोचने में कुछ मालूम न हो तो कम को इख़तियार करे। (२)

★ अबू दाऊद, तिरमिज़ी, मालिक इब्ने माजह वग़ैरह ने अबू सईद खुदरी रज़ी० से रिवायत कि है कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया जब शक करे कोई तुम में से अपनी नमाज़ में और न जाने कि तीन पढ़ा है या चार तो चाहिये कि शक को दूर करे और यक़ीन पर बिना करे फिर सलाम से पहले दो सज्दे करे। अगर पाँच रकातें पढ़ ले तो सज्दय सहव छटी रकात के क़ायम मुक़ाम होगा और अगर पूरी चार पढ़े तो सज्दय सहव करने से शैतान मर्दूद को ज़िल्लत होगी। (२)

★ अगर एक या दो या तीन या चार रकातों में शक हो तो कम को इख़तियार करे। (२)

★ अगर इमाम और मुख़तदियों के दरमियान् किसी नमाज़ की अदाई में इख़तिलाफ़ हो और इमाम को चार रकात होने का यक़ीन हो तो इमाम का क़ौल मोअतबर होगा, जमाअत के कहने से नमाज़ का एआदा न होगा और अगर इमाम को शक हो तो जमाअत का क़ौल मोअतबर होगा और उस नमाज़ का एआदा होगा। (६)

★ अगर मुक़तदियों में बाहम इख़तिलाफ़ हो बाज़ कहें तीन रकात पढ़ी हैं और बाज़ कहें चार तो ऐसी सूरत में इमाम जिस फ़रीक़ के साथ होगा उन्ही का क़ौल मोअतबर होगा, चाहे एक ही आदमी के साथ इमाम हो। (६)

★ जमाअत में एक मुक़तदी को तीन रकात पढ़ने का यक़ीन हो और दूसरे मुक़तदी को चार रकात पढ़ने का यक़ीन हो और इमाम और जमाअत को शक हो तो नमाज़ को सहीह समझें और उसी नमाज़ पर रहें। (६)

★ एक मुक़तदी को यक़ीन हो कि इमाम ने तीन रकात पढ़ी हैं और बाक़ी जमाअत और इमाम को शक हो तो उस सूरत में एक मुक़तदी के यक़ीन पर उसकी मुखालफ़त न होने की वजह से एहतियातन् नमाज़ का एआदा करना होगा। (६)

★ नमाज़ की अदाह के बाद कोई शख्स इत्तेलाअ दे कि दो की जगह तीन या चार की जगह तीन या पांच पढ़ी हैं तो एहतियातन् उस नमाज़ का एआदा करे अगरचे कि अपनी राय में उसको ग़लत समझता हो। (६)

★ अगर इमाम और जमाअत के ख़ियाल में इख़तिलाफ़ हो और इमाम को यक़ीन हो तो नमाज़ का एआदा न करे। (५)

★ वजू के बाद मुसल्ले पर पहले सीधा पैर रख कर खड़े होने के बाद तस्मिया (बिस्मिल्लाह) के साथ यह आयत पढ़ें

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ الَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

इन्नी वज्जहतु वज्हीय लिल्-लज़ी फ़तरस् - समावाति वल अर्ज इनीफ़ंव वमा अना मिनल मुश्रिकीन (६:७८)

मैं ने अपना मुंह सब से एक सू कर के उसी की तरफ़ किया है जिसने आसमान और ज़मीन बनाये और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ।

दुगाना तहीयतुल वुजू

वाज़ेह हो कि वुजू के बाद दो रकात दुगाना तहीयतुल वुजू पढ़ना सुन्नत है उसकी अदाई में बड़ा सवाब है और हज़रत महेदी अले० ने भी उसकी अदाइ की सख़्त ताकीद फ़र्माई है और न पढ़ने वालों को दीन का बख़ील फ़र्माया है।

★ सहीह मुस्लिम वग़ैरह में अक़बा बिन आमिर से मर्वी है कि हज़रत रसूले ख़ुदा सल्ला० ने फ़र्माया कि नहीं कोई ऐसा मुस्लिम जो वजू करे अच्छी तरह से फिर खड़ा हो और दो रकात नमाज़ पढ़े दोनों रकातों पर मुतवज्जह होकर अपने दिल और चहरे से उसके वास्ते जन्नत वाजिब होगई। (७)

★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने शबे मेराज में जन्नत में हज़रत बिलाल रज़ी० के चलने की आवाज़ अपने आगे सुनी, सुब्ह को उन से दर्याफ़्त फ़र्माया कि तुम कौनसा ऐसा नेक अमल

करते हो कि कल मैं ने तुम्हारे चलने की आवाज़ जन्नत में अपने आगे सुनी, बिलाल रज़ी० ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्ला० मैं जब वुजू करता हूँ तो दो रकात नमाज़ पढ़ लिया करता हूँ। (१७)

★ गुस्ल के बाद भी यह दो रकात मुस्तहब हैं इस लिये कि हर गुस्ल के साथ वुजू भी जरूर होता है। (५)

★ वुजू के आज़ा खुश्क न होने तक तहीयतुल वुजू पढ़ने में सवाब है। (६)

दुगाना तहीयतुल वुजू की निय्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيْنِ صَلَاةِ التَّحِيَّةِ الْوُضُوءِ شُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى مُتَابَعَةً الْمَهْدِيِّ الْمَوْعُودِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसलिय लिल्लाहि तआला रकातैनि सलातित् तहीयतिल् वुजू शक्रुल्लाहि तआला मुताबिअतल् महदीइल् मौऊदि मुतवज्जहन् इला जेहतिल् काअबतिश् शरीफति - अल्लाहु अकबर

अनुवाद, मैं ने निय्यत की है कि अल्लाह तआला के वास्ते तहीयतुल वुजू की दो रकात नमाज़ पढ़ता हूँ अल्लाह तआला के शुक़ के लिये महेदी ए मौऊद की मुताबिअत से काअबतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह हो कर - अल्लाह तआला बुहत बुजर्ग है।

तकबीरे तहरीमा : नमाज़ शुरू करते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना इसको तकबीरे तहरीमा कहते हैं इस लिये कि नमाज़ी को नमाज़ की तकबीर से पहले जो उमूर हलाल थे वह हराम होजाते है। चूँकि ज़बीहा भी इसी तकबीर से किया जाता है इस लिये तकबीरे तहरीमा और तकबीराते इन्तेक़ालात (नमाज़ में एक हालत से दूसरी हालत में मुत्तक़िल होते वक़्त अल्लाहु अकबार कहना और रुकूअ से उठते वक़्त समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहना) से नफ़स को ज़ब्ह करते हुवे नमाज़ अदा करनी चाहिये।

اللَّهُ أَكْبَرُ अल्लाहु अकबर कहते हुवे दोनों हाथ के अंगोठे कान की लोलकी को लगा कर बायाँ हाथ नाफ़ के नीचे रखकर उसके पुष्ट पुहुंचे को सीधे हाथ से पकड़ कर दोनों पैर पर बराबर वज़न रखे हुवे उनके दरमियान् अन्दाज़न् चार उंगल का फ़ासिला रख कर बादशाह जुल जलाल के हुज़ूर में जिस तरह कि उसका गुलाम या मुलाज़िम खड़ा होता है उस तहर अदब व ताअज़ीम और हुज़ूरे क़ल्ब के साथ दुन्यावी मुआमलात और तअल्लुकात व ख़यालात से यक सू होकर और

यकीन के साथ खुदाय तआला को हाज़िर व नाज़िर (सामने मौजूद और देखने वाला) जानकर खड़े होना चाहिये। अल्लाह तआला फ़र्माता है *वल्लाहु बिमा ताअमलून बसीर* (२:२६५) यानि अल्लाह तआला तुम्हारे कामों को देख रहा है।

हदीसे शरीफ़ : हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी० से रिवायत है कि पूछा उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्ला० से कि एहसान क्या है तो आप ने फ़र्माया कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत कर कि गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है, पस अगर तू अल्लाह को न देख सके तो यूँ जानकर इबादत कर कि वह तुझ को देख रहा है। (२२)

ऐ नमाज़ी खुदाए तआला हाज़िर व नाज़िर ही नहीं है बल्कि दिल में जो वसाविस (शंकाएं) और खयालात पैदा होते उनको भी ख़ूब चानता है, इस लिये यकीने दिल के साथ खुदाए तआला को हाज़िर व नाज़िर जान कर उसके ख़ौफ़ के साथ हुज़ूरे क़ल्ब के साथ दिल को वसाविस और गुना गूं खयालात से रोकते हुवे नमाज़ को अच्छी तरह अदा करने की कोशिश करनी चाहिये ता कि फ़ज़्ले खुदा शामिले हाल होकर नमाज़ मेअराज और उसमें दीदारे खुदा हासिल होता रहे।

★ नमाज़ में नज़र सज्दे की जगह से आगे न जानी चाहिये।

★ औरतें तकबीरे तहरीमा यानि *अल्लाहु अकबर* कहते वक़्त अपने हाथ मोंढों तक उठाकर सीधे हाथ की हतेली को बायें हाथ की हतेली की पुप्त पर पिस्तान के नीचे रख कर खड़ी हों और हाथ आस्तीनों से बाहर न निकालें। (७)

★ नमाज़ शुरु करते वक़्त अल्लाहु अकबर कह कर हाथ बाँधने के बाद क़िरात से पहले आहिस्ता यह *सना* पढ़ें

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

सुब्हानक अल्लाहुम्म व बि हम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जहुका वला इलाहा ग़ैरुका(१४)

★ उसके बाद तअव्वुज़ यानि *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ* अऊज़ु बिल्लाहि मिनश् शैतानिर्रजीम(१५)

और तस्मिया यानि *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* बिस्मिल्ला हिर्रहमा निर्रहीम(१६) और सूरह फ़ातिहा यानि *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* अल्हमदु ल्लिाहि रब्बिल आलमीन (पूरा सूरहा पढ़ें)। (२३)

(१४) यानि ऐ अल्लाह तू पाक है और मैं तेरी हम्द व सना करता हूँ तेरा नाम बर्कत वाला है तेरी अज़मत और बुज़रगी बुलन्द है और तेरे सिवा कोई माअबूद नहीं है।

(१५) मैं शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ।

(१६) मैं शुरु करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बुहत मेहरबान और रहम वाला है।

★ हर नमाज़ में इमाम और मुक़तदी और मुन्फ़रिद (अकेला) को सूरह फ़ातिहा के बाद आहिस्ता आमीन कहना चाहिये इस लिये कि सूरह फ़ातिहा में दुआ है और आमीन कहना दुआ की मक़बूलियत का मूजिब होता है।

★ हर फ़र्ज़ नमाज़ की पहली दो रकातों में और सुन्नत नफ़िल और वतर की हर रकात में सूरहे फ़ातिहा के बाद कोई और सूरह या बड़ी एक आयत या छोटी तीन आयते पढ़ना वाजिब है, इसी को ज़म्मे सूरह कहते हैं। (११, २४)

★ दुगाना तहीय तुल वुजू की पहली रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद यह आयत पढ़ें

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ قَفٍ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (३: १३५)

वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन् औ ज़लमू अन्फुसहुम् ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रु लिज़ूनबिहिम व मंय यग़फ़िरुज़् जुनुब इल्लल्लाहु व लम् युसिरू अला मा फ़अलू व हुम् याअलमून^(१७) (३: १३५)

उसके बाद अल्लाहु अकबर कह कर रुकूअ में जायें और दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ कर पीठ सीधी रखकर तीन या पाँच या सात बार यह पढ़ें سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
अज़ीम^(१८)

★ लेकिन औरत रुकूअ में थोड़ा झुके और हाथों पर सहारा न दे और हाथों की उंगलियों को न फैलाये बल्कि मिली हुवी रखे हाथ घुटनों पर रखे मगर मज़बूत न पकड़े और घुटनों को झुकादे और सिमटी रहे।

★ रुकूअ के बाद سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ समिअल्लाहु लिमन् हमिदह^(१९) कहते हुवे उठ कर सीधा खड़ा होजाये, इसको क़ौमा कहते हैं क़ौमा में رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رَبّنا लकल् हम्द^(२०) कहें उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुवे सज्दे में इस तरह जायें कि पहले दोनों घुटने फिर दोनों हाथ फिर नाक और पेशानी ज़मीन पर रखें और उठते वक़्त उसका अलटा करें और

(१७) यानि और वह लोग जो बेहयाइ या ज़ुल्म करें अपनी जानों पर याद करें अल्लाह को फिर बख़्शिश मांगें अपने गुनाहों की और सिवाय खुदा के गुनाहों को कोन बख़्शाता है और जो कुछ उन्होंने ने किया है उस पर इसरार न करें और वह जानते हैं।

(१८) पाक है मेरा पर्वरदिगार जो बड़ा बुजुर्ग है

(१९) अल्लाह तआला सुनता है जो कोई उसकी ताअरीफ़ करे।

(२०) ऐ पर्वरदिगार तेरे ही लिये तमाम ताअरीफ़ है।

दोनों हाथ की उंगलियाँ मिली हुवीं क़िब्ला रुख कान की नीचे इस तरह रखें कि हाथ का अंगूठा कान की लोलकी के मुक़ाबिल रहे, हाथ, पहलू, रान और पिंडली को जुदा रखें कि सज्दा दराज़ हो और दोनों पैरों की उंगलियाँ ज़मीन पर क़िब्ले की जानिब हों लेकिन औरत इन सब अज़ू को मिलादे कर पस्त सज्दा करे और सज्दे में हाथों को बिछा दे। सज्दे में तीन या पाँच या सात बार यह पढ़ें **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (११) उसके बाद **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأَرزُقْنِي** अल्लाहुम्मग् फ़िरली वर् हमनी व ऑफ़ीनी **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأَرزُقْنِي** (१२) फिर अल्लाहु अकबर कहते हुवे दूसरे सज्दे में जा कर तीन या पाँच या सात बार वही तस्बीह पढ़ें जो पहले सज्दे में पढ़ी गई थी फिर **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأَرزُقْنِي** कहते हुवे खड़े होकर दुसरी रकात में सूरह फ़ातिहा और उसके बाद यह आयत पढ़ें।
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (۴: ۱۱۰)

व में यअमल् सूअन औ यज़लिम् नफ़्सहु सुम्म यस्तग्फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह ग़फ़ूरर्हीमा (१३)
 (४: ११०) हज़रत महेदी मौऊद अले० का दुगाना तहीयतुल वजू में आयाते मज़कूरा का पढ़ना हज़रत बन्दगी मियाँ शाहे दिलावर रज़ी० से पंज क़ज़ायल में मन्कूल है इसी वास्ते गिरोहे मुबारक में यह आयतें पढ़ी जाती हैं। दूसरी रकात को पहली रकात के तरीके पर तकबीराते इन्तेक़ालात और रुकू और सुजूद मज़कूरा दुआअंव के साथ ख़तम करके दो ज़ानू क़ाअदे में बायें पैर को बिछा कर उस पर बैठें और दायें पैर को खड़ा करें और हर दो पैर की उंगलियों को क़िब्ले की तरफ़ करें और दोनों हाथ घुटनों के पास ज़ानू पर रखें। लेकिन औरत बायीं सुरीन पर बैठ कर दोनों पैर सीधे जानिब से बाहर करदे और हाथों की उंगलियाँ मिली हुवीं घुटने पर रखें और एक बार यह अत्तहीयात पढ़ें।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا
 وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(११) पाक है मेरा पर्वरदिगार जो बुहत बुलन्द दरजे वाला है।

(१२) या अल्लाह मुझको बख़श दे और मुझ पर रहम फ़र्मा और मुझ को चैन दे और हिदायत दे मुझको और रिज़्क दे मुझ को।

(१३) जो कोई गुनाह करे या अपने हक़ में जुल्म करले फिर खुदा से बख़शिष मांगे खुदा को बख़शने वाला और मेहरबान पायेगा।

अत्तहीयातु लिल्लाहि वस् सलवातु वत् तथ्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन् नबिय्यू व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस् सालिहीन अशहदु अन् ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वशहदु अन्न मुहम्मदन् अब्दुहु व रसूलुहु^(२५)

उसके बाद यह दरुदे इब्राहीम पढ़ें

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَأَرْحَمْتَ
وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन् व अला आलि मुहम्मदिवं व बारिक् व सल्लिम कमा सल्लैत व सल्लमता व बारकता वर्हमता व तर्हमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम रब्बना इन्नका हमीदुम् मजीद^(२५)

दूसरा दुरुदे शरीफ़।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिवं व अला आलि मुहम्मदिन् कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम् मजीदुन् अल्लाहुम्म बारिक् अला मुहम्मदिवं व अला आलि मुहम्मदिन् कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम् मजीद्।

उसके बाद यह दुआयों पढ़ें

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

(२५) अत्तहीयात की माहियत (स्थिति) यह है कि जब आँहज़रत सल्ला० शबे मेराज में मक़ामे कुर्ब पर फ़ायज़ हुवे तो आपको बैठने का इरशाद हुवा तो आप ने फ़र्माया अत्तहीयातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत् तथ्यिबातु यानि आँहज़रत सल्ला० ने बतौर नज़र जनाबे बारी में ज़बानी, बदनी और माली इबादतें पेश की और जनाब अहदियत से बतौर खिलअते शाही यह इरशाद हुवा अस्सलामु अलैक अय्युहन् नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु यानि ऐ नबी तुम पर सलाम और रहमतेँ और बरकतेँ अल्लाह तआला की नाज़िल हों फिर आँहज़रत सल्ला० ने अर्ज़ किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्ला हिस्सालिहीन यानि हम पर सलामती नाज़िल हो और अल्लाह तआला के सालेह बन्दों पर, उस वक्त मलाइका मुकर्रबीन ने यह कहा अशहदु अन्ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु अन्न मुहम्मदन् अब्दुहु व रसूलुहु यानि मैं गवाही देता हूँ कि सिवाय खुदा के कोई माअबूद नहीं है और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। (७)

(२५) यानि ऐ अल्लाह मुहम्मद सल्ला० और आले मुहम्मद सल्ला० पर रहमते कामिला और बरकत और सलामती नाज़िल फ़र्मा जैसा कि तु ने इब्राहीम और आले इब्राहीम पर रहमते कामिला, सलामती, बरकत, रहम, मेहरबानी और बख़्शिश नाज़िल फ़र्माइ हमारे पर्वरदिगार बेशक तू सतूदा सिफ़ात और बुज़ुर्ग है।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمُ
الْاَكْرَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلَا سْتَاذِيْ الْمُوْمِنِيْنَ وَلِجَمِيْعِ مُرْشِدِيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ وَجَمِيْعِ الْمُوْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

१) रबना आतिना फ़िद् दुन्या हसनतंव व फ़िल आख़िरति हसनतंव व क्रिना अज़ावन् नारा। (२६)

२) रबनग् फ़िरली व लि वालिदय्य व लिलमोमिनीन यौम यकूमुल् हिसाब। (२७)

३) रब्बिग् फ़िरली व लि वालिदय्य व लिमन दख़ल बैती मोमिनंव व लिल मोमिनीन वल मोमिनाति बि फ़ज़्लिक व करमिक या अक्रमुल अक्रमीन व बि रहमतिक या अर्हमुर राहिमीन। (२८)

४) अल्लाहुम्मग् फ़िरली व लि वालिदय्य व लि उस्ताज़िल मोमिनीन व लि जमीअ मुरशिदिय्य व लिमन दख़ल बैती व जमीअल मोमिनीन वल मोमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात बि रहमतिक या अर्हमुर राहिमीन। (२९)

उसके बाद **اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ** अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहते हुवे दोनों बाज़ू इस तरह मुंह फेर कर सलाम फेरे कि नज़र मोंढों पर रखे और दहने और बायें रुख़सार की सफ़ेदी पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को दिखाई दे और उस वक़्त खयाल करें कि ऐ सीधे और बायें तरफ़ के फ़रिशतो और मौमिनो तुम पर अल्लाह तआला की सलामती और रहमते कामिला नाज़िल हो। (२,७)

उसके बाद मनाजात के सज़्दे में जाकर यह दुआ पढ़ें

(२६) ऐ हमारे रब दुन्या और आख़िरत में हम को ख़ूबी दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा।

(२७) ऐ हमारे रब हिसाब किताब के दिन मुझ को और मेरे माँ बाप को और मोमिनों की मग़फ़िरत फ़र्मा।

(२८) ऐ मेरे रब मुझ को और मेरे माँ बाप को और जो ईमान लाकर मेरे घर में आयें उसको और तमाम ईमान वाले मरदों और औरतों को माअफ़ फ़र्मा तेरे फ़ज़्लो करम से ऐ सब से ज़ियादा रहम करने वाले।

(२९) या अल्लाह बख़श दे मुझ को मेरे माँ बाप को मेरे मोमिन उस्तादों को और मेरे तमाम मुरशिदों को और जो कोई मोमिन मेरे घर में दाख़िल हो उसको तमाम मोमिन मरदों और औरतों को और तमाम मुसलमान मरदों और औरतों को और जो कोई उनमें ज़िन्दा हैं और जो मर गये हैं सब को बख़श दे तेरी रहमत के तुफ़ेल से ऐ कुल मेहरबानों से ज़ियादा मेहरबान।

إِلَهِي كَفَانِي مِنْ نَعِيمِ الدُّنْيَا بِمُحَبَّتِكَ وَشَوْقِكَ وَعِشْقِكَ وَذِكْرِكَ وَكَفَانِي مِنْ نَعِيمِ
الْآخِرَةِ لِقَائِكَ وَرِضَائِكَ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَاءً سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً مِنْ ذَنْبِ الذِّي أَعْلَمُ وَمِنْ ذَنْبِ الذِّي
لَا أَعْلَمُ عَلَامُ الْغُيُوبِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اللَّهُمَّ سَجَدْتُ لَكَ سُودِي وَآمَنْ بِكَ فُؤَادِي وَأَقْرَبَكَ لِسَانِي هَا أَنَا ذَاكَ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا
وَمَنْ يُغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعَظِيمَ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ إِلَّا الرَّبُّ الْعَظِيمُ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِأَسْتَاذِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَمِيعِ مُرْشِدِي وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي وَجَمِيعِ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
اللَّهُمَّ إِنَّا تَصَدِّيقُ الْمُهْدِيِّ الْمَوْعُودِ صَلِّعَمَ كَمَا هُوَ تَصَدِّيقُهُ

- १) इलाही कफानी मिन नईमिद् दुन्या बि मुहब्बतिक व शौक्रिक व इशक्रिक व ज़िक्रिक व कफानी मिन नईमिल् आखिरति बि लिक्काइक व रज़ाइक बि फ़ज़्लिक व करमिक या अक्रमुल् अक्रमीन् व बि रहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन।^(३०)
- २) अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन् अज़नबतुहु अमदन् अव ख़ताअन् सिरर्न् अव अलानियतन मिन ज़ंबिल्लज़ी आअलमु व मिन ज़ंबिल्लज़ी ला आअलमु अल्लामुल् गुयूबि अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिवं व ख़तीअतिन् व अतूबु इलैहि।^(३१)

(३०) ऐ मेरे अल्लाह काफी है मेरे लिये दुन्या की नेमतों में से तेरी मुहब्बत, तेरा शौक्र, तेरा इश्क़ और तेरा ज़िक्र और काफी है मेरे लिये आखिरत की नेमतों में से तेरा दीदार, तेरी खुशनोदी तेरे फ़ज़्लो करम से ऐ सब से बड़ कर करम करने वाले और तेरी रहमत के तुफ़ेल से ऐ सब से बड़कर रहम करने वाले।

(३१) मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ मेरे रब् से अपने तमाम गुनाहों की जो मैं ने जान बुझकर किया है या ग़लती से किया है पोशीदा किया है या अलानिया किया है उन गुनाहों को जो मैं जानता हूँ और उन गुनाहों को जो मैं नहीं जानता, तू ही ग़ैब की बातों का बड़ा जानने वाला है। मैं अल्लाह तआला से मग़फ़िरत चाहता हूँ जो मेरा पर्वरदिगार है तमाम गुनाह और ख़ताअंभ से और मैं रुजूअ व रहमत करता हूँ उसी पर्वरदिगार की तरफ़। पंज फ़ज़ायल में हज़रत बन्दगी मियाँ शाह दिलावर रज़ी० से मनकूल है कि हज़रत महेदी अले० ने दुगाना तहीयतुल् वुज़ू और दुगाना लैलतुल् क़द्र के सज्दय मुनाजात में यह दुआ पढ़ी है।

- ३) अल्लाहुम्म सजदत् लका सवादी व आमन बिक फुवादी व अकरर बिक लिसानी हा अना ज़ालिक अज़नबु ज़ंबन अज़ीमं व मंय यग़फ़िरुज़् जुनूबल् अज़ीम इल्लर् रब्बुल अज़ीम इल्लर् रब्बुल अज़ीम इल्लर् रब्बुल अज़ीम इल्लर् रब्बुल अज़ीम।^(३२)
- ४) अल्लाहुम्मग़् फ़िरली वलि वालिदय्य वलि उस्तज़ियल मोमिनीन वली जमीइ मुरशिदिय्य व लिमन् दख़ल बैती व जमीअल् मोमिनीन वल् मोमिनाति वल् मुस्लिमीन वल् मुस्लिमाति अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात बि रहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन।^(३३)
- ५) रब्बना आतिना फ़िद् दुन्या हसनतं व फ़िल आख़िरति इसनतं व किना अज़ाबन् नार।^(३४)
- ६) अल्लाहुम्म आतिना तस्दीक़ल् महेदीयल मौऊदि सल्अम कमा हुवा तस्दीक़हु।(१)^(३५)

गुरोहे मुबारक में हज़रत महेदी मौऊद अले० के हुक़म और अमल की इत्तेबाअ में दुगाना तहीयतुल वुजू के बाद सज्दये मुनाजात (प्रार्थनायें) में दुआ करने का तरीक़ा है और यही अमल मुस्तनद (प्रमाणित), मुस्तहसन (उत्तम), मक़बूल (स्वीकृत) और खुदाय तआला और हज़रत नबी करीम सल्ला० के अहक़ाम पर मब्नी (आधारित) है। हज़रत मौलान सय्यद अशरफ़ साहब शमसी रहे० ने रिसाल-ए-दुआ में इस के मुतअल्लिक़ जो दलायल तहरीर फ़मीए हैं उसका खुलासा दर्जे ज़ेल है।

“अल्लाह तआला फ़र्माता है اُدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً यानि तुम अपने पर्वरदिगार को आजिज़ी से और छुपा कर पुकारो। तफ़सीरे बैज़ावी में लिखा है कि छुपा कर दुआ करना इख़लास की दलील है। इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी ने तफ़सीरे कबीर में फ़र्माया है कि दुआ में पक्की बात यही है कि वह छुपा कर की जाये और कई वजहें इसी बात को बताती हैं उनमें से पहली वजह यह है कि अल्लाह तआला ने उस दुआ का हुक़म फ़र्माया है जो छुपाने से क़रीब हो यानि छुपा कर दुआ करने का हुक़म फ़र्माया है और अम्र (आदेश) के सेग़ों से ज़ाहिरन् यही बात मालूम होती है कि उन से वुजूब मक़सूद होता है, अगर वुजूब न हो तो कम से कम मन्दूब तो ज़रूर होगा। फिर अल्लाह तआला यह भी फ़र्माता है कि वह हद से गुज़रने वालों को नहीं चाहता। इस से यह बात मालूम होती है कि वह उन लोगों को नहीं चाहता जो दोनों हुक़म (आजिज़ी और

(३२) ऐ अल्लाह तुझको सज्दा किया मेरे जिस्म ने और तुझ पर ईमान लाया मेरा दिल और तेरा इकरार किया मेरी ज़बान ने अफ़सोस मैं ने बहुत बड़ा गुनाह किया और बहुत बड़े गुनाहों को कौन बख़शेगा सिवाय मेरे बहुत बुज़र्ग पर्वरदिगार के, सिवाय मेरे बहुत बुज़र्ग पर्वरदिगार के, सिवाय मेरे बहुत बुज़र्ग पर्वरदिगार के।

(३३) और (३४) का अनुवाद पिछले पन्नों पर मौजूद है।

(३५) या अल्लाह हम को महेदी मौऊद सल्ला० की तस्दीक़ अता फ़र्मा जैसा कि आप अले० की तस्दीक़ का हक़ है।

छुपाने) के साथ दुआ नहीं करते। अल्लाह तआला की मुहब्बत से सवाब मुराद है तो इस आयत के यह माने हो जायेंगे कि जो लोग आजिज़ी से और छुपा कर दुआ नहीं मांगते हैं अल्लाह तआला उन को सवाब नहीं देगा और उन पर एहसान नहीं करेगा और जो शख्स इस सिफ़त से मैसूफ़ होगा वह क़ाबिले अज़ाब होगा क्योंकि उसने अल्लाह तआला के इस हुक्म की पर्वाह नहीं की। ग़र्ज़ अल्लाह तआला का फ़र्मान कि “वह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता” उन लोगों के वास्ते बड़ी सख़्त धमकी है जो दुआ को छुपा कर और आजिज़ी के साथ नहीं करते। हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि बन्दा सज्दे की हालत में अल्लाह तआला से ज़ियादा क़रीब हो जाता है पस तुम सज्दे में दुआ किया करो।

सूरह फ़ातिहा नमाज़ की हर रकात में पढ़ा जाता है और उसमें खुद ख़ुदा तआला ने दुआ की ताअलीम फ़र्माई है और हज़रत रसूले ख़ुदा सल्ला० ने फ़र्माया कि “अफ़ज़ल (बेहतरीन) दुआ अल्हम्दु लिल्लाह है”। हर नमाज़ में दुरूद के बाद भी दुआ पढ़ी जाती है (जिसको दुआय मासूरा कहते हैं)। इन सब अहकाम वगैरा से सज्दे में दुआ करना वाजिब है।

पस ऐसी सूरत में फ़र्ज़ नमाज़ के बाद हाथ उठाकर ऊंची आवाज़ से दुआ करना किसी दलील से साबित नहीं होता बल्कि वह ख़िलाफ़े सुन्नत है और गिरोहे महेदवियह का अमल दलील और तक़वा और अफ़ज़लियत पर मब्नी है।”

नमाज़े फ़ज़्र की सुन्नत की निय्यत:

نَوَيْتُ أَنْ أَصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيْنِ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसल्लिय लिल्लाहि तआला रकअतैनि सलतिल् (फ़ज़्र) सुन्नत रसूलिल्लाहि तआला
मुतवज्जहन् इला जिहतिल् काअबतिश् शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर

★ फ़ज़्र की सुन्नत की पहली रकात में सूरह काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरह इख़्लास पढ़ना सुन्नत है। (४,९)

★ इज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जो मुसलमान फ़रायज़ के अलावा बारह रकातें पढ़ लिया करे उसके लिये अल्लाह तआला जन्नत में घर बनायेगा। (१३)

★ तिरमिज़ी और नसाई में इन बारह रकातों की तफ़सील इस तरह है कि जुहर में फ़र्ज़ से पहले चार और बाद में दो, मग़रिब के बाद दो, इशा के बाद दो और फ़ज़्र से पहले दो।

★ वाज़ेह हो कि जुहर की दो रकात सुन्नत की निय्यत में लफ़ज़ (फ़ज़्र) के बजाय (अज़् जुहर) कहना और मगरिन की सुन्नत की निय्यत में (अल - मगरिब) कहना और इशा की सुन्नत की निय्यत में (अल-इशा) कहना चाहिये और चार रकात वाली सुन्नतों की निय्यत में रक़ातैनि *رُكُوعَاتِ* के बजाय *رُكُوعَاتِ* कहना चाहिये, बाकी तमाम अलफ़ाज़ वही हैं रक़ातैनि *رُكُوعَاتِ* की जगह रक़ाती *رُكُوعَاتِ* भी कहना दुरुस्त है।

★ चार रकात वाली सुन्नत में चारों रकातों में ज़म्मे सूरह करना चाहिये और चार कुल पढ़ने का तरीका है।

★ जिन नमाज़ों में फ़र्ज़ से पहले सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उनको पढ़ कर ख़िलाफ़े नमाज़ किसी काम में मशगूल होजाना (खाना, पीना, बिला ज़रूरत कोई दुन्यावी काम) करने से बाज़ फ़ुक़हा के पास सुन्नत बातिल होजाती है और बाज़ के पास सवाब चला जाता है।(६)

नमाज़े फ़ज़्र की फ़र्ज़ की निय्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رُكُوعَاتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَضَ هَذَا الْوَقْتُ إِقْتِدَائِي بِهَذَا
الإمام متوجهًا إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر

नवैतु अन् उसल्लिय लिल्लाहि तआला रक़ातैनि सलातिल् फ़ज़्रि फ़रज़ल्लाहि तआला फ़र्ज़ हाज़ल् वक़्रि इक़तदैतु बि हाज़ल इमामि मुतवज्जहन् इला जिहतिल काअबतिश् शरीफ़ति - अल्लाहु अक़बर।(३६)

★ हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ी० ने रिवायत की है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि फ़ज़्र की दो रकातें दुन्या से और जो कुछ उस में है उस से बेहतर हैं और मुझे सारी दुन्या से वह ज़ियादा प्यारी है।(१३)

★ जुहर, असर और इशा की फ़र्ज़ नमाज़ों की निय्यत में अल फ़ज़्र के बजाय वक़्रिया नमाज़ का नाम लें और रक़ातैनि *رُكُوعَاتِ* के बजाय *رُكُوعَاتِ* कहना और बाकी तमाम अलफ़ाज़ वही हैं। नमाज़े मगरिब की निय्यत में सलस रक़ातैनि कहना।

नमाज़े वितर की निय्यत में सलस तक़ातैनि सलातिल वित्र कहना चाहिये।

(११) मैं निय्यत करता हूँ कि नमाज़ महुँ अल्लाह के वास्ते दो रकात नमाज़े फ़ज़्र जो अल्लाह तआला के हुक्म से इस वक़्त फ़र्ज़ हैं और इक़तेदा करता हूँ इस इमाम की काअबेशरीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह होकर - अल्लाह तआला बुहत बुज़र्ग़ है।

अगर अकेला नमाज़ पढ़े तो निय्यत में इक़तदैतु बि हाज़ल इमाम के बजाय इक़तदैतु बिल कुरआन कहे।

★ खुद इमाम होकर नमाज़ पढ़ायें तो **اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الْاِمَامِ** इक़तदैतु बि हाज़ल् इमाम के बजाय **اَنَا اِمَامٌ عَلٰى الْجَمَاعَةِ لِمَنْ حَضَرَ وَلِمَنْ يَحْضُرُ** अना इमामु अलल् जमाअति लिमन् हज़र व लिमन यहज़ुरु कहना चाहिये।

★ नमाज़े वित्र इमाम आज़म रहे० के पास वाजिब है और इमाम अबू यूसुफ़ रहे० और इमाम शाफ़ई रहे० के पास सुन्नत है। (२)

★ वित्र की निय्यत में सलातुल वित्र कहना, वाजिब या सुन्नत कहना लाज़िम नहीं चूंकि इसमें इख़तेलाफ़ है (६,७)

★ रमज़ान शरीफ़ मे तरावीह और दुगाना शबे क़द्र के साथ नमाज़े वित्र बाजमाअत अदा की जाती है। सिवाय रमज़ान के वित्र जमाअत से पढ़ना मक़रूह है। (४)

★ वित्र की पहली रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह क़द्र और दूसरी रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह काफ़िरून पढ़ कर कायदा ऊला में अत्तहीयात पढ़कर तीसरी रकात के लिये खड़े होकर सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इख़लास पढ़कर अल्लाहु अकबर कह कर दोनों हाथ कानों तक उठाकर फिर नाफ़ पर बांध कर दुआए कुनूत पढ़कर रुकू और सुजूद के साथ नमाज़ ख़तम करें।

★ अगर सहवन् इन सूरतों के अलावा कोई दूसरी सूरतें पढ़ी जायें तो नमाज़ अदा हो जायगी, लेकिन अमदन् दूसरी सूरतें पढ़ना ख़िलाफ़े तक्लीद है। (१)

दुआए कुनूत :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْكَ وَنُثِيْبُ عَلَیْكَ الْخَيْرُ وَنَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَالِيْكَ نَسْعَلِي
وَ نَحْفَدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفّٰرِ مُلْحِقٌ

अल्लाहुम्म इन्ना नस्तईनुक व नस्तग़फ़िरुक व नूमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुसनी अलैकल ख़ैरि व नशकुरुक वला नकफुरुक व नख़्लउ व नत्रुकु मैय यफ़जुरुक अल्लाहुम्म इय्याक नअबुदु व लक नुसल्ली व नस्जुदु व इलैक नस्आ व नहफ़िदु व नर्जू रहमतक व नख़शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिल कुफ़ारि मुल्हिक।

अनुवाद : या अल्लाह बेशक हम तुझ से तेरी इताअत और इबादत के लिये तेरी मदद चाहते हैं और तुझ से अपने गुनाहों की बख़्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं हम तेरी बेहतरीन सना

करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और कुफ़राने नेमत नहीं करते और हाँक देते हैं और छोड़ देते हैं हम उस को जो तेरा गुनाह करे या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे लिये नमाज़ पढ़ते हैं और सज्दा करते हैं और तेरी तरफ़ दौड़ते हैं और तेरे रास्ते पर चलते हैं और तेरी रहमत के उमीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं क्योंकि तेरा अज़ाब काफ़िरों को जलाने वाला है।

अहकामे नमाज़ बा जमाअत :

अल्लाह तआला फ़र्माता है कि रुकू करो तुम रुकू करने वालों के साथ (२:४३)

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि मर्द की एक नमाज़ जमाअत के साथ ज़ियादा है सवाब में तन्हा पढ़ने से एक सौ बीस नमाज़ों से।

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि नमाज़ जमाअत से पढ़ना बेहतर है दुन्या से और जो कुछ दुन्या में है उस से।

★ अगर मुहल्ले की मस्जिद में जमाअत न होती हो तो उस सूरत में मुहल्ले वाले को मुहल्ले की मस्जिद के सिवा दूसरी मस्जिद में जाना दुरुस्त नहीं है इस लिये कि उस पर इसी मस्जिद का हक़ है इस लिये उस मस्जिद में अज़ाँ कहे और तन्हा नमाज़ पढ़े। उस मस्जिद में पढ़ी गई यह तन्हा नमाज़ उसके हक़ में दूसरी मस्जिदों की जमाअत से बेहतर है। (५)

★ अगर मुहल्ले में दो मस्जिदें हों तो नमाज़ी के मकान से करीब तर जो मस्जिद हो वह ज़ियादा हक़दार है। (५)

★ अगर दोनों मस्जिदों का फ़ासला बराबर हो तो जो मस्जिद क़दीम हो उस में नमाज़ पढ़े।(५)

★ जिस मस्जिद में एक बार अज़ाँ, इक्रामत और जमाअत के साथ नमाज़ हो चुकी हो और वह मस्जिद मुहल्ले की ऐसी हो जिस में इमाम, मुअज़्ज़िन और नमाज़ी मुअयैन (नियुक्त) हों तो ऐसी सूरत में जमाअते सानी मेहराब से हट कर दूसरी आज़ाँ के बग़ैर बिल इत्तेफ़ाक़ और बिल इजमाअ जायज़ है। दूसरी अज़ाँ के साथ उसी मस्जिद में जमाअते सानी मक्रूहे तहरीमी है। अगर मस्जिद ऐसी हो जिस में न इमाम मुकर्रर हो न मुअज़्ज़िन और न नमाज़ी तो उस में दूसरी अज़ाँ के साथ भी जमाअते सानी बिला कराहत दुरुस्त है। (६)

★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जितना वक़्त नमाज़ के इन्तेज़ार में गुज़रता है वह सब नमाज़ में शुमार होता है। (१७)

★ हज़रत उस्माने ग़नी रज़ी० रिवायत करते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जो शख़्स इशा की नमाज़ जमाअत से पढ़े उसको आधी रात की इबादत का सवाब मिलेगा,

और जो इशा और फ़ज़्र की नमाज़ जमाअत से पढ़े उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। (१९)

★ गुलाम, गंवार, फ़ासिक, अन्धा, बिदअती और वलदुज़् ज़िना के पीछे यानि उनकी इक़तिदा से नमाज़ पढ़ना मक़ूह है। (२)

★ सहीहैन (बुख़ारी और मुस्लिम शरीफ़) में मर्वी है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि तुम में से जब कोई इमामत करे तो चाहिये कि नमाज़ में तख़फ़ीफ़ करे (हलकी नमाज़ पढ़ाये यानि छोटी सूरतें पढ़े) क्योंकि जमाअत में ज़ईफ़, बीमार, बूढ़े और साहबे हाजत सब तरह के लोगा रहते हैं और अगर अकेला नमाज़ पढ़े तो इख़तियार है जितना चाहे लम्बी नमाज़ पढ़े। (२)

★ हज़रत अनस रज़ी० से रिवायत है कि कहा उन्होंने ने कि मैं ने ऑहज़रत सल्ला० की नमाज़ से ज़ियादा ख़फ़ीफ़ और पूरी नमाज़ किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ी। (१३)

★ हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने अख़ीर बात जो मुझ से बयान की वह यह थी कि जब तु लोगों की इमामत करे नमाज़ को इलकी कर।

★ इमाम को नमाज़ में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ना या रुकू और सुजूद बग़ैरह में ज़ियादा देर तक रहना मक़ूहे तहरीमी है। इमाम को चाहिये कि मुक़तदियों की ज़रूरत और उनकी कमज़ोरी वुढ़ापा वग़ैरह का ख़याल रखे और उनकी रिआयत से क़िरअत करे बल्कि ज़रूरत के वक़्त मिक्कदारे मसनून से भी कम क़िरअत करना बेहतर है।

★ अगर मुक़तदी एक हो तो वह इमाम के दाहने तरफ़ खड़ा रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी० से रिवायत है कि उन्होंने ने कहा कि एक रात नबी करीम सल्ला० नमाज़ पढ़ने खड़े हुवे तो मैं आप सल्ला० के बायें तरफ़ खड़ा हुवा तो आप ने मेरा सर पकड़ करे मुझको दाहने तरफ़ कर लिया। इब्ने अबी शैबा और बुख़ारी, मुस्लिम वग़ैरहुम ने इसकी रिवायत की है। (२)

★ एक मुक़तदी हो तो इमाम की दाहनी (सीधे) जानिब इस तरह खड़ा हो कि उस के पाँव की उंगलियाँ इमाम की एड़ी के बराबर हों। एक मुक़तदी को इमाम के बायें तरफ़ खड़ा होना मक़ूहे तन्ज़ीही है। (५)

★ अगर इमाम के पीछे या बायें तरफ़ खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो जायज़ है लेकिन गुनाहगार होगा सुन्नत की मुखालफ़त की वजह से। अगर दो आदमी हों तो इमाम उनसे आगे बढ़ कर

नमाज़ पढ़ाये और इमाम अबी यूसुफ़ रहे० के पास दो आदमियों के बीच में खड़ा हौ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी० ने नमाज़ में असवद और अलकुमा को दाहने और बायें जानिब खड़ा किया और खुद आप बीच में खड़े हुवे और जब नमाज़ पढ़ चुके तो कहा ऐसा ही किया हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने, मुस्लिम ने इसकी रिवायत की। (२)

★ सफ़ में ख़ूब मिलकर खड़े होना चाहिये इस तरह कि दरमियान् में जगह बाक़ी न रहे और जो शख़्स सफ़ की ख़ाली जगह में खड़ा होजाये या किसी और को उसमें खड़ा करे तो हदीसे शरीफ़ में है कि उसकी मग़फ़िरत होगी। इसको बज़ाज़ ने असनादे हसन से रिवायत किया और इस बाब में बुहत सी हदीसें फ़तुल क़दीर में मज़कूर हैं।

★ हज़रत अनस रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने एक दिन नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ के बाद हमारी तरफ़ मुतवज्जह हो कर फ़र्माया ऐ लोगो। मैं तुम्हारा इमाम हूँ तुम मुझ से पहले रुकू न करो न सज्दा, न उठना, न फ़ारिग़ होना क्योंकि मैं तुम को देखता हूँ अपने आगे से और पीछे से फिर फ़र्माया क़सम उसकी जिसके हाथ में मुहम्मद सल्ला० की जान है अगर तुम वह देखते जो मैं ने देखा तो हंसते बुहत कम और रोते ज़ियादा, लोगोँ ने अर्ज़ किया आप ने क्या देखा, रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया मैं ने जन्नत और दोज़ख़ को देखा है।

★ हज़रत अबू हुरेरह रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया जो शख़्स इमाम से पहले सर उठाता है उसको डर नहीं कि खुदा उसकी सूरत पलट कर गधे की सूरत करदे। (१३,७)

★ इमाम से पहले मुक़तदी को रुकू या सज्दे में चला जाना या रुकू और सज्दे से इमाम से पहले सर उठाना मक्रूहे तहरीमी है। (६)

★ हज़रत नोमान बिन बशरि रज़ी० से रिवायत है कि मैं ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० से सुना आप फ़र्माते थे सफ़ें अपनी बराबर करो नहीं तो अल्लाह तुम में फूट डाल देगा और चहरे में तग़ैयुर करदेगा। (१३,१७)

★ नमाज़ में पहली सफ़ मर्द की हो उनके पीछे लड़के और उनके पीछे औरतें। (२)

★ पहली सफ़ में जगह होते हुवे दूसरी सफ़ में खड़ा होना मक्रूह है। नमाज़ की सफ़ों में नुजूले रहमत के लेहाज़ से पहली सफ़ बेहतर है फिर दूसरी फिर तीसरी वग़ैरह लेकिन जनाज़े की नमाज़ में उसका उलटा है। (१)

★ अगर इमाम की नमाज़ फ़ासिद हो तो मुक़तदी भी नमाज़ फिर पढ़ें क्योंकि हिदाया में है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया जो शख्स इमामत करे फिर ज़ाहिर हो कि वह बे बुजू था या जनब था तो वह अपनी नमाज़ का एआदा करे और वह लोग भी एआदा करें। (२)

★ मुक़तदी की नमाज़ इमाम की इक़तिदा की निय्यत के बग़ैर सहीह नहीं होती और इमाम निय्यत के बग़ैर सहीह है लेकिन अगर औरतें किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ती हों तो जब तक कि इमाम औरतों की इमामत की निय्यत न करे उनकी नमाज़ दुरुस्त नहीं होती। (२)

★ तकबीर में *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ* हय्य अलस् सलात कहते वक़्त इमाम और मुक़तदी उठ कर निय्यत करना सुन्नत है। (४)

★ जमाअत की नमाज़ में मुक़तदी को चाहिये कि इमाम की तकबीरे तहरीमा यानि **अल्लाहु अकबर** की र से अपनी तकबीरे तहरीमा के अलिफ़ को मिला दें अगर ऐसा मौक़ा न मिले तो जितना हो सके इमाम निय्यत बांधने के बाद मुक़तदी उजलत के साथ (जलदी) शरीक हो जाये वरना उस वक़्त सुस्ती या किसी और काम में मसरुफ़ रह कर देर से नमाज़ मं शरीक होने से तकबीरे तहरीमा में शरीक होने का सवाब नहीं मिलता।

★ फ़ज़्र और जुहर की फ़र्ज़ नमाज़ बा जमाअत अदा होतो वक़्त कोइ नमाज़ी आजाये तो फ़ौरन् सुन्नत अदा किये बग़ैर जमाअत में शरीक होजाना चाहिये इस लिये कि जमाअत की तकबीर के बाद सुन्नत साक़ित हो जाती है चुनांचे अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि जिस वक़्त नमाज़ की जमाअत खड़ी हो जाये उस वक़्त सिवाय फ़र्ज़ नमाज़ के और कोई नमाज़ नहीं है। (११)

★ **मतन शरीफ़** के बीसवें बाब में नक़ल है जिसका खुलासा यह है कि मियाँ अबू मुहम्मद महाजिर रज़ी० सुब्ह की नमाज़ में तकबीर के बाद आकर सुन्नत अदा कर के जमाअत में शरीक होगये। हज़रत मीराँ सय्यद महमूद रज़ी० सानीय महेदी को मालूम होने पर फ़र्ज़ नमाज़ अदा फ़र्माने के बाद उन से फ़र्माये कि क्यों ऐसा किये हज़रत मीराँ अले० को देखे हो कि कभी ऐसा किये हैं बाद तकबीर सुन्नत साक़ित हो जाती है। मियाँ अबू मुहम्मद रज़ी० ने अर्ज़ किया कि भूल होगइ इनशाअल्लाह तआला इसके बाद ऐसा नहीं करूंगा।

★ अगर फ़ज़्र की सुन्नत छूट जाये तो फ़ज़्र की फ़र्ज़ नमाज़ के बाद नहीं पढ़ना चाहिये क्योंकि नमाज़े फ़ज़्र के बाद से आफ़ताब तुलू होने तक कोइ सुन्नत दुरुस्त नहीं है। (६)

- ★ अपने वक़्त में फ़ज़्र की फ़र्ज़ नमाज़ अदा होजाये लेकिन सुन्नत फ़ोत हो जाये तो साक़ित (ख़त्म) हो जाती है और अगर फ़र्ज़ के साथ फ़ोत हो जाये तो सूरज के ज़वाल से पहले फ़र्ज़ के साथ सुन्नत भी क़ज़ा पढ़ना चाहिये। (६)
- ★ जमाअत की नमाज़ में मुक़तदी को सूरह फ़ातिहा पढ़ने या न पढ़ने के मसअले में इमामों के मसाइल में इख़तिलाफ़ है लेकिन हज़रत महेदी मौऊद अले० के इर्शाद से गिरोहे मुबारक में मुक़तदी भी सूरह फ़ातिहा इस तरह पढ़ते हैं कि जहरी नमाज़ (जिसमें ऊंची आवाज़ से क़िरात पढ़ी जाती है) में तकबीरे तहरीमा के बाद मुक़तदी सना, तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़कर इमाम सूरह फ़ातिहा पढ़ने तक मुक़तदी दिल से ज़िक़रे इलाही में मशगूल रहते हैं और इमाम वलज़् ज़ॉल्लीन कहने पर मुक़तदी आहिस्ता आमीन कहकर इमाम के ज़म्मे सूरह शुरु करने से पहले खुद सूरह फ़ातिहा आहिस्ता पढ़ लेते हैं। ज़म्मे सूरह ख़ामूशी से सुन्ने के बाद इमाम के साथ रूकू में चले जाते हैं। नमाज़े सिर्रिया (जिसमें आहिस्ता क़िरात की जाती है) में मुक़तदी तकबीरे तहरीमा के बाद ही तअव्वुज़, तस्मिया और सूरह फ़ातिहा पढ़ लेते हैं।
- ★ हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत रसूले करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि 'उस शख़्स की नमाज़ नहीं होती जो सूरह फ़ातिहा न पढ़े'।(१७)
- ★ मुसल्ली इमाम को जिस हालत में पाये नमाज़ में शरीक हो जाये। (४)
- ★ रूकू में शरीक होने वाला मुक़तदी उस रकात को पाने वाला होगा और इमाम रूकू से सर उठाने के बाद शरीक होने वाला मुक़तदी उस रकात को पाने वाला न होगा।(६)
- ★ मसबूक (नमाज़ में देर से शरीक होने वाला) इमाम को रूकू या सज्दे में पाये तो ग़ौर करे अगर यह सना पढ़ कर उसमें शरीक हो सकता हो तो सना पढ़कर शरीक हो जाये वरना सना को छोड़ कर रूकू या सज्दे में शरीक हो जाये। (६)
- ★ मसबूक रूकू में शरीक हो तो क़ियाम की हालत में तकबीरे तहरीमा ख़त्म करे। अगर क़ियाम की हालत में अल्लाह और रूकू में अकबर कहे तो दुरूस्त न होगा।
- ★ मसबूक इमाम को काअदे में पाये तो सना पढ़े बग़ैर शरीक होजाये और जब बाक़ी नमाज़ खुद पढ़े उस वक़्त सना पढ़े। (६)
- ★ इमाम बा जहर क़िरात पढ़ते वक़्त मुक़तदी शरीक हो तो सना न पढ़े और इमाम को सज्दे में पाये तो सना पढ़कर उसके बाद तकबीर कह कर सज्दे में जाये। (२५)

★ अगर इमाम मुक़तदी से पहले रुकू और सज्दे की तस्बीहात पढ़ कर सर उठाए और क़ाअदए ऊला में अत्तहीयात पढ़ कर खड़ा होजाये या क़ाअदए आख़िर में दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर दे तो मुक़तदी को चाहिये कि उनको छोड़ दे और इमाम की इत्तेबाअ करे और इमाम के साथ रुकू और सज्दे में चला जाये और इसी तरह दुआए कुनूत को भी छोड़ दे। (६)

★ मसबूक को अपनी बाक़ी नमाज़ अदा करने के लिये उस वक़्त उठना चाहिये जब कि इमाम दोनों तरफ़ सलाम फेर दे और यह मालूम हो कि अब इमाम के ज़िम्मे कोइ सज्दा बाक़ी नहीं है। (६)

★ मसबूक अगर दूसरी रकात के क़ियाम में शरीक हो तो तीन रकातें इमाम की इत्तेबाअ के साथ अदा करके इमाम बायें जानिब का सलाम फेरने के बाद मुक़तदी आहिस्ता अल्लाहु अकबर कहते हुवे खड़ा होकर बाक़ी पहली एक रकात को सूरह फ़ातिहा के बाद ज़म्मे सूरह के साथ ख़त्म करके क़ाअदए आख़िर में बैठ कर अत्तहीयात दुरूद शरीफ़ वग़ैरह पढ़ कर सलाम फेर कर नमाज़ पूरी करे।

★ अगर क़ाअदए ऊला में शरीक हो तो सिर्फ़ अत्तहीयात पढ़कर इमाम के साथ दो रकात अदा करके क़ाअदए आख़िर में सिर्फ़ अत्तहीयात पढ़ कर ज़िक्र मे मसरूफ़ रहे और इमाम बायें जानिब का सलाम फेरने के बाद खड़े होकर बाक़ी दो रकात सूरह फ़ातिहा के बाद ज़म्मे सूरह करके हसबे दस्तूर नमाज़ पूरी करे। अगर तीसरी रकात में शरीक हो तो इसी तरह इमाम के साथ दो रकात अदा करके बाद में खुद दो रकात अदा करे।

★ अगर चौथी रकात में शरीक हो तो इमाम के साथ एक रकात अदा करके इमाम सलाम फेरने के बाद खुद खड़ा हो कर एक रकात पढ़ कर उस में ज़म्मे सूरह कर के क़ाअदए ऊला में बैठे इस लिये कि चार रकात वाली नमाज़ में दो रकात की अदाइ के बाद क़ाअदए ऊला में बैठना वाजिब है उसके बाद खड़े हो कर तीसरी रकात में भी ज़म्मे सूरह करे और चौथी रकात में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़कर नमाज़ ख़त्म करे।

★ अगर नमाज़े मग़रिब के क़ाअदए ऊला में शरीक हो तो अत्तहीयात पढ़कर बाक़ी एक रकात इमाम के साथ अदा करके क़ाअदए आख़िर में भी अत्तहीयात पढ़ ले, अगर इमाम पर सज्दए सहव हो तो यह मुक़तदी भी सज्दए सहव अदा करके फिर अत्तहीयात पढ़े और सलाम के वक़्त उठ कर खुद एक रकात ज़म्मे सूरह के साथ अदा करके अपने क़ाअदए ऊला में बैठ कर अत्तहीयात पढ़ कर उसके बाद हस्बे दस्तूर तीसरी रकात ज़म्मे सूरह के साथ अदा करके क़ाअदए आख़िर में बैठकर अत्तहीयात पढ़े, अगर उस मुक़तदी को अपनी पढ़ी हुवी दो रकात में भी

सज्दए सहव वाजिब हुवा हो तो सीधे जानिब का सलाम फेर कर सज्दए सहव के बाद फिर अत्तहीयात और दुरुद शरीफ़ वगैरह पढ़ कर नमाज़ ख़त्म करे। ऐसी सूरत में उस मुक्तदी को मगरिब की नमाज़ में छे बार अत्तहीयात पढ़ना लाज़िम आता है। (१)

★ कोई नमाज़ी फ़र्ज़ की दूसरी रकात या काअदए ऊला या तीसरी या चौथी रकात में शरीक हो तो इमाम सलाम फेरने के बाद खुद बाकी नमाज़ को अदा करते वक़्त उस में ज़म्मे सूरह करना वाजिब हो जाता है। ऐसी सूरत में ज़म्मे सूरह न करके सज्द सहव भी न किया जाये तो वाजिब को तर्क करने की वजह से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। (१)

★ काअदए आख़िर में शरीक हो तो इमाम सलाम फेरने के बाद उठ कर पूरी नमाज़ अदा करना चाहिये।

★ अगर कोई शख़्स तन्हा फ़ज़्र या मगरिब की एक रकात पढ़ने के बाद जमाअत की तकबीर सुने तो अपनी वमाज़ तोड़ कर इमाम के साथ शरीक होजाये। अगर फ़ज़्र की एक रकात से ज़ियादा पढ़ चुका हो तो उसकी नमाज़ तमाम हो चुकी और मगरिब की नमाज़ में भी एक रकात से ज़ियादा पढ़ चुका हो तो अकसर हो चुकी और अकसर (अधिकतर) का हुक्म कुल (संपूर्ण) का है। (२, ६)

★ कंज़ और बिदाया में लिखा है कि कोई शख़्स फ़र्ज़ नमाज़ तन्हा पढ़ता हो और वह तकबीर सुने तो चाहिये कि नमाज़ तोड़ कर जमाअत के साथ नमाज़ अदा करे और अगर आख़री रकात में तकबीर सुने तो नमाज़ पूरी करदे वह नफ़िल होजायेगी और फिर फ़र्ज़ में इमाम के साथ शरीक होकर अदा करे।

★ किसी शख़्स को इमाम के साथ एक रकात मिली हो तो वह शख़्स बिल इत्तेफ़ाक़ जमाअत से नमाज़ पढ़ने वाला नहीं होगा अलबत्ता जमाअत का सवाब पायेगा चाहे दो रकात वाली फ़र्ज़ हो या तीन या चार रकात वाली। (९)

★ किसी शख़्स ने तीन रकात जमाअत से पढ़ी और एक रकात फ़ौत हो तो वह शख़्स बिल इत्तेफ़ाक़ जमाअत से नमाज़ पढ़ने वाला होगा। (६)

★ मस्जिद में अजाँ होने के बाद नमाज़ से पहले मस्जिद से निकलना मक़्रूह है। (२)

★ जमाअत में इमामत के लिये बेहतर वह शख़्स है जो अहकामे नमाज़ को ख़ूब जानता हो, क़ारी हो, परहेज़गार हो और उम्र में ज़ियादा हो। (२)

- ★ काफ़ी और हिदाया में लिखा है कि इमाम का मस्जिद के मेहराब में खड़ा होना मक़ूह है, लेकिन अगर इमाम के पैर मेहराब के बाहर हों और सज्दा मेहराब में किया जाये तो जायज़ है। (२)
- ★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने बा जमाअत नमाज़ अदा करने की सख़्त ताकीद फ़मीई है और बुहत से अहादीस उसके मुतअल्लिक़ रिवायत किये गये हैं।
- ★ हज़रत महेदी मौऊद अले० ने फ़र्ज़ के मानिंद उसकी पाबन्दी और हिफ़ाज़त का हुक्म फ़र्माते हुवे किसी सहाबी को कहीं तन्हा जाने की इजाज़त नहीं दी इस लिये कि कहीं जमाअत फ़ौत न हो। इमाम अहमद रहे० के पास नमाज़ बा जमाअत फ़र्ज़ है और तन्हा भी जायज़ है। इमाम शाफ़ई रहे० के पास फ़र्ज़े किफ़ायत और इमाम अबू हनीफ़ा रहे० और इमाम मालिक रहे० के पास सुन्नते मुअक्कदा वाजिब के क़रीब है। (४)
- ★ हदीसे शरीफ़ में है कि जो कोई नमाज़े फ़ज़्र जमाअत से अदा करके जिक्के इलाही में तुलूअ आफ़ताब (सूर्योदय) तक बैठा रहे और दो रकात पढ़े तो उसको पूरे हज और उम्रा का सवाब मिलेगा और उसके तमाम गुनाह बख़श दिये जयेंगे अगरचे दर्या के कफ़ (झाग) के बराबर हों।
- ★ नमाज़ बा जमाअत की अदाइ में दीन और दुन्या के हज़ारहा फ़ायदे हैं।
- ★ बड़ी जमाअत के रूकूअ, सुजूद, क्रियाम, क़ाअदा में खुदाए क़ादिर की अज़मत ज़हिर होती है। नमाज़ बड़ी मुक़द्दस और बा अज़मत बन्दगी है। बड़े पुर जलाल अहले दब्दबा शहिंशाहीं को भी रात दिन में ६४ मर्तबा निहायत इज़्जो इंकैसारी (नम्रता) के साथ सज्दे में ज़मीन पर सर टेकना पड़ता है।
- ★ रोज़ा, हज, ज़कात की तरह नमाज़ की अदाइ के लिये कोइ शर्त नहीं है और दुन्या में कोइ एक भी ऐसा उज़र नहीं है कि जिसकी वज्ह से किसी मुसलमान आक़िल (बुद्धिमान) और बालिग़ को तमाम उम्र में एक वक़्त की नमाज़ माफ़ या उसको क़ज़ा करने की इजाज़त हो। ग़ायतुल औतार वग़ैरह में लिका है कि “अगर बच्चे का बदन आधे से कम खारिज हो चुका हो तो वह औरत ज़च्चा नहीं है, उस हालत में भी औरत को नमाज़ में देर करने की इजाज़त नहीं है। उस वक़्त वुज़ू नही कर सकती हो तो तयम्मूम करके बैठ कर इशारे से नमाज़ पढ़ने की ताकीद है।
- ★ लेकिन ऐसे सख़्त ताकीदी हुक्म के साथ ज़रूरत और हद से ज़्यादा सहूलत और आसानी भी खुदाए तआला ने अपने फ़ज़्लो करम से दे रखी है, मसलन् किसी मरीज़ को वुज़ू करने से मर्ज़ बढ़ जाने या हलाकत का अन्देशा हो तो उसको तयम्मूम जैसी आसान चीज़ से

नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। यही नहीं बल्कि उस हालत में जनाबत और नापाकी हो तो एक तयम्मूम गुस्ल और वुजू दोनों के बदले में काफ़ी है। खड़े होकर नमाज़ अदा न की जासकती हो तो बैठकर अगर वह भी न हो सकता हो तो लेटे हुवे इशारे से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। इस से ज़ियादा आसानी और सहूलत क्या हो सकती है। इस लिहाज़ से नमाज़ अदा करने की सख्त ताकीद के साथ आसानी भी है। ऐसे अहकाम के नज़र करते जो हज़रात पूरी सिहत के साथ अच्छी हालत में ताज़ा तवाना ज़िन्दगी बसर करते हुवे नमाज़ न पढ़ते हों वह बड़े ही बद बख्त (अभागा) और कम नसीब और कासिर हैं, मरने के बाद उनको बड़ी नदामत और मुसीबत होगी।

अल्लाह तआला फ़र्माता है “सातों आसमान और ज़मीन और जो कोई उनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और कोई चीज़ नहीं जो उसकी ताअरीफ़ के साथ तसबीह न करती हो लेकिन तुम उनकी तसबीह को समझते नहीं”। (१७:४४)

अल्लाह तआला फ़र्माता है: और तारे और पेड़ सजदा करते हैं (५५:६)

खुदाए तआला के इर्शाद से ज़ाहिर और साबित है कि कायनात में जितनी खुदा की मख़लूक है वह तमाम खुदाए तआला के ज़िक्र और तसबीह में मशगुल और मसजूद है लेकिन हम उनको नहीं समझ सकते।

नमाज़ी भी नमाज़ के हर फ़ेल में खुदाए तआला की तमाम मख़लूक के साथ तसबीह में शरीक होजाता है यानि नमाज़ में मुसल्ली जिस वक़्त खड़ा होता है उस वक़्त तमाम रुये ज़मीन के पेड़ और उनके मानिंद मलायका वग़ैरह जितनी मख़लूक है हमेशा खड़ी रहकर खुदाए तआला की तसबीह में मसरूफ़ रहती है नमाज़ी भी क्रियाम तक उनका शरीक रहता है। रूकूअ की हालत में जितने चरिदं (पशु), दरिन्दे और उस वज़अ (शैली) में जितने मलायक और मख़लूक (प्राणी) है रूकूअ तक नमाज़ी उन तमाम का शरीक रहता है। सज्दे में तमाम रुए ज़मीन के हशरातुल अर्ज़ (कीड़े मकोड़े) और उनके वज़अ में जितने मलायक हैं और मख़लूक है यह नमाज़ी भी सज्दों में उनका शरीक रहता है। काअदे में ज़मीन और छोटे बड़े पहाड़ और उनके जैसे जितने मलायक और मख़लूक है काअदे तक यह नमाज़ी खुदाए तआला की तसबीह में उनका शरीक रहता है। तकबीराते इन्तेकालात और हर्कत के वक़्त उड़ने वाले परिन्दे, बहने वाले दर्या, चलने वाली हवा और उनकी तरह हमेशा हर्कत में रहने वाले मलायक और उसी कबील की मख़लूक के साथ तसबीह में नमाज़ी शरीक रहता है।

★ तमाम मखलूक तो हमेशा खुदाए तआला के ज़िक्र और तसबीह में रहे और हम अशरफुल मखलूकात हो कर खवाबे ग़फ़लत, ना फ़र्मांनी और गुनाहगारी में मसरूफ़ व मशगूल रहें और हज़, ज़कात, रोज़ा और नमाज़ को छोड़ना बाइसे शर्म और मूजिबे अज़ाब है।

★ इबलीस ने हज़रत आदम अले० को इस ख़याल से सज़्दा नहीं किया था कि वह ख़ाकी (मिट्टी से बने) थे और खुद नारी (आग से बना) और मुअल्लिमुल मलकूत भी था। हम नजसुल ऐन नुतफ़ा और पुर शर्म व नजस मक़ाम से पैदा होकर बड़े दाअवों के साथ अनानियत (अहंकार) करके अपने पर्वरदिगार रहीम व करीम मुहसिने इक़ीक़ी, क़हहार और क़ादिरे मुतलक़ खुदाए बरहक़ को सज़्दा न करें तो कैसे अज़ाब में मुब्तला होंगे क़ाबिले ग़ौर है।

नमाज़े तरावीह

हज़रत आइशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने एक रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और आप के साथ चंद लोग थे, फिर दूसरे दिन लोग ज़ियादा होगये फिर तीसरी या चौथी रात में तो ब़ुहत लोग जमा हो गये लेकिन रसूलुल्लाह सल्ला० उनकी तरफ़ न निकले। जब सुब्ह हुवी तो आप ने फ़र्माया मैं तुम्हारा हाल देखता था और मैं इस वज्ह से नहीं निकला कि मुझे ख़ौफ़ हुवा कि यह नमाज़ (तरावीह) कहीं तुम पर फ़र्ज़ न होजाये। (१३)

★ नमाज़े तरावीह मरदों और औरतों के लिये सुन्नते मुअक्कदा है।

★ अगर कोई शख्स इशा के फ़र्ज़ की जमाअत में शरीक नहीं होसका और तन्हा पढ़ लिया हो तो वह तरावीह की नमाज़ में शरीक होसकता है। (६)

★ इशा की नमाज़ जमाअत से नहीं हुवी हो तो नमाज़े तरावीह भी जमाअत से नहीं हो सकती इस लिये कि तरावीह की जमाअत फ़र्ज़ इशा की जमाअत के ताबेअ है। (७)

★ अगरर कोई शख्स फ़र्ज़ इशा जमाअत से पढ़े और तरावीह जमाअत से नहीं पढ़ी हो तो वह नमाज़े वित्र जमाअत से पढ़ सकता है। (६)

★ अगर कोई शख्स नमाज़े इशा तन्हा पढ़े तो वह नमाज़े वित्र जमाअत से न पढ़े। (९)

★ अगर एक गिरोह ने नमाज़े इशा जमाअत से पढ़ी हो और तरावीह जमाअत से अदा न की हो तो वह गिरोह वित्र जमाअत से न पढ़े इस लिये कि वित्र की जमाअत तरावीह की जमाअत के ताबेअ है। (९)

- ★ नमाज़े तरावीह के वक़्त सुसती की वजह से बैठे रहना और इमाम रुकूअ में जाने के वक़्त शरीक होना मक़्रूह है। (५, ६)
- ★ नमाज़े तरावीह बिला उज़र बैठकर पढ़ना मक़्रूह है। (६)
- ★ एक मस्जिद में दो मर्तबा जमाअत से तरावीह पढ़ना मक़्रूह है। (५)
- ★ एक इमाम को दो जगह तरावीह पढ़ाना दुरुस्त नहीं है। (६)
- ★ फ़र्ज़ इशा और वित्र एक इमाम पढ़ाए और तरावीह दूसरे तो जायज़ है चुनांचे हज़रत उमर रज़ी० फ़र्ज़ इशा और वित्र की इमामत खुद फ़र्माया करते थे और तरावीह हज़रत अबे बिन काअब रज़ी० पढ़ाया करते थे। (६)
- ★ अगर तरावीह की दो रकातों क़िरअत की ग़लती से या किसी और सबब से फ़ासिद होजायें तो उनमें पढ़ा हुआ कुरआन मुकररर पढ़ा जाये ता कि ख़त्मे कुरआन सहीह नमाज़ में हो। (६)
- ★ अगर तरावीह मे ख़त्मे कुरआन के लिये हाफ़िज़ न होतो वहाँ अलम तर कैफ़ से पढ़ना बेहतर है। (६)
- ★ अगर इमाम नमाज़े तरावीह में दो रकात के बाद भूल कर काअदा न करके खड़ा हो जाये तो तीसरी रकात का सज्दा न करने तक याद आजाये तो काअदे में बैठकर सलाम फेर दे और तीसरी रकात का सज्दा करने के बाद याद आये तो और एक रकात मिलाले, ऐसी सूरत में इस्तेहसानन् फ़सादे नमाज़ का हुक्म नहीं दिया गया है और यह चार रकातें दो रकातों की कायम मुक़ाम होंगी। (६)

नमाज़े तरावीह की निय्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى اِقْتِدَائِي بِهَذَا الْإِمَامِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसल्ली लिलाहि तआला रकाअतैनि सलातित् तरावीहु सुन्नत रसूलुल्लाहि तआला
इक़तदैतु बि हाज़ल इमामि मुतवज्जहन इला जिहतिल काअबतिश शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर

- ★ पहली से तीसरी तरावीह तक यह निय्यत की जाये और चौथी से दसवी तरावीह तक सुन्नत रसूलुल्लाहि तआला के बजाये मुताबितल महेदीयल् मौऊदि कहा जाये। (१)

★ इसकी अदाह का तरीका यह है कि २९ शाअबान को चाँद नज़र आने पर उसी रात में या चाँद नज़र न आने की सूरत में ३० तारीख की रात में इशा के वक़्त पहले सुन्नत के चारों रकातों में ज़म्मे सूरह करके पढ़ें और फ़र्ज़ इशा और दो रकात सुन्नत अदा करके नमाज़े तरावीह के दस दुगाने बा जमाअत अदा करें, उसके बाद वित्र जमाअत से पढ़ें।

पहला दुगाना ख़त्म होने पर यह दुआ पढ़ें :

يَا كَرِيمُ الْمَعْرُوفِ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ أَحْسِنْ إِلَيْنَا بِإِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ وَبِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ يَا كَرِيمُ يَا
رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

या करीमल् माअरूफ़ि या क़दीमल् एहसानि अहसिन् इलैन् बिएहसानिकल् क़दीमि व बिफ़ज़िलकल् अज़ीमि या करीमु या रहीमु या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह।^(३७)

(पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें और नवें दुगाने के बाद सिर्फ़ यही दुआ पढ़ी जाती है। दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और दसवें दुगाने के बाद दूसरी दुआयें पढ़ने के बाद आखिर में यह दुआ पढ़ी जाती है।)

दूसरे दुगाने के बाद की दुआएँ

कलिमए शहादत तीन बार उसके बाद यह दुआ एक बार पढ़ें

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَالرُّوْيَةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا
عَفَّارُ يَا كَرِيمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيمُ يَا بَارُ. اللَّهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ
عَفُوٌّ كَرِيمٌ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا بِكَرَمِكَ يَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुकल् जन्नत वर रुयत व नऊज़ु बिक मिनन् नारि या क़ालिकल् जन्नति वन् नारि बि रहमतिक या अज़ीज़ु या ग़फ़ा़रु या करीमु या सत्तारु या रहीमु या बारु। अल्लाहुम्म अजिरना मिनन् नारि या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु अल्लाहुम्म इन्नक अफ़वुन् करीमुन् तुहिब्बुल, अफ़वू फ़ाअफु अन्ना बिकरमिक या अक्रमुल् अक्रमीन् व बि रहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन्।^(३८)

(३७) ऐ मशहूर करम करने वाले ऐ क़दीम एहसान करने वाले तेरे क़दीम एहसान और बड़े फ़ज़ल के साथ हम पर एहसान कर ऐ बड़े करम करने वाले ऐ रहम करने वाले - या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह।

(३८) ऐ अल्लाह हम तुझ से तेरी जन्नत और रुयत (दीदार) के उमीदवार हैं और तेरी पनाह मांगते हैं दोज़ख़ की आग से ऐ जन्नत और दोज़ख़ को पैदा करने वाले तेरी रहमत के तुफ़ेल से ऐ बड़े ग़लबे वाले ऐ बड़े बख़शने वाले ऐ बड़े करम करने वाले ऐ ऐबों को बहुत छुपाने वाले निहायत मेहरबान ऐ बड़े एहसान करने वाले ऐ बड़े बुज़र्ग़ या अल्लाह हम को बचा दोज़ख़ से ऐ बचाने वाले या अल्लाह तू ही बहुत दरगुज़र करने वाला गुनाहों से और बहुत मआफ़ करने वाला तकसीरात का तू मआफी को पसन्द करता है हम को मआफ़ कर दे अपने करम से ऐ करम करने वालों में सब से ज़्यदा करम करने वाले और अपनी रहमत से ऐ रहम करने वालों में सब से ज़्यादा रहम करने वाले।

इसके बाद या करीमल माअरुफ़ आख़िर तक एक बार पढ़ें। तीसरे दुगाने के बाद या करीमल माअरुफ़ आख़िर तक एकबार।

चौथे दुगाने के बाद की दुआएँ यह दुरूद शरीफ़ तीन बार पढ़ें।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدَيْنِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدَيْنِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعَلَى كُلِّ مَلَكٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ. اور اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ تَاْخِرًا اور يَا كَرِيْمُ الْمَعْرُوْفِ تَاْخِرًا اِيك بار پڑھیں۔

अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदैनि व अला आलि मुहम्मदैनि व बारिक व सल्लिम व सल्लि
अला जमीइल् अम्बियाइ वल् मुरसलीन वल मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहिस्
सालिहीन व अला कुल्लि मलकिन् बि रहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन। (३९)

अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुकल् जन्नत (आख़िर तक - एक बार)

या करीमल माअरुफ़ (आख़िर तक - एक बार)

पाँचवें दुगाने के बाद - या करीमल माअरुफ़ (आख़िर तक - एक बार)

छठे दुगाने के बाद की दुआ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ اور اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ تَاْخِرًا اور يَا كَرِيْمُ الْمَعْرُوْفِ تَاْخِرًا اِيك بار پڑھیں۔

सुव्हानल्लाहि वल् हम्दु ल्लाहि वला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत
इल्ला बिल्लाहिल् अलीइल् अज़ीमि। (४०) (तीन बार)

अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुकल् जन्नत एक बार

या करीमल माअरुफ़ एक बार

(३९) ऐ अल्लाह रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा मुहम्मद नबी और मुहम्मद महेदी सल्ला० पर और दोनों मुहम्मद की आल पर और बरकत और सलामती नाज़िल फ़र्मा और रहमत नाज़िल फ़र्मा तमाम अम्बिया और मुरसिलीन पर और तमाम मुकर्रब फ़रिश्तों पर और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा अल्लाह के तमाम नेक बन्दों पर और तमाम फ़रिश्तों पर अपनी रहमत से ऐ रहम करने वालों में सब से ज़्यादा रहम करने वाले।

(४०) पाक है अल्लाह और सब ताअरीफ़ अल्लाह के लिये है और नहीं है कोइ माअभूद बरहक़ सिवाय अल्लाह के और अल्लाह बड़ा बुज़र्ग़ है और नहीं है ताक़त और नहीं है कुव्वत मगर खुदाए तआला के लिये जो बुहत बुलंद पाया और बुज़र्ग़ है।

सातवें दुगाने के बाद या करीमल माअरुफ एक बार

आठवें दुगाने के बाद

سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ - تین بار اللہم انا نسئلك الجنة تا آخراور یا کریم المَعْرُوف تا آخرا یک ایک بار پڑھیں۔

सुहानल्लाहि बि हमदिही सुहानल्ला हिल् अलीइल् अज़ीमि व बि हमदिही अस्तग़फ़िरुल्लाह
रब्बी मिन् कुल्लि जंबिन् व खतीअतिन् व अतूबु इलैहि^(४१) (तीन बार)

अल्लाहुम्म इन्न नसअलुक (एक बार)

या करीमल माअरुफ (एक बार)

नवें दुगाने के बाद या करीमल माअरुफ (एक बार)

दसवें दुगाने के बाद

اسْتَغْفِرُ اللَّهُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ غَفَّارُ الذُّنُوبِ سَتَّارُ الْغُيُوبِ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ كَشَّافُ الْكُرُوبِ يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. تین بار اللہم انا نسئلك الجنة
تا آخراور یا کریم المَعْرُوف تا آخرا یک ایک بار پڑھیں

अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िसरुल्ला हल्लजी ला इलाह इल्ला हुवल् हय्युल् क़य्यूम ग़फ़ारुज़
ज़ुनूबि सत्तारुल् उयूबि अल्लामुल् गुयूबि क़षाफ़ुल् कुरुबि या मुक़ल्लिबुल् कुलूबि वल अब्सारि
व अतूबु इलैहि^(४२) - (तीन बार)

अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुक (एक बार)

या करीमल माअरुफ..... (एक बार)

उसके बाद नमाज़े वित्र बा जमाअत अदा करके तीन बार यह तसबीह पढ़ना चाहिये

(४१) पाकी सज़ावार है अल्लाह तआला को और हर किसम की ताअरीफ़ उसके लिये है और पाकी सज़ावार है बुलंद मर्तबा और अज़मत वाले अल्लाह के लिये और सब ताअरीफ़ उसी के लिये है मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ अल्लाह से जो मेरा पर्वरदिगार है अपने तमाम गुनाहों और ख़ताअंव से और उसी की तरफ़ तौबा करता हूँ।

(४२) मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ अल्लाह तआला से मैं मग़फ़िरत चाहता हूँ अल्लाह तआला से कि सिवाय उसके कोइ माअबूद नहीं जो हमेशा जिन्दा और कायम है गुनाहों का बख़शने वाला ऐबों का छुपाने वाला ग़ैब की बातों का जाबने वाला सख़तियों का खोलने वाला ऐ दिलों के और नज़रों के फेरने वाले तौबा करता हूँ मैं उसी की तरफ़।

سُبْحَانَ ذِي الْمَلَكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ
وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سُبُّوحٌ
فُدُوسٌ رَبَّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ. پھر ایک بار اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ تَاْخِرًا وَاوْرِيَا كَرِيْمًا
الْمَعْرُوْفُ تَاْخِرًا وَاوْرِيَا كَرِيْمًا۔

सुहान ज़िल मुलकि वल मलकूति सुहान ज़िल इज़्जति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति
वल कि ब्रियाई वल ज़ब्रति व सुहानल् मलिकिल् हथिल्लज़ी ला यनामु वला यमूतु अबदन्
अबदन् ज़ुल ज़लालि वल इकरामि सुब्हुन् कुहूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति वरुह (५३) -
(तीन बार)

अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुक - (एक बार)

या करीमल माअरुफ़ - (एक बार)

दुगाना शबे क़द्र के अहकाम और उसकी अदाइ का तरीक़ा

मतन शरीफ़ के बीसवें बाब में बन्दगी मियाँ सय्यद ख़ुदमीर रज़ी० से मन्कूल है (आप ने कहा) मैं ने बारहा सुना है कि रमज़ान मुबारक की २६ तारीख़ को हज़रत मीराँ अले० ने इशा के फ़र्ज़ अदा किया फिर ऊपर (आसमान) की तरफ़ देख कर फ़र्माया (पूछा) कि आज कौनसी रात है, मियाँ सय्यद सलामुल्लाह रज़ी० ने कहा २७ वीं है उसके बाद (हज़रत मीराँ अले०) ने फ़र्माया (क़ौल अल्लाह तबारक व तआला) हमने इसी रात सय्यदुल मुर्सलीन सल्ला० पर कुरआन करीम को नाज़िल किया था और (इसी वाक़ए को) सूरह क़द्र में बयान किया था लेकिन (इस रात को अर्सए दराज़ तक) तेरे लिये छुपा रखा था, शबे क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है यानि मक़बूल इबादत से बेहतर है, हमने तुझे दिया है, उठो शुक्रिये का दुगाना अदा करो, उसके बाद मीराँ अले० उठे और ख़ुद इमामत करते हुवे दुगाना अदा किया। हम १३ लोग हाज़िर थे उसके बाद बेटे हुवे ऊंची आवाज़ में यह दुआ पढ़ी

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مَسْكِيْنًا وَاَمْتِنَا مَسْكِيْنًا وَاَحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ
يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِيْنَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

(५३) पाक है साहबे सलतनते हकीकी और पाक है बादशाह पाक है इज़्जत व अज़मत व हैबत और कुदरत और बड़ाई और दबदबे वाला पाक है वह बादशाह जो जिन्दा है जिसको नींद है न मौत हमेशा हमेशा है जलाल और बुजर्गी वाला पाक है बुहत पाक है हमारा पर्वरदिगार और फ़रिश्तों का और अर्वाह का पर्वरदिगार।

और आयत *اللَّهُمَّ صَغِّرِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِ اللَّهْمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا إِلَى آخِرِهِ رَبَّنَا لَا تَزُغْ قُلُوبَنَا* पढ़ी। उसके बाद अपना सर सज्दे में रख दिया पाव घड़ी की मिक़दार तक फिर सर उठाया और फिर उस रात की फ़ज़ीलत बयान की। दुसरे साल ७२ लोगों के साथ नमाज़ अदा की और मियाँ सय्यह ख़ुंदमीर रज़ी० की तरफ़ देखकर फ़र्माया कि इस (नमाज़) को फ़र्जे ऐन की जगह शुमार करना चाहिये और हर शख्स पर लाज़िम है कि उसे अदा करे और बन्दगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर रज़ी० ने भी यही किया और इसी तरह की दुआ मांगी थी और खुद इमामत भी की थी।

★ हज़रत मीराँ अले० का पहला दुगानए लैलतुल् क़द्र मक़ाम काहा (सिंध) में और दूसरा दुगाना शहर फ़राह मुबारक में अदा हुवा और दूसरे दुगाने की अदाइ के बाद हज़रत महेदी अले० ने एक महीना तेईस रोज़ में रेहलत फ़र्माई है।

★ वाज़ेह हो कि दुगाना लैलतुल् क़द्र के मुतअल्लिक़ गिरोहे मुबारक में दो तरीक़े की तक़लीद है। बाज़ ख़ानदान में दुगानए शरीफ़ को इसबे फ़र्मान हज़रत मीराँ अले० बजाए फ़र्जे, ऐन जानते हैं और उसकी निय्यत में फ़रज़ल्लाहि तआला नहीं कहते और बाज़ ख़ानदान में उसको फ़र्जे ऐन जानते हैं और निय्यत में भी फ़रज़ल्लाहि तआला कहते हैं चुनांचे दोनों निय्यतें नीचे लिखी जाती है।

निय्यत - १

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيْنِ صَلَاةِ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ مُتَابِعَةً الْمَهْدِيِّ الْمَوْعُودِ إِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الْإِمَامِ
مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसल्लिय लिल्लाहि तआला रकआतैनि सलातिल् लैलतिल् क़द्रि मुताबिअतुल् महेदीइल् मौऊदि इक़तदैतु बि हाज़ल् इमामि मुतवज्जहन् इला जिइतिल् काअबतिश् शरीफ़ति- अल्लाहु अकबर

निय्यत - २

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيْنِ صَلَاةِ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَابِعَةً الْمَهْدِيِّ الْمَوْعُودِ
إِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसल्लिय लिल्लाहि तआला रकआतैनि सलतिल् लैततिल्, क़द्रि फ़रज़ल्लाहि तआला मुताबिअतुल् महेदीइल् मौऊदि इक़तदैतु बि हाज़ल् इमामि मुतवज्जहन् इला जिहतिल् काअबतिश् शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर

अनुवाद : मैं निश्चय करता हूँ कि नमाज़ पढ़ूँ अल्लाह तआला के वास्ते दो रकात नमाज़ लैलतुल् क़द्र के फ़र्ज़ की महेदी मौऊद अलै ० की मुताबिअत मैं इक़तेदा करता हूँ इस इमाम की मुतवज्जह हो कर काअबा शरीफ़ की जिहत की तरफ़ - अल्लाह तआला बुहत बुज़र्ग है।

इस नमाज़ के पढ़ने का तरीका इस तरह चला आता है कि माहे रमज़ान की सताइसवीं रात में गुस्ल करके अच्छे से अच्छा लिबास पहन कर दो पहेर रात के बाद अज़ाँ दे कर सहरी से पहले इशा की चार रकात सुन्नत फिर फ़र्ज़ फिर दो रकात सुन्नत अदा करने के बाद वित्र से पहले यह नमाज़ जमाअत से पढ़ें। दुगाना लैलतुल क़द्र की पहली रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह वज़्जुहा और दूसरी रकात में सूरह क़द्र पढ़ें। सलाम फेरने के बाद निहायत ख़ुशूअ व ख़ुजूअ और हुज़ूरे क़ल्ब के साथ नीचे दी गई दुआयें इमाम बुलदं आवाज़ से पढ़ते हैं और मुक़तदी ज़िक्र करते हुवे सुनते हैं।

यह दुगाना साल में एक दफ़ा नसीब होने की वजह से हत्तल इमकान इस को अपने पीर व मुर्शिद की इक़तिदा से अदा करना अफ़ज़ल है। अगर दूरी की वजह से या किसी और मजबूरी के सबब पीर व मुर्शिद की इक़तिदा नसीब न हो तो किसी फ़कीर या मौजूदा जमाअत में जिस को शर्फ़ और बज़र्गी हासिल हो उनकी इक़तिदा से बा जमाअत अदा करना चाहिये।

दुगाना अदा करने के बाद पढ़ने की दुआएँ

اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مَسْكِينًا وَأَمْتِنَا مَسْكِينًا وَأَحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ صَغِّرِ الدُّنْيَا بِأَعْيُنِنَا وَعَظِّمْ جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا وَوَفِّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ وَثَبِّتْنَا عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ وَمُحَبَّتِكَ وَشَوْقِكَ وَعَشْقِكَ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَأَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْبَاطِلَ بِاطِلًا وَأَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا قَفْ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا قَف أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا . رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ (۳: ۱۹۳-۱۹۴) رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۳: ۲۰۱) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ط إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (۳: ۸)

अल्लाहुम्म अहययना मिसकीनंव व अमितना मिसकीनंव वह शुरना यौमल् क्रियामति फ़ी जुम्रतिल् मसाकीन बि फ़ज़्लिक व करमिक या अक्रमुल अक्रमीन व बि रहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन।

अल्लाहुम्म सग़िरिद् दुन्या बि अअयूनिना व अज़्जिम जलालिक फ़ी कुलूबिना व वफ़िक़ना लि मर्जतिक व सब्बितना अला दीनिक व ताअतिक व मुहब्बतिक व शौक्रिक व इश्क्रिक बि फ़ज़्लिक व करमिक या अक्रमुल अक्रमीन व बि रहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन।

अल्लाहुम्म अरिनल् हक्क हक्कंव वर्जुकना इत्तिबाअहु अल्लाहुम्म अरिनल् बातिल बातिलंव वर्जुकना इज्तिनाबहु बि फ़ज़्लिक व करमिक या अक्रमुल् अक्रमीन व बि रहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन।

रब्बना ला तुअख़िज़्ना इन् नसीना अव अख़ताना रब्बना वला तहमिल् अलैना इसरन् कमा हमल्लहु अलल्लज़ीन मिन् क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि, वाअफ़ु अन्ना, वग़फ़िर् लना, वहम्ना, अन्ता मौलाना फ़ंसुर्ना अलल् क़ौमिल् काफ़िरीन। (२:२८६)

रब्बना इन्नना समेअना मुनादियेँ युनादी लिल् ईमानि अन् आमिन् बि रब्बिकुम फ़आमन्ना, रब्बना फ़ग़फ़िर् लना जुनूबना व कफ़िर् अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़फ़ना मअल् अब्रार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल् क्रियामति, इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। (३:१९३, १९४)

रब्बना आतिना फ़िद् दुन्या हसनतंव व फ़िल आख़िरति हसनतंव व किना अज़ाबन्नार। (२:२०१)

रब्बना ला तुज़िग् कुलूबना बाद इज़् हदैतना वहब् लना मिन् लदुन्का रहमा, इन्नक अन्तल् वहहाबु, इन्नक अन्तल् वहहाबु, इन्नक अन्तल् वहहाबु। (३:८)

अनुवाद : या अल्लाह हम को मिसकीन बनाकर ज़िन्दा रख मिसकीन मार और क़यामत के दिन हमारा हशर मिसकीनों के साथ कर तेरे फ़ज़्ल व करम के तुफ़ेल से ऐ सब करम करने वालों से ज़्यादा करम करने वाले और अपनी रहमत से ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले।

या अल्लाह दुन्या को हमारी नज़रों में छोटी और हकीर करके बतला और बड़ी करके बता तेरी बुजर्गी और जलाल को हमारे दिलों में और तेरी रज़ा मन्दी और खुशानोदी की तौफ़ीक़ अता फ़र्मा हम को और हमको साबित रख तेरे दीन पर और तेरी इबादत पर और तेरी मुहब्बत पर और तेरे शौक़ पर और तेरे इश्क़ पर तेरे फ़ज़्ल व करम के तुफ़ेल से ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले।

या अल्लाह हम को हक़ को हक़ करके बतला और उसकी इत्तेबाअ रोज़ी कर या अल्लाह हम को बातिल को बातिल करके बतला और उस से दूरी हम को रोज़ी कर अपने फ़ज़्ल और अपने करम से ऐ सब करम करने

वालों से ज़्यादा करम (कृपा) करने वाले और अपने रहम से ऐ सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले। ऐ हमारे पर्वरदिगार हम को भूल और ख़ता पर न पकड़ ऐ हमारे पर्वरदिगार हम पर भारी बोझ मत रख जैसा कि तू ने हम से पहले लोगों पर रखा था ऐ अल्लाह हम से वह बार न उठा जिस की हम को ताक़त नहीं और दर गुज़र कर हम से और बख़्शा दे हम को और रहम कर हम पर तू ही हमारा मालिक है, मदद् कर हमारी काफ़िरों की क़ौम के मुकाबले में ऐ हमारे रब बेशक हम ने सुना एक मुनादी को जो बुलाता है ईमान की तरफ़ यह कि तुम ईमान लाव अपने रब पर हम ईमान लाये ऐ हमारे रब हमारे गुनाह बख़्शा दे और हमारी बुराइयाँ उतार दे और नेक लोगों के साथ हम को मौत दे ऐ हमारे पर्वरदिगार हम को अता कर वह चीज़ जिस का वाअदा तू ने अपने रसूलों के ज़रीए किया है और क़यामत के दिन हमको रूखा (अपमानित) मत कर बेशक तू अपने वाअदे का ख़िलाफ़ नहीं करता।

ऐ हमारे पर्वरदिगार हम को अता कर इस दुन्या में भलाइ और आख़िरत में भलाइ और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ऐ हमारे पर्वरदिगार हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद मत फेर और अपने पास से हम को रहमत अता कर बेशक तू सब कुछ देने वाला है बेशक तू सब कुछ देने वाला है बेशक तू सब कुछ देने वाल है।

यह दुआएँ पढ़ने के बाद सज्दय मुनाजात में जा कर वह दुआएँ पढ़ें जो दुगाना तहीयतुल वजू के सज्दय मुनाजात में पढ़ी जाती हैं और निहायत हज़्ज व इंकेसारी और खुशूअ व खुजू के साथ अपने जो कुछ माअरूज़ात (निवेदन) हों जनाबे बारी में अर्ज़ करें चूँकि इस रात की फ़ज़ीलत, नुज़ूले रहमत फ़रिश्तों की हुज़ूरी और आमीन गोई से दुआ कुबूल होने की उमीद हो सकती है।(१)

सज्दय मुनाजात से उठकर नमाज़े वित्र बा जमाअत अदा करके तमाम हाज़िरीन बुलंद आवाज़ से तस्बीह इस तरह कहें।

इमाम कहे

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ला इलाह इल्लल्लाह

कोई माअबूद नहीं अल्लाह के सिवाये

اللَّهُ إِلَهَنَا

अल्लाहु इलाहुना

अल्लाह तआला हमारा खुदाए बर्हक़ है

الْقُرْآنَ وَالْمَهْدَىٰ إِمَامَنَا

अल कुरआनु वल महेदिय्यु इमामुना

कुरआन मजीद और महेदी मौऊद

अले० हमारे इमाम है

मुक़तदी कहें

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

मुहम्मदुर् रसूलुल्लाह

मुहम्मद सल्ला० अल्लाह के रसूल है

مُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا

मुहम्मदुन् नबिय्युना

मुहम्मद सल्ला० हमारे नबी हैं

أَمْنَا وَصَدَقْنَا

आमन्ना व सहक़ना

हम ईमान लाये और हम

ने तस्दीक़ की

दुगाने की अदाइ के बाद पीरो मुर्शिद पसखुरदः करके हाज़िरीन को पिलाने का तरीखा बुज़गाने दीन का रहा है (पसखुरदः) मुर्शिदे कामिल से हासिल करना चाहिये चूंकि मतन शरीफ़ के बीसवें बाब में पसखुरदः के ताअजूब ख़ेज़ तासीरात मन्कूल हैं।

उसके बाद खुदाय तआला ने अपने ला महदूद फ़ज़ल व करम से महेदी मौऊद अले० के वास्ते से इस अज़ीमुश्शान नेअमत से सरफ़राज़ फ़र्माने की शुक्र गुज़ारी में नज़रुल्लाह की निय्यत से और खातिमैन अले० और तमाम अम्बिया और औलिया, मोमिनीन व मोमिनात की नियाज़ और उनकी अर्वाह को ईसाले सवाब की निय्यत से शीरीनी वग़ैरह तमाम हाज़िरीन को तक्रसीम करें और खत्मे कुरआन शरीफ़ और दुरुद का सवाब बख़शें और जिस क़दर मुम्किन हो पीरो मुर्शिद की खिदमत में लिल्लाह नज़र गुज़रानें और फ़ुकरा, मसाकीन और मुस्तहेकीन को सिर्फ़ खुदा वास्ते जो कुछ हो सके निहायत खुलूसे दिल से लिल्लाह तक्रसीम करें। अगर हर साल इसी रात में हिसाब के मुताबिक़ ज़कात की अलाहेदगी भी हुवा करे तो बेहतर है क्योंकि इस मुक़द्दस रात में खुदा वास्ते जिस क़दर ख़ैरात की जाये और जहाँ तक इबादत बन्दनी, ज़िक्र व तस्बीह हो सके हज़ार महीने तक रोज़ाना मक़बूला इबादत बन्दगी ज़िक्र व तस्बीह ख़ैर ख़ैरात करने से बेहतर होना सूरह क़द्र से ज़ाहेर और साबित है। इसलिये इस तमाम रात में निहायत खुलूस, यकसूई, हुज़ूरे क़ल्ब, नेक निय्यती से उमूरे ख़ैर में मसरूफ़ और खुदाए तआला के ज़िक्र में इस तरह मशगूल रहना चाहिये कि तमाम रात में एक साँस भी बग़ैर ज़िक्र के जाये न जाये इस लिये कि इस रात में ज़िक्र की एक साँस हज़ार महीने के मक़बूला ज़िक्र के अनफ़ास से अफ़ज़ल और बेहतर है, इस लिहाज़ से इस पुर फ़ैज़ और मुक़द्दस रात की जिस क़दर क़दर की जाये कम है।

एक रोज़ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने बनी इसराईल से शमऊन की हज़ार महीने (८३ साल ४ माह) की मक़बूला रियाज़त व इबादत की ताअरीफ़ फ़र्माई यानि उन्हों ने हज़ार महीने तक रोज़ रोज़ह रख कर कुफ़्फ़ारों से जिहाद किया और रातों में खुदाए तआला के ज़िक्र व तस्बीह में मसरूफ़ रहे और आख़िर में शहादत पर उनका खातमा हुवा। हाज़िरीन को शमऊन की तरह रियाज़त (तपस्या) में जफ़ा कशी (मेहनत) की ताब व तवान (शाक्ति) न होने से रिक्कत हुई और हज़रत नबी करीम सल्ला० भी मुतासिर होने से आप सल्ला० की उम्मत पर खुदाए तआला ने फ़ज़ल व करम फ़र्मा कर उस वक़्त सूरह क़द्र नाज़िल फ़र्माया और उस में शमऊन की उन हज़ार महीनों की रियाज़त से एक शबे क़द्र बेहतर होने की ताअरीफ़ फ़र्माई। यह है शाने नुज़ूल सूरह क़द्र का उसके बाद उस रात से वाकिफ़ होने और उसके फ़जायल से मुस्तफ़ीद होने के लिये सहाबय किराम ने हज़रत नबी करीम सल्ला० से इमकानी कोशिश की लेकिन आँहज़रत सल्ला० की हयाते मुबारक तक वह रात खुदाए तआला की मशीयत (मरज़ी)

से पोशीदा रही। चुनांचे मिशकात शरीफ़ के बाव लैलतुल क़द्र की हदीस शरीफ़ से ज़ाहिर है कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि “में ने लैलतुल क़द्र की तलाश की तो मुझे बतलाइ जा कर भुलादी गई और मैं ने उस रात में नमाज़ पढ़ी”।

यह चीज़ काबिले ग़ौर है कि जिस वक़्त जिबरईल अले० के ज़रीये से कुरआन का नुज़ूल शुरूअ हुवा तो आँहज़रत सल्ला० कुरआन पाक को हिफ़ज़ और ज़हन नशीन करने के ख़याल से पहला लफ़ज़ दिल और ज़बान से पढ़ते तो अगला लफ़ज़ सुन्ने में न आता और घबराते उस वक़्त ख़ुदाए तआला का हुक्म हुवा कि “ऐ मुहम्मद सल्ला० वही के पढ़ने के लिये अपनी ज़बान को हरकत न दो कि उसको जल्द याद करलो उसका जमा (एकत्र) करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है” (७५:१६,१७)

ऐसी सूरत में इस मुक़द्दस शबे क़द्र का इज़हार महेदी मौऊद ख़लीफ़तुल्लाह के ज़रीये से मशीयते इलाही में न होता तो हज़रत नबी करीम सल्ला० पर शबे क़द्र ज़ाहिर करके उसको भुला देना मुम्किन ही न था और जब तकमीले नेअमत की वज्ह से आहज़रत सल्ला० पर शबे क़द्र ज़ाहिर करके भुलादी गई तो अक़लन् और उसूलन् फिर किसी इमाम या आलिम या मुफ़स्सिर को अपने क्रियास (अनुमान) से शबे क़द्र को मुअय्यन (निश्चित) करने का हक़ व इक़तियार हासिल नहीं रहा बल्कि ख़लीफ़तुल्लाह ही ख़ुदाए तआला की ज़ात से मालूम करके शबे क़द्र को ज़ाहिर करना लाज़िम होता है और ऐसा ही हुवा। सन् ९०९ हिज़्री में रमज़ान शरीफ़ की सताइसवीं रात में फ़र्ज इशा की अदाइ के बाद ख़ुदाए तआला की ज़ात से हज़रत सय्यद मुहम्मद महेदी मौऊद ख़लीफ़तुल्लाह अले० को यह फ़र्मान आया कि “सय्यदुल मुर्सलीन पर कुरआन इसी रात में नाज़िल करके सूरह क़द्र में इसका बयान किया जा कर तुम्हारे लिये वह पोशीदा (गुप्त) रखी गई थी, लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों की इबादते मक़बूला से बेहतर है, वह तुम को दी गई है उठो दुगाना शक्राना अदा करो”। उसी वक़्त हज़रत महेदी मौऊद अले० ने ग़फ़ूररहीम के फ़र्मान की ताअमील में दुगानए शबे क़द्र अदा फ़र्माया और उस साल से हज़रत महेदी मौऊद अले० के तुफ़ेल से क़ौमे महेदवियह शबे क़द्र से मुस्तफ़ीद और मुशररफ़ हो रही है यह ख़ुदा का फ़ज़्ल है देता है उसको जिसको चाहे।

वाज़ेह हो कि जिन का अक़ीदा क्रियामत के मौक़े में महेदी मौऊद पैदा होने का है उनके ख़याल के मुवाफ़िक़ जब कि दुन्या का ख़ात्मा होगा और तौबा का दर्वाज़ा बंद होगा उस वक़्त महेदी पैदा होकर ख़ुदा के हुक्म से शबे क़द्र को ज़ाहिर करें या जो हज़रात महेदी के पैदा होने के कायल ही नहीं हैं उनके ख़याल के मुवाफ़िक़ ईसा अले० क्रियामत में ख़ुदा के हुक्म से शबे

क़द्र को ज़ाहिर करें तो उसके बाद उम्मत नबी सल्ला० को शबे क़द्र से मुस्तफ़ीद होने (लाभ उठाने) का मौक़अ ही नसीब न होगा और ऐसी सूरत में क्रियामत तक शबे क़द्र पोशीदा ही रहे तो अहम तरीन सूरह क़द्र का नुज़ूल बेकार होजायगा। यह सहीह नहीं हो सकता क्यों कि कुरआन शरीफ़ का एक हर्फ़ भी बेकार नहीं है।

सूरह क़द्र नाज़िल होने के बावजूद नबी करीम सल्ला० के तवस्सुत (माध्यम) से शबे क़द्र ज़ाहिर न होने से हज़रत नबी करीम सल्ला० के बाद और क्रियामत से पहले महेदी मौऊद मबऊस होकर खुदा के हुक्म से शबे क़द्र को ज़ाहिर करना उसूलन् साबित हो रहा है चुनांचे उसकी ताईद इस हदीस शरीफ़ से भी होती है

كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّتِي أَنَا فِي أَوْلِيهَا وَعَيْسَى فِي أَخْرِهَا وَالْمَهْدِيُّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
فِي وَسْطِهَا (مشکوٰۃ)

यानि फ़र्माया हज़रत नबी करीम सल्ला० ने कैसे हलाक होगी मेरी उम्मत, मैं उसके अव्वल में हूँ ईसा उसके आखिर में और महेदी मेरी अहले बैत से उसके दरमियान् में। हज़रत नबी करीम सल्ला० के बाद फिर कोई नबी पैदा होने वाला नहीं है और नुज़ूले कुरआन शरीफ़ के बाद फिर कलामुल्लाह नाज़िल होने वाला नहीं था। इस लिये उसी वक़्त सूरह क़द्र नाज़िल फ़र्मा कर खुदाए तआला ने शबे क़द्र को महेदी मौऊद के तवस्सुत से ज़ाहिर करने के लिये उस वक़्त उसको मख़फ़ी रखा। इसी तरह कुरआन शरीफ़ में अहकामे विलायत का भी नुज़ूल फ़र्माया जाकर खुदाए तआला ने यह इर्शाद फ़र्माया कि **ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ** फिर हम पर है उसका बयान। उन अहकामे विलायत का बयान खुदाए तआला ने अपने ज़िम्मे लेकर अपने ख़लीफ़ा यानि महेदी मौऊद के तवस्सुत (माध्यम) से बवक़्ते ज़रूरत उनको ज़ाहिर फ़र्माया इसी वास्ते तमाम फ़राइजे विलायत का सुबूत भी आयाते कुरआनी से मिलता है हालाँकि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने नबूवत के ज़माने में अहकामे विलायत को ज़ाहिर और उनको फ़र्ज नहीं फ़र्माया था जो आलियत और एहसान पर मन्बी थे जिनकी तफ़सील आगे आयेगी।

अगर कोई हक़ बीन और हक़ तलब हो तो दूसरे दलायल और सुबूत के अलावा सिर्फ़ शबे क़द्र का एक वाक़ेआ हज़रत सय्यद मुहम्मद जोनपूरी को महेदी मौऊद मान लेने के लिये काफ़ी से ज़्यादा है।

नमाज़े तहज्जुद :

अल्लाह तआला फ़र्माता है : और कुछ हिस्सा रात में बेदार हुवा करो और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो यह रात को जागना तुम्हारे लिये सबसे ज़ियादत है करीब है कि तुम्हारा रब तुमको मक़ामे महमूद में दाखिल करे (१७:७९)

नमाज़े तहज्जुद की आम निख्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيْنِ صَلَاةَ التَّهَجُّدِ مُتَابِعَةً الْمَهْدِي الْمَوْعُودَ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसल्लिय लिल्लाहि तआला रकअतैनि सलातित् तहज्जुदि मुताबिअतल् महेदीयल मौऊद मुतवज्जहन् इला जिहतिल काअबतिश् शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर

यह नमाज़ दो पहेर रात के बाद से सुब्ह की नमाज़ का वक़्त शुरू होने से पहले तक दुगाना तहीयतुल वुजू की अदाइ के बाद दस दुगानों में पढ़ी जाती है और उसके बाद नमाज़े वित्र और नमाज़े तरावीह में जो दुआएँ पढ़ी जाती हैं वह भी पढ़ी जाती हैं।

इसके पढ़ने की इजाज़त अपने पीरो मुर्शिद या सनदी पढ़ने वाले बुज़र्ग से हासिल करके पढ़ना चाहिये वना नफ़ा के बजाय नुक़सान होने का अंदेशा है।

शरायत नमाज़े तहज्जुद : (१) साहबे सनद से इजाज़त लेकर पढ़ना, (२) सो के उठ कर पढ़ना, (३) दो पहेर रात के बाद पढ़ना, (४) वुजू से पढ़ना, (५) खड़े होकर पढ़ना, (६) नमाज़ पढ़ने के बाद तुलूअ आफ़ताब तक न सोना।

यह नमाज़ तमाम इबादाते मक़बूला और हसनात और ख़ूबियौ और नेअमतों का मजमूआ और मदारिज व मरातिब की तरक्की का ज़ीना और समराते आख़िरत का ख़ज़ीना है। इस की अदाई का वक़्त कुछ ऐसा ख़ासुल ख़ास और मुक़द्दस है कि निहायत परेशान और गूनागूं ख़याल वाले को भी उस वक़्त यक सूई और ख़ातिर जमई (इतमेनान) हासिल होजाती है इस लिये कि उस मुक़द्दम वक़्त में तहज्जुद गुज़ार के ख़याल को परेशान करने और दूसरे जानिब फेरने के लिये कोई आहट और आवाज़ उसके कान तक नहीं पहुंचती और तहज्जुद गुज़ार की रुह और दिल व दिमाग़ को जो एक पुर लुत्फ़ कैफ़ियत और ताज़गी हासिल होती है बग़ैर अमल के कहने सुन्ने से उसका एहसास नहीं हो सकता।

जो हज़रात सुब्ह की नमाज़ को पहले वक़्त उठने के आदी हों वह अपने आदती वक़्त से एक या देढ़ घंटा पहले उठा करें तो वह आसानी से इस खास मक़बूला इबादत की अदाइ का शर्फ़ व सम्रा (फल) हासिल करने के आदी हो सकते हैं। इसकी अदाइ के लिये अपनी मुस्तआर चंद रोज़ा ज़िन्दगी को ग़नीमत जान कर इस मुक़द्दस और क़ीमती वक़्त को खाबे ग़फ़लत में सोते हुवे खोना नहीं चाहिये और खुद को खाहिशाते नफ़्सानी में मुब्तला करके और आराम व राहत का आदी बना कर घाटे में न रहना चाहिये चुंकि

मेहनत का यह मकाँ है

आराम याँ कहाँ है

मेहमान तन में जाँ है

आख़िर को सब फ़ना है

(चंद ही रोज़ में तमाम अज़ीज़ व अकारिब की बेदरदी के साथ जंगल और तन्हाई में मिट्टी और कीड़ों के हवाले कर दिया जायेगा इस लिये वही हस्तियाँ अक़लमंद और कामयाब हो सकती हैं जो इस वाक़िये से पहले ही खुदाए तआला के इश्क़ और रियाज़त में फ़ना फ़िल्लाह होजायें।)

पिछली रात और सुब्ह में देर तक सोने वालों को दीनी नुक़सान के अलावा दुन्यावी मआमलात और कारोबार में भी बड़ा हर्ज और नुक़सान होता है और सुस्ती पैदा होकर सिहत पर मुज़िर (हानिकर) असरात पड़ कर तमाम आज़ा जल्द ख़राब और बेकार हो जाते हैं।

अहकाम नमाज़े मुसाफ़िर - अल्लाह तआला फ़र्माता है : और जब तुम सफ़र को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज़ को कम करके पढ़ो अगर तुम को ख़ौफ़ हो कि काफ़िर लोग तुम को कष्ट देंगे बेशक काफ़िर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं (४:१०१)।

★ सफ़र जो तीन मन्ज़िल का हो उस में चार रकात वाली फ़र्ज़ को दो ही रकात पढ़ना चाहिये। काफ़िरों के सताने का डर उस वक़्त था जब कि यह हुक़म आया इस से हर वक़्त के लिये माफ़ी मिली और पूरी न पढ़े कि अल्लाह की बख़शिश से बे पर्वाही होती है लेकिन सुन्नत के लिये यह हुक़म नहीं है।

★ जो शख़्स अपने वतन और रहने के मक़ाम को छोड़ कर औसत चाल से तीन मन्ज़िल जाने का सफ़र इख़तियार करे तो उसके लिये चार रकात वाली नमाज़ों यानि जुहर, असर और इशा में सहूलत और आसानी के लिये क़सर यानि दो रकात पढ़ने का हुक़म खुदाए तआला ने दिया है। अगर कोई शख़्स सफ़र में यह नमाज़ें पूरी चार रकात पढ़े तो खुदाए तआला की बख़िश (उपहार) और इनआम से रुग़र्दानी (मुहं फेरलेना) होती है और इस वजह से गुनाहगार होगा।

- ★ मुसाफ़िर को पूरी नमाज़ पढ़ना मक़ूहे तहरीमी है मगर फ़र्ज़ अदा हो जायेगा और दो रकात नफ़िल हो जायेंगे और अगर मुसाफ़िर क़ाअदए ऊला न करे तो नमाज़ वातिल हो जायगी, इस लिये मुसाफ़िर के लिये क़ाअदए ऊला फ़र्ज़ है।
- ★ दो और तीन रकात वाली नमाज़ और वाजिब और चार रकात वाली सुन्नतों में क़स्र नहीं है। (२,७)
- ★ कोई मुसाफ़िर हालते सफ़र में अपने शहर या किसी और शहर या क़सबे में दाख़िल होकर पंदरह रोज़ वहाँ रहने का इरादा करले तो वह मुक़ीम होगया, उसको पूरी चार रकातें पढ़ना चाहिये। अगर आज कल निकलने का या पंदरह रोज़ से कम रहने का इरादा किया था कुछ निख्यत नहीं की तो उसको दो रकात क़स्र पढ़ते रहना चाहिये अगरचे कि एक साल या ज़्यादा उसी तरह गुज़र जाये। (२)
- ★ साल में जो सब से छोटे दिन होते हैं उन दिनों में प्यादा या ऊंट पर औसत चाल से तीन दिन की मसाफ़त (अंतर) तै करने वाले को शरीअत में साहबे क़स्र मुसाफ़िर कहते हैं। (६)
- ★ किसी शहर के दो रास्ते हों एक दो रोज़ की मसाफ़त का और दूसरा तीन रोज़ की मसाफ़त का तो ऐसी सूरत में मुसाफ़िर जो रास्ता इख़तियार करेगा उस पर उसी रास्ते का हुक्म जारी होगा यानि दो रोज़ की मसाफ़त का रास्ता चलने वाले पर क़स्र का हुक्म न होगा और तीन रोज़ की मसाफ़त का रास्ता चलने वाला क़स्र करेगा। (६)
- ★ कोई शहर या मक़ाम औसत चाल से तीन रोज़ की मसाफ़त पर वाक़ेअ हो उसको रेल वग़ैरह तेज़ रफ़्तार सवारी से जल्द तै किया जाये तो वह मुसाफ़िर शरई साहबे क़स्र होगा। (६)
- ★ जो शख्स मुसाफ़िरत इख़तियार करके अपने शहर की आबादी को पीछे छोड़ कर ता वक्तेकि अपने वतन की आबादी में दाख़िल न हो मुसाफ़िर सम्झा जायेगा।(५,६)
- ★ वतने असली उसको कहते हैं जहाँ पर वह और उसके अहल (परिवार) रहते हों और वतने इक़ामत वह है जहाँ पंद्रह दिन या उस से ज़्यादा रहने की निख्यत करे। (५)
- ★ अगर हुक्काम (अफ़सरान) अपने इलाके में दौरह करें तो अगर दौरह मसाफ़ते शरई की मिक्दार का हो तो नमाज़ें क़स्र पढ़ें वना पूरी अदा करें। (५)
- ★ अगर मुसाफ़िरे शरई चार रकात वाली फ़र्ज़ को भूल कर पूरी पढ़ ले तो आख़िर में सज्दए सहव करे, दो फ़र्ज़ होंगी और दो नफ़िल, अगर क़सदन् पूरी नमाज़ पढ़ेगा तो गुनाहगर होगा। (७)

★ चार रकात वाली सुन्नतों को हर गिज़ क़सूर नहीं करना चाहिये अगर उनके अदा होने का इतमेनान न हो तो सफ़र में उनका तर्क करदेना मुजायका (हर्ज) नहीं है। (६)

निय्यत नमाज़े क़सर

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى أَدَيْتُ بِقَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ فَرَضَ هَذَا
الْوَقْتِ افْتَدَيْتُ بِهَذَا الْإِمَامِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसल्लिय लिल्लाहि तआला अर्बअ रकआतिन् (सलतिज़् जुहरि/सलातिल् अस्रि/सलातिल् इशा) फ़रज़ल्लाहि तआला अद्वैतु बि क़सूरिर् रकअतैनि फ़र्ज़ हाज़ल् वक्ति इक़तदैतु बि हाज़ल् इमामि मुतवज्जहन् इला जिहतिल काअबतिश् शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर। (१)

★ जो नमाज़ हो उसी नाम के साथ निय्यत करनी चाहिये।

★ अगर मुक़ीम (निवासी) किसी मुसाफ़िर अहले क़सूर की इक़तिदा करे तो इमाम सलाम फेरने के बाद खुद तन्हा खड़ा हो कर बाकी दो रकात अदा करले और अगर मुसाफ़िर मुक़ीम की इक़तिदा करे तो पूरी चार रकात पढ़े और निय्यत में रकात का तअय्युन न करे बल्कि निय्यत फ़र्ज़ जुहर या अस्र की करे। (४)

★ जो शख्स सफ़र का इरादा किये बग़ैर दुन्या के गिर्द फिर जाये तो क़सूर न करे मसलन् दो मन्ज़िल की निय्यत की और जब दूसरी मन्ज़िल पर पहुंचा तो फिर आगे जाने की निय्यत की इसी तरह तमाम दुन्या में फिर जाये तो क़सूर न करे। (७)

★ कोइ शख्स चार मन्ज़िल के सफ़र के इरादे से अपने शहर से निकले और दो मन्ज़िल जाने के बाद वापसी की निय्यत की तो उस वक़्त से पूरी नमाज़ पढ़े और अगर तीन मन्ज़िल जा कर वापस हो तो अपने शहर में आने तक क़सूर करे। (६,७)

★ हज़र की क़ज़ा शुदा नमाज़ सफ़र में चार रकात पढ़ी जाये और सफ़र की क़ज़ा शुदा नमाज़ हज़र में क़सूर की जाये। (२,४,६,७)

★ हालते सफ़र में क़िब्ले की सिम्त मालूम न हो तो ग़ौर व फ़िक्क करे, जिस जानिब क़िब्ला होने का यक़ीन हो उस तरफ़ नमाज़ अदा करे, इस हालत में ग़ौर व फ़िक्क के बग़ैर नमाज़ जायज़ नहीं होती।

हालते सवारी में नमाज़ :

★ हालते सवारी में नमाज़ फ़र्ज और वाजिब नमाज़ सवारी पर किसी उज़र (कारण) के बग़ैर जायज़ नहीं है। सवारी में गाड़ी और महमिल (ऐसी सवारी जिसे कोई आदमी या जानवर उठा कर चलता है) भी दाख़िल है। उज़र यह है कि चोर या दरिन्दे का ख़ौफ़ हो या बारिश या ज़मीन में गारा वग़ैरह हो या साथी चले जायें या औरत को किसी बद् कार का ख़ौफ़ हो। जिस सवारी को ठहराने पर कुद़त हो तो चलती सवारी पर नमाज़ दुरुस्त नहीं है, अगर ठहराने पर कुद़त न हो तो उसी तरह पढ़ ले और कुद़त के बाद नमाज़ का एआदा उसके ज़िम्मे नहीं जिस तरह बीमार के ज़िम्मे एआदा नहीं है। (७)

★ रेल अगर खड़ी हो तो उस पर फ़र्ज, वाजिब, सुनन्, नवाफ़िल बिल इत्तेफ़ाक़ दुरुस्त हैं और अगर रेल चलती हो तो उस में सिर्फ़ सुन्नतें और नवाफ़िल की अदाइ बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ है। अदाइ इस तरह हो कि गाड़ी जिस तरफ़ जा रही हो उसी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ अदा की जाये, अलबत्ता चलती रेल में फ़र्ज और वाजिब नमाज़ पढ़ने के बारे में उलमा का इख़तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं कि चलती रेल में फ़र्ज और वाजिब नमाज़ दुरुस्त नहीं है और बाज़ दुरुस्त कहते हैं।

★ जो दुरुस्त नहीं कहते हैं उनकी दलील यह है कि रेल हर जगह इतनी देर ठहरती है कि उस में आदमी नमाज़ छोटी सूरतों से मुसाफ़िरों की तरह पढ़ सकता है और हर एक नमाज़ के वक़्त में इतनी वुसअत है कि इस क़दर अरसे में रेल किसी जगह ज़रूर ठहरती है तो रेल के सवार को कोई उज़र नहीं है।

जो दुरुस्त है कहते हैं उनकी दलील यह है कि आदमी जिस नमाज़ के अदा करने का इरादा करले उस वक़्त उस को उज़र हो तो उस उज़र का एतेबार किया जायेगा अगरचे उस नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने से पहले उस का उज़र भी ख़त्म होजाने की उमीद हो।

पस चलती रेल पर से उतरने से आजिज़ होना उज़रे सरीह है फिर क्या वजह है कि नमाज़ जायज़ न हो, हालाँकि अगर नमाज़ी तयम्मूम से अब्वले वक़्त नमाज़ पढ़ ले और यह जाने कि वक़्त बाक़ी रहने तक पानी मिल जायगा तो उसकी नमाज़ हो जायगी, कोई उसके अदम जवाज़ का क़ायल नहीं है क्योंकि जिस वक़्त नमाज़ अदा की उस वक़्त पानी पर क़दिर नही था।

लेकिन ग़ायतुल औतार के मुतर्जिम (अनुवादक) ने कुतुबे फ़िक़ह के तरफ़ रुजूअ करके यह बतलाया है कि नमाज़ के जायज़ रखने वालों का क़ौल दुरुस्त है। चुनांचे शामी ने उसकी एक नज़ीर लिखी है कि मुसाफ़िर क़ाफ़िलय हुज्जाज में जो उज़र के सबब् उतर नहीं सकता और वक़्त ख़त्म

होने से पहले उज़र भी ख़त्म होने की उमीद रखता है क्या उस को दुरुस्त है कि मसलन् इशा की नमाज़ ऊंट पर या महमिल में अब्वले वक़्त पढ़ ले या उस वक़्त तक देर करे कि सब काफ़िला इशा के लिये उत्रे। पस ज़ाहिर यह है कि अब्वले वक़्त पढ़ले जैसे तयम्मूम से अब्वले वक़्त नमाज़ दुरुस्त है अगरचे उमीद हो कि नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने से पहले पानी मिल जायेगा।

तो मालूम हुवा कि नमाज़ के जवाज़ में कुछ तरद्दुद (उधेड़ बुन) नहीं है लेकिन वक़्त बाक़ी रहने तक तवक्कुफ़ (देर) करे और रेल के ठहरने पर नमाज़ पढ़े तो यह सूरत एहतियात की है। (७)

क़ज़ा नमाज़ की निय्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيْنِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى أَدَيْتُ قَضَاءً مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ
الْكُعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसल्लिय लिल्लाहि तआला रकअतैनि सलातिल (फ़ज़ि) फ़रज़ल्लाहि तआला
अददैतु क़ज़ाअन् मुतवज्जहन् इला जिहतिल् काअबतिश् शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर

★ हर क़ज़ा नमाज़ की निय्यत में सिर्फ़ अददैत क़ज़ाअन् ज़्यादा करना चाहिये बाक़ी सब इस्बे दस्तुर।

★ फ़ज़्र की क़ज़ा नमाज़ उसी रोज़ सवा पहर तक अदा को जाये तो सुन्नत की क़ज़ा भी पढ़नी चाहिये, उसके बाद या दूसरे नमाज़ों की सुन्नत की क़ज़ा नहीं पढ़नी चाहिये, वित्र की और दूसरे फ़रायज़ की क़ज़ा पढ़नी चाहिये। (१)

★ क़ज़ा शुदा नमाज़ को इक़ामत और जमाअत के साथ जहरिय नमाज़ की क़ज़ा जहर (ऊंची आवाज़) के साथ और सिर्रिय नमाज़ की क़ज़ा सिर (आहिस्ता) पढ़ना चाहिये। अगर जहरिय क़ज़ा नमाज़ तन्हा पढ़े तो आहिस्ता पढ़ना चाहिये और साहबे तर्तीब को क़ज़ा नमाज़ तर्तीब से पढ़ना फ़र्ज़ है यानि पहले क़ज़ा उसके बाद वक़्तिया अदा करे। अगर साहबे तर्तीब क़ज़ा नमाज़ को याद रख के वक़्तिया नमाज़ पढ़ेगा वो वक़्तिया नमाज़ फ़ासिद होगी पाँच नमाज़ों तक और अगर छेह नमाज़ें वक़्तिया पढ़ा और उनके दर्मियान में फ़ौत शुदा नमाज़ की क़ज़ा न पढ़ा तो तमाम नमाज़ें सहीह होजायेंगी, नज़दीक इमाम आज़म रहे० न नज़दीक साहेबैन के।(४)

★ साहबे तर्तीब उसको कहते हैं जिस शख्स के ज़िम्मे छेह नमाज़ों से कम क़ज़ा हों ख़ाह एक हो या पाँच तक और जिस के ज़िम्मे छेह नमाज़ें क़ज़ा हों वह साहबे तर्तीब नहीं है और जो साहबे तर्तीब न हो उस पर पहले क़ज़ा बाद अदा की तर्तीब लाज़िम नहीं है।

नमाज़ उम्र क़ज़ा की निय्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى رَكَعَتَيْنِ صَلَوةِ الْفَجْرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى أَدَيْتُ صَلَوةَ تَكْفِيرَاتِ
التَّقْصِيرَاتِ عَنْ دَمْتِي مَا قَضَى عُمْرِي وَمَاقَاتِ مَنِي مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतु अन् उसलिय लिल्लाहि तआला रकअतैनि सलातिल् फ़ज़्रि फ़रज़ुल्लाहि तआला अद्दैतु
सलाति तकफ़ीराति तक्रसीराति अन् जिम्मती मा क़ज़ा उम्री व मा फ़ाता मिन्नी मुतवज्जहन्
इला जिहतिल् काअबतिश, शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर

(मैं निय्यत करता हूँ कि नमाज़ पढ़ूँ अल्लाह तआला के वास्ते दो रकात फ़ज़्र की अल्लाह तआला के फ़र्ज़ नमाज़ की
में अदा करता हूँ उस नमाज़ को जो मेरे जिम्मे है उन तक़सीरात का कफ़ारा है वह नमाज़ जो मेरी उम्र में क़ज़ा
हो कर मुझ से फ़ौत हो चुकी है काअबा शरीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह हो कर - अल्लाह तआला बुहत बुज़र्ग़ है।)

★ इसी तरह दूसरे नमाज़ों और वित्र की निय्यत की जाये।

★ नमाज़ क़ज़ाये उम्री पढ़ने के दो तरीके हैं। एक यह कि पांचों नमाज़ों और वित्र को किसी
एक नमाज़ के वक़्त पढ़ते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हर एक नमाज़ और वित्र की क़ज़ा उसी
नमाज़ के वक़्त पढ़ते हैं।

★ बाज़ हज़रात पहले फ़र्ज़ वक़ती और बाद में क़ज़ा उम्री लेकिन अस्र और फ़ज़्र के पहले
क़ज़ा पढ़ते हैं और बाज़ हज़रात पहले क़ज़ा उम्री बाद में फ़र्ज़ वक़ती अदा करते हैं। यह हज़रात
भी मग़रिब के बाद क़ज़ा पढ़ते हैं। बहर हाल जिस तरह शुरू की जाये उसकी पाबन्दी की जाती
है। क़ज़ाए उम्री को शुरू करने के बाद नमाज़े वक़ती को जितना हो सके क़ज़ा न होने देना चाहिये
अगर कभी भूले चूके क़ज़ा हो जाये तो उसी रोज़ क़ज़ा पढ़ लें। (१)

बुज़र्ग़ाने दीन ने शरायत मौजूद न होने की वजह से नमाज़े जुमआ और ईदैन नहीं पढ़ी
हैं और राक़िम (लेखक) भी नहीं पढ़ता लेकिन बाज़ हज़रात पढ़ रहे हैं इस लिये रिसाले की
तकमील के लिये उसके अहकाम भी नीचे लिखे जा रहे हैं।

अहकाम नमाज़े जुमआ : अल्लाह तआला फ़र्माता हैं : ऐ लोगो जो ईमान लाये हो जब
जुमआ के दिन नमाज़ के लिये अज़ाँ दी जाये तो खुदा की याद यानि नमाज़ के लिये जल्दी करो
और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो (६२:९)।

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जुमआ हक़ है वाजिब है हर मुसलमान पर जमाअत
से सिवाय चार लोगों के यानि गुलाम, औरत, लड़का और बीमार, रिवायत किया इसको अबू
दाऊद ने तारिक़ बिन शहाब से। (२)

★ वाज़ेह हो कि नमाज़े जुमआ फ़र्ज़ है उसका मुन्क़िर काफ़िर होता है लेकिन नमाज़े जुमआ के फ़र्ज़ होने की कई शरतें हैं जिन की तफ़सीली बहस फ़िक़ह की अकसर किताबों में मौजूद है और फ़तावा वग़ैरह भी हैं।

★ जो शरायत नमाज़े जुमआ के सहीह होने के हैं वह शरायत न पाये जाने के बावजूद कोई शख्स नमाज़े जुमआ पढ़े उसकी नमाज़ न होगी यानि जुहर का फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे से न उतरेगा, नमाज़े जुहर फिर उसको पढ़नी होगी और चूँकि यह नमाज़ नफ़िल होगी और नफ़िल का इस एहतेमाम से पढ़ना मक़ूह है इस लिये ऐसी हालत में नमाज़े जुमआ पढ़ना मक़ूह तहरीमी है। (५)

★ जुहर के वक़्त नमाज़े जुमआ पढ़ी जाती है। नमाज़े जुमआ के पहले इमाम अबू हनीफ़ा रहे० के पास ख़ुत्बा एक तस्बीह के मुवाफ़िक़ पढ़ा जाये तो काफ़ी है और इमाम मुहम्मद रहे० और इमाम अबू यूसुफ़ रहे० के पास ख़ुत्बा तवील पढ़ा जाये और इमाम शाफ़ई रहे० के पास दो ख़ुत्बे ज़रूरी है और इमाम आज़म रहे० के पास दो ख़ुत्बे पढ़ना सुन्नत है, हर ख़ुत्बे में हम्द (ख़ुदा की तारीफ़) और दुआ और तक्रवा का हुक्म हो। इमाम बा तहारत खड़ा हो कर दो ख़ुत्बे पढ़े और दोनों के बीच में एक बार बैठ जाये। इमाम ख़ुत्बे को पूरा करके मेम्बर पर बैठने के बाद दूसरी बार इमाम के रुबरु अज़ाँ कही जाये और तवील ख़ुत्बा पढ़ना मक़ूह है और जब इमाम ख़ुत्बा पढ़ने को उठे उस वक़्त नमाज़ पढ़ना या बात करना हराम है और लोग इमाम के तरफ़ मुंह करके ख़ुत्बा सुनें। ख़ुत्बा तमाम होने के बाद इक़ामत कही जाये और इमाम जमाअत के साथ नमाज़े जुमआ के दो रकात पढ़े। (२)

अहकाम नमाज़े ईदैन :

★ नमाज़े ईदैन इमाम आज़म रहे० के पास वाजिब है और अकसर अइम्मा के पास सुन्नत है। (२,४)

★ जो शरायत जुमआ के वास्ते हैं वही शरतें ईदैन के वास्ते भी हैं मगर ख़ुत्बा ईदैन में शर्त नहीं सुन्नत है और नमाज़ के बाद पढ़ा जाता है। (२,७)

★ ईद की नमाज़ का वक़्त आफ़ताब (सूर्य) एक नेज़ा ऊंचा होने से ज़वाल के पहले तक है। आफ़ताब एक नेज़ा बुलंद होने से पहले पढ़ी जाये तो दुरुस्त न होगी बल्कि हराम होगी। नेज़े की बुलंदी की मिक्दार बारह बालिशत यानि तीन गज़ है। (७,९)

★ ईदुल फ़ित्र के रोज़ नमाज़ के पहले खाना या शीरनी या ख़ुर्मा (खजूर) गिन्ती में ताक़ (एक, तीन, पाँच, सात वग़ैरह) खालेना मुस्तहब है। (२,७)

★ अफ़ज़ल यह है कि नमाज़े ईदुल फ़ित्र की अदाइ में देर की जाये और नमाज़े ईदुल अज़हा में जल्दी। (६)

★ ईद की नमाज़ गाँव में मक़्रूहे तहरीमी है चूँकि नमाज़े ईद पढ़ना गाँव में ऐसी चीज़ में मशगूल होना है जो दूरुस्त नहीं है इस लिये कि सिहते ईद की शर्त शहर है और वह शर्त गाँव में मफ़कूद है इस लिये गाँव में नमाज़े ईद सहीह नहीं है अगर पढ़ी जाये तो नमाज़े ईद न होगी और नफ़िल जमाअत से होगी और वह मक़्रूह है। (७)

★ ईदुल अज़हा के रोज़ नमाज़े ईद के बाद खाना मुस्तहब है अगरचे कि कुरबानी न करे। सहीह तर क़ौल में अगर खालेगा तो मक़्रूहे तहरीमी न होगा और जिन चीज़ों से रोज़े का इफ़तार होता है उन से नमाज़ के बाद तक रुकना चाहिये क्योंकि सहाबा रज़ी० से अख़बारे मुतवातिर में है कि कुरबानी की ईद की सुब्ह को लड़कों को खाना खाने से और शीर ख़ारों को दूध से रोक देते थे।^(४४) (७, १०)

तिलावते कुरआने पाक के फ़जायल

मसे मस्हफ़ (कुरआन को छूने) के लिये तहारत शर्त और वुजू वाजिब है।(७)

तमाम उलमा का इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि बे गुस्ल यानि ना पाक हालते जनाबत में और हैज़ और निफ़ास वाली औरत को क़रआन पाक पढ़ना हराम है।

अल्लाह तआला फ़र्माता है : अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो वह खुदा के ख़ौफ़ से दब जाता और फट जाता। (५९:२१)

★ कारी को तिलावते कुरआन पाक के वक्त उसकी शान व अज़मत (महानता) और बुजुर्गी (प्रतिष्ठा) के लिहाज़ से तहारते ज़ाहिरी व बातिनी के साथ निहायत पुर ख़ौफ़ और बा अदब

(४४) - ईद के रोज़ गुस्ल करना, खुशबू लगाना और अच्छे कपड़े पहना मुस्तहब है।

- नमाज़े ईद शहर से बाहर जा कर मैदान में अदा करना चाहिये।

- ईद गाह को एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना मुस्तहब है।

- ईद की नमाज़ में कोई अज़ाँ या इक़ामत नहीं है।

- ईद की नमाज़ से पहले या बाद में कोई सुन्नत नमाज़ नहीं है।

- ईद की नमाज़ की दो रकअतें हैं।

- नमाज़े ईद की पहली रक़ात में तकबीरे तहरीमा के अलावा क़िरात से पहले यके बाद दीगरे तीन तकबोरें कही जाती हैं। दूसरी रक़ात में क़िरात ख़त्म करने के बाद फिर तीन तकबीरें उसके बाद चौथी तकबीर कह कर रूकु में जाते हैं

रह कर बुहत ही इत्मेनान और खातिर जमई और सहूलत और अलफ़ाज़ और ऐअराब (मात्राएं) की पूरी सिहत के साथ अहकामात (आदेशों) और मतालिब (अर्थ) को समझते हुवे उन पर अमल करने की निय्यत से हुज़ूरे क़ल्ब व खुशू व खुज़ू के साथ आयाते वईद (सज़ा देने का वादा) के मक़ामात पर जो एक हज़ार हैं बुहत ही ख़ौफ़ व लरज़ाँ व हिरासाँ व ज़ारी कुनाँ रह कर वादे की आयात की जगह जो एक हज़ार हैं शुक्र गुज़ार होकर उसके फ़ज़्ल व करम व रहमत के उमीदवार रहना चाहिये।

★ हज़रत अली रज़ी० ने फ़र्माया कि उस इबादत में कुछ बेहतरी नहीं जिस में समझ नहीं और उस क़िरात में जिस में फ़िक्र नहीं।

★ हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहे० ने फ़र्माया है कि अपने आप को कुरआन मजीद के ख़त्मों की गिन्ती पर फ़रेफ़ता न करो बल्कि एक आयत का सोच कर पढ़ना सारी रात में दो ख़त्म करने से बेहेतर है।

★ रिवायत है कि तीन रोज़ से कम और चालीस रोज़ से ज़्यादा मुद्दत में कुरआन शरीफ़ ख़त्म करना मक्रूह है।

★ बुखारी शरीफ़ में हज़रत उसमान रज़ी० से रिवायत है कि रसूले करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि तुम में बेहेतर वह शख्स है जो कुरआन को सीखे और दूसरों को सिखाये।

★ तिर्मिज़ी में इब्न मसऊद रज़ी० से रिवायत है कि रसूले करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जिस ने कुरआन का एक हर्फ़ (अक्षर) पढ़ा तो उस को एक नेकी मिलेगी जो दूसरे आमाल की दस नेकियों के बराबर होगी।

★ तमाम सहाबा और उलमा का इत्तेफ़ाक़ है कि फ़रायज़ के बाद कुरआन की तिलावत तमाम दुरूद और वज़ायफ़ से बेहेतर है।

★ सही मुसलिम में अबू हुरेरह रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत रसूले करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि तुम कुरआन पढ़ा करो क़ियामत के रोज़ पढ़ने वालों को यह शफ़ाअत करेगा।

★ तिर्मिज़ी, दारमी और बैहकी में अबू सईद रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत रसूले करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि खुदा तआला फ़र्माता है कि जिस को कुरआन की तिलावत ने मुझ से अपनी हाजतों के मांगने से रोका तो मैं तमाम मांगने वालों से ज़्यादा उसकी हाजतों और दिल की मुरादों को पूरा करूंगा।

कुरआन पढ़ने में सावधानी :

वाज़ेह हो कि सूरह फ़ातिहा में सात मक़ाम ऐसे हैं कि एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ के साथ मिला कर पढ़ा जाये तो वह शैतान का नाम होजाता है और इस तरह पढ़ने में कुफ़्र का अंदेशा है। शैतान के वह सात नाम यह हैं **دُلُّ هَرَبٌ كَيْوُكْنَعُ كَنْسٌ نَعْلُ بَعْلٌ**

कुरआन शरीफ़ में सत्रह मक़ाम ऐसे हैं कि किसी हर्फ़ पर ज़बर की जगह ज़ेर और ज़ेर की जगह पेश और पेश की जगह ज़बर पढ़ा जाये तो मानों (अर्थ) की तब्दीली की वजह से कुफ़्र आयद होजाता है और इस तरह पढ़ने वाले के कुफ़्र पर तमाम उलमा का इत्तेफ़ाक़ है। चूंकि हर मोमिन मुसलमान पर तिलावते कलामे मजीद ज़रूरी है इस लिये उन मक़ामात की तशरीह वज़ाहत के साथ किताब *अर्मग़ाने बत्हाई* वग़ैरह से की जाती है।

- १) सूरह फ़ातिहा में अनअम्त की **ت** त पर ज़बर है इसका माना यह है कि “इन्आम किया तू ने”। अगर उस **ت** पर पेश **أَنْعُمْتُ** पढ़ा जाये तो यह माना होगा कि “इन्आम किया मैं ने”, ऐसा पढ़ना कुफ़्र है।
- २) पहले पारे में सूरह बकरह की आयत १२४ **إِذَا بَنِيَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ** का माना यह है कि “जब इब्राहीम की उसके रब ने कुछ बातों में परीक्षा ली”। अगर इब्राहीम की **मीम (م)** पर ज़बर के बजाय पेश पढ़ें और **رَبُّهُ** के **ب** पर पेश **بُ** के बजाय ज़ेर पढ़ें तो माना यह होगा “जब परीक्षा ली इब्राहीम ने अपने रब की”। *मआज़िल्लाह*
- ३) दूसरे पारे में सूरह बकरह की आयत २५१ में है **فَتَلَّ دَاوُدُ جَالُوتَ** जिसके माना है “दाऊद ने जालूत को मार डाला”। अगर दाऊद की आखिरी **दाल द** पर पेश के बजाय ज़बर और जालूत की **त** पर ज़बर की जगह पेश पढ़ें तो माना (अर्थ) हेगा “जालूत ने दाऊद को मार डाला” जो उलटा है।
- ४) तीसरे पारे में सूरह बकरह की आयत २६१ में **وَاللَّهُ يُضَاعِفُ** आया है जिसका माना है “अल्लाह दूना करता है (बढ़ाता है)”। अगर युज़ाइफ़ु के **ऐन ع** पर ज़ेर के बजाय ज़बर पढ़ें तो यह माना होगा “अल्लाह दूना किया जाता है” और ऐसा पढ़ना कुफ़्र है।
- ५) छठे पारे में सूरह निसा की आयत १६५ **رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ** की **ज़ाल ذ** को ज़ेर है जिस का माना है “इन सब रसूलों को खुशी की ख़बर देने वाले और डर सुनाने वाले बना

कर भेजा”। अगर ज़ाल पर ज़ेर के बजाय ज़बर पढ़ें तो माने यह होंगे कि “डरे हुए पैग़म्बर बना कर भेजा”। *नऊज़ु बिल्लाहि*

- ६) दसवें पारे में सूरह तौबा की तीसरी आयत में रसूलुहू *أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ* की लाम ُ पर पेश है और माना यह है “अल्लाह मुश्रिकों से बरी है और उसका रसूल भी”। अगर उस लाम पर पेश के बजाय ज़बर पढ़ें तो यह माने होंगे “अल्लाह बरी है मुशिकों से और अपने रसूल से”। *नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक*
- ७) पंदरवें पारे में सूरह बनी इसराईल की आयत १५ *وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ* की ज़ाल पर ज़ेर है जिसका माना यह है “हम सज़ा नहीं देते”। अगर उस ज़ाल पर ज़ेर के बजाय ज़बर पढ़ें तो यह माना होगा “हम सज़ा नहीं दिये गये”। *नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक*
- ८) सोलवें पारे में सूरह ता हा की आयत १२१ में *وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ* की ब पर ज़बर है और उसका अर्थ है “और आदम ने अपने रब की ना फ़र्माती की”। अगर उस ब पर ज़बर के बजाय पेश पढ़ें तो यह माना होगा “उसके रब ने आदम की नाफ़र्माती (अवज्ञा) की”। *नऊज़ु बिल्लाह*
- ९) सत्रहवें पारे में सूरह अम्बिया की आयत *إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ* में कुन्तु की त त पर पेश है और उसका उर्थ है “बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। अगर त त पर पेश के बजाय ज़बर पढ़ें तो यह अर्थ होगा “बेशक तू ज़ालिमों में से है”। ऐसा पढ़ना कुफ़्र है। *नऊज़ु बिल्लाह*
- १०) उनीसवें पारे में सूरह शुअरा की आयत १९४ *لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ* की ज़ाल पर ज़ेर है और उसका अर्थ है “ताकि तू डराने वालों में से हो”। अग ज़ाल पर ज़ेर के बजाय ज़बर पढ़ें “तो अथे होगा ताकि तू डराये गये में से हो”। *नऊज़ु बिल्लाह*
- ११) बाइसवें पारे में सूरह फ़ातिर की आयात २८ *إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ* में अल्लाह की ह पर ज़बर है और उसका अर्थ है “अल्लाह से तो उसके बन्दों में बस ज्ञान वाले ही डरते हैं”। अगर उस ह पर ज़बर के बजाय पेश पढ़ें तो अर्थ यह होगा “अल्लाह डरता है उन ही बन्दों से जो ज्ञान वाले हैं”। *नऊज़ु बिल्लाह*

- १२) तेईसवें पारे में सूरह साफ़ात की आयत ७२ $وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ$ की ज़ाल पर ज़ेर है ज़बर पढ़ना कुफ़्र है। मानों की तबदीली ऊपर बयान होचुकी है।
- १३) अठाईसवें पारे में सूरह हश्म की आयत २४ $الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ$ में वाव و पर ज़ेर है उसका अर्थ है “पैदा करने वाला, ठीक ठीक बनाने वाला है सूरतें बनाने वाला है”। अगर मुसव्विर की वाव و पर ज़ेर के बजाय ज़बर पढ़ें तो माना होता है “सूरत बनाया गया है”
- १४) उन तीसवें पारे में सूरह हाक्का की आयत ३७ में $لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ$ की हम्ज़य सानी ۷ पर पेश है और उसका अर्थ है “कोई नहीं खायेगा उसको मगर बड़े गुनाहगार”। अगर पेश के बजाय ज़बर पढ़ें तो काफ़िर होजायगा।
- १५) उनतीसवें पारे में सूरह मुज़्मितल में आयत १६ $فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ$ की नून ن पर पेश है और माना है “नाफ़र्मानी की फ़िरओन ने रसूल की”। अगर पेश के बजाय ज़बर पढ़ें तो माना होगा “नाफ़र्मानी की रसूल ने फ़िरओन की”। *نكحوا بيللاह*
- १६) उनतीसवें पारे में सूरह वल-मुरसलात की आयत ४१ में $فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ$ की ज़ोय पर ज़ेर है और माना है “छाँव और चश्मों में”। अगर ज़ोय पर ज़ेर के बजाय ज़बर पढ़ें तो माना होगा “अबर के सायों में”।
- १७) तीसवें पारे में सूरह वन-नाज़िआत की आयत ४५ में $إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا$ की ज़ाल ۩ पर ज़ेर है। ज़बर पढ़ना मूजिबे कुफ़्र होगा जैसा कि ऊपर ज़िकर किया गया। (२७)

अहकाम सज्दाए तिलावत

हर मुसलमान आक़िल (बुद्धिमान) और बालिग़ सज्दे की आयत पढ़ने और सुन्ने वाले पर सज्दाए तिलावत वाजिब है। (२६)

- ★ सज्दे की आयत पढ़ने और सुन्ने वाले दोनों पर सज्दा अदा करने का हुकम बराबर है। (७)
- ★ काफ़िर, दीवाना, नाबालिग़ और हैज़ व निफ़ास वाली औरत अगर सज्दे की आयत पढ़ें

या सुने तो उस पर सज्दा वाजिब नहीं होता। अगर उन से कोई सुने तो सुन्ने वाले पर सज्दा वाजिब होता है। (५)

★ सज्दे की आयत किसी दूसरी ज़बान में पढ़ी जाये तो पढ़ने वाले पर सज्दा वाजिब होगा लेकिन सुन्ने वाले पर उस वक़्त वाजिब होगा जब कि उसको ख़बर दी जाये कि यह आयत सज्दे की पढ़ी गई और इसी तरह अरबी न जानने वाला भी उस वक़्त तक माअज़ूर रहेगा जब तक कि उसको मालूम न हो। (६)

★ अगर कोई शख्स हिज्जे करके सज्दे की आयत पढ़े तो न पढ़ने वाले पर सज्दा वाजिब है और न सुन्ने वाले पर। (६)

★ नमाज़ पढ़ने वाले से नमाज़ नहीं पढ़ने वाला और नमाज़ न पढ़ने वाले से नमाज़ पढ़ने वाला सज्दे की आयत सुने तो दोनों पर सज्दा वाजिब है। नमाज़ न पढ़ने वाला सुन्ने के बाद और नमाज़ पढ़ने वाला नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद सज्दा करे।

★ अगर किसी शख्स पर नमाज़ में सज्दा वाजिब हुवा हो तो नमाज़ में ही अदा करना चाहिये क्योंकि वह नमाज़ का जुज़ है, नमाज़ के बाद उसकी क़ज़ा नहीं हो सकती। जान बूझ कर उसको तर्क किया जाये तो गुनाहगार होगा। (७)

★ अगर नमाज़ में सज्दए तिलावत वाजिब हो तो फ़ौरन् अदा करना चाहिये, उसमें ताख़ीर मक़्रूहे तहरीमी है और अगर नमाज़ के बाहर हो तो ताख़ीर मक़्रूहे तन्ज़ीही है। (७)

★ अगर किसी ने नमाज़ में सज्दे की आयत पढ़ी और सज्दा करने से पहले नमाज़ फ़ासिद हो जाय तो नमाज़ के बाद सज्दा अदा करना चाहिये, इस लिये कि नमाज़ फ़ासिद होने से सज्दए तिलावत हो गया नमाज़ का न रहा। (५)

★ अगर किसी ने सज्दे की एक ही आयत को आते और जाते पढ़ा और सुन्ने वाले ने उस एक आयत को दो दफ़ा सुना तो पढ़ने वाले पर जगह बदल जाने की वजह से दो सज्दे वाजिब होंगे और सुन्ने वाले पर एक ही जगह की वजह से एक ही सज्दा, अगर सुन्ने वाले का मक़ाम भी बदल जाये तो उस पर भी जगह बदल जाने की वजह से दो सज्दे वाजिब होंगे। (५, १२)

★ तिलावत करने वाला तमाम सूरत को पढ़कर सज्दे की आयत को छोड़ देना मक़्रूह है और उसके बरख़िलाफ़ तमाम सूरत को न पढ़ कर सिर्फ़ सज्दे की आयत पढ़ना मक़्रूह नहीं है। (१२)

★ तिलावत के वक़्त सज्दे की आयत आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। (१२)

★ अगर एक जलसे (बैठक) में कई बार सज्दे की आयत पढ़ी जाय तो एक सज्दा काफी है। एक आयत पढ़ कर सज्दा किया जाये या आखिर में। (२)

★ अगर इमाम ने सज्दे की आयत पढ़ी तो मुक़तदी भी इमाम के साथ सज्दा करे अगरचे कि उस ने वह आय न सुनी हो। (२)

सज्दए तिलावत का मसनून तरीक़ा : नमाज़ से बाहर सज्दे की आयत पढ़ी या सुनी जाये तो खड़ा होकर हाथ उठाये बग़ैर अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा किया जाये और सज्दे के बाद अल्लाहु अकबर कह कर सीधे खड़े हो जाये, यह तरीक़ा सुन्नत है। (६)

सज्दए तिलावत की निय्यत

نَوَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ لِلَّهِ تَعَالَى سَجْدَةَ التَّلَاوَةِ مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ (ذوق شوق نماز)

नवैतु अन् अस्जुद लिल्लाहि तआला सज्दतत् तिलावति मुतवज्जहन् इला जिहतिल काअबतिश शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर

सज्दए तिलावत में पढ़ने की दुआ

तीन बार सुहान रब्बीयल आला

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

एक बार

أَنَا أَسْجُدُ لِلتَّلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَأَمَنْتُ بِالْقُرْآنِ فَأَغْفِرْ لِي يَا رَحْمَنُ أَنْتَ السُّبْحَانُ أَنْتَ السُّبْحَانُ أَنْتَ السُّبْحَانُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ تِلَاوَتِي عَلَى قُرْآنِكَ مُوجِبًا لِشَفَاعَتِي فِي يَوْمِ الْقِيَمَةِ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ أَنْتَ السُّبْحَانُ أَنْتَ السُّبْحَانُ أَنْتَ السُّبْحَانُ

अना अस्जुदु लि तिलावतिल कुरआनि व आमन्तु बिल कुरआनि फ़ग़फ़िरली या रहमानु अन्तस् सुहानु अन्तस् सुहानु अन्तस् सुहानु अललाहुम्मज् अल् तिलावती अला कुरआनिक मूजिबन् लिशफ़ाअति फ़ी यौमिल् क्रियामति या रहमानु या रहमानु या रहमानु अन्तस् सुहानु अन्तस् सुहानु अन्तस् सुहानु। (१)

अनुवाद : मैं सज्दा करता हूँ तिलावते कुरआन का और मैं ईमान लाया हूँ कुरआन शरीफ़ पर, पस बख़्शा दे मुझे ऐ निहायत रहम वाले तू ही सुहान है तू ही सुहान है तू ही सुहान है। या अल्लाह करदे मेरी तिलावत को जो तेरे कुरआन मजीद की है मेरी शफ़ाअत का सबब् क्रियामत के दिन ऐ निहायत रहम वाले ऐ निहायत रहम वाले ऐ निहायत रहम वाले तू ही सुहान है तू ही सुहान है तू ही सुहान है।

सहीह मुस्लिम में रिवायत है कि हज़रत रिसालत मआब सल्ला० सज्दए तिलावत में यह दुआ फ़र्माते थे।

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ اسَلَمْتُ سَجَدَ وَ جَهِيَّ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ
وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

अल्लाहुम्म लक सजदतु बिक आमन्तु व लक अस्लम्तु सजद वज्हिय्य लिल्लज़ी खलकहु व
सवरहु व शक्क सम्अहु व बसरहु तबारकल्लाहु अहसनल् खालिकीन।

अनुवाद : या इलाह तेरे ही लिये मैं ने सज्दा किया और तुझ ही पर मैं ईमान लाया और तेरे ही लिये मैं मुसलामान
हुवा सज्दा किया मेरी ज़ात ने उस ज़ात के लिये जिस ने उस को पैदा किया और उसकी सूरत बनाई और उसके
कान और आँख खोले, बहुत बर्कत वाला है अल्लाह तआला सब में बेहतर पैदा करने वाला।

सूरह जात जिन में सज्दे की आयात हैं

- | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| १) सूरह एराफ़ | २) सूरह रअद | ३) सूरह नहल | ४) बनी इसराईल |
| ५) मर्यम | ६) हज्ज | ७) फुरक़ान | ८) नमल |
| ९) सज्दा | १०) साद | ११) हामीन सज्दा | १२) अन् नज्म |
| १३) इन्शोकाक़ | १४) अलक़ा (२, २३) | | |

तिलावते कुरआने पाक शुरु करने से पहले यह दुआ पढ़ी जाये

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَا مُرْسِلَ الرِّيحِ يَا
بَاعِثَ الْأَرْوَاحِ يَا ذُو الْجُودِ وَالْأَسْمَاحِ يَا أَلَّهُ يَا أَلَّهُ يَا أَلَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا
رَحِيمُ يَا رَحِيمُ

اللَّهُمَّ اِنْسُ وَحَشْتِي فِي قَبْرِى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَنُورًا
وَهْدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ اِنَاءَ اللَّيْلِ وَانَاءَ
النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ

अल्लाहुम्म या ज़िल् अशिल अज़ीम वस् सिरातिल् मुस्तक़ीमि या मुर्सिलुर् रियाहि या बाइसुल्
अर्वाहि या ज़ल् जूदि वल् अस्माहि या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या रहमानु या रहमानु या
रहमानु या रहीमु या रहीमु या रहीमु। अल्लाहुम्म आनिस वहशती फ़ी क़ब्री अल्लाहुम्म अर्हमनी

بِإِذْنِ اللَّهِ كُرْآنِیْلِ اَجْرِیْمِیْ وَجْزِ اَلْهٰدِیْ لِیْ اِیْمٰنِیْ وَ نُوْرِیْ وَ هُدٰی وَ رِہْمٰتِیْ اَللّٰهُمَّ جَکْرِکِیْ
مِیْنِیْ مَا نَسِیْتُ وَ اَللِیْمِیْ مِیْنِیْ مَا جَہْلْتُ وَجْزِکِیْ تِیْلٰوٰتِیْ اَنَا اَلْهٰدِیْ لَیْلِیْ وَ نَہٰرِیْ وَجْزِ
اَلْهٰدِیْ لِیْ هٰذِیْ وَ رِہْمٰتِیْ اَللّٰهُمَّ اَلْاٰمِیْنَ اَلْاٰمِیْنَ اَلْاٰمِیْنَ (۲۷)

ख़त्मे कुरआन मजीद के बाद दर्जे ज़ेल आयात और दुआएँ पढ़ें

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیّٰکَ نَعْبُدُ وَ اِیّٰکَ نَسْتَعِیْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ط غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ ۝ اٰمِیْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلَمْ ۝ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدٰی لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَا
هُمُ یُنْفِقُوْنَ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَیْکَ وَ مَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِکَ
عَلٰی هُدٰی مِنْ رَّبِّهِمْ ۝ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَ اَلْهٰکُمُ اِلٰهٌ وَّ اَحَدٌ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝ اِنَّ
فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْکِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ
النَّاسَ ۝ وَ مَا اُنزِلَ لِلّٰهِ مِنَ السَّمٰوٰتِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْیٰیهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِیْهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِیْفِ
الرِّیّٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسْتَخَرِّ بَیْنَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَا یَاتِی لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝ الْحٰقُّ
الْقَیُّوْمُ ۝ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۝ ط لهٗ ۝ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ ۝ وَ سَع کُرْسِیُّهٗ
السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ لَا یَؤُودُهٗ ۝ حَفِظَهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝ اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَّبِّهِ
وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ط کُلٌّ ۝ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِکَتِهٖ وَ کُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۝ قَف لا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ ۝ قَف وَ قَالُوْا
سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا ۝ قَف غُفْرٰنِکَ رَبَّنَا وَ اِلَیْکَ الْمَصِیْرُ ۝ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ
وَ عَلَیْهَا مَا کُتِبَتْ رَبَّنَا لَا تُوْاْخِذْنَا اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰی
الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ قَفهٗ ۝ وَ اِرْحَمْنَا وَ قَفهٗ ۝ اَنْتَ

مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ رَبَّنَا ظَلَمْنَا
 أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا بِفَضْلِكَ
 وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا
 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
 وَنَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَشَفِيِّعِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى إِلِهِ الْأَمَّجِدِ وَنَظِيرِهِ الْأُمُّمَجَّدِ خَاتَمِ
 الْوِلَايَةِ الْمُتَّقِيَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ أَعْلَى السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ نِ الْمَهْدِيِّ الْمُؤَعَّدِ عَلَى الْإِلَهَامَا وَأَوْلَادِهِمَا
 وَأَصْحَابِهِمَا وَاتَّبَاعِهِمَا أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ
 الذَّاكِرُونَ وَعَقَلَ عَنْ ذَكَرِكَ الْغَافِلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ نَبِيُّهُ وَرَسُولُهُ وَوَلِيُّهُ
 الْكَرِيمُ. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ ارزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ حِلَاوَةً وَبِكُلِّ جُزْءٍ جُزَاءً مِنْ جَمِيعِ نِعْمَاءِ
 الْكُونِيْنَ وَالْآءِ الْمَلُوكِيْنَ تَمَامًا وَكَمَالًا اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَأَرْفَعْنَا بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
 وَتَقَبَّلْ مِنَّا فِرَاءً تَنَا وَتَجَاوَزْنَا مَا كَانَ فِي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنْ خَطَاءٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ تَحْرِيفٍ كَلِمَةٍ عَنْ
 مَوَاضِعِهَا أَوْ تَفْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ أَوْ تَأْوِيلٍ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلْتَهُ أَوْ رَيْبٍ أَوْ شَكٍّ أَوْ سَهْوٍ
 أَوْ سُوءِ الْحَاثِ أَوْ تَعْجِيلٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَسَلٍ أَوْ سُرْعَةٍ أَوْ زَيْغٍ لِسَانٍ أَوْ وَقْفٍ بغيرِ وَقُوفٍ أَوْ
 ادْغَامٍ بغيرِ مُدْغَمٍ أَوْ إِظْهَارٍ بغيرِ بَيَانٍ أَوْ مَدِّ أَوْ تَشْدِيدٍ أَوْ هَمْزَةٍ أَوْ جُزْمٍ أَوْ إِعْرَابٍ بغيرِ مَا كَتَبْتَهُ أَوْ
 قَلْبَةٍ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ عِنْدَ آيَاتِ الرَّحْمَةِ وَآيَاتِ الْعَذَابِ فَاعْفِرْ رَبَّنَا آمَنَّا فَكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ نَوِّرْ
 قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ
 الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا وَفِي الْقَبْرِ مُؤَنِّسًا وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا
 وَحِجَابًا وَالْأَيَّ الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا فَكُتِبْنَا عَلَى السَّمَاءِ وَارزُقْنَا آدَاءً بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَحُبَّ الْخَيْرِ
 وَالسَّعَادَةِ وَالْبَشَارَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ لُطْفِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَالْأَصْحَابِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَارْحَمْ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
 وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهَلْنَا وَارزُقْنَا تِلَاوَتَهُ

أَنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا غَمًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ وَلَا عَمَلًا إِلَّا قَبَلْتَهُ وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا عَسِيرًا إِلَّا يَسَّرْتَهُ وَلَا فَاسِدًا إِلَّا صَلَحْتَهُ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا كَفَيْتَهُ وَأَهْلَكَتَهُ وَلَا صَدِيقًا إِلَّا كَافَيْتَهُ وَجَزَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِّعِنَا سَيِّدِ رُسُلِكَ وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ وَخَيْرِ خَلْقِكَ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى رُوحِ إِلِهِ الْأَسْجَادِ لَا سَيِّمًا عَلَى خَاتَمِ الْوِلَايَةِ الْمُتَقَيِّدَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ مُحَمَّدِنِ الْمُهَدِيِّ الْمَوْعُودِ وَعَلَى الْإِهْمَا وَأَصْحَابِهِمَا وَاتِّبَاعِهِمَا وَاتِّبَاعِ تَابِعَيْهِمَا أَجْمَعِينَ وَعَلَى أَرْوَاحِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَأَصْفِيَائِكَ وَأَقْطَابِكَ وَأَعْوَانِكَ وَأَبْدَالِكَ وَأَوْلِيَّائِكَ وَعَلَى أَرْوَاحِ جَمِيعِ النُّبِيَّاءِ وَالنُّجَبَاءِ وَالرُّهَادِ وَالْعَبَادِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَعَلَى أَرْوَاحِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمُتَوَرِّعِينَ وَالْعُرَفَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَعَلَى أَرْوَاحِ الْبَاتِنِ وَأَجْدَادِنَا وَأَصْهَارِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَجَدَّاتِنَا وَسَائِرِ مَنْ لَّهُمْ حَقٌّ عَلَيْنَا وَعَلَى الْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبِينَ وَعَلَى أَرْوَاحِ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَهْلِ دِينِنَا جَمِيعًا الَّذِينَ هُمْ الرَّاسِخُونَ فِي الْإِعْتِقَادِ وَالْمُؤَافِقُونَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْهِدَايَةِ وَالرِّشَادِ مِنَ الْأَوْلِيَّانِ وَالْآخِرِينَ مِنْ سَلَفِ مِنْهُمْ وَعَبَرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَغْفِرْهُمْ وَارْحَمْهُمْ الْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَأَنَّ الْمُهَدِيَّ الْمَوْعُودَ قَدْ جَاءَ وَمَضَى وَدَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ" وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

वाज़ेह हो कि मज़कूर आयात और दुआएँ पढ़ने के बाद अगर किसी शख्स या बुज़र्ग की रूह को खत्मे कुरआन का सवाब पहुंचाना मन्ज़ूर व मकसूद हो तो इस तरह कहा जाये कि “या इलाही इस खत्मे मुबारक का सवाब अर्वाहे मौसूफ व मज़कूर के साथ तेरे फ़ज़ल व करम के तुफ़ेल से (फ़लाँ) की रूह को भी पहुंचे - आमीना। (२७)

कुरआने पाक के अहकाम हर मौक़ा और ज़रूरत के लिहाज़ से जिबरईल अले० के ज़रीए

हज़रत ख़ातिमुन्नबी सल्ला० पर तेईस (२३) साल की क़लील मुद्दत में ऐसे मुकम्मल नाज़िल हुवे कि दुन्या व आख़िरत की छोटी बड़ी खुशक व तर कोइ एक ऐसी चीज़ का क़तअं इमकान नहीं है जो इस में न हो और वह तमाम अहकाम क्रियामत तक हर्फ़ ब हर्फ़ महफूज़ होगये और आइन्दा फिर किसी किताबे आसमानी और सहीफ़ा य नबी के बेअसत की ज़रूरत ही बाक़ी नहीं रही। अहले इसलाम को अपनी खुश क्रिस्मती पर जिस क़द्र फ़ख़र व नाज़ करना चाहिये उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। पस ऐसी मुफ़ीदे दारैन (दुन्या व आख़िरत) में लाभ दायक नेअमत को बालाये ताक़ (मेहराब के ऊपर) रख कर जो मुसलमान उस से मुस्तफ़ीद न होतो हों उनको अपनी बद बख़ती पर किस क़द्र अफ़सोस के साथ रोना चाहिये उसका भी अंदाज़ा नहीं होसकता।

ज़िक्रे दवाम

अल्लाह तआला फ़र्माता है : और सूरज के निकलने और उसके गुरुब होने से पहले अपने पर्वरदिगार की तस्बीह व तहमीद किया करो और रात की घड़यौ में उसकी तस्बीह किया करो और दिन के अत्राफ़ भी शायद कि तुम खुश हो जाओ। (२०:३०)

★ नमाज़े असर से इशा के बीच का वक़्त (सुल्तानुल् लैल) और नमाज़े फ़ज़्र का वक़्त शुरू होने से आफ़ताब तुलू होने के बीच का वक़्त (सुल्तानुन् नहार) है।

जिस तरह ख़ास और आम इन्सानों में सुल्ताने वक़्त को शर्फ़ और बुज़र्गी हासिल होती है उसी तरह रात दिन के आठ पहेर में ऊपर ज़िकर किये गये औक़ात को शर्फ़ और बुज़र्गी हासिल है। रात दिन की तस्बीह और ज़िक्र के अन्फ़ास पर औक़ाते मज़कूरा (सुल्तानुल् लैल और सुल्तानुन् नहार) के ज़िक्र के अन्फ़ास को उसी क़द्र अज़मत और शर्फ़ व बुज़र्गी और खुसूसियत (विशेषता) और मक़बूलियत हासिल है जिस तरह आम इन्सानों में सुल्तान (बादशाह) को हासिल होती है, इस लिये औक़ाते मज़कूरा की ज़िक्र से हिफ़ाज़त करें तो इस अफ़ज़ल व अश्वरफ़ वक़्त के तहत में आठ पहेर के ज़िक्रे दवाम का सवाब हासिल होगा। चुनांचे हज़रत बन्दगी मियाँ सय्यद महमूद सयदन्जी ख़ातिमे मुर्शिद रज़ी० ने वादा फ़र्माया है कि “जो लोग सुल्तानुल् लैला और सुल्तानुन् नहार के वक़्त की ज़िक्र के साथ हिफ़ाज़त करेंगे उनके लिये आठ पहेर के ज़िक्र की तकमील का बन्दा ज़िम्मेदार है”, यानि उनका हश्च आठ पहेर ज़िक्रे दवाम करने वालों के साथ होगा। हज़रत मम्दूह ने दुन्या के कुल मुसदिदकीन पर एहसाने अज़ीम फ़र्माया है बशर्तेके इस बेहद सहूलत और आसानी से इस्तेफ़ादा हासिल करें।

इदीसे कुदसी : मेरे बन्दे याद कर मुझ को एक साअत सुब्ह को और एक साअत शाम को में पूरा करूंगा उसको जो उनके दरमियाँ है।

इस हदीसे कुदसी से हज़रत सयदन्जी खातिमे मुर्शिद रज़ी० के इरशाद की बड़ी ताईद होती है।

★ जाबिर रज़ी० ने कहा कि नबी करीम सल्ला० जब सुब्ह की नमाज़ पढ़ लेते तो अपनी जगह में बैठे रहते जब तक आफ़ताब ख़ूब न निकल आता। (१३)

पस ऐसे मुकद्दस और मक़बूल वक़्त को बेकार जाये करदेना और उस वक़्त भी दुन्यावी मआमलात और सैर और हवा ख़ोरी में मुब्तला रहना बड़ी ग़फ़लत और नुक़साने अज़ीम का मूजिब है।

★ मुब्तदी (आरंभ कर्ता) को पहले पहले किसी क़दर बार होता है और बाद को उसी में इस क़दर लुत्फ़ (आनंद) हासिल होता है कि दुन्या के ऐश और सैर और तमाम नेमतों को उस से कोई निसबत नहीं इस लिये अपनी चंद रोज़ा मुस्तआर (नापायदार) ज़िन्दगी को ग़नीमत जानकर औक़ाते मज़क़ूर में हज़रत महेदी अले० की तालीम के मुवाफ़िक़ पीरे कामिल के मुशाहदे के साथ खुदाए तआला के ज़िक्र में मशगूल रह कर सम्रए लाज़वाल (लाफ़ानी फल) हासिल करना चाहिये।

★ हज़रत महेदी मौऊद अले० के ज़माने से हाल से कुछ (साल) पहले तक तमाम मसाजिद और जमात ख़ानों में तमाम फुक़रा और अहले कसब भी औक़ाते मज़क़ूर में क़िब्ले की तरफ़ मुंह करके ज़िक्रुल्लाह के मुराक़बे में मसरुफ़ नज़र आते रहे।

इदीस शरीफ़ : हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि बेहतरीन ज़िक्र ज़िक्रे खुदा है।

★ मुब्तदी (शुरु करने वाला) को जिन्हें खुदाए तआला का दीदार और ज़िक्रे दवाम हासिल न हो उन्हें हज़रत महेदी अले० ने बीनाइए खुदा हासिल होने तक तिलावत और इल्मे ज़ाहिरी पढ़ने से मना फ़र्माया और ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहने का हुक्म सादिर फ़र्माया है, चुनांचे “सवानेह महेदी मौऊद” के सफ़ह १५२ में लिखा है कि “रिवायत है कि फ़राह मुबारक में एक रोज़ मलिक मारुफ़ रज़ी० ने निज़ाम ग़ालिब महाजिर रज़ी० को कहा कि मेरा इरादा है कि फ़ुर्सत के वक़्त ज़िक्र व अज़कार से फ़ारिग़ होने के बाद तुम से कुछ पढ़ूं, कहा ठीक है। दोनों साहब हज़रत सय्यदना अले० से इस अम्र की इजाज़त लेने के लिये गये, दूर से हज़रत की नज़र पड़ी, साथ ही आप ने एक रुबाइ पढ़ी जिसका खुलासा यह है कि “बीनाईए खुदा हासिल होने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहो”।

तालिबाने खुदा के लिये हज़रत महेदी अले० के हुक्म से इल्मे ज़हिरी हासिल करने की मुमानेअत में मतन शरीफ़ (इन्साफ़ नामा) का दसवाँ बाब मन्कूल है।

हज़रत महेदी अले० के फ़र्माने मुबारक से तमाम फ़राइजे विलायत में ज़िक्रे दवाम बड़ा ताकीदी फ़र्ज़ है। चुनांचे मौलाना सय्यद अश्रफ़ साहब शम्सी रहे० ने “तन्वीरुलहिदाया” में तहरीर फ़र्माया है कि :

“अल्लाह जल्ल शानहु कुरआन मजीद में फ़र्माता है अल्लाह तआला को याद करो उठते बैठते और पहलुवों पर लेटे हुवे” (४:१०३)। इब्ने अब्बास रज़ी० से रिवायत है “यानि रात दिन जंगल में, तरी में, सफ़र में, इक़ामत में, बीमरी में, तनदुरस्ती में, छुपा कर, आशकारा अल्लाह तआला की याद करो”। अल्लाह तआला फ़र्माता है “अल्लाह तआला को अपने दिल ही दिल में आजिजी के साथ छुपा कर याद करो आवाज़ से यानि पुकार कर मत याद करो सुब्ह व शाम यानि हमेशा उसी के ज़िक्र में रहो और गाफ़िल मत रहो” (७:२०५)। इमाम राज़ी अपनी तफ़सीर में लिखते हैं कि अल्लाह तआला का क़ौल “सुब्ह और शाम” इसी माना पर दलालत करता है कि ज़िक्रे खुदा सारे औक़ात में वाजिब है और “गाफ़िल मत रहो” से यह बात मालूम होती है कि ज़िक्रे क़ल्बी हमेशा और हर वक़्त में वाजिब है और यह भी वाजिब है कि इन्सान एक लहज़ा (पल) भी अल्लाह तआला के हुजुरे जलाल से गाफ़िल न रहे। अल्लाह तआला फ़र्माता है “ऐ लोगो जो ईमान लाये हो! अल्लाह को अधिक याद करो” (३३:४१)। साहबे तफ़सीर मआलिमुत् तन्ज़ील (लेखक बग़वी, देहांत ५१० हिज़्री) रिवायत करते हैं जिसका खुलासा यह है कि इब्ने अब्बास रज़ी० फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर किसी अमल को इस तरह फ़र्ज़ नहीं किया है कि उसकी कोइ हद मुकर्रर न हो मसलन् बीमार के लिये नमाज़ में क्रियाम (खड़े होकर पढ़ना) माफ़ फ़र्मा दिया है और अगर सख्त बीमार हो और उस से उठना बैठना सज्दा करना न हो सकता हो तो उसके लिये यह सब फ़रायज़ माफ़ करदिये गये हैं और सिर्फ़ इशारे से नमाज़ पढ़ लेना उसके लिये काफ़ी समझा गया है और इसी क़दर उस पर फ़र्ज़ किया है। तन् दुरुस्त (स्वस्थ) इन्सान के लिये नमाज़ की अदाइ में यह हद मुकर्रर की गइ है कि वह सब अर्काने नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़े यानि क्रियाम, रूकू, सुजूद, काअदए अख़ीरा वग़ैरह अदा करे और कमज़ोर बीमार के लिये यह हद क़रार दी गई है कि वह इशारे से नमाज़ पढ़ा करे उसको मज़क़ूर फ़रायज़ की हाजत नहीं है। रोज़े की भी यही हालत है कि मुक़ीम (जो अपने मक़ाम पर हो) और तन्दुरुस्त पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है और मरीज़ व मुसाफ़िर के लिये यह आसानी है कि तन्दुरुस्ती और इक़ामत के ज़माने में रमज़ान के रोज़ों का बदल

रख लेवे। ज़कात का फ़र्ज भी मशरूती रखा गया है यानि निसाबे ज़कात पर जबतक पूरा साल न गुजरे साहबे माल पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। हज की भी यही हालत है कि बग़ैर ज़ादे राहेला (सफ़र ख़र्च) के हज की अदाइ की तकलीफ़ नहीं दी गई है। ग़र्ज इन सब फ़रायज़ के लिये हुदूद और औकात मुकर्रर किये गये हैं मगर ज़िक्र ऐसा फ़र्ज है कि उसके लिये कोई हद व ग़ायत (सीमा) मुकर्रर नहीं है और न किसी वज्ह से इन्सान इस फ़र्ज से माअज़ूर रह सकता है। पस ज़िक्र हर वक़्त और हर हाल में इन्सान पर फ़र्ज है अलबत्ता उस हालत में इन्सान फ़र्ज ज़िक्र से माअज़ूर (क्राबिल माफ़ी) रह सकता है कि उसको अक्ल व शुऊर न रहे।

मज़क़ूरा आयतों से साबित है कि ज़िक्रे खुदा हर हालत और हर वक़्त में फ़र्ज है क्योंकि इन सब आयतों में ज़िक्र करने का हुक्म सीगए अम्र से (आदेशात्मक) दिया गया है और सीगए अम्र जब बिला क़रीनए सारिफ़ा इस्तेमाल किया जाता है तो हुक्म की फ़र्जियत पर दलालत करता है। चूँकि ज़िक्रे खुदा भी मज़क़ूरा आयतों में सीगए अम्र से इस्तेमाल किया गया है इसलिये इन सीगों से भी ज़िक्रे खुदा की फ़र्जियत साबित होगी। पस इन ही आयत से सय्यदना इमाम महेदी मौऊद अले० ने फ़र्माया है कि ज़िक्रे खुदा फ़र्ज है और यह भी फ़र्माया है कि ज़िक्रे खुदा आम औकात और आम हालात में फ़र्ज है और फ़र्माया है कि मोमिने कामिल वही शख्स है जो आठ पहेर खुदा की याद करे और एक लहज़ा भी यादे खुदा से ग़ाफ़िल न रहे क्योंकि अल्लाह तआला “ग़ाफ़िल मत रहो” फ़र्माता है पस जो शख्स इस सिफ़त से मौसूफ़ नहीं है वह मोमिने कामिल नहीं है।”

नौबत : नौबत (पारी) और सवीयत (मसावी तक़सीम) भी फ़रायज़े विलायत में से हैं। चुनांचे रिवायत है कि हज़रत महेदी मौऊद अले० के हुक्म से रोज़ाना रात में सफ़र और हज़र की हालत में एक-एक पहेर (पहेर ३ घंटे का होता है) ज़िक्रे खुदा के लिये सहाबा रज़ी० नौबतन् (बारी-बारी) जागा करते थे और जनाब मियाँ अलाहदाद हमीद रज़ी० जिस वक़्त जिनकी नौबत की बारी होती थी उनको नाम से पुकार कर जगाया करते थे। ऐसी हालत में मियाँ अलाहदाद हमीद रज़ी० को लोगों को जगाने के लिये कलिमाते तय्यिबात तसबीह का (जो दुगाना शबे क़द्र के बयान में लिखे गये हैं) इल्हाम हुवा, आपने हज़रत महेदी मौऊद अले० के हुज़ूर में इन कलिमाते इल्हामिया को अर्ज किया, हज़रत महेदी अले० ने इर्शाद फ़र्माया कि “इनही कलिमात से अब्राबि नौबत को जगाया करें”। उसी वक़्त से तसबीह का आगाज़ हुवा और मुसल्लसल उस पर अमल चला आरहा है। बाज़ ख़ानदान में नौबत के अलावा हर रोज़ नमाज़े इशा की अदाइ के बाद इस तसबीह को बुलंद आवाज़ से कहा जाता है और बाज़ ख़ानदान में

नमाज़े तरावीह और दुगाना शबे क़द्र की अदाइ के बाद और बहरए आम के मौक़े पर नमाज़े इशा की अदाइ के बाद तस्बीह बुलंद आवाज़ से कही जाती है।

बाज़ वक़्त इन कलिमाते तय्यिबात की मुखालफ़त और मुज़ाहमत से शहादतें भी हुवी हैं।

इस पर अमल करने का तरीका यह है कि जिस दायरा और मस्जिद में तीन फुकरा रहते हों उनमें से एक या ज़्यादा हों तो और फुकरा भी उनके साथ शरीक होकर पहली नौबत नमाज़े इशा के बाद से दो पहर रात तक होती है और नौबत पर बैठने वाले तस्बीह देकर सलाम फेर कर ज़िक्र में मशगुल रहते हैं। दो पहर रात होने पर पहली नौबत वाले दूसरी नौबत जिनकी हो उनको बेदार करने के लिये अपनी ख़त्मे नौबत की तस्बीह देते हैं और बेदार हाज़िरीन तस्बीह में शरीक हो जाते हैं, उसके बाद दूसरी नौबत वाले तस्बीह देकर सलाम फेर कर ज़िक्र करते हुवे बैठ जाते हैं और पहली नौबत वाले बाद बर्खास्त थोड़ी देर आराम पाकर नमाज़े तहज्जुद से फ़ारिग हो कर ज़िक्र में मसरुफ़ रहते हैं। चौथे पहर में दूसरी नौबत वाले तीसरी नौबत जिनकी हो उनको बेदार करने के लिये तस्बीह देते हैं, फिर तीसरी नौबत वाले तस्बीह दे कर ज़िक्र करते हुवे बैठ जाते हैं और उनकी नौबत का वक़्त तुलूए आफ़ताब तक होता है।

दूसरी नौबत वाले बाद बर्खास्त नमाज़े सुब्ह तक कुछ देर आराम पाते हैं या तहज्जुद पढ़ने वाले ज़िक्र करते बैठे रहते हैं। पहली नौबत वाले दूसरे रोज़ दूसरी नौबत पर और दूसरी नौबत वाले दूसरे रोज़ तीसरी नौबत पर और तीसरी नौबत वाले दूसरे रोज़ पहली नौबत पर बैठने का तरीका है।

सवीयत : हज़रत महेदी मौऊद अले० हर क़लील व कसीर फुतूह (धन, वस्तु, अन्न, अनाज या कोई चीज़ अचानक अल्लाह की जानिब से कोई ला कर दे तो उसको फुतूह कहते हैं) को उसी वक़्त सवीयत (तक़सीम) फ़र्मा देते थे। हज़रत महेदी अले० के बाद भी तमाम बुज़र्गाने दीन का इसी तरीके पर अमल रहा कि ना मालूम तौर पर कहीं से लिल्लाह कुछ नक़द फुतूह हो तो उसका ग़ल्ला (आनाज) वगैरह मंगवा कर या ग़ल्ला आये तो उसको पकवा कर या पका हुवा आये तो उसको तमाम खुलफ़ा, फुकरा, हाज़िरीन और मुतअल्लिकीन को मसावी तौर पर तक़सीम कर दिया जाता था। हर मस्जिद में कइ खुलफ़ा और फुकरा मुर्शिद की सुहबत में रहते थे और सलफ़ के (पूर्वज) मुर्शिदाने कामिल और बुज़र्गाने दीन का यह तरीका रहा कि आज की फुतूह में से कल के लिये कुछ बाक़ी न रखा, जो कुछ खुदा ने दिया तक़सीम करके बे फ़िक्र और मुतवक्किल रहे और जिस रोज़ ग़ैब से कहीं से कुछ न आया तो फ़ाके (अनशन) की हालत में निहायत खुश और शुक्र गुजार रहे। ज़मानए हाल से पहले तक तक़रीबन् हर ख़ानदान में नौबत

और सवीयत का अमल बराबर जारी रहा लेकिन हमारे इस ज़माने में मसाजिद खाली और नौबत व सवीयत का अमल बिलकुल मतरुक (अप्रचलित) और मफ़कूद (गाइब) होने से यह हो सकता है कि आइन्दा पैदा होने वाली नस्लों के मुर्शिदीन कभी कहीं मकतूबात में नौबत और सवीयत का लफ़ज़ लिखा हुआ देख कर हैरान होंगे कि नौबत कैसी थी और सवीयत का क्या तरीका था।

रात के चार पहर

- १) रात का पहला पहर इन्सानी है इस लिये कि रात के पहले तीन घंटे नमाज़े इशा, रात का खाना और ज़रूरी हवायजे इन्सानी में सर्फ़ होते (गुज़रते) हैं। हज़रत नबी करीम सल्ला० के पास इशा से पहले सोना और इशा के बाद बातें करना मक़ूह था। इमाम अहमद रज़ी ने अब्दुल्लाह रज़ी० से रिवायत की है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि नमाज़े इशा के बाद बातें करना जायज़ नहीं है मगर दो शख्सों यानि मुसल्ली और मुसाफ़िर के लिये (जायज़ है)।(२)
- २) दूसरा पहर शैतानी है क्योंकि इस पहर में बेदार रहने (जागने) वाले लहव व लइब, खेल तमाशा, उमूरे माअसियत (गुनाहों) या बेफ़ाइदा तज़्किरों (चर्चा) ग़ीबत (चुगल खोरी) शिकायत वग़ैरह में मसरुफ़ रहते हैं और दो पहर रात के बाद आराम पाने वाले सुब्ह की नमाज़ के लिये भी बेदार नहीं हो सकते। सुब्ह में देर से उठने वालों का बुहत सा कार आमद (लाभ दायक) वक़्त खाबे ग़फलत (अचेतना) में बेकार जाए (नष्ट) हो जाता है और दुन्यावी मआमिलात और कारोबार में भी बड़ा नुक़सान होता है और उनकी सिहत भी अच्छी नहीं रहती।
- ३) तीसरा पहर ग़िलमानी है इस लिये कि रात के तीसरे पहर में अमूमं (सामान्य रूप से) तमाम इन्सान और हैवान खाब व आराम में रहते हैं और उस पहर में मलायक ही खुदाए तआला का ज़िक्र और उसकी तस्बीह करते रहते हैं या तहज्जुद गुज़ार खास बन्दे भी उनके शरीक रहते हैं।
- ४) चौथा पहर रहमानी है इस लिये कि उस पहर में खुसूसियत के साथ खुदाए तआला की रहमते कामिला का नुज़ूल होता है। उस पहर में बेदार होने वाले तहज्जुद गुज़ार या निहायत खुशी और रग़बत के साथ अब्वल वक़्त सुब्ह की नमाज़ पढ़ने वाले नेक बन्दे होते

हैं। उस वक़्त की रहमते कामिला और नूर का लुत्फ़ बेदार रहने वाले खुश नसीबों ही को मिलता है, सोने वाले कम नसीब उस से महरूम रहते हैं और उस वक़्त बेदार होने में गुनाहों की माफ़ी और मरातिब और मदारिज की तरक्की के अलावा रूह, जिस्म, दिल और दमाग़ को तरो ताज़गी और सिहत हासिल होती है और दिल और चहरा निहायत पुर नूर रहता है।

जाबिर रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि रात में एक घड़ी ऐसी होती है कि उस वक़्त मुसलमान बन्दा अल्लाह तआला से जो मांगे वह उसे अता करे। (१३)

वाज़ेह हो कि रात दिन में दो पहर यानि रात के नौ बजे से तीन बजे तक छे घंटे सोना सिहत क़ायम रखने और कसलमंदी (आलसी) दूर करने के लिये काफ़ी है।

तर्के दुन्या और तौबा

अपने सब आज़ा (अंग) कारआमद (उपयोगी) और इख़तियार में रहने तक और सिहत व तवानाई के ज़माने में ही तलबे दुन्या और मईशत (रोज़ी) की फ़िक्र को छोड़ कर खुदा तलबी की निय्यत से तर्के दुन्या करके जो विलायत का अहम तरीन (महत्व पूर्ण) फ़र्ज है चदं रोज़ा ज़िन्दगी में आख़िरत का सम्रा (फल) हासिल करना चाहिये, इस लिये कि बिला तरद्दुद (चिंता के बग़ैर) भी अपने मक़सूम (भाग्य) के मुवाफ़िक़ रिज़क पहुंचाने का कुरआन शरीफ़ में खुदाए तआला ने कइ जगह वादा फ़र्माया है और रिज़क की तरह बे तलब खुदा हासिल नहीं होता और दुन्या के साथ खुदाए तआला को भी हासिल करना मुम्किन नहीं है।

अगर कोइ शख्स किसी की मुलाज़िमत इख़तियार करता है तो वह आज़ाद और खुद मुख़तार (स्वतंत्र) नहीं रहता और अपनी ख़ाहिशाते नफ़्स को पूरी नहीं कर सकता। अपने मुफ़व्वज़ा फ़रायज़ (सौंपे गये कर्तव्य) और ज़िम्मेदारियों की अंजाम दही (पूरा करना) और हाकिमे मजाज़ी की इताअत व फ़र्माबर्दारी (आज़ा पालन) और हुसूले खुशनोदी में जिस्म व जान को बड़ी तकलीफ़ होती है, इसके बा वजूद हर मुलाज़िम अपनी मुलाज़मत को निहायत मुस्तइदी (फुरती), जफ़ाकाशी (मेहनत) और खुश दिली से अंजाम देता है और हर वक़्त यह ख़ौफ़ भी लगा रहता है कि एक वक़्त भी अपने हाकिम की ना फ़र्मानी, अदूल हुक्मी (अवज्ञा) और कुसूरे अमल (काम में ग़लती) होजाये तो फ़ौरन् बर तरफ़ (बर्खास्त) और सज़ायाब हो।

ज़िराअत तिजारत वगैरह भी तकलीफ़ और मुसीबत से ख़ाली नहीं, यह सब कुछ धन दौलत हासिल करने के लिये किया जाता है जो ज़रूरियाते ज़िन्दगी और रिज़क के है हालां कि उसकी ज़िम्मेदारी खुद खुदाए तआला ने कुरआन पाक की कई आयात के ज़रीये ज़िन्दगी भर तक अपने ज़िम्मे ली है और जन्म से पहले ही ग़िज़ा पैदा करदी जाती है, जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है :

- १) और आसमान से पानी बर्सा कर तुम्हारे खाने के लिये अन्वाअ व अक़साम के मेवे पैदा किये। (२:२२)
- २) और ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़क खुदा के ज़िम्मे है। (११:६)
- ३) और तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिज़क देता है। (३:२७)
- ४) अल्लाह तआला जिसके लिये चाहता है रिज़क कुशादा करता है और जिसके लिये चाहता है तंग करता है। (१३:२६)
- ५) बेशक अल्लाह जिसके लिये चाहता है रिज़क खोल देता है और जिसके लिये चाहता है तंग करदेता है। (१७:३०)
- ६) बेशक अल्लाह ही रिज़क देने वाला है कुव्वत वाला और कुद्वत वाला है। (५१:५८)
- ७) और उसको ऐसी जगह से रिज़क देगा जहाँ से वहम व गुमान भी न हो और जो कोई खुदा पर भरोसा रखेगा तो वह उसके लिये काफ़ी है (६५:३)
- ८) भला अगर वह अपना रिज़क बंद करले (रोक ले) तो कौन है जो तुमको रिज़क दे। (६७:२१)

यह बात काबिले गौर है कि इन्सान अशरफ़ुल मख़लूकात हो कर उसकी रज़ाक़ियत के ऐसे क़तई वादों का यक़ीन न कर के अपने हम जिन्सों की गुलामी मुलाज़मत वगैरह में अपनी उम्रे अज़ीज़ और फ़रायज़े खुदा तलबी को ज़ाए करें, हालाँ कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने दुन्या को मुर्दार और उसके तालिब को कुत्ता फ़र्माया है और इन्सानों को पैदा करने की वज्ह तलबे ज़र नहीं बल्कि माअरिफ़ते इलाही है और हैवाने मुत्लक़ पर माअरिफ़त फ़र्ज नहीं है इसके बा वजूद यह अजब वाक़िआ है कि इन्सान अपने फ़रायज़ को छोड़कर दुन्या की तलब में सर लगये रहें और हैवाने मुत्लक़ (पूर्ण पशु) अल्लाह की तस्बीह करते रहें, जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता

है “सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग उन में हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं और मख़लूक़ात में से कोई चीज़ नहीं मगर उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते”। (१७:४४) जिसका नतीजा यह हुआ कि दुन्या की खुशकी और दर्या की छोटी और बड़े पहाड़ से बड़ी जसामत वाली बेशुमार अक़साम की तमाम मख़लूक़ की रज़्ज़ाक्रियत और उनकी फ़र्बही और खुशहाली के राज़ को अक्ल नहीं पा सकती। दर्या में तो कहीं सामाने रिज़्क नज़र ही नहीं आता बा वजूद उसके तमाम मख़लूक़ को बग़ैर कसब, मुलाज़मत, तिजारत और ज़िराअत के उनकी फ़ित्रत और ख़ाहिश के लिहाज़ से हर रोज़ बेदरेग़ (बहुत अधिक) शिकम सेर (पेट भर) ख़ास ग़िज़ा पहुंचाता है। बड़े क़हत (अकाल) के ज़माने में भी जो हैवानात इन्सान के ज़ेरे पर्वरिश नहीं होते किसी जंगल पहाड़ वग़ैरह में फ़ाक़ों से तबाह हाल मरते नज़र नहीं आते। अल्लाह तआला फ़र्माता है “और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज़्क उठाये नहीं फिरते खुदा ही उन को रिज़्क देता है और तुमको भी और वह सुन्ने वाला और जानने वाला है”। (२९:६०)

मुशाहिदा इस को साबित कर रहा है कि हैवानाते मुत्लक़ को खुदाए तआला की रज़्ज़ाक्रियत का यक़ीन के साथ पूरा भरोसा है वर्ना चिड़या को ग़ल्ले के अम्बार पर बैठकर पेट भर खाने के बाद अगर इन्सान की तरह उसको इस बात का यक़ीन न होता कि कल ग़ैब से रिज़्क मिलेगा तो मुम्किन था कि वह चोंच में दाने भर के किसी महफूज़ मक़ाम में ज़रूर रख छोड़ती।

ग़ौर करो तो वही बाग़ात, चमन, गुल (फूल) और गुलज़ार उजड़ते और वीरान होते नज़र आते हैं जो इन्सानों के लगाये हुवे और ज़ेरे पर्वरिश होते हैं, इसके बर ख़िलाफ़ बड़े बड़े पहाड़ों, जंगलों, झाड़ियों में जो अन गिनत तरह तरह के नाज़ुक सुन्दर गुल बूटे और बेहिसाब अक़साम के दरख़्त जो खुदाए तआला के पैदा कर्दा और उसी के ज़ेरे पर्वरिश होते हैं सख़्त धूपों के मोसम में भी नौ खेज़ पौदों के अलावा पुराने पेड़ को भी नये पत्ते फूल आकर आलमे शबाब में दिखाइ देते हैं और दर असल वही मौसमे बहार कहलाता है, उस पर्वरदिगारे आलम की कुद्रत और रज़्ज़ाक्रियत के बहज़ार जान तसद्दुका।

मज़क़रा अहकामे रज़्ज़ाक्रियत के लिहाज़ से यह सवाल पैदा हो सकता है कि वह महबुबे खुदा और मुक़द्दस हस्ती जिनके नूर से कायनात ने वजूद पाया और वह ख़ातिमे विलायते मुहम्मदी महेदी मौऊद अले० पर क्यों मुसलसल फ़ाक़े रहे और क्यों बुहत सारे ख़ासाने खुदा ने फ़ाक़ों से शहादत पाई।

जवाब : उस पर्वरदिगारे आलम रज़्जाके मुल्लक़ खुदाए कादिर के पास दुन्या की तमाम अफ़ज़ल तरीन नेमतों से फ़ाके की नेमत अफ़ज़ल और आला है इसलिये खासाने खुदा को ही यह अफ़ज़ल तरीन नेमत अता होती है, यह खुदा का फ़ज़्ल है देता है उसको जिसको चाहे।

मोमिन के लिये फ़ाके की रात ना शुक्रगुज़ारी, तंग दिली, परेशानी की नहीं होती बल्कि नुज़ूले रहमत, तकरूबे बारगाहे सुब्हानी और तरक़कीए मरातिब की होती है और वैसी ही खासुल खास खुश नसीब मुक़द्दस हस्ती को नसीब होती जिनके घर बेदर, पानी के घड़े औंधे और सर सज्दे में रहते हैं और खुदाए तआला ने दूसरे पारे के तीसरे रूकू में भूक और मुसीबत को अपनी आजमाइश फ़र्माते हुवे उसमें पूरे उतरने और सब्र करने वालों के लिये अपने जानिब से नुज़ूले दुरूद और रहमत की खुशख़ब्री दी है। पस अक़ले सलीम फैसला कर सकती है कि दुन्या की पसंद नफ़स पेट भर ग़िज़ाएं बेहतर हैं या यह नेमत। इस बिना पर आँहुज़ूर सल्ला० ने इर्शाद फ़र्माया है कि “फ़ाके की रात मोमिन के लिये शबे मेराज है” और “अल फ़क्रु फ़ख़री” और “दुन्या काफ़िरों के लिये जन्नत है और मोमिनीन के लिये दोज़ख़”।

हर मुसलमान का यह मुसल्लमा (प्रमाणित) अक़ीदा है कि मक़सूमे अज़ली में कुछ कमी और बेशी (ज़्यादती) नहीं होती, पस ऐसा कासिब तहसीले हासिल और नापाक छोड़ जाने वाली दुन्या की तलब को छोड़ कर खुदाए तआला की तलब में तर्के दुन्या करे तो अपने दुन्यावी कारनामों के ख़याल और नज़र करते ज़रूर शरम आयेगी कि जब दुन्या की तलब में इस क़दर सख़्त मेहनत की गई है तो खुदा की तलब और उसकी खुशनुदी (प्रसन्नता) रज़ाजूइ और अवामिर व नवाही (अल्लाह की तरफ़ से किसी काम के करने या न करने के आदेश) की पाबंदी में तलबे दुन्या से ज़्यादा मेहनत और रियाज़त करनी चाहिये। यह चीज़ भी काबिले ग़ौर व तवज्जह है कि हर महकूम (पराधीन) के दिल में हाकिमे मजाज़ी (अवास्तविक शासक) का जिस क़दर ख़ौफ़ और उसके अहकाम की ताअमील का शौक़ होता है और जिस क़दर मुस्तइदी (फुरती), मेहनत और खुश दिली से ताअमील की जाती है अगर हाकिमे हकीकी (वास्तविक शासक) का उसी क़दर दिल में ख़ौफ़ और उसके अहकाम की ताअमील का शौक़ हो तो नहीं मालूम कौनसा दर्जा और मक़ाम है। इसके बर ख़िलाफ़ जिस ने उम्र भर कसब और मुलाज़िमत न की हो और जिसके दिल व दिमाग़ को हाकिम की इताअत की ज़िम्मेदारियों, हुकूक और कसब के मसायब (कठिनता) का कुछ भी एहसास ही न हो वह तलबे खुदा के मैदाने अमल में गामज़न (चलने वाला) न होसकेगा, यही वजह होगी कि हज़रत महेदी मौऊद अले० ने थोड़े कसब और मुलाज़िमत की इजाज़त अता फ़र्माइ हो और कसब करके तर्के दुन्या करने को अफ़ज़ल फ़र्माया

वर्ना दुन्या को छुड़ा कर खुदा से मिलाने के लिये जिनकी बेसत हुवी हो वह हर गिज़ एक लम्हे के लिये भी उसकी इजाज़त न फ़र्माते। चुनांचे हज़रत बन्दगी मियाँ सय्यद महमूद सानी महेदी रज़ी० ने हज़रत महेदी मौऊद अले० के हुक्म और इजाज़त से अहमदाबाद जा कर सुलतान महमूद बेगढ़ा की कुछ दिन मुलाज़िमत इखतियार फ़र्माइ थी।

अगर कोई मुसद्दिक़ वक़्त से पहले तर्के दुन्या न करे और ज़िन्दगी से मायूस होकर आख़िरी वक़्त आ पहुँचे तो मरीज़ और उनके मुतअल्लिक़ीन को दुन्या के उमूर और इन्तेज़ामात से ज़्यादा तर्के दुन्या की फ़िक्र रखनी चाहिये और होश व हवास (इन्द्रियाँ) बाकी रहने तक ही खुदा तलबी की निय्यत से मरीज़ दुन्या तर्क करदे या मुतअल्लिक़ीन (परिवारजन) पूरी कोशिश करके तर्के दुन्या कराएं, उसके बाद अपने किये हुवे गुनाहों की नदामत (पश्चात्ताप) के साथ तौबा करके जनाबे बारी में उसकी माफ़ी चाहें और खुदाए तआला की ताईद से आइंदा गुनाहों से बचने का वादा करें क्योंकि तौबा करने के लिये खुदाए तआला ने खुद इर्शाद फ़र्माया है “तौबा करो तुम अल्लाह के तरफ़” (६६:८)। हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि “गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह नहीं किया”। एक और हदीस में हज़रत नबी करीम सल्ला० ने यह भी फ़र्माया कि “नहीं है कोई चीज़ बुहत दोस्त अल्लाह के पास जवान तौबा करने वाले से”। हज़रत नबी करीम सल्ला० ने यह भी फ़र्माया कि “तौबा करो तुम पर्वरदिगार की तरफ़ मरने से पहले”। अपने ज़िम्मे जिस क़दर हक़कुल इबाद (बन्दों के हुकूक) हों वह अदा करके सब से माफ़ी चाहें क्योंकि बन्दों के हुकूक अल्लाह तआला माफ़ नहीं फ़र्माएगा और ज़िन्दगी से मायूस होने की वजह से तअल्लुकाते दुन्या से खुदाए तआला की जानिब खयालात को फेर कर ज़िक्र और शुक्र करते हुवे राज़ी, खुशी और इस्तेक़लाल (सुकून) से अपनी जाने अज़ीज़ अल्लाह को नज़र करें।

इसके बर ख़िलाफ़ आख़िर वक़्त में दुन्या की तलब और मुहब्बत और मताए दुन्या को छोड़ जाने की हसरत व अफ़सोस और उनही खयालात व अफ़कारात में तर्के दुन्या किये बग़ैर रूह पर्वाज़ हो तो उक्बा (आख़िरत) में बड़ी मुश्किल का सामना होने का अन्देशा है इस लिये कि हज़रत महेदी मौऊद अले० ने इर्शाद फ़र्माया है कि “तर्के दुन्या के बग़ैर ईमान नहीं” और हज़रत अले० के फ़र्माने मुबारक से तर्के दुन्या बड़ा ताकीदी फ़र्जे विलायत है। बे तर्क मरने वाले पर नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी जाती या मुश्ते ख़ाक नहीं दी जाती जब कि यह दोनों उमूर मय्यित की मग़फ़िरत और आराम का बड़ा ज़रीआ हैं, चुनांचे खुदाए तआला ने इर्शाद फ़र्माया है “उन पर नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुम्हारी नमाज़ उनके लिये आराम है”। (९:१०३)

इयादत

बीमार के पास मिजाज पुर्सी के लिये जाने को इयादत कहते हैं और यह सुन्नत है। बहुत से अहादीस में उस की ताकीद (आग्रह), फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) और सवाब बयान किया गया है। हज़रत नबी करीम सल्ला० ने इर्शाद फ़र्माया है कि जो शख्स सुब्ह को बीमार की इयादत करे उसके लिये सत्तर हज़ार फ़रिश्ते शाम तक दुआए मग़फ़िरत करते हैं और जो शख्स शाम को इयादत करे सत्तर हज़ार फ़रिश्ते सुब्ह तक इस्तेग़फ़ार करते हैं। (२८)

जो कोई अपने मुसलमान भाइ की इयादत करे उसको स्वर्ग में एक बाग़ मिलेगा। (१९)

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने अस्हाब रज़ी० को हुक्म फ़र्माया था कि तुम लोग बीमार की इयादत किया करो और जनाज़े के साथ जाया करो। (१७)

इयादत को बा वुजू और महेज़ हुसूले सवाब और खुदाए तआला की खुशनोदी की निय्यत से बीमारी के दो या तीन रोज़ बाद जाना चाहिये और बीमार के पास जा कर उसका हाल पूछे और तस्कीन और तसल्ली दे कर सिहत की उम्मीद बतलाइ जाये और बीमारी का सवाब और उसके फ़ज़ायल बयान किये जायें और सिहत की दुआ की जाये और अपने लिये भी दुआए ख़ैर की उस से दर्खास्त करे और बीमार के पास ज़्यादा देर तक न बैठे, लेकिन बीमार को उसके बैठने से खुशी और तस्कीन हो तो ज़्यादा बैठना बेहतर है। हज़रत नबी करीम सल्ला० की ऐसी ही आदत थी। (२९)

हाज़िरीन को चाहिये कि मरीज़ के पास आख़िर वक़्त में वावेला (कोहराम) या कोइ और तज़क़िरा न करें बल्कि खुदाए तआला की जानिब मुतवज्जह कराके ज़िक्र याद दिलाते रहें यानि उस वक़्त मुर्शिद या हाज़िरीन में से कोइ साहब खुद कहते रहें (इल्लल्ला तूं है, ला इलाह हूँ नहीं) ता कि मरीज़ सुनते हुवे खुद भी ज़िक्र में मशगुल हो जाये और उसी हालत में रुह पर्वाज़ हो क्योंकि जिस हालत में रुह पर्वाज़ होगी क्रियामत तक वही हालत रहेगी। हदीसे शरीफ़ में है कि जिसका आख़िर कलाम ला इलाह इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में दाखिल होगा। (७)

हाज़िरीन भी मरीज़ का ख़ातमा ईमान पर होने के लिये दिल से दुआ करते रहें और इन्तेक़ाल के साथ ही हाथ नाफ़ पर रख कर आँखें और मुंह बंद करें और पैर सीधे करके ढाटा बांधें इस लिये कि मथ्यित का मुंह और आँखें खुले रहने से चहेरा अच्छा नहीं मालूम होता। मुर्दे को ज़ाहिरी अच्छी हालत में पहुंचा देना बुर्सा और हाज़िरीन का काम है और उसके बातिन की बेहतरी पीरे कामिल की तवज्जह, ताईद और खुदा के फ़ज़ल पर मौकूफ़ (निर्भर) है।

नमाज़े जनाज़ा और तज्हीज़ व तकफ़ीन का तरीक़ा

अल्लाह तआला फ़र्माता है : जो कोई ज़मीन पर है सब फ़ना होने वाला है और तुम्हारे पर्वरदिगार ही की ज़ात जो साहबे जलाल व अज़मत है बाक़ी रहेगी। (५५:२६, २७)

अल्लाह तआला फ़र्माता है: हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है (३:१८५)

जो कोई दुन्या में पैदा हुआ या होगा उसके लिये मरना और फ़ना होना लाज़िमी है। पस मौत को हमेशा याद रखने और यक़ीन के साथ क़रीब जानने से माअसियत (गुनाह) से बच कर इबादत और बन्दगी करने की तौफ़ीक़ होती है और हदीस शरीफ़ में है कि जो शख्स हर रोज़ बीस मर्तबा मौत को याद करे वह शहादत का दर्जा पाएगा। (४)

★ अगर हामिला (गर्भवती) औरत मर जाये और उसके पेट में बच्चा ज़िन्दा और हरकत करता हो तो मुरदा औरत का पेट बाईं जानिब से काट कर बच्चे को निकाल लिया जाये और अगर मआमला उलटा हो यानि पेट में बच्चा मर गया हो और औरत ज़िन्दा हो और उसकी हलाकत का ख़ौफ़ हो तो बच्चे को काटकर निकाला जाये और अगर बच्चा भी ज़िन्दा हो तो काट कर न निकाला जाये क्योंकि ज़िन्दा बच्चे को क़त्ल करना जायज़ नहीं है। (७)

★ बच्चा पैदा होने के बाद आवाज़ दे और हरकत करके मर जाये तो उसका नाम रख कर गुस्ल देकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ कर दफ़न करना चाहिये। अगर पैदा होने के बाद हरकत और आवाज़ न करे तो गुस्ल दे कर कपड़े में लपेट कर दफ़न करदेना चाहिये। (२,७)

★ मैयित का सर शिमाल की जानिब (उत्तर दिशा में) और मुंह क़िब्ले के तरफ़ कर के पलंग पर लिटा दें और पाक चादर उढ़ा दें और जहाँ तक मुम्किन हो कफ़न दफ़न की तैयारी में जल्दी करें लेकिन जितना मुम्किन हो सके रात में दफ़न नहीं करना चाहिये।

★ जाबेर रज़ी० से रिवायत है कि नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया अपने मुरदों को रात में दफ़न न करो मगर यह कि लाचार हो उसके तरफ़। (१३)

★ शहीद को गुस्ल और कफ़न नहीं देना बल्कि खून आलूदा बदन के कपड़ों से दफ़न करना चाहिये और नमाज़े जनाज़ा पढ़ना चाहिये। हज़रत नबी करीम सल्ला० ने जंगे उहद के शहीदों को खून आलूदा ज़ख़मों के साथ दफ़न करने का हुक्म दिया है। हदीस शरीफ़ है कि हम से अबुल वलीद तबासी ने बयान किया कहा हम से लैस बिन साअद ने उन्हीं ने इब्रे शहाब से उन्हीं ने अब्दुर रहमान बिन काअब बिन मालिक से उन्हीं ने जाबिर रज़ी० से उन्हीं ने कहा कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि उहद के शहीदों को खून लगे हुवे यूंही दफ़न कर दो और उन को गुस्ल नहीं दिया। (१७)

★ अल्लाह तआला फ़र्माता है “जो लोग ख़ुदा की राह में मारे जाते हैं उनको मुरदे मत कहो बल्कि वह ज़िन्दा हैं लेकिन तुम नहीं समझते”। (२:१५४) वह सिर्फ़ ज़िन्दा जावीद ही नहीं हैं बल्कि ख़ुदाए तआला के जिन इफ़ज़ाल व इक्राम और नेमतों के हुसूल का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं ख़याल और तसव्वुर (कल्पना) से उसका इद्राक (ज्ञान) और एहसास (अनुभव) नहीं हो सकता और ज़िन्दगानीए जावेद (हमेशा रहने वाला जीवन) भी कोई मामूली नेमत नहीं है, चूँकि कोई शख्स उम्र व इक़बाल में तरक्की की दुआ देता है तो ख़ैर ख़ाह (शुभ चिंतक) और क़ाबिले तशक्कुर समझा जाता है। ख़ुदाए तआला ने जंगे उहद के शुहदा और मुजाहिदीन की कुरआन पाक में तफ़सीली तारीफ़ फ़र्माई है।

- शहीद गवाह को कहते हैं। कोई शख्स अपने मुक़द्दमे के सुबूत में गवाह पेश करता है तो उसका सवारी और खाने का खर्च अदा करके हमेशा के लिये उस गवाह का मम्नू व मश्कूर (आभारी) रहता है। उसी तरह ख़ुदाए तआला की राह में यानि उसकी तौहीद, रसूले ख़ुदा सल्ला० की रिसालत और महेदी मौऊद अले० की महेदियत का सुबूत देने वाले गवाह मुखालफ़ीन के हाथों मारे जाने से ख़ुदाए तआला उनको बग़ैर मौत के हमेशा ज़िन्दा रखना और अपने फ़ज़्ल व करम और नेमतों से सरफ़राज़ फ़र्माना क्या अजब है, और जब मरना ही है तो हर मोमिन के दिल में शहादत की किस क़दर तमन्ना (कामना) होनी चाहिये क़ाबिले ग़ौर व तवज्जह है। इस नेमत को पाने और उसकी आरज़ू में रहने वाली हस्तियाँ क्या ही खुश नसीब हैं।

मरदाना और ज़नाना मैयित के पारचए कफ़न की तफ़सील

न.	कपड़े की किस्म	मि़क़दार		कैफ़ियत
		मर्दानी	ज़नानी	
१.	कोरा सेन	९ गज़	११ गज़	इसमें तीन लुंगियाँ और तीन रूमाल गुस्ल के लिये
२.	धोया सेन या चहेलवारी	१६ गज़	१६ गज़	इसमें मोट, इज़ार, नीचे ऊपर की चादर
३	मल् मल्	३ गज़		इसमें पैरहन और दस्तार
४	सियाह के सिवा रंगीन कपड़ा या सुर्ख़ मद्रा सुहागन के लिये और बेवा के लिये सफ़ेद		१३ गज़	इसमें सीना बंद, पैरहन, दावनी, ऊपर उढ़ाने की चादर

मैयित कमसिन या कोताह क़द हो तो हस्बे जरूरत कपड़ा लेना चाहिये।

हदीस शरीफ़ : जाबिर रज़ी० से रिवायत है कि फ़र्माया रसूले ख़ुदा सल्ला० ने जब कफ़न दे तुम में कोई अपने भाई को तो अच्छा कफ़न दे । इसको मुस्लिम ने रिवायत किया।

★ कफ़न चाक करने वाले बा वजू हों और उस वक़्त यह आयत पढ़ें

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

फ़तलक़्क़ा आदमु मिर् रब्बिही कलिमातिन् फ़ताब अलैहि इन्नहू हुवत् तव्वाबुर्हीम (२: ३७)
(फिर आदम अले० ने अपने पर्वरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और माफ़ी मांगी तो उसने उनका कुसूर माफ़ करदिया बेशक वह माफ़ करने वाला और रहम करने वाल है।) (१)

★ ऊपर दिये गये कपड़े के अलावा कुशादा मुंह के दो घड़े सहनक के साथ, दो लोटे, एक बोरिया या हसीर, अबीर, सुर्मी, इत्र, फूल, रूइ का गाला हस्बे ज़रूरत लेना चाहिये।

★ मरने वाले मर्द की पत्नी ज़िन्दा हो तो ऊपर दिये गये कपड़े के अलावा बेवा की चादर के लिये छ गज़ चहेलवारी, एक डुवट्टा के बराबर मल् मल् और एक बोरिया लें ताकि बेवा वह जोड़ा पहन कर इद्दत में गोशा नशीन रहे। मोट जिसमें मैयित लपेटी जाती है उसकी लम्बाइ मैयित के क़द से कुछ ज़ियादा रख कर देढ़ या दो पन्ने जोड़ लेना चाहिये। नीचे बिछाने और ऊपर उड़ाने की चादर का तूल भी मैयित के क़द से कुछ ज़ियादा रख कर देढ़ या दो पन्ने जोड़ लेना चाहिये। मलमल बड़े अरज़ (चौड़ाई) के लेकर उसके तूल में से दस्तार के लिये चीरी निकाल कर बाक़ी में पैरहन करना और मैयित चाहे मर्द की हो या औरत की मज़कूरा कपड़े के अलावा सेजवाली यानि ऊपर उड़ाने के लिये आगाबानी या शाल दोशाला बग़ैरह हस्बे कुद्रत उड़ा सकते हैं। मुस्तहब यह है कि नहलाने की जगह मैयित को इस तरह छुपाया जाये कि नहलाने वाले या उनके मददगार के सिवा और कोई न देखे। (७)

★ अगर कोई पानी में डूब कर मर जाये तो उसको निकालने के बाद गुस्ल देना फ़र्ज़ है। अगर निकालते वक़्त गुस्ल की निय्यत से मौयित को पानी में हरकत दी जाये तो गुस्ल हो जायेगा और अगर मैयित पर बारिश का पानी बरस जाये या किसी और तरह से पानी पहुंच जाये तो भी गुस्ल देना फ़र्ज़ है। (५, ३०, ३१)

★ अगर किसी शख्स का सिर्फ़ सर देखा जाये तो बग़ैर गुस्ल दफ़न किया जाये और सर के साथ आधा या आधे से ज़्यादा बदन हो तो गुस्ल देना चाहिये और बग़ैर सर के आधा या उस से कम हो तो गुस्ल न दिया जाये। (५, ३१)

★ मैयित के गुस्ल देने से पहले लुंगियाँ, रूमाल और बोरिया या हसीर को धो लेना चाहिये। गुस्ल देते वक़्त मैयित का सर शुमाल के जानिब करके तख़ते पर सहूलत से लिटा कर मर्द को नाफ़ से ज़ानू (घुटना) तक दोहरी और ज़ानू से पैर तक इकहरी और औरत को गर्दन से पैर तक दोहरी चादर उढ़ा कर जिस्म पर के कपड़े निहायत आहिस्तगी और सहूलत से निकाल दें। गुस्ल देने वाले बा वज़ू मशिरक़ की तरफ़ मुंह करके बैठकर मिट्टी के ताक़ (वह संख्या जो दो पर न बटे) ढेलों से मैयित के अन्दामे निहानी (शर्म गाह) की नजासत को पाक करें, और अगर पेचिश वगैरह की शिकायत से मैयित के बदन पर ज़ख़म हो तो कपड़े से पाक करें और अपने हाथों को मिट्टी से धो कर बायें हाथ पर रूमाल बांध कर पहले सीधी रान के ऊपर से पैर तक और फिर बाईं रान के ऊपर से पैर तक और फिर सीधे और बायें रान के नीचे से पैर तक शर्म गाह को बाकी रख कर धोयें, उसके बाद शर्मगाह को धो कर रूमाल खोल दें इस एहतियात के साथ कि फिर वह रूमाल कहीं जिस्म को न लगे। उसके बाद मिट्टी से हाथ धो कर दूसरी लुंगी उढ़ा कर पहली निकाल लें और दूसरा रूमाल सीधे हाथ को बांध कर पहले सीधे जानिब सर से नाफ़ तक ऊपर नीचे धो कर फिर बायें जानिब उसी तरह धोयें। फिर सर से पैर तक कोई जगह बाकी और खुशक न रहे जैसा अच्छी तरह धो कर पाक करके दूसरा रूमाल खोल कर हाथ धोकर गुस्ल देने वाले क़िब्बा रू रह कह मैयित को वज़ू कराएं उसके बाद गुस्ल की निख़्त पढ़ते हुवे सीधे मोंढे से पैर तक तीन बार और फिर बायें मोंढे से पैर तक तीन बार और फिर सर से पैर तक तीन बार पानी बहायें।

निख़्त गुस्ले मैयित

نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَسَلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ مِنْ أَرْبَابِ الطَّرِيقَةِ تَطْهِيرَ النَّفْسِ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا وَمِنْ خُرُوجِ

الدُّنْيَا تَقَرُّبًا إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَغْفِرْ عَبْدَكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

नवैतु अन् अगतसल मिन गुस्लिन् मैयिति मिन उर्बाबित् तरीक़ति तह्हीरिन् नफ़सि मिन आमालिद् दुन्या व मिन ख़रुजिद् दुन्या तक़रुबन् इला लिक़्ाइल्लाहि तआला फ़ग़फ़िर अब्दिक या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु।

अनुवाद : मैं निख़्त करता हूँ कि मैयित को गुस्ल दूँ अर्बाबे तरीक़त के तौर पर नफ़स को पाक करने के वास्ते जो दुन्या के आमाल से और दुन्या से निकलने के संबंध लाहक़ हुवे हैं खुदाए तआला के दीदार की नज़दीकी चाहने के लिये और कुर्ब हासिल करने के लिये पस बख़्शा दे तेरे बंदे को या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह

इसके बाद यह कलिमए शहादत पढ़ें :

अशहदु अन् ला इलाह इल्लल्लाहु वह दहु ला शरीक़ लहु वशहदु अन्न मुहम्मदन् अब्दुहु व रसूलुहु व इन्नल महेदिय्यल मौऊद क़द जाआ व मज़ा।

फिर तीसरी लुंगी उढ़ा कर तीसरे रूमाल से मैयित का जिस्म पोंच कर गुस्ल के तख़ते के बाजू पलंग रख कर उस पर बोरिया या हसीर डालकर उस पर नीचे की चादर बिछा कर उस पर मैयित के कमर के मक़ाम पर कपड़े की एक लांबी चीरी रख कर उस पर मोट का कपड़ा बिछा दें और पैरहन को निस्फ़ हिस्से के दरमियान में सर जाने के मुवाफ़िक़ चाक करके निस्फ़ पैरहन मोट पर बिछा दें और शर्मगाह के मक़ाम पर रुई का गाला रख कर फिर मैयित की कमर के नीचे से एक रूमाल देकर उस रूमाल और मैयित के सर और मोठे और पैर को पकड़ कर मैयित को पलंग पर लिटा दें और इज़ार का कपड़ा पैर के पास किसी क़दर चाक करके पलंग पर से डालकर लुंगी निकाल कर इज़ार के कपड़े को टख़नों के ऊपर से उसी की चीरी से लपेट दें और ऊपर का हिस्सा कमर के नीचे दबा दें। पैरहन के चाक में से सर निकाल कर उसका आधा हिस्सा ऊपर उढ़ा दें और दस्तार बांधते हुवे उस में फूलों की कलयाँ जमा दें।

नक़ल है कि हज़रत बन्दगी मियाँ सैयद महमूद सयदंजी ख़ातिमे मुर्शिद रज़ी० ने अपने फ़र्ज़द बन्दगी मियाँ सैयद मुबारक को कफ़न पहनाते वक़्त इसी तरह फूल लगाया था।

ज़नानी मैयित को दावनी के गुल दावनी में फूल जमा दें।

पाक कपड़े या रुई की दो बत्तियाँ बनाकर उसको इत्र लगाकर उस से मैयित की आँखों में इस एहतियात से सुर्मा लगायें कि उसकी सियाही चहरे पर न लगे। मैयित का मुंह क़िब्ले की जानिब करके बग़लों में और सीने पर अबीर डालकर उस पर और पेशानी और नाक और रुखसारों पर इत्र लगायें और मोट का कपड़ा मैयित के सीधे तरफ़ पहले उढ़ा कर उसके ऊपर बायें जानिब का उढ़ा कर सर के ऊपर और कमर में और पैर के नीचे कपड़े की चीरी से बांध दें। (१)

कफ़न पहनाते वक़्त यह आयत पढ़ें :

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

वला तल्बिसुल् हक़्क बिल बातिलि व तक्तुमुल् हक़्क व अन्तुम् ताअलमून् (२:४२)

(मत मिलाओ सच को झूट के साथ और मत छुपाओ हक़ को और तुम जानते हो।)

दस्तार बांधते वक़्त तस्मिया पढ़ें :

नमाज़े जनाज़ा : अल्लाह तआला फ़र्माता है “पढ़ नमाज़ उन पर क्यों कि तुम्हारी नमाज़ उनके वास्ते आराम है”। (९:१०३)

यह नमाज़ और दुआ है इस मैयित के वास्ते यह नमाज़ और दुआ है।

निय्यत नमाज़े जनाज़ा :

نَوَيْتُ أَنْ أُؤَدِّيَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ صَلَوةِ الْجَنَازَةِ الشَّاءَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالِدُعَاءٍ لِهَذِهِ الْمَيِّتِ (اِقْتَدَيْتُ
بِهَذَا الْإِمَامِ) مُتَوَجِّهًا إِلَى جِهَتِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ

नवैतू अन् उवद्दिय अर्बअ तकबीराति सलातिल् जनाज़ति अस्सनाउ लिल्लहि तआला वद्
दुआउ लि हाज़ल् मैयिति (इक़्तदैतु बि हाज़ल् इमामि) मुतवज्जहन् इला जिहतिल काअबतिश
शरीफ़ति - अल्लाहु अकबर

मैं निय्यत करता हूँ कि अदा करूँ चार तकबीरों नमाज़े जनाज़ा की, अल्लाह - तआला के लिये तारीफ़ है और इस मैयित के वास्ते दुआ है, मैं इक़तेदा करता हूँ इस इमाम की मुंह काअबा शरीफ़ की तरफ़ करके - अल्लाह तआला बुहत बुज़र्ग है।

इमाम अपनी निय्यत में اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الْإِمَامِ इक़्तदैतु बि हाज़ल इमामि के बजाय
أَنَا إِمَامٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ لِمَنْ حَضَرَ وَلِمَنْ يَحْضُرُ अना इमामु अलल् जमाअति लिमन हज़र व लिमन
यहज़ुरु कहे।

यह निय्यत पढ़ कर फ़र्जे ऐन की तरह कानों तक हाथ उठा कर आसमान की तरफ़ देखते हुवे नाफ़ पर हाथ बांध कर नज़र नीचे करके यह सना पढ़ें।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ رَبِّ
اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

सुब्हानक अल्लाहुम्म व बि हम्दिक व तबारकस्मुका व तआला जद्दुक व जल्ल सनाउक वला
इलाह ग़ैरुक रब्बिग़्् फ़िर वर्हम् व अंत अर्हमुर्राहिमीन। (४५)

इसके बाद आसमान की तरफ़ देखते हुवे अल्लाहु अकबर कहकर सर नीचे करें और वह दरूद शरीफ़ पढ़ें जो अत्तहियात के साथ पढ़ा जाता है। (१,७)

(४५) पाक है तू ऐ अल्लाह और मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ और तेरी तारीफ़ के साथ, मुबारक है तेरा नाम और बुलंद है तेरी शान और बुज़र्ग है तेरी तारीफ़ और तेरे सिवा कोइ सच्चा माअबूद नहीं है, ऐ पर्वर दिगार बख़्शा दे और रहम फ़र्मा और तू ही रहम करने वालों में निहायत रहम वाला है।

इसके बाद आसमान की तरफ़ देखते हुवे अल्लाहु अकबर कह कर सर नीचे करें और मैयित अक़िल व बालिग़ हो तो यह दुआ पढ़ें।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيَاهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

अल्लाहुम्मग् फ़िर लि हैयिना व मैयितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्म मन् अहयैतहु मिन्ना फ़अहयाहु अलल् इस्लाम व मन् तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़ाहु अल्ल् ईमानि बि रहमतिक या अर्हमुराहिमीन^(४६) (१, २, ७, १४)

अगर ना बालिदइ लड़का या दीवाना की मैयित हो तो ऊपर लिखी गई दुआ के बजाय यह दुआ पढ़ें

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفِّعًا

अल्लाहुम्मज् अल्लु लना फ़रतन् अल्लाहुम्मज् अल्लु लना अज़न् व जुखरन् अल्लाहुम्मज् अल्लु लना शाफ़ि अंव व मुशफ़िफ़ अन्^(४७) (४, ३२, १४)

अगर मैयित ना बालिग़ लड़की की हो तो اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ अल्लाहुम्मज् अल्लु के बजाय اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا अल्ला हुम्मज् अल्ला पढ़ें, उसके बाद फिर आसमान की तरफ़ देखते हुवे अल्लाहु अकबर कह कर सर नीचा करके यह आयत पढ़ें

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

रब्बना आतिना फ़िद् दुन्या हसनतंव व फ़िल आख़िरति हसनतंव व क्रिना अज़ाबन् नार

उसके बाद اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहकर हर दो तरफ़ सलाम फेरें। (१)

उसके बाद हाज़िरीन और महरम औरतें मौयित का मुंह देखे और औरत की मैयित हो तो औरतें मुंह देखें।

(४६) ऐ अल्लाह बख्शा दे हमारे ज़िन्दों को और हमारे मुरदों को और हमारे हाज़िरों को और गाइबों को और हमारे छोटों और बड़ों को और हमारे मरदों और औरतों को। ऐ अल्लाह तू जिसको हम में से ज़िन्दा रखे उसको इस्लाम पर ज़िन्दा रख और जिसको तू हम में से मौत दे उसको ईमान पर मौत दे तेरी रहमत के तुफ़ेल से ऐ सब से ज़ियादा रहम करने वाले।

(४७) ऐ अल्लाह इस मैयित को हमारे लिये पेशरो बना और उसको हमारे लिये अज़ व ज़खीरा बना और इसको हमारे लिये शफ़ाअत करने वाला और इसकी शफ़ाअत को खुबूल फ़र्मा।

अगर कोई शख्स इमाम की तकबीर के बाद आये तो तकबीरे तहरीमा कह कर नमाज़ में शरीक हो जाये और इमाम सलाम फेरने के बाद खुद फ़ौत शुदा (छुटी हुवी) पहली तकबीर को अदा करले। (७)

जनाज़े का पलंग चार आदमी उठाकर जल्दी जल्दी चलें दौड़े नहीं। (२,७)

जनाज़ा उठाते वक़्त यह आयत पढ़ें :

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَأَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

कुल हुवर् रहमानु आमन्ना बिहि व अलैहि तवक्कलना फ़सताअलमून मन् हुवा फ़ी ज़लालिम् मुबी निन् (६७:२९)

★ हदीसे शरीफ़ में आया है कि जो कोई मोमिन के जनाज़े को उठा कर ले चले उसके हर क़दम पर अल्लाह तआला उठाने वाले के गुनाहे कबीरा बख़्शाता है। (७,९)

★ जनाज़े के साथ चलते हुवे कलिमा तैयबा पुकार कर पढ़ना मक़्रूह है, अगर दिल में पढ़ें तो मुजाइक़ा नहीं, ख़ामूशी बेहतर है। (६)

★ जनाज़ा रखने से पहले बैठना और रखने के बाद खड़ा होना मक़्रूह है। (७)

★ जो लोग जनाज़े के साथ न हों बल्कि कहीं बैठे हुवे हों तो जनाज़े को देखकर खड़े न होना चाहिये क्योंकि सही मुस्लिम वग़ैरह अहादीस में मर्वी है कि पहले आँहज़रत सल्ला० जनाज़े को देख कर खड़े होजाया करते थे मगर आख़िर में आप सल्ला० ने इस अमल को तर्क फ़र्मा दिया और वह फ़ेल मंसूख़ हो गया। (५)

★ जनाज़े के साथ पैदल चलना मुस्तहब है, अगर सवारी पर हो तो जनाज़े के पीछे चलें। जनाज़े के साथ जो लोग हों उन को कोई दुआ या ज़िक्र बुलंद आवाज़ से पढ़ना मक़्रूह है क्यों कि यह अमल अहले किताब का है। जनाज़े के पीछे दुन्यावी कारोबार की बातें करते हुवे चलना मक़्रूह है इस लिये कि वह क़सावते क़ल्ब (कठोरता) का मूजिब है। (५)

★ लोग जनाज़े के पीछे ख़ामूश चलें अगर ज़िक्रे खुदा जो ऊंची आवाज़ से न हो करते चलें तो दुरूस्त है और अगर एहतेमाम के सबब से किसी क़दर आगे चलें तो मुजायक़ा नहीं। (४,६)

★ औरतों को जनाज़े के साथ जाना मक़्रूहे तहरीमी है। (५,७) हज़रत अनस् रज़ी० से रिवायत है कि लोग एक जनाज़े को लेकर गुज़रे तो सहाबा रज़ी० ने उसकी तारीफ़ (प्रशंसा)

की तो हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि “उसके लिये जन्नत ज़रूरी हो गई”। उसके बाद लोग दूसरा जनाज़ा लेकर गुज़रे तो सहाबा रज़ी० ने उसकी बुराइयाँ बयान की तो आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया “उसके लिये दोज़ख़ वाजिब होगई”। फिर आप सल्ला० ने फ़र्माया जिसकी तुम ने तारीफ़ की उसके लिये जन्नत वाजिब होगई और जिसकी तुम ने बुराइयाँ बयान की उस पर दोज़ख़ वाजिब होगई क्योंकि तुम लोग ज़मीन में अल्लाह की तरफ़ से गवाह हो। (१७)

★ हर इन्सान को अपनी चंद दिन की ज़िन्दगी में इस तरह जीना और ऐसा अमल करना चाहिये कि मरने के बाद सब गवाह तारीफ़ करें नकि शिकायत। अमले सालेह, नेक निय्यती, सच बोलना, इन्साफ़ पसंदी, हक़ रसानी, आम हमदरदी, खुश अख़लाकी वगैरह अमल और औसाफ़े इमीदा (प्रशंसनीय गुण) से क़ाबिले तारीफ़ ज़िन्दगी हो सकती है जिस में दीन और दुन्या की बेहतरी है और अमल करने के इरादे से कोशिश की जाये तो ऐसे गुण का अमल मुम्किन है।

★ अल्लाह तआला फ़र्माता है “और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों के साथ भलाइ करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना”। (२:८३)

★ क़ब्र की लम्बाइ मैयित के क़द के बराबर और गहराइ मर्द हो तो कमर के बराबर और अगर औरत हो तो सीने के बराबर हो और मैयित को क़ब्र में छ शख्स उतारना बेहतर है। (३३)

★ क़ब्र के पास मगरिब की जानिब पलंग रख कर दो साहब क़ब्र में उत्रें और ऊपर चारों तरफ़ चार शख्स रह कर मैयित के कमर के नीचे की चादर लेकर उसको और मैयित के सर और पैर के पास की मोट को चारों अश़्वास मज़बूत पकड़ कर संभाल कर मैयित को क़ब्र में उतारें और मुहं क़िब्ले की जानिब करदें और क़ब्र में उतारते वक़्त यह दुआ पढ़ें

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلٍ اللّٰهِ وَمَهْدَىٰ مُرَادِ اللّٰهِ .

बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलुल्लाहि व महेदी मुरादुल्लाहि

★ क़ब्र में सब हाज़िरीन मैयित का मुंह देखें और अगर ज़नाना मैयित हो तो सिर्फ़ महरम रिश्तेदार देखें और क़ब्र में उतरने वाले और उतारने वाले ज़नानी मैयित के महरम हों। अगर हाज़िरीन में कोई महरम न हो तो मजबूरन् ना महरम उतर सकते हैं। (३३)

मैयित का मुहं देखते वक़्त यह आयत पढ़े:

تُولَجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَخْرُجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرُجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُفْتِنَا بَعْدَهُ

तूलिजुल् लैल फ़िन् नहारि व तूलिजुन् नहार फ़िल लैलि व तुखरिजुल् हय्य मिनल् मैयिति व तुखरिजल् मैयित मिनल् हय्यि व तर्जुकु मन् तशाऊ बिगैरि हिसाबिन्। (३:२७)

अल्लाहुम्म ला तुहरिम्ना अज़हु वला तुफ़तिना बादहु।

(दाखिल करता है तू रात को दिन में और दाखिल करत है तू दिन को रात में और निकालता है तू ज़िन्दा के मुर्दे से और निकालता है मुर्दे के ज़िन्दे से और तू जिस को चाहता है बेशुमार रिज़क़ देता है।

या अल्लाह हम पर मत हराम कर उसके अज़्र को और फ़िले में मत डाल हम को।)

★ मुहं देखने के बाद कफ़न यानि मोट में मुहं छुपा देकर पैर का बंद भी खोल दें, लेकिन औरत के पैर का बंद न खोलें और कमर का बंद बंधा रहे। उसके बाद पहले मुर्शिद और उनके बाद तमाम फ़ुकरा और हाज़िरीन मुश्ते ख़ाक़ दें। मुश्ते ख़ाक़ देने वाले माग़रिब के जानिब पीठ करके पहली मर्तबा मिट्टी हाथ में लेकर यह पढ़े, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ **मिन्हा ख़लख़नाकुम** और मैयित के सीने पर मिट्टी डालते हुवे यह तसव्वुर (कल्पना) करें कि “ख़ालिक़ ने इस मैयित को इस मिट्टी से पैदा किया है”। दूसरे वक़्त मिट्टी हाथ में लेकर यह पढ़ें **وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ** व **फ़ीहा नुईदुकुम्** और दुबारा सीने पर मिट्टी डालते हुवे यह तसव्वुर करें कि “ख़दाए तआला इस मैयित को इस मिट्टी में मिला देता है”। तीसरी बार मिट्टी हाथ में लेकर यह पढ़ें **وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** व **मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन् उख़रा** और यह तसव्वुर करते हुवे मैयित के सीने पर मिट्टी डालें कि “इस मैयित को निकाल कर खड़ा करेगा”।(१.७)

★ इसके बाद मैयित के सर की जानिब से शुरू करके अत्राफ़ और ऊपर बारीक़ मिट्टी का इस तरह ग़िलाफ़ करें कि कफ़न नज़र न आये और ग़िलाफ़ करते वक़्त यह आयत पढ़ें **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल् एहसानि (१६:१८)।

★ ज़नाना मैयित को क़ब्र में उतारते वक़्त पर्दा करना मुस्तहब है और अगर मैयित का बदन ज़ाहिर होने का ख़ौफ़ हो तो पर्दा करना वाजिब है। (२,५)

★ ज़नाना मैयित का ग़िलाफ़ करने के बाद मुश्ते ख़ाक़ देने का क़दीम तरीक़ा है। उसके बाद मिट्टी से क़ब्र को भरने तक बैठ जाना सुन्नत है और क़ब्र तैयार होने के बाद उस पर पानी या मिट्टी से मुहर करें। मुहर करते वक़्त यह आयत पढ़ें

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي

या अय्यतुहन् नफ़सुल् मुत्मइन्नतुर् जिर्इ इला रब्बिकि राज़ियतम् मर्ज़िय्यह। फ़दख़ुली फ़ी इबादी। वदख़ुली जन्नती। (८९:२७-३०)

(ऐ इत्मेनान पाने वाली रूह, अपने पर्वरदिगार की तरफ़ लौट चल, तू उस से राज़ी वह तुझ से राज़ी तू मेरे ख़ास बंदों में शामिल होजा, और मेरी जन्नत में दाख़िल होजा)।

★ दफ़न के बाद क़ब्र पर पानी छिड़कना मुस्तहब है। चुनांचे हज़रत नबी करीम सल्ला० ने अपने साबह ज़ादे हज़रत इब्राहीम की क़ब्र पर पानी छिड़का था और बाज़ सहाबा की क़ब्र पर भी पानी छिड़कने का हुक़म देना अहादीस की किताबों से ज़ाहिर है। (७)

★ दो मुरदों के एक क़ब्र में दफ़न करना दुरूस्त नहीं है जब तक कि पहले का मुर्दा मिट्टी न हो जाये। अगर ज़रूरत की वजह से दो को एक क़ब्र में दफ़न करें तो दोनों के दरमियान में मिट्टी की आड़ या कच्ची ईंटें रख दें ताकि दो क़ब्रों की सूरत हो जाये और मुर्दा मिट्टी हो जाने के बाद क़ब्र पर इमारत बनाना और खेती करना दुरूस्त है। (७)

फ़ातिहा पढ़ने का तरीक़ा :

दफ़न के बाद उस मर्हूम की या जिसकी ज़ियारत करनी हो उसकी क़ब्र पर फूल या सज़ा उतार कर दोनों हाथ उठा कर फ़ातिहा बरूहे पाक (नाम) मर्हूम व मग़फ़ूर कह कर सूरह फ़ातिहा एक बार, सूरह इख़लास (कुल हुवल्लाहु अहद) तीन बार और दुरूद शरीफ़ एक बार पढ़ कर उसका सवाब जिनकी ज़ियारत करते हों उनकी रूह को बख़शें।

जमी फ़ातिहा में पहले साहबे हज़ीरा का नाम लें उसके बाद जमी अर्वाहे पाक मर्हूम व मग़फ़ूर मदफ़ून हज़ीरा मर्दान व ज़नान जमी अहले बैत मर्दान व ज़नान व जमी मोमिनीन व मोमिनात व मुस्लिमीन व मुस्लिमात कह कर सूरह फ़ातिहा, सूरह इख़लास और दुरूद शरीफ़ पढ़ कर सब की अर्वाह को बख़शें। (१)

★ दफ़न के बाद मर्हूम को ईसाले सवाब की निय्यत से हस्बे इस्तिताअत (क्षमता) फ़ुकरा की ख़िदमत में नक़द रक़म लिल्लाह तक़सीम करें चूंकि हज़रत महेदी अले० के हुज़ूर से यह अमल जारी

है। मैयित की निय्यत से उम्मती के लिये शकर और अहले बैत के लिये शर्बत बना कर तक़सीम करने का तरीक़ा भी हज़रत महेदी अले० के हुज़ूर से अब तक बराबर चला आरहा है।

★ हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी अलाहदादी रज़ी० की रेहलत के रोज़ दफ़न के बाद हज़रत महेदी अले० के फ़र्माने मुबारक से नक़द रक़म जो लिल्लाह आई हुवी थी सब मुहाजिरीन और फ़ुकरा को बतौरे सवीयत तक़सीम की गई और शर्बत भी तैयार करवा कर सब को तक़सीम किया गया और खाना पकवा कर तमाम फ़ुकरा, सहाबा, मुहाजिरीन, औरतों और बच्चों को स्वर्गीय बीबी की निय्यत से बतौर सवीयत अता फ़र्माया गया। हज़रत महेदी अले० ने बीबी की निय्यत से खाना खिलाने और उर्स बहर - ए - आम करने और ऊद देकर पानी पिलाने से गुरोहे मुबारक में हज़रत स्वर्गीय बीबी रज़ी० की बहर-ए-आम होती है और उस दिन पानी को ऊद देकर पिलाने का तरीक़ा भी जारी है।

हज़रत महेदी अले० से नक़ल है कि मलिक बुर्हानुद्दीन महाजिर महेदी रज़ी० के दफ़न के बाद जो कुछ ज़रे नक़द हाज़िर था बतौर सवीयत तक़सीम किया गया और शर्बत सब को पिलाया गया। हज़रत बन्दगी मलिक अलाहदाद ख़लीफ़ए गुरोह रज़ी० ने बीबी ख़ुंज़ा बुवा रहे० के दफ़न के बाद नक़द रक़म और शर्बत सवीयत फ़र्माये हैं। मियाँ अब्दुल मजीद रहे० के नक़लियात और तज़्किरतुल मुर्शिदीन में लिखा है कि हज़रत बंदगी मियाँ सय्यद महमूद सयदंजी ख़ातिमुल मुर्शिद रज़ी० ने हज़रत बंदगी मियाँ सय्यद मुबारक रहे० के दफ़न के बाद शर्बत तैयार करवा कर सब को तक़सीम फ़र्माये। यह भी मनकूल है कि हज़रत बन्दगी मियाँ शाह दिलावर रज़ी० ने चौथे के रोज़ क़ब्र पर फूल या सब्ज़े से ज़ियारत की और मर्हूम की निय्यत से खाना खिलाया। हज़रत बन्दगी मियाँ शाह नुसरत रहे० ने भी उसको जारी रखा है।

★ किताब कज़ुंल मोमिनीन में किताब शर्फ़े नबूवत के हवाले से लिखा है कि हज़रत बीबी आइशा रज़ी० और हज़रत अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि मैयित के दफ़न के बाद उस रोज़ मौयित को क़ब्र की सख़ति और पुर्सिश (पूछ ताछ) होती है और चौथे रोज़, दसवें रोज़, बसिवें रोज़ और चालीसवें रोज़ क़ब्र की सख़ती और पुर्सिश होती है और इसी तरह साल भर तक होती है। इसी वास्ते ईसाले सवाब की निय्यत से बुज़रगाने दीन ने दहुम, चहलुम, छ माही और सालाना उर्स के रोज़ फ़ुकरा और मुतअल्लिक़ीन (संबंधित जन) को खाना किलाने का तरीक़ा जारी रखा है।

ताअज़ियत : मैयित के वुरसा से रस्मे ताअज़ियत अदा करना (संबंधियों से शोक प्रकट करना) सुन्नत है और तीन रोज़ तक ताअज़ियत को जाना मसनून है, तीन रोज़ के बाद या दुबारा जाना मक़रूह है। (४)

ताअज़ियत के वक़्त सब्र की रग़बत दिलाना और उसकी ख़ूबियाँ बयान करना और यह कहना चाहिये।

أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَيِّتِكَ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ وَتَغَمَّدَهُ بِرَحْمَتِهِ وَرَزَقَكَ الصَّبْرَ عَلَى مُصِيبَتِهِ وَأَجْرَكَ عَلَى مَوْتِهِ

إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَاللَّهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصَبِرْ وَلْتَحْسِبْ

आज़मल्लाहु अज़्रक व अहसन अज़ाक वग़फ़र लिमैयितिक व ग़फ़रल्लाहु तआला लि मैयितिक व तजावज़ु अन्हु व तग़म्मदहु बि रहमतिहि व रज़क कस् सब्र अला मुसीबतिहि व अज़्रक अला मौतिहि।

अल्लाह तआला फ़र्माता है: इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन् क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्न इलैहि राजिऊन (२:१५६)

अल्लाहुम्म अज़नी फ़ी मुसीबती वख़लिफ़ ली ख़ैरन् मिन्हा इन्नल्लाह मा अख़ज़ वल्लाहु मा आता व कुल्लुन् इन्दहु बिअजलिम मुसम्म फ़ल् तख़िब वल् तहसिब ।

★ मातम पुर्सि (शोक प्रकट करना) मुस्तबह है इस लिये कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया जिस ने किसी मुसीबत में अपने भाई को सब्र दिलाया अल्लाह तआला उस को क्रियामत के दिन करामत (श्रेष्ठता) का लिबास पहना देगा और पहले रोज़ यानि जिस रोज़ मुर्दा दफ़न हो मातम पुर्सि दूसरे दिनों से ज़ियादा बेहतर है क्योंकि पहले रोज़ में वहशते फिराफ़ (जुदाई का ग़म) ज़ियादा होती है तो तसल्ली ऐसे ही वक़्त में मुनासिब है और तीन दिन के बाद ताअज़ियत मक्रूह है, लेकिन ग़ायब के लिये मक्रूह नहीं है यानि अगर किसी शख्स ने तीन दिन के बाद मौत की ख़बर सुनी और उस वक़्त ताअज़ियत को आया तो मक्रूह नहीं है। इसी तरह अगर मैयित का रिश्वेदार मौत के वक़्त मौजूद न हो और मौत के बाद आये तो ताअज़ियत को जाना मक्रूह नहीं है।

★ एक बार ताअज़ियत के बाद दुबारा ताअज़ियत के लिये जाना मक्रूह है और क़ब्र के पास ताअज़ियत मक्रूह है क्योंकि क़ब्र के पास मैयित के लिये दुआ का मक़ाम है, और घर के दरवाज़े के पास ताअज़ियत मक्रूह है। ताअज़ियत में इस तरह कहा जाये कि अल्लाह तआला तेरा सवाब ज़ियादा करे, तुझे सब्र दे और तेरी मैयित को बख़शे।(७)

★ मुसीबत के वक़्त सब्र करना और यह कहना सुन्नत है *इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन*।(४)

★ मुसीबत के रोज़ अहले मैयित के वास्ते खाना भोजना सुन्नत है (४)। चुनांचे गुरोहे मुबारक में क़दीम से यह तरीक़ा चला आता है कि मैयित के घर वालों को पहले रोज़ मुर्शिद खाना खिलाते हैं और फिर तीन रोज़ तक रिश्तेदार खाना खिलाते हैं। मैयित के हम साथी (पड़ोसियों) और रिश्तेदारों को मुस्तहब है कि मैयित के घर वालों के वास्ते इतना खाना पकवायें जो उनको उस दिन और रात शिकम सेर करदे (पेट भर जाये)। इस बाब में अस्ल वह हदीस है कि हज़रत जाफ़र रज़ी० की शहादत की ख़बर जब आइ तो आप सल्ला० ने इर्शाद फ़र्मया या कि जाफ़र के मुतअल्लिकीन के लिये खाना तैयार करो कि वह अपने ग़म में हैं। (३३)

★ वाज़ेह हो कि किसी के मरने पर ऊंची आवाज़ में रोना पीटना, वावैला और शोर व फुगाँ करना या ग़रेबाँ फाड़ना या सर पर मारना हराम और बड़ा गुनाह है (४)। मरने पर शोर व गुल मचाना गोया खुदाए तआला की मशीयत (इच्छा) से अलानिया मुखालफ़त (विरोध) और नारज़गी ज़ाहिर करना है और यह खुदाए क़ादिर की बड़ी ना खुशी का मुजिब है और इस में सिवाय गुनाह के कुछ हासिल नहीं होता।

मौत पर सब्र के फ़ज़ायल :

अल्लाह तआला फ़र्माता है “जो गुज़र गया उस पर रंज न करो (५७:२३)

हदीसे शरीफ़ में है कि हज़रत उमर रज़ी० से रिवायत है नक़ल की उन्होंने ने नबी करीम सल्ला० से फ़र्माया “मुर्दा अज़ाब किया जाता है अपनी क़ब्र में उस पर बयान करके रोने से”।

★ मरने से पहले अपने मुतअल्लिकीन को रोने पीटने की वसीयत की हो तो रोना ठीक है वर्ना नहीं, इस आयत के मुताबिक़ कि “और कोई दूसरे का बोझ नहीं उठायेगा”(६:१६४)।

अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ में सब्र करने वालों को बड़े सवाब देने का कइ जगह वादा फ़र्माया है, चुनांचे फ़र्माता है :

- “बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है” (२:१५३)
- “और सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है (८:४६)
- “और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है” (८:६६)।

- “जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा।” (३९:१०)
- “ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज़ से सदद् लिया करो बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है”। (२:१५३)

★ किसी के मरने पर अगर बिला इरादा और बे इख्तियार आँख से आँसू निकल पड़ें या जारी हो जायें और दिल में खुदाए तआला की मशीयत से रंज व मलाल न हो तो ऐसा रोना जायज़ है बल्कि अपनी मौत को याद करके और अपने गुनाहों पर गौर करके जिस क़दर रोयें मुफ़ीद और कम है।

ज़ियारते कुबूर का मसनून व मुस्तहब तरीका : हज़ीरे में जाकर यह पढ़ें

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَأَحْفُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمُونَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمَنَا
اللَّهُ وَيَاكُمْ

अस्ललामु अलैकुम या अहलल् क़बूरि मिनल् मुस्लिमीन वल् मोमिनीन आंतुम लना सलफुन् व नहनु लकुम तबउन् व इन्ना इन्शा अल्लाहु बिकुम लाहिकून यर्हमुल्लाहुल् मुस्तक्रिद मून मिन्ना वल् मुस्ताख़िरीन असअलुल्लाहु लना व लुकुमुल् आफ़ियत यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व यर्हमनल्लाहु व इय्याकुमा(४)

★ अहले कुबूर की मग़फ़िरत के लिये दुआ मांगना और उनकी बेइख्तियारी (मजबूरी) और अदम कुद़त से इब्रत हासिल करके दुन्या की उलफ़त और रग़बत न रखना और अपनी आख़िरत को याद करके तर्सा व हिरासां (डरा हुआ) रहना।

★ हज़ीरे में हंसी, क़हक़हा, दुन्यावी और बे फ़ाइदा कलाम से बचे रहना और वहाँ कोइ चीज़ खाना, पीना और सोना मक़ूहे तहरीमी है। क़ब्र की जानिब सज्दा करना, नमाज़ पढ़ना, वहाँ चराग़ रौशन करना, आग जलाना, क़ब्र पर ग़िलाफ़ पहनाना, साहबे क़ब्र से कोइ हाजत तलब करना और उनके लिये नज़र कुबूल करना मना है अलबत्ता अहले कुबूर को अपनी हाजत रवाई के लिये वसीला टहाराना जायज़ है। (४)

★ हज़रत अली रज़ी० से रिवायत है कि फ़र्माया हज़रत नबी करीम सल्ला० ने कि जो कोइ शख्स क़ब्रिस्तान में जाये और ग्यारह बार सूरह इख़लास (कुल हुवल्लाह) पढ़ कर अहले कुबूर को बख़शे तो उन तमाम के बराबर उस पढ़ने वाले को भी खुदाए तआला सवाब अता फ़र्मायेगा। (४)

★ वाज़ेह हो कि जुमआ के रोज़ ज़वाल (सूरज का ढलना) से पहले कुबूर की ज़ियारत न करने की तकलीद है और उसकी सनद फ़तावा अबुल लैस समर कंदी रहे० से भी हो सकती है, लिखा है कि जिस ने जुमआ के दिन ज़वाल से पहले किसी क़ब्र की किसी मैयित की ज़ियारत की या ईसाले सवाब की निय्यत से कुरआन मजीद ख़त्म किया तो मैयित की रुह को परेशान कर दिया, क्योंकि जुमआ के दिन जुहर के पहले तक मोमिनीन की अर्वाह अर्श के नीचे आराम पाती हैं और फ़रिश्तों के साथ मनाज़ें पढ़ा करती हैं तो उस वक़्त किसी ने मोमिन की क़ब्र की ज़ियारत की या मैयित के नाम से ख़त्मे कुरआन मजीद किया तो क़ारी की तरफ़ रुह रुजू करती है और दूसरे जुमे तक उस पर लानत करती है क्योंकि उस ने अर्वाह को परेशान कर दिया और अल्लाह तआला की रहमत से उसको पलटा लिया।

★ अगर औरतें ज़ियारत को इस वजह से जायें कि ग़म ताज़ा हो जाये और माअमूल (रिवाज) के मुवाफ़िक़ क़ब्रों पर रोना पीटना करें तो हर गिज़ जाइज़ नहीं है। हदीस शरीफ़ में जो आया है कि अल्लाह तआला लाअनत करता है क़ब्रों की ज़ियारत करने वालियों को उस में वही औरतें मुराद हैं जो क़ब्रों पर ग़ैर शरई काम करें। अगर इस वजह से जायें कि इब्रत हासिल करें या मुतबर्रिक (बुजुर्ग) जान कर सालेहीन की क़ब्रों पर जायें तो उस सूरत में अगर औरतें बूढ़ी हों तो मुज़ाइका नहीं और अगर जवान हों तो उनके हक़ में यह ज़ियारत मक़्रूह है।(७)

★ किताब ख़जानतुर् रिवायात में लिखा है कि जो औरत अपने घर से न निकल कर मैयित की भलाइ के लिये कुछ दुआ मांगे तो उस पढ़ने वाली बीबी को और उस मैयित को अल्लाह तआला हज और उम्रे का सवाब अता फ़र्मायेगा।

★ मर्हूम वालिदैन और अहबाब के हुकूक की अदाई और उनकी मग़फ़िरत की ख़ाहिश और उनको ईसाले सवाब मंज़ूर हो तो सूरह फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह क़द्र, सूरह कौसर एक एक बार, सूरह इख़लास ग्यारह बार और नीचे लिखा गया दुरुद शरीफ़ एक बार पढ़ कर जनाबे बारी में इस तरह इत्तेजा की जाये कि “या बारे खुदाया इस ख़त्म को बतुफ़ैल ख़ातिमैन अलैहिमस्सलाम कुबूल फ़र्मा कर इस का सवाब ख़ातिमैन अलैहिमस्सलाम और कुल अर्वाहे मुक़द्दसा मोमिनीन व मोमिनात को पहुंचा कर उनके साथ (फ़लाँ) की रुह को भी अपने फ़ज़्लो करम के तुफ़ैल से पहुंचा”। खुदाए तआला के फ़ज़्ल व करम से क़वी उम्मीद है कि इसके तुफ़ैल से अगर वह मर्हूम नेक हो तो उसके दरजात में तरक्की और बुलंदी अता करेगा और अगर गुनाहगार हो तो उसके गुनाहों का कफ़ारा होकर उसकी क़ब्र को नूर से पुर नूर फ़र्मा देगा और उसके आमाल नामे में हज़ारों नेकियाँ दाख़िल फ़र्मा कर उसमें से हज़ारों गुनाहों को मेट देगा और उसकी रुह से क्रियामत तक अज़ाब को उठालेगा।

यह खुलासा है किताब फ़वाइदुल मुब्तदी, दस्तूरुल क़जात उम्दतुल अब्रार, फ़तावा अल हुज्जत वगैरह जौक शौक नमाज़ का।

मज़क़ूरा दुरूद शरीफ़ :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدَيْنِ فِي الْأَرْوَاحِ وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدَيْنِ فِي الْأَجْسَادِ وَصَلِّ عَلَى جِسْمِ
مُحَمَّدَيْنِ فِي الْأَجْسَامِ وَصَلِّ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدَيْنِ فِي الْقُلُوبِ وَصَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدَيْنِ فِي الْقُبُورِ وَصَلِّ
عَلَى تُرْبَتِ مُحَمَّدَيْنِ فِي التُّرَابِ وَصَلِّ عَلَى نُورِ مُحَمَّدَيْنِ فِي الْأَنْوَارِ وَصَلِّ عَلَى مَظْهَرِ مُحَمَّدَيْنِ فِي
الْمَظَاهِرِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَعَلَى كُلِّ
مَلَكٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بَعْدَ مَا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا بَعْدَ كُلِّ حَرْفٍ أَلْفًا وَأَلْفًا
كُلَّ مَعْلُومَاتِ لَكَ أَمِينٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَبِحُرْمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّةِ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ
مُحَمَّدَيْنِ وَإِلِ مُحَمَّدَيْنِ أَنْ لَا تُعَذِّبَ هَذِهِ الْأَرْوَاحَ الْمُوصُوفَةَ وَاعْفِرْ ذُنُوبَهُمْ وَكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَارْفَعْ
دَرَجَاتِهِمْ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

अल्लाहुम्म सल्लि अला रुहि मुहम्मदैनि फ़िल अर्वाहि व सल्लि अला जसदि मुहम्मदैनि फ़िल
अजसादि व सल्लि अला जिस्मि मुहम्मदौनि फ़िल अजसामि व सल्लि अला क़ल्बि मुहम्मदैनि
फ़िल कुलूबि व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदैनि फ़िल कुबूरि व सल्लि अला तुरबति मुहम्मदैनि
फ़ित् तुराबि व सल्लि अला नूरि मुहम्मदैनि फ़िल अन्वारि व सल्लि अला मज़हरि मुहम्मदैनि
फ़िल मज़ाहिरि व सल्लि अला जमीइल् अंबियाइ वल मुर्सलीन वल मलाइकतिल् मुकर्रबीन व
अला इबादिल्लाहिस् सालिहीन व अला कुल्लि मलक बि रहमतिक या अर्हमर्राहिमीन बि अददि
मा फ़ी जमीइल् क़ुरआनि हर्फन् हर्फन् बि अददि कुल्लि हर्फिन् अल्फन् अल्फन् व बि अददि
कुल्लि मालूमातिन् लक आमीन या रब्बिल आलमीन व बिहुर्मति ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु
ला शरीक लहु लहुल् मुल्कु व लहुल् हम्दु युहई व युमीतु व हुव हैयुन् ला यमूतु अबदन् अबदन्
बि यदिहिल् खैरि व हुव अला कुल्लि शैइं क़दीरुन, अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक बि हक्कि
मुहम्मदैनि व आलि मुहम्मदैनि अंला तुअज़िजब हाज़िहिल अर्वाहिल मौसूफति वग़फ़िर ज़ूनूबिहिम
व कफ़िर अन्हुम सय्यिआतिहिम वफ़अ दरजातिहिम बि फ़ज़्लिक व करमिक या अक्रमल
अक्रमीन व बि रहमतिक या अर्हमर् रहिमीन।

अनुवाद : या अल्लाह रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा हर दो मुहम्मद सल्ला० के अर्वाहि मुबारक पर तमाम अर्वाहि में और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा हर दो मुहम्मद सल्ला० के जसदे मुबारक पर तमाम जसदों में और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा हर दो मुहम्मद सल्ला० के जिस्मे मुबारक पर तमाम जिस्मों में और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा हर दो मुहम्मद सल्ला० के क़ल्ब पर तमाम कुलूब में और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा हर दो मुहम्मद सल्ला० की क़ब्र पर तमाम क़ब्रों में और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा हर दो मुहम्मद सल्ला० की तुर्बत पर तमाम तुर्बतों में और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा हर दो मुहम्मद सल्ला० के नूर पर तमाम नूरों में और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा हर दो मुहम्मद सल्ला० के मज़्हर पर तमाम मज़्हरों में और रहमते कामिला नाज़िल फ़र्मा तमाम पैग़म्बरों और रसूलों पर और तमाम मुकर्रब फ़रिश्तों पर और अल्लाह तआला के सालेह बन्दों पर और तमाम फ़रिश्तों पर तेरी रहमते कामिला के तुफ़ैल से ऐ ज़्यादा रहम करने वाले तमाम रहम करने वालों से तमाम कुरआन मजीद के हरफ़ों के शुमार से और हर हर हर्फ़ के हजार बार शुमार से और तेरी तमाम मालूमात के शुमार से ऐ तमाम आलम के पर्वरदिगार हमारे मारूजात को कुबूल फ़र्मा मुक़द्दस कलिमे के तुफ़ेल से जिस का खुलासा है कि सिवाय खुदाए तआला के कोई सच्चा माअबूद नहीं है वह खुदा एक है उसका कोई शरीक नहीं है उसकी हुकूमत सारे जहाँ में है और उसी को तमाम किसम की तारीफ़ सज़ावार है, वही हर एक को जिलाता है और मार डालता है और वह खुद जिन्दा है हर गिज़ कभी मरता ही नहीं, उसी के हाथ में खैर व बरकत है और वही हर एक चीज़ पर कुद्रत रखता है। या अल्लाह मैं तुझ ही से सवाल करता हूँ मुहम्मदैन सल्ला० के तुफ़ेल से कि अज़ाब में मुबाला न फ़र्मा इन अर्वाहि मोसूफ़ा को और बख़शदे उनके गुनाहों को और उनके गुनाहों का कफ़ारा बनादे मारूजाते सदर को और उनमें से जो बुजुर्ग लोग हैं उनके दरजों को बढ़ा दे तेरे फ़ज़्ल व करम से ऐ ज़्यादा करम करने वाले बड़े करीमों से और तेरी रहमते कामिला के तुफ़ेल से ऐ ज़्यादा रहम करने वाले बड़े रहम वालों से। (१)

मैयित को सोंपने का तरीका

मैयित के क़द और जसामत के लिहाज़ से लकड़ी के तख़्तों का कुशादा संदोक् तैयार करवालेँ और अगर लकड़ी के तख़्तों का संदोक् न हो सके तो बांस का संदोक् बनवालेँ और मैयित को गुस्ल और कफ़न से तैयार करके नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा कर सब की मुश्ते ख़ाक की मिट्टी कपड़े में बांध कर मैयित के सीने पर रख दें और संदोक् में एक बड़ी चादर बिछाकर उस पर चार छ उंगल ऊंचा नमक बिछाकर उस पर तीन सेर सफ़ेद ज़ीरा और मैयित की गर्दन और हर दो शाने और पेट और सुरीन और ज़ानू के नीचे जिस क़दर मुम्किन हो मामूली अबीर डाल कर उसके ऊपर मैयित को लिटा कर मैयित के ऊपर भी इसी तरह अबीर, ज़ीरा और नमक डालकर संदोक् को ऊपर से अच्छी तरह कीलौं से बंद करदें।

उस संदोक् से कुशादा कंचे की क़ब्र बनवा कर संदोक् को क़ब्र में रखते वक़्त उसके चारों पायों के नीचे पथर रखें और मुर्शिद के मुशाहदे के साथ ज़बान और दिल से दो गवाहों के सामने यह कहें (यह मैयित जो हमारी अमानत है अल्लाह तआला जो ज़मीन और आस्मान को पैदा करने वाला है उसके हिफ़ज़ व आमन् में देकर ऐ ज़मीन हम तेरे हवाले करते हैं हमारी इस मैयित को आज से () महीने तक अमानत रखना) इस तरह तीन बार कह

कर जितने महीनों की तेदाद से मैयित को सांपना मन्ज़ूर हो उतने ही तेदाद के कंकर मैयित के बायें बाजू रख दें। (१, १४)

- ★ सांपने की मुद्दत एक साल के अंदर और ताक़ महीनों की होना चाहिये। (१)
- ★ उस क़ब्र को बरगे वग़ैरह से बंद करके उसके ऊपर क़ब्र की अलामत बनाकर फूल या सब्ज़े से ज़ियारत करके फ़ातिहा पढ़लें।
- ★ अगर संदोक्क की तैयारी, नमक, ज़ीरा और अबीर का मुयस्सर (हासिल) होना मुम्किन न हो तो मैयित की जसामत से कुशादा चूना, पत्थर या ईंट चूना की संदोक्की क़ब्र बनवा कर मैयित के नीचे एक तख़ता रख कर ऊपर बयान किये गये तरीक़े के मुताबिक़ मैयित को क़ब्र में रख कर उसके नीचे और ऊपर पाक रेती डाल कर क़ब्र को बंद कर दें।
- ★ अगर संदोक्की चूने की क़ब्र बनवाना भी मुम्किन न हो तो मामूली (साधारण) क़ब्र खुदवा कर बयान किये गये तरीक़े से मैयित के नीचे ऊपर पाक रेती डाल कर क़ब्र बंद करदें, अगर रेती भी न मिले तो मिट्टी से ही काम लें।
- ★ मुऐयना (निश्चित) मुद्दत ख़त्म होने से पहले उस संदोक्क या मैमित को निकाल कर मैयित को नये कपड़े की मोट पहली मोट पर देकर जहाँ दफ़न करना हो वहाँ लेजा कर जिन्हों ने नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी हो वह नमाज़े जनाज़ा पढ़ कर ऊपर और बाजू के तख़ते निकाल कर हाज़िरीन मुश्ते ख़ाक़ देकर दफ़न करदें। (१)
- ★ अगर किसी वजह से सोंपे हुवे मक़ाम से मैयित को निकालना मन्ज़ूर न हो तो उस ज़मीन को इजाज़त दें। बाज़ पैग़म्बरों को भी सोंप कर दूसरे मक़ामात पर लेजाकर दफ़न किया गया। देखिये ख़जानतुर् रिवायात।(१)
- ★ तफ़सीरुल कुरआन जिल्द पंजुम लेखक मुहम्मद इनशा अल्लाह के सफ़हे (१११) पर लिखा है कि “तौरात में है कि हज़रत यूसुफ़ अले० ने एक सौ दस साल उम्र पाई और जब आप ने वफ़ात पाई तो अहले मिसर ने आपके दफ़न के मुतअल्लिक़ इख़तिलाफ़ किया। हर शख्स चाहता था कि उसके मुहल्ले में दफ़न किये जायें ता कि वह उनकी बरकत से मुस्तफ़ीद हों। आख़िर संगे मर्मर या सफ़ेद पत्थर के संदोक्क में उन को रख कर दरयाए नील के अंदर दफ़न करदिया ता कि उस पानी के ज़रीये से जो उनकी क़ब्र पर बहे सब को उनकी बरकत पहुंचे। अक्रमा कहते हैं कि पहले वह नील की दहनी जानिब दफ़न किये गये वह जानिब हरा भरा हो गया और दूसरा जानिब सूख गया उनको वहाँ से उठा कर बायें जानिब दफ़न कर दिया गया तब बायाँ जानिब

हरा भरा हो गया और दहना जानिब सूख गया। आखिर वहाँ से निकाल कर नील के बीच में दफन किया गया तब दोनों जानिब हरे भरे होगये। मूसा अले० के अहद तक वह दरयाए नील में मदफून रहे। जब मूसा अले० मिसर पर काबिज़ हुवे तो उन्होंने ने उस संदोक्र को नील से निकलवा कर शाम ले गये और वहाँ उनके आबाये किराम अले० के पहलू में दफन किया”।

क्रब्र के अक्रसाम :

क्रब्र तीन किस्म की बनाइ जाती है (१) बगली (२) संदोकी (३) मामूली मिट्टी की।

★ मर्दानी क्रब्र नाफ़ के बराबर लग भग सवा गज़ गहरी और ज़नानी क्रब्र सीने के बराबर लग भग देढ़ गज़ गहरी।

★ बगली क्रब्र बनाने का तरीका यह है कि पहले मामूली क्रब्र खुदवाइ जाकर उसके सीधे बाज़ू यानि मगरिबी जानिब में मैयित रहने के मुवाफ़िक़ मिट्टी निकाल कर अंदर जगह बनाइ जाये और मैयित को क्रब्र में उतारने और मुंह देखने के बाद उस बगली क्रब्र में आहिस्ता से हटा दिया जाये और मुश्ते ख़ाक देकर उसके मशरिकी जानिब के खुले हिस्से को कीचड़ मिट्टी वगैरह से बंद कर दिया जाये और जहाँ मैयित रखी गई है उसके ऊपर क्रब्र बनादी जाये।

★ संदोकी क्रब्र का तरीका यह है कि कुशादा क्रब्र खुदवाइ जा कर उसके अत्राफ़ ईट या पत्थर चूना मिट्टी से कंचा बनवाया जाकर उस में मैयित रख कर मुंह देख कर मुश्ते ख़ाक देने के बाद कंचे की बंदिश के ऊपर पत्थर की कड़ियाँ जमादेकर उसके ऊपर क्रब्र बनाबादी जाती है।

★ मामूली क्रब्र का तरीका यह है कि मामूली क्रब्र खुदवाइ जाकर उसमें मैयित को रख कर मुंह देखने और मुश्ते ख़ाक देने के बाद मैयित के अत्राफ़ और ऊपर मिट्टी का इस तरह ग़िलाफ़ कर दिया जाता है कि कहीं से मैयित का कफ़न नज़र न आये उसके बाद क्रब्र में मिट्टी भरदी जाकर उसके ऊपर क्रब्र का नमूना बना दिया जाता है।

अहकामे इद्दत

इद्दत उस इन्तेज़ार का नाम है जो औरत को तलाक़ या शौहर की मौत के बाद लाज़िम है।(७)

★ शौहर (पति) की मौत या तलाक़ या फ़स्खे निकाह के फ़ौरन बाद इद्दत शुरू होजाती है और मुऐयना मीयाद (निश्चित काल) के बाद ख़त्म होजाती है गो औरत को तलाक़ या मौत का इल्म न हो इस लिय कि इद्दत मुद्दते मुऐयना का नाम है इल्म शर्त नहीं है। (७)

★ हुर्ी (स्वाधीन औरत) का पति मर जाये तो उसकी इद्दत चार महीने दस दिन हैं। (७)

अल्लाह तआला फ़र्मता है “और जो लोग तुम मे से मर जायें और औरतें छोड़ जायें तो औरतें चार महीने और दस दिन अपने आप को रोके रखें”। (२:२३४)

★ जिस हुरी औरत को ख़िलवत के बाद तलाक़ दी जाये ख़ाह रजई हो या बाइन या फ़स्खे निकाह हो, अगर उसको हैज़ आता हो तो तीन हैज़ अगर हैज़ न आता हो तो तीन महीने तक इद्दत वाजिब होगी। लेकिन अगर हैज़ में तलाक़ दी जाये तो वह हैज़ नहीं गिना जायेगा।(७)

★ हामला (गर्भवती) औरत की इद्दत वज़अ हमल (जनन/बच्चा पैदा होने) तक है। अल्लाह तआला फ़र्मता है “और जो औरतें हामेला हैं तो उनकी इद्दत वज़ए हमल यानि बच्चा जन्मे तक है”।(६५-४)

★ इद्दत वाली औरतें आराइश (सजावट) न करे (ज़ेवर वग़ैरह) और ज़ाफ़रानी और कुसुम के रंग का कपड़ा न पहने मगर रंगे हुवे सूत का (पहन सकते हैं) और ख़ुशबू न लगाये और ख़ुशबू का तेल न लगाये और मेहंदी न लगाये और सुर्मा ज़ीनत (बनाव सिंगार) के लिये न लगाये लेकिन दर्द हो तो बतौर दवा जायज़ है। (२)

★ जिस औरत पर इद्दत वाजिब हुवी हो उसको चाहिये कि जिस घर में फ़ुर्कत (जुदाइ) या मौत या तलाक़ हुवी हो उसी घर मे इद्दत को पूरी करे। अल्लाह तआला फ़र्मता है “उनको अय्यामे इद्दत में अपने घरों से न निकालो और न वह खुद ही निकले हाँ अगर वह सरीह बे हयाई करें तो निकाल देना चाहिये”।(६५:१) अल्लाह तआला फ़र्मता है “और तलाक़ वाली औरतें तीन हैज़ तक अपने नफ़सों को रोके रखें” (२:२२८)। या माल तल्फ़ होने का ख़ौफ़ हो या घर के गिर जाने का या घर का किराया उसको न मिले, इन सूरतों में ज़ौजा का इख़तियार है कि उस घर से निकल जाये। (२)

★ लौंडी की इद्दत हुरी से निस्फ़ (अधी) है तलाक़ और फ़स्खे निकाह में अगर वह साहबे हैज़ हो तो दो हैज़ और अगर हैज़ न आता हो तो देढ़ महीना। मौत की सूरत में दो महीने पाँच दिन। अगर आइसा औरत(जिसको हैज़ आने की उम्र गुज़र चुकी हो) को उसके शौहर ने तलाक़ दी हो तो उसे तीन महीने तक इद्दत करना लाज़िम है। अगर तीन महीने गुज़रने से पहले हैज़ जारी हो तो फिर इद्दत हैज़ों से शुरु करे। इसी तरह ग़ैर आइसा ने हैज़ों से इद्दत शुरु की थी और एक या दो हैज़ के बाद आइसा होजाये तो उसी महीनों से इद्दत शुरु करना ज़रूरी है और जो ज़माना तुहर (पाकी) या हैज़ का गुज़र गया वह नहीं गिना जायेगा। (७)

★ अगर ज़ौजा तलाक़े बाइन की इद्दत में हो तो उसको घर में पर्दा चाहिये। अगर घर तंग हो तो बेहतर यह है कि पति वहाँ से निकल जाये और ज़ौजा (पत्नी) को भी निकल जाना

जायज़ है और इसी तरह अगर पति फ़ासिक़ (पापी) हो तो भी निकल जाये लेकिन पति का निकल जाना सब से बेहतर है। (२)

अहकामे ज़कात

अल्लाह तआला फ़र्माता है “और नमाज़ पढ़ा करो और ज़कात दिया करो”।(२:४३)

इदीस शरीफ़ : हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि: नही है ईमाने कामिल उसको जो नमाज़ नहीं पढ़ता और नहीं होती नमाज़ कमिल उसकी जो ज़कत नहीं देता।

- ★ ज़कात देना ईमान की पाकी है।
- ★ जिस पर ज़कात वाजिब हो अगर वह अदा न करे तो वह मलूऊन (लानत ज़दा) है और मलूऊन दोज़ख में रहेगा।
- ★ हर मुसलमान आख़िल और बालिग़ साहबे निसाब पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, उसका मुन्किर काफ़िर और उसका तर्क करने वाला गुनाहगार होता है। (२,७)
- ★ ज़कात देने वाले दुन्या में भी सखी (दान वीर), हर दिल अज़ीज़ (लोकप्रिय), मख़दूम (सेव्य), बा इज़्जत, नेक नाम, आफ़ते आसमानी और सुलतानी से महफूज़ रहते हैं।
- ★ ज़कात अदा करने से माल व ज़र में तअज्जुब ख़ीज़ (आश्चर्य जनक) तरक्की होती है। हर साल बराबर ज़कात देने वालों का तज़िबा है कि उनका माल व ज़र किसी तरीके से तलफ़ (नष्ट) नहीं होता। अमीरों वग़ैरह के माल व ज़र से सालाना ख़ैरात और भलाइ के दूसरे कामों में तकरिबन ज़कात से ज़्यादा मसारिफ़ (खर्च) ज़रूर हो जाते हैं लेकिन ज़कात अदा न करने की ज़िम्मेदारी और जवाब दही (उत्तरदायित्व) उनके ज़िम्मे बाक़ी रह जाती है क्योंकि ज़कात की अदाई के लिये निय्यत और मिक़दारे मुएयना (निश्चित मात्रा) शर्त है। ज़कात का माल व ज़र देते वक़्त अदाईए ज़कात की निय्यत चाहिये या अपने माल से ज़कात के हिस्से को जुदा करके रखते वक़्त अदाईए ज़कात की निय्यत चाहिये फिर उसको देते वक़्त निय्यत करना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी फ़कीर को माल व ज़र देते वक़्त अदाईए ज़कात की निय्यत नहीं थी और देने के बाद निय्यत हुवी तो उस निय्यत के वक़्त उस फ़कीर के पास वह माल मौजूद रहे तो ज़कात की अदाई होजायगी और अगर उस वक़्त वह माल न रहा हो तो अपने ज़िम्मे से ज़कात की अदाई नहीं होगी। (६,१०)
- ★ किसी की नारज़ी से ज़बर्दस्ती ज़कात ली जाये तो उसकी अदाई नहीं होती।

★ दुन्या आखिरत की ज़िराअत या तिजारत की जगह है इस लिये ज़कात अदा करने और भलाई के कामों में दान देने से आखिरत का बुहत बड़ा सप्पा (फल) और निहायत कसीर ला ज़वाल सरमाया (अविनाशी पूंजी) हासिल हो जाता है और वही बा ख़बर आखिल (जानकार बुद्धिमान) हैं जो अपना तमाम सर्माया खुद मसारिफ़े ख़ैर मे ख़र्च कर देते हैं, हकीकतन् उक़बा में वह अपने साथ रहता है।

★ साहबे निसाब वह है जिसके पास बीस (२०) मिसकाल सोना और दो सौ दिरम चाँदी यानि तक़रीबन् साढ़े सात (7 ½) तोले सोना या साढ़े बावन तोले (52 ½) चाँदी हो। (७)

★ सोना, चाँदी, अश्रफ़ी, रूप्या, ज़ेवर, सोने चाँदी के बर्तन, तिजारत का तमाम असबाब साल भर जिसके क़ब्जे में रहे उसके मालिक को हर साल अपने माल का चालीसवाँ हिस्सा यानि ज़कात लिल्लाह फ़ुकरा और मसाकीन को देना फ़र्ज़ है। (७), लेकिन रहने के घर, पहन्ने के कपड़े, खाने का ग़ल्ला, ख़िदमत के गुलाम, सवारी और ज़िराअत के जानवर, इस्तेमाल और मज़दूरी के हथियार, कसब के औज़ार, पढ़ने की किताबें और ख़ानगी सामान वग़ैरह जो अपने तसरूफ़ में हो उस में से ज़कात देना वाजिब नहीं है। (२)

★ पहन्ने के कपड़ों में जिन की ज़रूरत गरमी और सरदी को दूर करने के लिये होती है, घर के सामान में, रहने के घरों में, दुकानों में, सरायों में जिनका किराया मिलता हो, किताबों में अगरचे कि वह बेइल्म के पास ही हों ज़कात नहीं है इस शर्त पर कि तिजारत की निय्यत न हो। (७, १०)

★ क़र्ज़दार (ऋणी) पर ज़कात की अदाइ वाजिब नहीं है लेकिन अगर क़र्ज़ खुदा का हो जैसे नज़र या कफ़ारा तो उस पर ज़कात वाजिब है और रहने के सिवा और घर हों और निय्यत तिजारत की न हो तो उनमें ज़कात वाजिब नहीं है। (२)

★ साहबे निसाब को ज़कात के माल के चालीसवें हिस्से की क़ीमत देना भी जायज़ है। (२)

★ जिन जानवरों को दाना चारा घर से ख़िलाया जाता हो उनमें ज़कात वाजिब नहीं है। (२)

★ तिजारत के वह जानवर जो साल की अकसर मुद्दत जंगल में चरते हों उनका निसाब यह है कि पाँच ऊंट हों तो एक, दस बक्री हों तो दो बक़्रियाँ, पंद्रह हों तो तीन, बीस हों तो चार बक़्रियाँ और पच्चीस ऊंट हों तो एक बरस की ऊंटनी जिस का दूसरा साल शुरू हुवा हो। (२)

★ तीस गाय भैंस में एक साल का पाड़ा और चालीस हों तो दो बरस का और चालीस बक़्रियों में एक बक़्री। (२)

ज़कात के मसारिफ़ : अल्लाह तआला फ़र्माता है “सदक़ात यानि ज़कात और ख़ैरात फ़कीरों और मुहताजों के वास्ते है”। (९:६०)

- ★ ज़कात ऐसे फुकरा और मसाकीन को देना चाहिये जो साहबे निसाब न हों। (२)
- ★ ज़कात के माल व ज़र से मस्जिद बनवाना, मस्जिद की तैयारी में देना, मैयित के कफ़न को देना, मैयित का क़र्ज़ अदा करना, गुलाम ख़रीद कर आज़ाद करना या माँ बाप, दादा दादी, नाना, नानी, बेटा बेटी, पोता, पोती या ज़ौजा या शौहर को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। (७)
- ★ मालदार को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। (२)

उश्र

उश्र का माना है दसवाँ हिस्सा। वाज़ेह हो कि जिस तरह ज़कात की अदाई फ़र्ज़ है उसी तरह फ़रायजे विलायत में उश्र की अदाई भी फ़र्ज़ है, यानि अपनी हर किस्म की आमदनी मसलं ज़िराअत, तिजारत, यौमिया, माहवार, सालाना, फुतूह, नज़र, मन्नूका वग़ैरह और बख़शिश में किसी किस्म की कोई चीज़ मिले उसकी कोई हद नहीं है क़लील हो या कसीर उसका दसवाँ हिस्सा खुदा की राह में देना हर आक़िल व बालिग़ मुसद्दिक़ और मुसद्दिका पर फ़र्ज़ है।

- ★ उश्र की अदाई के लिये साहबे निसाब होने की या कोई और शर्त नहीं है। फ़कीर और मुहताज पर भी उसकी अदाई फ़र्ज़ है लेकिन ज़कात की तरह हर साल उसकी अदाई लाज़िम नहीं है एक बार देना काफ़ी है। हज़रत महेदी मौउद अले० ने उसकी अदाई पर खुद अमल फ़र्मा कर मुसद्दिक़ीन को उसकी अदाई की ताकीद फ़र्मइ है। हज़रत अले० के हुज़ूर से इस ज़माने तक उसकी रिवायत मुतवातिर पहुँची है और उस ज़माने से ता हाल सब बुजुर्गाने दीन ने उसकी अदाई पर अमल जारी रखा है। अल्लाह तआला फ़र्माता है “मोमिनो! जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिये ज़मीन से निकालत हैं उनमें से राहे खुदा में ख़र्च करो”। (२:२६७) अल्लाह तआला फ़र्माता है: उनके माल में से ख़ैरात लो कि उस से तुम उनको पाक करते हो। (९:१०३)

- ★ नूरुल हिदाया के बाब ज़कात ख़ारिज के बयान में लिखा है कि हज़रत रसूले खुदा सल्ला० अपने ज़माने में शहेद से दसवाँ हिस्सा लेते थे, हर दस मशक़ों से एक मशक़ और उश्र यानि दसवें हिस्से को अदा करने हज़रत सल्ला० ने हुक्म फ़र्माया है।

★ उश्र मुर्शिद, फुकराए मुतवक्किलीन, मुहताज और मुज्तरौं (परेशान हाल) का हक़ है चुनांचे मतन शरीफ़ के नवें बाब और उसके अलावा दूसरी किताबों में भी इसके मुतअल्लिक़ नुकूल मनकूल हैं और अहकाम दर्ज हैं। बुजुर्गाने दीन ने निहायत अहमियत और सख़ती से उसकी अदाई फ़र्माई है।

अहकामे हज्

अल्लाह तआला फ़र्माता है :

- और जब हम ने ख़ानए काअबा को लोगों के लिये जमा होने और अमन पाने की जगह बनाया। (२:१२५)
- और लोगों पर ख़ुदा का हक़ यानि फ़र्ज है कि जो ख़ानए काअबा तक जाने की ताक़त रखता है वह उसका हज करे। (३:९७)
- ★ यह आयत हिज़्रत से नवें साल अय्यामे हज गुज़र जाने के बाद नाज़िल हुवी इस लिये हज़रत नबी करीम सल्ला० ने दसवें साल हज फ़र्माया। (७)
- ★ तवाफ़े काअबा और दूसरे अक़ाने हज उम्र में एक बार अदा करना हर मुसलमान आक़िल और बालिग़ मर्द और औरत पर फ़र्ज है जो वहाँ जाने की इस्तिअत रखता हो। इसका मुन्किर काफ़िर है और शरायत हासिल होने पर भी बे उज़र तर्क करने वाला फ़ासिक़ होता है। (७)
- ★ हराम माल यानि रुश्वत, चोरी, ग़स्ब (ज़बरदस्ती हासिल किया हुआ) या सूद से हासिल किये हुवे माल से हज करना हराम है। जिस को हज का शौक़ हो उसको हलाल माल पैदा करना लाज़िम है। (७)
- ★ जिन से इजाज़त लेना वाजिब है जैसा कि मुहताज वालिदैन और इसी तरह ज़ौजा और तमाम रिश्तेदार जिनका नफ़का उस शख़्स पर फ़र्ज है उन से इजाज़त लिये बग़ैर हज करना मक़रूह है।(७)
- ★ बीमार, फ़ालिज वाले, जिसके दोनों पाँव कटे हुवे हों और ऐसे बूढ़े पर जो ऊंट पर थम नहीं सकता हो और अंधे पर अगरचे कि उसका हाथ पकड़कर चलने वाला मिले हज फ़र्ज नहीं है। (७)
- ★ औरत का हैज़ हज की किसी इबादत के लिये माने (रुकावट) नहीं है सिवाय तवाफ़ के इसलिये कि तवाफ़ मस्जिदे हराम में होता है और हाइज़ा को मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है। (२,७)

- ★ एक बार से ज़्यादा जितने हज किये जायेंगे वह सब नफ़िल होंगे। (२,७)
 - ★ अगर ना बालिग़ हज करे तो बालिग़ होने के बाद उस पर हज की अदाई फ़र्ज रहेगी क्योंकि हज के लिये बालिग़ होना शर्त है। (२)
 - ★ अल्लाह तआला फ़र्माता है “हज के कुछ महीने मुकर्रर हैं” (२:१७)
 - ★ बुख़ारी वग़ैरह ने इब्न उमर रज़ी० से रिवायत किया है कि हज के महीने शव्वाल, ज़ी क़ाअदा और दस दिन ज़ी हज्जा के हैं। (२,१७)
 - ★ सुनन् अबू दाऊद में है कि जो शख्स हज का इरादा रखता हो वह जल्दी करे।
 - ★ दूसरी हदीस में है कि हज अदा करने में जल्दी करो इसलिये कि तुम में से कोई नहीं जानता कि उसको क्या चीज़ आरिज़ (रुकावट) होगी।
 - ★ जामे तिरमिज़ी में हज़रत अली रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया जो तोशा और ऐसी सवारी का मालिक हो जो उसको बैतुल्लाह तक पहुंचाये और फिर वह हज न करे तो उस पर इस का फ़र्क़ नहीं कि वह यहूदी मरे या नसरानी।
 - ★ हज़रत रसूले करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जिस को कोई ज़ाहिरी हाजत या ज़ालिम हुक्मराँ (शासक) या रोकने वाला मर्ज़ हज करने में रुकावट न हो और वह शख्स हज किये बग़ैर मर गया तो वह चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी होकर मरे। (१९)
 - ★ सफ़रे हज खुश व ख़ुरम करे, रास्ते में तक्रवा इखातियार करे, ज़िक्रुल्लाह कसरत से करे, बद अख़लाक़ी और ग़ज़ब से परहेज़ करता रहे, लोगों की बद अख़लाक़ी और गुस्सा सहा करे, हिल्म और बुर्दबारी (सहनशीलता) इख़तियार करे। (६,७)
 - ★ हज़रत अनस रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि जो शख्स मक्का के रास्ते में आते या जाते मर जाये तो हक़ तआला उसके पहले गुनाह बख़्शा देता है और उसके हिसाब का दफ़्तर नहीं खोला जायेगा और न उसके आमाल तोले जायेंगे और वह बिला हिसाब व किताब और बिला अज़ाब के जन्नत में दाख़िल होगा और क़ियामत तक उसको हज का सवाब मिलता रहेगा।
- हदीस शरीफ़ :** सब से बड़ा गुनाहगार वह शख्स है जो अरफ़ा के दिन अरफ़ात में ठहरे और यह गुमान करे कि अल्लाह ने उस को नहीं बख़शा।

★ सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम शरीफ़) में अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया जिस ने खुदा के लिये हज किया और औरतों से ख़ाहिश की बात चीत नहीं की और साथ वालों से गाली गुलोज और झगड़ा न किया तो वह (गुनाहों से पाक होकर) इस तरह लौटता है कि गोया उसी दिन उसको उसकी माँ ने जन्म दिया।

★ अल्लाह तआला फ़र्माता है “जो शख्स इन महीनों में हज की निय्यत करले तो हज के दिनों में न औरतों से इखतिलात (सुहबत) करे न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़ा करे और जो नेक काम तुम करोगे वह खुदा को मालूम हो जायेगा, और जादे राह यानि रास्ते का खर्च साथ ले जाओ क्योंकि बेहतर फ़ाइदा जादे राह का परहेज़गारी है और अहले अक्ल मुझ से डरते हैं।” (२:१९७)

★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि काअबा में एक नमाज़ पढ़ना बराबर है एक लाख नमाज़ पढ़ने के और मदीना मुनव्वरा की मस्जिदे नबवी में एक नमाज़ पढ़ना बराबर है पचास हज़ार नमाज़ पढ़ने के (२)

हज के शरायत :

★ हज करने वाला मुसलमान हो, आज़ाद हो यानि किसी का गुलाम न हो, आक़िल हो, बालिग़ हो, तन दुरुस्त (स्वस्थ) हो, जादे राह हो यानि इतना माल हो जो उसके आने जाने और वहाँ के मसारिफ़ के अलावा उसकी वापसी तक उसके पीछे घर वालों की गुज़र औकात के लिये काफ़ी हो, रास्ते में अमन और सुरक्षा हो, हज की फ़र्जियत और उसके वक़्त का इल्म हो। (७)

★ औरत के लिये शौहर या कोई आक़िल और सालेह महरम का साथ होना शर्त है, बग़ैर महरम या पति के हज दुरुस्त नहीं। लेकिन इमाम शाफ़ई रहे० के पास औरत को बे महरम के भी ऐसी सूरत में जायज़ है जब कि एक काफ़िला हो और उसके साथ मोतबर औरतें हों। (२)

★ अगर औरत ने महरम के बग़ैर हज किया तो कराहते तहरीमी के साथ जायज़ होगा। (७, १०)

★ हज़रत रसूले खुदा सल्ला० ने फ़र्माया कि मोमिना औरत को हलाल नहीं तीन मन्ज़िल या ज़्यादा सफ़र करना बग़ैर अपने बाप या भाई या बेटे या शौहर या महरम के। (७)

हज के फ़रायज़ (१) एहराम बांधना (२) अरफ़ात में खड़ा होना, (३) तवाफ़े ज़ियारत करना। (७)

हज के वाजिबात (१) मुज्दलिफ़ा में रात को ठहरना (२) जम्रात को कंकर मारना (३) सर्ई

करना यानि सफ़ा और मर्वा के बीच में दौड़ना (४) सर के बाल मुंढवाना या कतरवाना (५) रुखसत होते वक़्त तवाफ़े विदाअ करना। (२)

★ हज के वाजिबात मालूम करने का कायदा कुलिया यह है कि जिस फ़ेल के तर्क करने से ज़ब्द करना वाजिब हो वह फ़ेल वाजिब है। (७)

★ शर्ह मुखतार में है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० की तुर्बत (क़ब्र) की ज़ियारत वाजिब के क़रीब है, चुनांचे हदीस शरीफ़ में है कि “जिस ने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसके लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हुई”।(२)

★ एक और हदीस में आया है कि “जिसने हज किया और मेरी क़ब्र की ज़ियारत की मेरी मौत के बाद तो गोया उस ने ज़ियारत की मेरी ज़िंदगी में”।(२)

★ जुमेरात (गुरुवार) के दिन सफ़र करना सुन्नत है इस लिये हि हज़रत रसूले खुदा सल्ला० ने हज्जतुत विदा में उसी दिन सफ़र फ़र्माया था, और दो शंबा (सोमवार) या जुमा के दिन सफ़र करना मुस्तहब है। (७)

मीक़ात : एहराम बांधने के मक़ाम को मीक़ात कहते हैं। सहीहैन में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी० से मर्वी है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने मीक़ात मुक़र्रर फ़र्माया अहले मदीना के लिये जुल हलीफ़ा, अहले शाम के लिये हुज़फ़ा, अहले नजद के लिये क़र्न और अहले यमन के लिये यलम्लम् (अहले हिंद के लिये भी मीक़ात यलम्लम है)। इन मक़ामात से एहराम के बग़ैर आगे बढ़ना हराम है और इन मक़ामात पर पहुंचने से पहले भी एहराम बांधना दुरुस्त है। यह मीक़ात उन लोगों के लिये हैं जो इन मक़ामात से गुज़रें और जो इन मक़ामात से न गुज़रें वह जहाँ से चाहें एहराम बांधें चुनांचे अहले मक्का एहराम मक्का ही में बांधते हैं। इन मक़ामात से एहराम के बग़ैर आगे गुज़रने वालों को हज़रत इब्न अब्बास रज़ी० वापस कर देते थे। एहराम में सिला हुवा कपड़ा पहना जायज़ नहीं है लेकिन ज़रूरत हो तो कमर में पेटी या कमरबंद बांधना जायज़ है। (२)

अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम और खातिमैन अलैहिमस्सलाम के तुफ़ेल से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को ख़ानए काअबा का हज और मदीना मुनव्वरा और फ़राह मुबारक की ज़ियारत नसीब फ़र्माये - आमीन।

अय्यामे तशरीक़ ज़ीहज्ज की नवीं तारीख़ से तेरहवीं तक (९-१३) अय्यामें तशरीक़ कहलाते हैं क्योंकि तशरीक़ का माना गोश्त ख़ुश्क करने का है, चूंकि इन दिनों में कुर्बानी का गोश्त ख़ुश्क किया जाता है इस मुनासिबत से यह नाम रखा गया।

★ अर्फा की सुब्ह यानि ज़ीहज्ज की नवीं तारीख की सुब्ह की नमाज़ से तेरहवी की असर तक हर फ़र्ज नमाज़ के बाद नीचे लिखी गई तकबीर पढ़ना सुन्नत है, लेकिन इस में इखतिलाफ़ है, बाज़ ने उसको सुन्नत कहा है और अकसर ने वाजिब। इमाम आज़म रहे० के पास अर्फ़ा की नमाज़े फ़ज़्र से ईद की असर तक और साहिबैन के पास अर्फ़ा यानि नवीं की फ़ज़्र की नमाज़ से तेरहवीं की असर की नमाज़ तक तकबीर पढ़ने का हुक्म है और इसी पर फ़त्वा है। (२,७)

★ साहिबैन रहे० के मज़हब के मुताबिक़ जिन पर नमाज़ फ़र्ज है उनपर और मुसाफ़िर पर और तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले पर भी अय्यामे तशरीक़ की तकबीरात बुलंद आवाज़ से पढ़ना वाजिब है और इस क़ौल पर फ़त्वा है। (५,२६)

★ फ़र्ज नमाज़ के सलाम के साथ ही तकबीरें पढ़ी जायें। अगर सलाम के बाद कोइ ऐसा फ़ेल सर्जद हो जो नमाज़ में रुकावट हो तो तकबीरें साक़ित हो जाती हैं। (५)

★ अगर अय्यामे तशरीफ़ की नमाज़ें ग़ैर अय्यामे तशरीक़ में पढ़ी जायें या ग़ैर अय्यामे तशरीक़ की नमाज़ें अय्यामें तशरीक़ में क़ज़ा पढ़ी जायें तो तकबीरें न कही जायें अलबत्ता उन्ही दिनों की नमाज़ें क़ज़ा पढ़ी जायें तो तकबीरें कहें। (५)

★ औरत पर अय्यामे तशरीक़ में नमाज़ों के बाद तकबीर पढ़ना वाजिब नहीं है। (७)

तकबीर

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल् हम्द।

अहकामे कुरबानी : अल्लाह तआला फ़र्माता है, (इबराहीम अले० ने दुआ की) ऐ परवरदिगार मुझे औलाद अता फ़र्मा जो सआदत मंदों में से हो, तो हम ने उन को एक नर्म दिल लड़के की शुभ सूचना दी, जब वह उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इबराहीम ने कहा कि बेटा मैं ख़ाब में देखता हूँ कि तुम को ज़ब्त कर रहा हूँ तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख़याल है, उन्हों ने कहा कि अब्बा आप को जो हुक्म हुवा है वही की जिये ख़ुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पायेंगे, जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ए इबराहीम तुम ने ख़ाब को सच्चा कर दिखाया हम नेकू कारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बिला शुबा यह सरीह आजमाइश थी, और हम ने एक बड़ी कुरबानी का उनको फ़िदया दिया और पीछे आने वालों में इबराहीम का ज़िक़रे ख़ैर बाकी छोड़ दिया कि इबराहीम पर सलाम हो। (३७:१००-१०९)

★ हर साहबे निसाब मर्द और औरत पर ईदुज् जुहा यानि ज़ीहज्ज की दसवीं तारीख की सुबह से बारहवीं तारीख की शाम तक बक्रा, बक्री, मेंढा मेंढी, दुंबा कोई एक जानवर एक शख्स की तरफ से कुरबानी करना वाजिब है। (२)

★ शहर के रहने वाले नमाज़े ईद से पहले कुरबानी ज़ह न करें। गाँव के रहने वाले जहाँ नमाज़े ईद नहीं होती सूरज निकलने के बाद कुरबानी कर सकते हैं। (२०)

★ सात आदमी तक एक गाय या बैल या ऊंट की कुरबानी की जा सकती है। कुरबानी के जानवरों में दुंबा छ महीने से ज़्यादा उम्र का और बक्रा बक्री वगैरह एक साल से ज़्यादा उम्र के, गाय बैल दो साल से ज़्यादा उम्र के और ऊंट पाँच साल से ज़्यादा उम्र का होना शर्त है, इस से कम उम्र के दुरुस्त नहीं। (२)

★ लंगड़ा, अंधा, बहुत दुब्ला और तेहाई से ज़्यादा कान या दुम य सुरीन कटे हुवे जानवर की कुरबानी जायज़ नहीं है।(२)

★ खसी या बगैर सींग का या टूटे हुवे सींग का जानवर कुरबानी के लिये जायज़ है और जिस जानवर को पैदाइश से ही कान या दुम न हो उसकी कुरबानी भी दुरुस्त है। (२)

★ कुरबानी के जानवर को अपने हाथ से ज़ह करना सुन्नत है। आँहज़त सल्ला० अपनी कुरबानी अपने मुबारक हाथ से ज़ह फ़र्माते थे। दुसरे शख्स के हाथ से अपनी जानिब से ज़ह करवाना भी जायज़ है। और साहबे कुरबानी औरत हो तो उसको अपनी कुरबानी का जानवर ज़ह होते देखना सुन्नत है। इम्रान बिन हुसैन रावी हैं कि हुजूरे अन्वर आँहज़रत सल्ला० जब हज़रत फ़ातिमतुज् ज़हरा रज़ी० की कुरबानी को ज़ह फ़र्माने लगे तो इशार्द फ़र्माया कि फ़ातिमा रज़ी० तुम खड़ी रहो और अपनी कुरबानी को ज़ह होते देखो, उसके खून का पहला क़त्रा जो निकलेगा उस से तुम्हारे सब गुनाह बख़्शा दिये जायेंगे।

★ रात को कुरबानी करना या ज़ह करने से पहले कुरबानी के जानवर से नफ़ा हासिल करना मसलं उसका दूध धोना या उस पर सवार होना या उस पस कोइ चीज़ लादना या उसको किराये पर देना मक़ूह है। मुसनद इमामे आजम रहे० में लिखा है कि जिन पर कुरबानी वाजिब है उसको चाहिये कि ज़ीहज्ज का चाँद देखने के बाद अपने बाल और नाखुन न कटवायें। (१३)

कुरबानी ज़ह करने की निय्यत:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَىٰ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ (فلان) بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस् समावाति वल अर्ज अला मिल्लति इबराहीम इनीफ़ंव वमा अना मिनल् मुश्रिकीन। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिक उमिर्तु व अना मिनल् मुस्लिमीन अल्लाहुम्म हाज़ा मिनका वलका अन् (नाम) बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर।

कुरबानी के गोश्त की तक़सीम:

- ★ कुरबानी के गोश्त के तीन हिस्से करना, एक हिस्सा आपनी ज़ात के लिये, एक हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों के लिये और एक हिस्सा फुकरा और मसाकीन के लिये।
- ★ अगर सात आदमी मिलकर गाय या बैल या ऊंट कुरबानी करें तो कुरबानी के गोश्त को वज़न करके आपस में तक़सीम करलेना शर्त है क्योंकि अगर किसी शख्स का हिस्सा कम हो तो किसी की भी कुरबानी जायज़ न होगी और अगर सात आदमी से कम कुरबानी करें तो वज़न से तक़सीम करना शर्त नहीं है।
- ★ मचड़ा या गोश्त क़साई को उज़्रत में देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि चमड़ा ख़ैरात करना या उसको फ़रोख्त करके उसकी क़ीमत ख़ैरात करना बेहतर है या उसका मौज़ा या पोस्तीन या दस्तर ख़ान् या कोइ और काम की चीज़ बना लेना भी दुरुस्त है।

अहकामे रोज़ा

अल्लाह तआला फ़र्माता है :

- ए मोमिनो। तुम पर रोज़े फ़र्ज किये गये हैं जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज किये गये थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। (२:१८३)
- अगर समझो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिये बेहतर है। रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिस में कुरआन नाज़िल हुवा। (२:१८४-१८५)

हदीस शरीफ : हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि अल्लाह के पास रोज़ेदारों के मुंह की बू बेहतर है मुश्क की बू से। (१७)

- ★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया “अल्लाह तआल फ़र्माता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके अपने लिये है सिवाय रोज़े के इस लिये कि वह मेरे लिये है और मैं ही उसका बदला दूंगा।

★ इज़रत अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कि इज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया “जो शख्स अल्लाह पर ईमान रख कर और अपने नफ़्स का हिसाब लेकर सवाब की निय्यत से रमज़ान के रोज़े रखेगा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे और जो कोई शबे क़द्र को नमाज़ में खड़ा रहे ईमान रख कर नफ़्स के मुहासिबे (निरीक्षण) के साथ सवाब की निय्यत से तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे”। (१७, १९)

★ हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ी० हज़रत नबी करीम सल्ला० से रिवायत करते हैं कि जो कोई अल्लाह के वास्ते एक दिन रोज़ा रखे हक़ तआला उसको दोज़ख़ से सत्तर बरस की मसाफ़त (फ़ासिला) तक दूर रखेगा। (१७)

★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जो शख्स रमज़ान में किसी शरई उज़र के बग़ैर एक दिन भी रोज़ा न रखे तो उस रोज़े के बदले में अगर तमाम उम्र रोज़े रखे तो भी काफ़ी न होगा। (१९)

★ रोज़ा निहायत मक़बूल (स्वीकृत), ख़ास और बेहतरीन इबादत है। रोज़ा रूहानी कुव्वत की तरक्की, तक़्रूब (नज़दीकी) और मरातिब में तरक्की का मूजिब होता है। उसूल (मूल नियम) और फ़राइज़े इस्लाम में से माहे रमज़ानुल् मुबारक के रोज़े रखना हर मुकल्लफ़ मर्द और औरत पर फ़र्ज़ क़तई है, उसका मुन्किर काफ़िर और उसको बे उज़र तर्क करने वाला फ़ासिक़ होता है।

★ अल्लाह तआला फ़र्माता है कि “फ़र्ज़ किया गया तुम पर रोज़ा”। उसके फ़र्ज़ होने पर इज्मा है। (२)

★ हिज़्रत से डेढ़ साल बाद दस शाबान २ हिज़्री को रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। (५)

रोज़ा वाजिब होने के शरायत :

★ मुसलमान, आक़िल और बालिग़ होना, रमज़ान की फ़र्जियत से वाक़िफ़ होना, दारुल इस्लाम में रहना और उन उज़रात से ख़ाली होना जिन की हालत में रोज़ा रखना मुबाह है, जैसे हालते सफ़र और हामिला औरत को अगर रोज़ा रखने में उसको या बच्चे को नुक़सान पहुंचने का गुमान ग़ालिब हो और दूध पिलाने वाली माँ या दाई को अगर बच्चे को नुक़सान पहुंचने का गुमान ग़ालिब हो और रोज़ा रखने में किसी मर्ज के पैदा होने या बढ़ जाने या हलाकत का ख़ौफ़ हो, और ज़ईफी की वजह से या बीमारी या ऐसी कमज़ोरी हो कि रोज़ा न रख सकता हो और फिर कुव्वत आने की उमीद हो या न हो और जान का ख़ौफ़ हो मसलन्

रोज़ा रखने में दुश्मन के हलाक करने या किसी अजू के काट डालने का खौफ़ हो और जहाद यानि दुश्मन से महज़ खुदा के लिये लड़ना हो अगर रोज़ा रखने से कमज़ोरी और लड़ाई में नुक़सान का ख़याल हो और भूक ऐसी हो कि उसका मुतहम्मिल (सहन शील) न हो सके और प्यास इस क़दर हो कि रोज़ा न रख सके। (५)

रोज़े के अक़साम : रोज़ा छ किस्म का है। (१) फ़र्ज़ (माहे रमज़ान) (२) क़ज़ा (३) नज़रे मुऐयन (४) नज़र ग़ैर मुऐयन (५) कफ़़ारा (६) नफ़िल । (४)

- ★ अगर किसी उज़र से फ़र्ज़ रोज़ा तर्क हो जाये तो उसकी क़ज़ा भी फ़र्ज़ है (२,४)
- ★ रोज़ा नज़र और रोज़ा कफ़़ारा वाजिब है बाकी सब रोज़े नफ़िल हैं। (२)
- ★ अल्लाह तआला फ़र्माता है “अपनी नज़रें पूरी करें” । (२२:२९)
- ★ नज़रे मुऐयन उसको कहते हैं कि कोई शख्स दिन मुक़र्रर करके नज़र करे यानि कहे कि अगर मेरा फ़लाँ काम होजाये तो फ़लाँ रोज़ा मैं रोज़ा रखूंगा। अगर दिन मुक़र्रर न करे तो उसको नज़रे ग़ैर मुऐयन कहते हैं। (२)
- ★ रोज़े की निय्यत और हैज़ और निफ़ास से तहारत शर्त है। (४)
- ★ रोज़े की निय्यत यह है कि मुसलमान अपने दिल में मज़बूत दरादा करे कि मैं अल्लाह तआला के वास्ते रोज़ा रखूंगा। (६) निय्यत ज़बान से कहना भी सुन्नत है। (५)

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े की निय्यत :

نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى فَتَقَبَّلْ مِنِّي وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ بِفَضْلِكَ
وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

नवैतु अन् असूमु ग़दन (मिन शहरि रमज़ान फ़र्ज़ुल्लाह तआला) फ़तक्कबल् मिन्नी व तम्मिम् बिल ख़ैरि वल आफ़ियति बि फ़ज़्लिक व करमिक या अक़मुल अक़मीन व बि रहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन।

अनुवाद : मैं निय्यत करता हूँ कि रमज़ान शरीफ़ का रोज़ा रखू जो मुझ पर अल्लाह तआला का फ़र्ज़ है या अल्लाह तू मुझ से कुबूल फ़ार्मा और ख़ैर व आफ़ियत के साथ पूरा फ़र्मा अपने फ़ज़्ल व करम के तुफ़ेल से ऐ करम करने वालों में सब से ज़्यादा करम करने वाले और रहम करने वालों में सब से ज़्यादा रहम करने वाले।

वाज़ेह हो कि नफ़िल रोज़े की निय्यत करना हो तो क़ौसैन () में जो लिखा है उसके बजाय تَطَوُّعًا لِلَّهِ تَعَالَى ततौअन् लिल्लहि तआला कहा जाये। नज़रे मऐयन का रोज़ा हो तो

الصَّوْمُ النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ اَسْسَوْمِيْن نَجْرِيْلْ مُؤَيْيْنِي कहा जाये। नफ़िल साठी की निय्यत में
 مِنْ صِيَامٍ سِتِّيْن تَطَوُّعًا لِلّٰهِ تَعَالٰی مِيْن سِيَامِي سِيْتِّيْن تَتَوُّعًا لِّلّٰهِ تَعَالٰی और कफ़ारा की
 साठी की निय्यत में مِنْ صِيَامٍ سِتِّيْن وَلَا دَاءِ الْكُفَّارَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰی مِيْن سِيَامِي سِيْتِّيْن लि अदाइल्
 कफ़ारति लिल्लाहि तआला कहा जाये। (१)

★ निय्यत के बाद अगर सुब्ह सादिक़ तुलू होने से पहले फिर रोज़ा न रखने का इरादा किया तो निय्यत बातिल होगी। (५)

★ रोज़े की निय्यत का मुस्तहब वक़्त गुरुबे आफ़ताब (सूरज डूबने) से तुलूए सुब्ह तक है मगर नफ़िल रोज़े के लिये ज़वाल के पहले तक है लेकिन इमाम शाफ़ई रहे०, इमाम अहमद रहे० और इमाम मालिक रहे० के पास तुलू के बाद नफ़िल रोज़े की निय्यत भी दुरुस्त नहीं है और इमाम आजम रहे० के पास रमज़ान, नज़र मुऐयन और नफ़िल रोज़े की निय्यत भी निस्फुन् नहार (दोपहर) के पहले तक सहीह है। क़ज़ा, नज़र ग़ैर मुऐयन और कफ़ारे के रोज़े की निय्यत सूरज निकलने के बाद बिलइत्तिफ़ाक़ जायज़ नहीं है और अइम्माए सलासा (इमाम अबू इनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहे०) के पास रमज़ान के तीस रोज़ों के लिये हर रात अलग अलग निय्यत शर्त है। रोज़े के इरादे से सहरी खाना भी निय्यत में दाख़िल है और इमाम मालिक रहे० के पास तमाम रमज़ान के लिये पहली रात में एक निय्यत काफ़ी है। अगर कोई शख़्स पहली रात में रोज़े की निय्यत किया और माहे रमज़ान में पागल हो गया और उसके चंद रोज़े हुवे और रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम उस ने नहीं किया तो ऐसी हालत में इमाम मालिक रहे० के पास उसके रोज़े सही हुवे और बाक़ी तीनों अइम्मा के पास निय्यत फ़ौत हो जाने की वज्ह से पागलपन के दिनों के रोज़ों की क़ज़ा करना चाहिये, अगर पागलपन तमाम रमज़ान रहे तो छुटे हुवे रोज़ों की क़ज़ा वाजिब न होगी, अगर रमज़ान की एक साअत में भी जुनून् से इफ़ाक़ा हो जाये तो क़ज़ा करे। (४)

★ रमज़ान शरीफ़ के महीने में और सिवाय उसके दूसरे रोज़े के लिये सहरी खाना रोज़े की निय्यत का हुक़म रखता है लेकिन अगर सुब्ह रोज़ा न रखने की निय्यत से सहरी खाई जाये तो वह सहरी क़ाइम मक़ाम निय्यत न होगी। अगर रात में रोज़े की निय्यत करले और सुब्ह सादिक़ से पहले निय्यत क़ता की जाये (इरादा बदल दिया जाये) तो तमाम क़िस्म के रोज़ों के लिये क़तए निय्यत सहीह होगी और रोज़ा लाज़िम न आयेगा। अगर रोज़ेदार ऐन रोज़े की हालत में इफ़्तार की निय्यत करले और उस निय्यत के सिवाय रोज़ा तोड़ने वाला दूसरा कोई मामला न हो तो रोज़ा नहीं टूटता। (६)

★ रमज़ान का चाँद देखने या माहे शाबान के तीस दिन तमाम होने पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो जाता है। माहे रमज़ान के चाँद की शहादत के लिये अगर आसमान पर अब्र व गुबार हो तो आक़िल व बालिग़ और आदिल (न्यायवान्) एक मर्द या एक औरत काफ़ी है। माहे शव्वाल के चाँद के लिये दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की शहादत (गवाही) होना शर्त है। अगर मल्ला (तुलू होने की जगह) साफ़ हो रमज़ान और शव्वाल के लिये जमाअते कसीर की शहादत चाहिये। (२,४)

★ इब्न अब्बास रज़ी० से रिवायत है कि एक एराबी ने आकर हज़रत नबी करीम सल्ला० से अर्ज़ किया कि मैं ने चाँद देखा है, आप सल्ला० ने पूछा कि क्या तू अल्लाह की वहदत और मेरी रिसालत की गवाही देता है? उसने कहा हाँ, तब आप सल्ला० ने हुक्म फ़र्माया कि ऐ बिलाल रज़ी० लोगों को इत्तेला (सुचित) करदो कि कल से सेज़ा रखें। (१७)

★ रमज़ान के चाँद की गवाही बग़ैर तलब के खुद अदा करना वाजिब है। (५)

★ अगर २९ शाबान को एक शख्स की गवाही से चाँद साबित हुआ था उस हिसाब से रमज़ान के तीसवें रोज़ अबर हो और चाँद नज़र न आये तो इफ़तार (रोज़ा खोल देना) जाइज़ नहीं है (यानि मज़ीद एक दिन रोज़ा रखना होगा) और दो मर्द की गवाही से साबित हुआ था और तीसवें रोज़ चाँद नज़र न आये तो इफ़तार जाइज़ है (यानि दूसरे रोज़ ईदुल फ़ितर होगी)। (२,४)

★ अगर कोई शख्स माहे रमज़ान या शवाल का चाँद खुद अपनी आँख से देखे और काज़ी उसकी गवाही को माने या न माने हर दो सूरत में (रमज़ान या शवाल) उसको रोज़ा रखना या इफ़तार करना वाजिब है। अगर खुद चाँद देख कर रोज़ा न रखे तो क़ज़ा वाजिब होगी लेकिन कफ़ारा नहीं। (२,४)

यौमुश् शक् : २९ शाबान को मल्ला साफ़ न हो और चाँद नज़र न आये तो इस निय्यत से रोज़ा रखना कि अगर रमज़ान हो जाये तो रोज़ा रमज़ान का या न हो तो रोज़ा नफ़िल होगा दुरुस्त नहीं मक्रूह है। (७) जिस ने शक के दिन रोज़ा रखा तो उसने अल्लाह और रसूल की नाफ़रमानी की। (२)

उस रोज़ा खास नफ़िल की निय्यत से रोज़ा रखा जा सकता है। इमाम आजम रहे० के पास अगर वह रोज़ा रमज़ान का हो जाये तो नफ़िल की निय्यत से रखा हुवा रोज़ा रमज़ान का अदा हो जाता है। (२,४)

शक के दिन नफ़िल रोज़ा रखना सब के पास मुस्तहब है और लोग ज़वाल के बाद इफ़तार करें। (२)

रोज़ा क़स्दन तोड़ा जाये तो उसकी क़ज़ा और कफ़ारा :

★ अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े की हालत में रोज़ा याद रख कर जान बूझ कर कुब्ल (सामने) या दुब्र (पीछे) में जिमाअ (संभोग) करे या कराये या कोई ग़िज़ा या दवा क़स्दन खाये या पिये तो इन सूरतों में रोज़ा फ़ासिद (ख़राब) हो कर उस पर रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारे की अदाई वाजिब हो जाती है। (२)

★ क़ज़ा उसको कहते हैं कि फ़ासिद शुदा (दूषित) रोज़े के बदले में दूसरा रोज़ा रखा जाये और कफ़ारा (प्रायश्चित) यह है कि अगर गुलाम मुयरसर हो तो उस को आज़ाद करे या दो महीने मुसलसल रोज़े रखे, लेकिन उन दो महीनों में रमज़ान, ईदैन और अय्यामे तशरीक़ न हों। अगर उन दो महीनों में कोई रोज़ा किसी उज़र से या बिला उज़र फ़ौत हो जाये तो फिर अज़ सरे नौ (पुनः) दो महीने रोज़े रखे। कफ़ारे की साठी (साठ दिन) के रोज़ों में औरत के लिये हैज़ के दिन मुसलसल रोज़े रखने के मानेअ नहीं हैं, इस लिये कि हैज़ के दिनों में औरत को रोज़ा रखना मना है, ऐसी सूरत में औरत को चाहिये कि हैज़ का ख़ून रुकते ही रोज़े रखना शुरू करदे और बीच में कोई दिन न छोड़े इस तरह साठ रोज़ों को पूरा करे।

निफ़ास का ख़ून (जो बच्चा जन्मे के बाद चालीस रोज़ तक निकलता है) पै दर पै रोज़ा रखने में रुकावट है मसलन् कोई गर्भवती औरत कफ़ारे की साठी के रोज़े शुरू करके एक महीना गुज़र जाये और उस को बच्चा पैदा हो कर निफ़ास का ख़ून जारी हो जाये तो उन दिनों में भी रोज़ा रखना मना होने से साठी टूट जायेगी। उस औरत को चाहिये कि पाकी के बाद फिर से पूरे साठ रोज़े रखे। इसी तरह ज़्यादा उम्र वाली आइसा औरत को हैज़ का ख़ून आना बंद होचुका था उसने कफ़ारे की साठी शुरू की उस दौरान फिर हैज़ का ख़ून जारी हो जाये तो उसकी भी साठी टूट जायेगी और उसको चाहिये कि पाकी के बाद फिर शुरू से पूरे साठ रोज़े रखे। (३४)

★ अगर कफ़ारे के साठ रोज़े न रख सकें तो साठ मिस्कीनों को दो वक़्त पेट भर खाना खिलाये लेकिन जिन साठ मिस्कीनों को सुब्ह में खिलाया गया हो उन्ही मिस्कीनों को शाम में खिलाये या हर एक को सदक़ए फ़ित्र के बराबर ग़ल्ला देना भी जायज़ है। (४,६)

★ अगर एक रमज़ान में एक या दो या कई रोज़े तोड़े जायें जिस से कफ़ारा वाजिब हो तो ऐसी सूरत में पहले रोज़े का कफ़ारा देने के बाद दूसरा रोज़ा तोड़ा जाये तो दूसरे रोज़े के लिये अलग कफ़ारा देना चाहिये और अगर पहले रोज़े का कफ़ारा न दिया गया हो और रमज़ान ख़त्म हो जाये तो सब रोज़ों के लिये एक कफ़ारा काफ़ी है लेकिन इमाम मालिक रहे० और

इमाम शाफ़ई रहे ० के पास हर एक सूरत में हर रोज़े के लिये अलग-अलग कफ़ारा चाहिये। अगर दो रमज़ान में दो रोज़े टूट जायें और पहले रोज़े का कफ़ारा नहीं दिया गया हो तो उस सूरत में बिल इत्तेफ़ाक़ अलग-अलग कफ़ारा वाजिब होगा। क़ज़ा या कफ़ारा या नज़र का रोज़ा तोड़ने से बिल इत्तेफ़ाक़ कफ़ारा वाजिब नहीं होता। (२,४)

रोज़ा क़ज़ा रखने के अस्बाब :

★ अगर ग़लती से रोज़ा इफ़्तार हो जाये मसलन् रोज़ा याद था और कुल्ली करते या नाक धोते वक़्त हल्क़ या नाक में बग़ैर इरादे के पानी चला जाये या किसी ने जबरदस्ती से इफ़्तार कराया या हुक्ना लिया (गुदा में पानी या कोई दवा चढ़ाया) या नाक या कान में दवा डाली जाये या सर के ज़ख़म में दवा लगाई जाये और वह दिमाग़ में चली जाये या पेट के ज़ख़म में दवा लगाइ जाये और वह पेट में चली जाये या मुंह भर अपनी ख़ाहिश से क़ै की हो या सहरी खाया या इफ़्तार किया इस शुबे से कि रात है लेकि वह दिन था या भूले से कुछ खा लिया और शुब्ह किया कि रोज़ा इफ़्तार हो गया और फिर जान बूझ कर खाया या औरत सोती थी उस से जिमाअ किया या रमज़ान के तमाम महीने में रोज़ा रखने की निय्यत की न इफ़्तार की या सुब्ह तक निय्यत नहीं किया था फिर खाया इन तमाम सूरतों में क़ज़ा का रोज़ा रखे, कफ़ारा वाजिब नहीं होता। (२)

★ किसी ने रोज़ा रखा और उसी रोज़ सफ़र करना पड़ा इस लिये इफ़्तार कर लिया तो क़ज़ा लाज़िम है कफ़ारा नहीं। इसी तरह मुसाफ़िरों को मुक़ीम हो कर रोज़ा न रख कर खा लिया तो क़ज़ा लाज़िम है। (२)

★ अगर रोज़ेदार को भूक और प्यास की वजह से हलाक़त का ख़ौफ़ हो तो रोज़ा इफ़्तार करके क़ज़ा का रोज़ा रखे। (६)

★ इज़रत आइशा रज़ी ० से मर्वी है कि उन्होंने ने कहा हम लोगों को नबी करीम सल्ला ० के ज़माने में हैज़ होता था तो जब हम पाक हो जाते थे आप हम को रोज़े की क़ज़ा का हुक्म देते थे नमाज़ की क़ज़ा का नहीं। (१९)

रोज़ा फ़ासिद (दूषित) न होने के अस्बाब (कारण) :

★ रोज़ेदार अगर रोज़ा याद न रखकर यानि भूल कर कुछ खाया या पिया, जिमा (स्त्री प्रसंग) किया या सोने में एहतिलाम (स्वप्न दोष) हुवा या किसी की तरफ़ नज़र करने से इन्ज़ाल (वीर्यपात) हुवा या तेल मला या सुर्मा लगाया या पछने लगवाया (हलका सा काट कर इलाज

के तौर पर जिस्म का खून निकलवाना) या किसी की ग़ीबत (चुगली) की या मग़लूब (मजबूर) होकर कै करे या जनाबत की हालत में यानि नापाक था और सुब्ह होगई अगरचे दिन भर नापाक रहा हो या अपने ज़कर (लिंग) के सूराख में तेल डाला या गुबार या धुवाँ या मक्खी हल्क़ में दाख़िल हो इन तमाम सूरतों में रोज़ा फ़ासिद नहीं होता। अगर कोई शख्स पानी में गुस्ल करे और उसकी ठंडक अपने में पाये तो बिलइत्तेफ़ाक़ रोज़ा नहीं टूटता। (२,७)

★ हाकिम और बेहकी ने रिवायत की है कि जिस ने रमज़ान में भूल कर इफ़तार किया तो उस पर क़ज़ा और कफ़ारा नहीं है। (२)

★ हज़रत अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जब कोई तुम में से (रोज़े को) भूल कर खा पी ले तो चाहिये कि अपना रोज़ा पूरा करे इस लिये कि उस को अल्लाह ही ने खिलाया पिलाया है। (२,१७)

★ अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को भूल कर कुछ खाते या पीते देखे और यह जानता हो कि वह क़वी (बलवान) है और रोज़ा रखना उसके लिये कठिन नहीं है तो उसको रोज़ा याद न दिलाना मक़रूह है। अगर वह ज़ईफ़ (कमज़ोर) हो तो उसको याद न दिलाना जायज़ है। (६)

★ सही और प्रमाणित हदीस है कि कै, हजामत और एहतिलाम से रोज़ा नहीं टूटता। (२)

★ ना बालिग़ बच्चे रोज़ा तोड़ दें तो क़ज़ा और कफ़ारा कुछ भी नहीं। (२)

★ अगर कोई शख्स रात में गोश्त खाये और दाँतों में चने से ज़्यादा गोश्त रह गया हो और वैसे ही निगल जाये तो रोज़े की क़ज़ा करे और अगर चने के बराबर या कम रहे तो क़ज़ा लाज़िम नहीं है, लेकिन अगर उस गोश्त को हाथ से निकाल कर फिर खाये तो चने से कम भी हो तो क़ज़ा करे। अगर कोई शख्स तिल निगल जाये तो रोज़ा फ़ासिद होगा अगर उसको चबा लेगा तो रोज़ा फ़ासिद न होगा। (२,७)

★ अगर मुहं भर के कै आये और फिर पेट में लौट जाये या खुद उसको निगल जाये तो रोज़ा फ़ासिद होगा। अगर थोड़ी सी कै आये तो दोनों हालतों में रोज़ा फ़ासिद न होगा लेकिन इमाम मुहम्मद रहे० के पास फ़ासिद होगा और बुहत सी कै खुद लौट जाये तो अबू यूसुफ़ रहे० के पास फ़ासिद होगा और इमाम मुहम्मद रहे० के पास फ़ासिद नहीं होगा। (२)

★ अबू हुरेरा रज़ी० से मर्वी है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि जिसको बे इख़तियार कै हो जाय तो उस पर उस रोज़े की क़ज़ा नहीं और जो क़स्दन (जान बूझ कर) कै करे तो उसको क़ज़ा करना चाहिये। (१९)

★ अगर किसी रोज़ेदार को साँप काटे और यह मालूम हो कि दवा से फ़ाइदा होगा तो उसके इस्तेमाल के लिये इफ़्तार करे तो मुज़ायक़ा नहीं है। (३०)

मक्रूहाते रोज़ा :

★ बिला ज़रूरत किसी चीज़ का चखना या चबाना, कुल्ली करने और नाक में पानी लेने में मुबालगा करना यानि इतना पानी लेना कि अन्दर चला जाये, इस्तिंजा में मुबालगा करना, मुंह में पानी देर तक रखना, मुंह में थूक जमा करके निगल जाना, सहरी खाने में इतनी देर करना कि सुब्ह होने का अंदेशा हो जाये, कोयला चबा कर दाँत मांजना, रोज़े में ग़ीबत करना, झूट बोलना, फ़हश कलामी गाली गलोज़ करना, वक़्त होने पर इफ़्तार में देर करना।

★ गर्मी दूर करने के लिये गुस्ल करना और भीगा हुआ कपड़ा ओढ़ना इमाम आज़म रहे० के पास मक्रूहे तन्ज़ीही है इस लिये कि इस फ़ेल से इबादत की बजा आवरी (आज्ञा पालन) में तंग दिली मालूम होती है न कि मूजिबे इफ़्तार (रोज़ा टूटने का कारण) और इमाम अबू यूसुफ़ रहे० के पास मक्रूह नहीं है। (७)

दूसरे मसायल :

★ अगर ज़ईफ़ बूढ़ा रोज़ा रखने से आजिज़ (मजबूर) हो तो रोज़ा न रखे और हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को सदक़ए फ़ित्र के बराबर खाना दे और आइन्दा जब रोज़ा रखने की ताक़त पैदा हो उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा करे जिन के लिये सदक़ा दिया था और सदक़ा देने की शक्ति न हो तो इस्तिग़फ़ार पढ़े और खुदा से मग़फ़िरत चाहे। (२,५,१२) अल्लाह तआला फ़र्माता है “और जो लोग ताक़त रखते हैं वह रोज़े के बदले मुहताज को खाना खिला दें”। (२:१८४)

★ अगर गर्भवती या दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा रखने से अपनी या बच्चे की जान का ख़ौफ़ हो या मरीज़ को रोज़ा रखने से मर्ज़ बढ़ जाने का डर हो और मुसाफ़िर को रोज़ा रखने में हर्ज हो तो इन सूरतों में इफ़्तार करे और जिस वक़्त उज़र बाक़ी न रहे बग़ैर सदक़े के रोज़े की क़ज़ा करे। (२)

★ अगर कोई शख्स रोज़ा रखने की सूरत में खड़े होकर नमाज़ न पढ़ सके और रोज़ा न रखने की सूरत में खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता हो तो चाहिये कि रोज़ा रखे और बैठ कर नमाज़ पढ़े ता कि हर दो फ़र्ज़ अदा हों। (३०)

★ अल्लाह तआला फ़र्माता है “जो कोई तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों का शुमार पूरा करले”। (२:१८४) लेकिन जिस मुसाफ़िर को हालते सफ़र में रोज़ा

रखने से कुछ हर्ज (नुकसान) न होता हो तो उसको सफ़र में रोज़ा रखना मुस्तहब है, लेकिन इमाम शाफ़ई रहे ० के पास सफ़र में रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है इस दलील से कि सहीहैन में मर्वी है कि आँहज़रत सल्ला ० सफ़र में थे एक जगह देखा कि बहुत से लोग जमा हैं और एक शख्स पर साया कर रहे हैं, आप सल्ला ० ने पूछा कि यह क्या है, उन्होंने ने कहा कि यह रोज़ेदार है, उस वक़्त आँहज़रत सल्ला ० ने फ़र्माया कि सफ़र में रोज़ा रखना कुछ नेकी नहीं है। (२)

★ अगर कोई शख्स सफ़र या मर्ज़ में मर जाये तो उसके रोज़े के बदले में सदका नहीं दिया जायेगा लेकिन हालते सफ़र या मर्ज़ में जितने रोज़े फ़ौत हुवे थे उतने रोज़ मुसाफ़िर मुक़ीम होकर या मरीज़ सिहत पाकर फ़ौत हो और मरते वक़्त सदका देने की वसीयत की हो तो उसके वली को चाहिये कि उसके माल के तीसरे हिस्से में से सदका दे। (२)

★ रमज़ान में दिन को मुसाफ़िर मुक़ीम हो या हैज़ और निफ़ास वाली औरत पाक हो या दीवाना अच्छा हो या बीमार को सिहत हो या ना बालिग़ बालिग़ होजाये या काफ़िर मुसलमान होजाये तो इन सब सूरतों में रमज़ान की ताज़ीम (आदर) के लिये बाकी तमाम दिन इम्साक यानि रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से परहेज़ करना वाजिब है और सिवाय नौ बालिग़ और नौ सुस्लिम के बाकी तमाम पर उस रोज़े की क़ज़ा फ़र्ज़ है। (५, १०)

रोज़ा अय्यामे बैज़ और सौमे दाऊदी :

★ अय्यामे बैज़ यानि हर (इस्लामी) महीने की तेरहवी (१३), चौधवीं (१४) और पंदरहवीं (१५) तारीख़ को रोज़ा रखना मुस्तहब है। आँहज़रत सल्ला ० सफ़र और इक़ामत की हालत में अय्यामे बैज़ में रोज़े रखते थे और सहाबा रज़ी ० को इन दिनों में रोज़ा रखने का हुक्म फ़र्माते थे। (२, १६. १८) यह रोज़े हज़रत आदम अले ० पर फ़र्ज़ थे।

★ सही बुख़ारी शरीफ़ में है कि हर नेकी का बदला दस गुना मिलेगा इस लिहाज़ से तीन रोज़े के तीस हुवे इस तरह हर महीने में तीन रोज़े रखने वालों को तमाम उम्र रोज़े रखने के बराबर सवाब मिलेगा।

★ एक रोज़ रोज़ा रखने और एक रोज़ इफ़्तार करने को सौमे दाऊदी कहते हैं। यह हज़रत दाऊद अले ० का रोज़ा है। हज़रत नबी करीम सल्ला ० ने फ़र्माया यह सब रोज़ों से अफ़ज़ल है। (१७)

सहरी खाना : सहरी खाना सुन्नत है क्योंकि हज़रत नबी करीम सल्ला ० ने फ़र्माया सहरी खाओ इस में बरकत है और हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क़ सहरी का है, और सुब्ह सादिक़ न होने तक सहरी खाना दुरुस्त है। (२, १३, १८, १९)

अल्लाह तआला फ़र्माता है “खाओ पियो यहाँ तक कि सुब्ह की सफ़ेद धारी रात की सियाह धारी से अलग नज़र आने लगे फिर रोज़ा रख कर रात तक पूरा करो” (२:१८७)

★ जब रोज़ा फ़र्ज़ हुवा तो मुसलमान सारे रमज़ान में औरतों के पास न जाते थे और पिछली उम्मत की तरह रात को सो कर फिर कुछ नहीं खाते थे लेकिन बाज़ हज़रात सहन न कर सके और आँहज़रत सल्ला० से अर्ज़ किया तो यह आयत नाज़िल हुवी। इस आयत के अगले हिस्से में रोज़े की रातों में अपनी बीबियों से मिलने, जिमाअ करने और खाने पीने की इजाज़त दी गई।

★ सहरी रात के उस हिस्से को कहते हैं जो दो पहर रात के बाद से सुब्ह सादिक़ शुरु होने तक रहता है और रमज़ान के महीने में रोज़ेदार के सहरी करने यानि खाने पीने का वही वक़्त है। सहरी के आख़िरी वक़्त और नमाज़े फ़ज़्र का वक़्त शुरु होने के दरमियान मे पचास आयतें पढ़ने के बराबर फ़स्ल (अंतर) होना चाहिये।

हज़रत अनस रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० और ज़ैद बिन साबित ने सहरी की फिर दोनों उठे और सुब्ह की नमाज़ में दाखिल हुवे। रावी ने हज़रत अनस रज़ी० से पूछा कि सहरी और नमाज़ में कितना फ़ासिला था तो उन्होंने ने कहा कि इस क़दर कि जिसमें इन्सान पचास आयतें पढ़ सके।

जिन दिनों में रोज़ा रखना हराम है :

★ ईदुल फ़ित्र के रोज़ और अय्यामे तशरीक़ यानि ज़ी हज्ज के महीने की दस तारीख़ से तेरहवीं तारीख़ तक रोज़े रखना हराम है। अगर इन दिनों में रोज़ा शुरु किया जाये तो उसको पूरा करना लाज़िम नहीं है। (२)

★ अबू सईद ख़ुदरी रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिये क्योंकि अय्यामे तशरीक़ अहले इस्लाम के लिये ईद के और खाने पीने के दिन हैं। अरफ़ा के दिन हज में मक़ामे अरफ़ात पर रोज़ा रखना मक़रूह है, अगर उस दिन मक़ामे अरफ़ात में न हों तो रोज़ा रखना मुस्तहब है। (२, १३, १६, १७, १८, १९)

★ अबू क़तादा रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत रसूले ख़ुदा सल्ला० ने फ़र्माया कि अरफ़ा का रोज़ा गुज़रा हुआ और आइंदा दो साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है। (२८)

नफ़िल रोज़ा :

★ नफ़िल रोज़ा बे उज़र तोड़ना एक रिवायत में जायज़ है और एक रिवायत में जायज़

नहीं है और उज़र (आपत्ति) के कारण तोड़ना सब रिवायतों में जायज़ है क्योंकि क़ज़ा उसके क़ायमे मक़ाम है। ज़ियाफ़त (दावत) के उज़र से नफ़िल रोज़ा तोड़ना दुरुस्त है और यह हुक्म ज़ियाफ़त करने वाले और खाने वाले दोनों के वास्ते है। नफ़िल रोज़ा तोड़ने के बाद उसकी क़ज़ा लाज़िम है लेकिन यह सब ज़वाल (सूरज ढलने) से पहले तक है ज़वाल के बाद हर गिज़ इफ़्तार न करे। (२, ६, ७)

★ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि औरत अपने शौहर की इजाज़त के वग़ैर रमज़ान के सिवा और कोई रोज़ा न रखे अगर उसका शौहर घर में हो। (१९)

रोज़ा इफ़्तार करने की निय्यत

اللَّهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

अल्लाहुम्म लक सम्तु व अला रिज़्किक अफ़्तर्तु

(या अल्लाह तेरे ही वास्ते मैं ने रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क से इफ़्तार करता हूँ।)

★ अबू दाऊद रज़ी० से रिवायत है कि आँहज़रत सल्ला० ऐसा ही फ़र्माते थे और खजूर से इफ़्तार करना मुस्तहब है वर्ना पानी से। (२)

★ गुरोहे मुबारक की तकलीद में पीरो मुर्शिद या जमाअत में जो फ़कीर मौजूद हों उनके पसखुर्दा से रोज़ा खोलने का तरीका है।

★ इफ़्तार में जल्दी करना तारे निकलने से पहले मुस्तहब है, अब्र के दिनों में मुस्तहब नहीं है और सहरी में देर करना मुस्तहब है। (३)

★ सहल बिन साद से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक हफ़्तार मे जल्दी करते रहेंगे। (१७)

शब्वाल के छे रोजे

★ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी० और हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ी० से रिवायत है कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि जिस ने रमज़ान के रोजे रखे फिर हर्द के बाद शब्वाल में छे दिनों के रोजे रखे तो गोया उसने हमेशा यानि साल भर रोजे रखे। (१३, १५, १८, १९)

मुहद्दीसीन ने उसकी यह वजह लिखी है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है “जो कोई एक नेक काम करेगा उसको वैसी दस नेकियाँ मिलेगा”। (६:१६०) अल्लाह तआला के इर्शाद से सबित

है कि रमज़ान का एक महीना रोज़े रखने से दस महीने रोज़े रखने के बराबर सवाब मिलेगा और शव्वाल में छे रोज़े रखने से साठ रोज़ों का सवाब मिलेगा, इस तरह हर साल एक महीना छे दिन रोज़े रखने वालों को साल भर रोज़े रखने के बराबर सवाब मिलेगा।

★ जामे तिर्मिज़ी में रिवायत है कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे फिर शव्वाल के छे रोज़े उनके साथ मिलादे तो यह साल भर के रोज़े हुवे। (७)

★ बाज़ उलमा का क़ौल है कि ईदुल फ़ित्र के बाद मुसलसल छे रोज़े रखना मक़ूह है इस लिये कि इस में नसारा की तश्बीह होती है क्योंकि वह ईदुल फ़ित्र के रोज़ से मुसलसल सात रोज़े रखते थे। लेकिन फ़त्वा इस पर है कि मक़ूह नहीं है इस वजह से कि ईद के रोज़ रोज़ा हराम होने और न रखने से तश्बीह (समानता) बाक़ी नहीं रहती, ऐसी सूरत में ईद के बाद मुसलसल या अलग अलग तौर पर छे रोज़े रखना दुरुस्त है और जुदा जुदा रखना मुस्तहब है। (२)

एतिकाफ़

अल्लाह तआला फ़र्माता है “और तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ करने वाले हो”। (२:१८७)

★ हज़रत नबी करीम सल्ला० को एतिकाफ़ बुहत ही मर्गूब (पसंद) था और आप की आदत थी कि हमेशा रमज़ान के अख़ीर अश्रा (दस दिन) में एतिकाफ़ फ़र्माते थे। रमज़ान के अख़ीर दस दिन में आप के लिये मस्जिदे मुक़द्दस में एक जगह मख़सूस की जा कर वहाँ कोई पर्दा या छोटा सा ख़ैमा नसब कर दिया जाता था। आप बीस तारीख़ की नमाज़े फ़ज़्र के बाद वहाँ तशरीफ़ ले जाते और ईद का चाँद देख कर वहाँ से बाहर तशरीफ़ लाते, उस ज़माने में आप वहीं खाते पीते और आराम फ़र्माते और किसी शदीद ज़रूरत के बग़ैर आप सल्ला० वहाँ से बाहर तशरीफ़ न लाते। जिन अज़्वाजे मुतहरात (पत्नियों) को हज़रत से मुलाक़ात करनी होती वहीं तशरीफ़ ले जाकर थोड़ी देर बैठ कर चली जातीं। (१७)

★ हज़रत अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० हर रमज़ान में दस दिन एतिकाफ़ फ़र्माते थे और जिस साल आप सल्ला० का विसाल हुवा बीस दिन एतिकाफ़ फ़र्माया था। (१७)

★ हज़रत आइशा रज़ी० बयान फ़र्माती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ला० जब एतिकाफ़ की हालत में होते थे तो मस्जिद में बैठे बैठे अपना सरे मुबारक मेरी तरफ़ (मेरे हुज़्रे में) बढ़ा दिया करते थे और मैं आप के बालों में कंगी कर देती थी और आप सल्ला० (एतिकाफ़ की हालत में) बग़ैर इन्सानी ज़रूरत के घर में दाख़िल नहीं होते थे। (१७)

★ लुगत मे एतिकाफ़ का माना ठहरना है। एतिकाफ़ मस्जिद में गोशा नशीनी को कहते हैं जो खुदा तआला की इबादत के लिये हो। एतिकाफ़ में रोज़ा शर्त है और उसके तीन किस्म है :

- १) नज़र करने से एतिकाफ़ वाजिब होता है यानि यह कहे कि मेरा यह काम हो जाये तो इतने दिन एतिकाफ़ करूंगा।
- २) रमज़ान के आखिरी दस दिन में सुन्नते मुअक्कदा है।
- ३) उसके सिवास मुस्तहब है। (७, ३३)

★ एतिकाफ़ के लिये वह मस्जिद शर्त है जिस में बा जमाअत नमाज़ अदा होती हो। अगर मस्जिद न हो तो वह जगह हो जहाँ नमाज़ अदा की जाती हो और उसको मस्जिद करार दिया हो। इन्सानी ज़रूरत जैसे पेशाब पाखाना या गुस्ले एहतिलाम के बग़ैर मोतकिफ़ को मस्जिद से बाहर नहीं आना चाहिये। अगर मोतकिफ़ बिला उज़र एक साअत मस्जिद से बाहर रहे तो एतिकाफ़ टूट जायेगा लेकिन सूरज डूबने के बाद खाने पीने के लिये उस सूरत में जब कि खाना लाने वाला कोई आदमी नहीं है खाना लेने के लिये मस्जिद से बाहर निकल सकता है। मोतकिफ़ को मस्जिद में खाना पीना सोना जायज़ है। एतिकाफ़ बातिल हो जाता है वती (संभोग) से चाहे इंज़ाल हो या नहो, अगरचे मस्जिद से बाहर रात को हो दिन को जान बूझ कर हो या भूल कर। (७)

★ मोतकिफ़ को बिलकुल साकित और ख़ामोश रहना मक़ूह है और बेकार और बेहूदा बातें करना ज़्यादा मक़ूह है। (२)

★ औरत का मस्जिद में एतिकाफ़ करना मक़ूह है लेकिन घर की मस्जिद में या किसी जगह को मस्जिद करार देकर एतिकाफ़ कर सकती है।

★ शर्ह तावीलात में लिखा है कि सहाबा निकला करते थे और अपनी ज़रूरत यानि जिमाअ और गुस्ल करके फिर एतिकाफ़ के मक़ाम में चले जाते थे उस पर यह आयत नाज़िल हुवी “और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ बैठे हो तो औरतों से मुबाशिरत (संभोग) न करो”। (२:१८७)

★ अगर पत्नी अपने घर की मस्जिद में मोतकिफ़ हो और उसका पति उस से मुबाशिरत करे तो औरत का एतिकाफ़ बातिल हो जायेगा। (७)

★ बोसा लेने और हाथ लगाने से अगर इंज़ाल हो जाये तो एतिकाफ़ बातिल हो जाता है क्योंकि यह जिमाअ के स्थान पर है अगर इंज़ल न हो तो बातिल नहीं होगा। (७)

- ★ इयादत (रोगी का हाल पूछने) को जाना या नमाज़े जनाज़ा को जाना एतिकाफ़ को बातिल करदेता है। (७)
- ★ ख़याल और नज़र से इंज़ाल होजाये और बेहोशी और जुनून से एतिकाफ़ बातिल नहीं होता। (७)
- ★ इमाम आज़म रहे० के पास एतिकाफ़ की कम से कम मुद्दत एक दिन और एक रात है और ज़्यादा मुऐयन नहीं। इमाम अबू यूसुफ़ रहे० के पास आधे दिन से ज़्यादा है और इमाम मुहम्मद रहे० के पास एक साअत है। (२,७)
- ★ एक रात और दिन का एतिकाफ़ मग़रिब से दूसरी मग़रिब तक है और दिन का एतिकाफ़ सुब्ह की नमाज़ से मग़रिब तक है, सिर्फ़ रात का एतिकाफ़ जायज़ नहीं है।
- ★ गुरोहे मुबारक में अकसर बुजुर्गाने दीन शबे क़द्र से चाँद रात तक एतिकाफ़ में बैठते हैं।
- ★ एतिकाफ़ बड़ी उम्दा चीज़ है इस लिये कि एतिकाफ़ की मुद्दत तक मस्जिद में दुन्यावी ताअल्लुकात व मआमलात और मसरुफ़ियतों से यकसूई और ख़िलवत और उज़लत के साथ खुदाए तआला की जानिब मुतवज्जह हो कर रात दिन उसके ज़िक्र में मसरूफ़ रहने का मौका मिलता है और एतिकाफ़ की हालत में आँख, ज़बान, हाथ पैर गुनाह करने से बचे रहते हैं इस लिये हर मोमिन मुसद्दिक को चाहिये कि अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी में अकसर एतिकाफ़ करके उसके फ़यूज़ व बरकात से मुस्तफ़ीद हों (लाभ उठायें)।

अहकाम सद्कए फ़ित्र

- ★ माहे रमज़ान के रोज़े पूरे होने के बाद सद्कए फ़ित्र की अदाई इमाम शाफ़ई रहे० के पास हर मर्द औरत छोटे बड़े मुसलमान पर फ़र्ज़ है और इमाम आज़म रहे० के पास वाजिब है। (२,७)
- ★ सद्कए फ़ित्र की अदाई ईदुल फ़ित्र की सुब्ह से वाजिब हो जाती है लेकिन इमाम शाफ़ई रहे० के पास सूरज हूबने से वाजिब हो जाती है। (२,७)
- ★ अगर कोई शख्स ईद की सुब्ह से पहले मर जाये या ईद की सुब्ह के बाद बच्चा पैदा हो या कोई मुसलमान होजाये तो उस पर फ़ित्रा की अदाई वाजिब नहीं है। (२,७)
- ★ ईद के पहले भी फ़ित्रे की अदाई दुरुस्त है। (२,७)
- ★ अगर ईद के रोज़ फ़ित्रा अदा न कर सकें तो उसके बाद जब मौका मिले अदा करना

चाहिये। देने में देर करने से हर गिज़ अपने ज़िम्मे से साक़ित नहीं होता क्यों कि सदक़ए फ़ित्र वाजिब है। (२)

★ बच्चों के फ़ित्रों की अदाइ उनके वालिदैन या वली के ज़िम्मे है अगर वह न दें तो बालिग होने के बाद उसकी अदाइ उन पर वाजिब है। मज़ून के फ़ित्रे की अदाइ भी उसके वली के ज़िम्मे है और अगर वह उदा न करे तो अक़ल आने के बाद उसकी अदाइ उस पर वाजिब है। बेटी का निकाह करके उसके शौहर के पास रवाना कर देने के बाद उसके फ़ित्रे की अदाइ उसके बाप पर लाज़िम नहीं रहेगी। एक जमाअत यानि कई लोगों का किसी एक शख़्स को फ़ित्रा देना जायज़ है और इसी तरह एक शख़्स का दो अशख़ास को फ़ित्रा देना भी जायज़ है। कर्खी रहे० और दूसरों को इस में इख़तिलाफ़ है जैसा कि मुहीत में है यानि कहा गया तक्सीम मुनासिब नहीं है और मक्रूह है और अफ़ज़ल यह है कि अपना और अपने बीवी बच्चों का सदक़ा एक को अदा करे जैसा कि हज़रत इब्न मसऊद रज़ी० ने किया।

★ गुरोहे मुबारक में भी अपने पीरो मुर्शिद को फ़ित्रा देने का तरीक़ा है।

सदक़ए फ़ित्र की मिक़दार :

★ गेहूँ या उसका आटा या सत्तू या सूखे अंगूर, खुर्मा (खजूर) या जौ या उसका आटा एक साअ लेकिन इमाम शाफ़ई रहे० के पास सब चीज़ों में एक ही साअ है। (२)

★ साअ वह पैमाना (नाप) है जिस में आठ रत्ल माश या मसूर समाये। (२)

★ साअ से मुराद एराक़ी साअ है तो वह चार मन् का होता है और मन् चालीस इस्ता का और इस्ता साढ़े चार मिसक़ाल का इस हिसाब से मन एक सौ अस्सी मिसक़ाल का हुवा और मिसक़ाल बीस क़ीरात का होता है और क़ीरात पाँच जौ का। (२)

★ इमाम शाफ़ई रहे० के पास साअ से मुराद हिजाज़ी साअ है और अबू यूसुफ़ रहे० और इमाम शाफ़ई रहे० का क़ौल यह है कि साअ पाँच रत्ल और तिहाई रत्ल है। (२)

★ मद्रसा निज़ामिया सर्कारे आली के फ़त्वे के मुताबिक़ आधा साअ के ९४ तोले ९ माशे ४ रती यानि अंग्रेज़ी सेर के हिसाब से साढ़े बारह माशे कम सवा सेर होते हैं यानि सवा सेर दिया जाये तो सदक़ए फ़ित्र अदा होजाता है। जहाँ अंग्रेज़ी सेर रायद नहीं वहाँ ९४ तोले ९ माशे ४ रती सदक़ए फ़ित्र अदा किया जाये। अगर कोई उस से ज़्यादा दे तो ज़ायद मात्रा उसकी तरफ़ से सदक़ा हो जायेगा और ख़ैरात में इसराफ़ भी नहीं है।

अल्लाह तआला फ़र्माता है “जो लोग तुम में से ईमान लाये और माल खर्च करते रहे उनके लिये बड़ा सवाब है”। (५७:७)

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया “खर्च कर ऐ बिलाल जो कुछ तेरे पास है अल्लाह तआला से फुक्र का अंदेशा मत कर”। (२२)

★ सदक़ए फ़ित्र में ऊपर लिखी गई चीज़ों की कीमत सस्ते ज़माने में और ग़ल्ला कहत के ज़माने में देना बेहतर है। (५)

अहकामे निकाह

अल्लाह तआला फ़र्माता है “निकाह करो तुम उन औरतों से जो तुम को पसंद हों दो दो तीन तीन चार चार तक अगर तुम को डर हो कि सब से इन्साफ़ न कर सकोगे तो एक औरत काफ़ी है”। (४:३)

★ अल्लाह तआला ने चार औरतों तक निकाह की इजाज़त अद्ल (न्याय) की शर्त के साथ अता फ़र्माई है और अद्ल (सब औरतों से यकसाँ सुलूक) न हो सकने का अंदेशा हो तो एक ही औरत से निकाह करने का हुक्म दिया है। दो तीन चार औरतों से निकाह करने वाले अगर उन से इन्साफ़ न करें तो उनको जवाब दही की बड़ी ज़िम्मेदारी और दुश्वारी होगी।

★ ख़ालिक़े काइनात (विश्व को पैदा करने वाला) ने दुन्या में इन्सान के अलावा तमाम मख़लूक़ को जोड़े के साथ पैदा फ़र्माया है, चुनांचे अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माता है “वह खुदा पाक है जिस ने ज़मीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीज़ों की उनको ख़बर नहीं सब के जोड़े बनाये”। (३६:३६)

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि “निकाह मेरी सुन्नत है जिस ने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वह मेरा नहीं है”। यह भी फ़र्माया कि दुन्या में सब चीज़ों में अच्छी चीज़ नेक औरत है। (१३)

जोड़ा एक दूसरे के लिये बड़ी नेमत है। दुन्या की ज़िंदगी के तमाम मआमलात दोनों के इश्तिराक़ (सहयोग) से वाबस्ता हैं। दुन्यावी मआमलात के अलावा दीनी उमूर और हुसूले सवाब में भी एक को दूसरे से बड़ी मदद मिलती है।

★ औरत और मर्द की दुन्या में तन्हा ज़िंदगी बे लुत्फ़ ही नहीं बल्कि नंग आमज़ और गुनाह करने का मूजिब भी हुवा करती है। दुन्या में मर्द के लिये औरत और औरत के लिये मर्द के बराबर कोई हमदर्द, इमराज़ और सुख देने वाला नहीं हो सकता। मुफ़लिस मियाँ बीवी में

इत्तेहाद और मुहब्बत हो तो दुन्या में उनकी ज़िंदगी जन्नत की तरह पुर लुत्फ़ (आनंद पूर्वक) गुज़रती है। लायक़ औलाद के मानिंद दुन्या में कोई नेमत नहीं है। लावलद बादशाह भी कम नसीब समझा जाता है।

★ निकाह (औरत और मर्द) दोनों के लिये सुन्नते मुअक्कदा है। जिस पर शहवत ग़ालिब हो उसके लिये और ज़िना के ख़ौफ़ की हालत में निकाह वाजिब है और अगर ज़िना का ख़ौफ़ न हो तो सुन्नते मुअक्कदा है, यही जम्हूर फ़ुक़हा का मज़हब है। अहले शहवत के लिये निकाह का तर्क करना गुनाह का मुजिब (कारण) है। (२३)

★ निकाह, तलाक़, ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा और पति पत्नी में एक के दूसरे पर जो हुक्क़ हैं उसके तफ़सीली अहकाम कुरआन शरीफ़ के सूरह निसा और सूरह तलाक़ और कई मक़ामात में अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़र्माये हैं और सैंकड़ों अहादीस भी उसके मुतअल्लक़ बयान किये गये हैं और फ़िक्ह की किताबों में सराहत से उसका बयान है।

★ निकाह करने से बेगानी औरतों को देखने और ज़िना करने से बचने का मौक़ा मिलता है। अल्लाह तआला फ़र्माता है “और ज़िना के पास भी न जाना कि बेशक वह बेहयाई और बुरी राह है”। (१७:३२)

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि “एक बार ज़िना करना सत्तर साल की इबादत को ज़ाये करता है” और यह भी फ़र्माया कि बेगानी औरतों की जानिब देखना गुनाहे कबीरा है और उसकी चालीस दिन की नमाज़ कुबूल नहीं होगी”।

★ निकाह ईजाब व कुबूल (स्वीकृति) से होता है। ईजाब औरत की जानिब से और कुबूल मर्द की जानिब से। निकाह गवाह के बग़ैर जायज़ नहीं होता चुनांचे हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि “नहीं है निकाह मगर गवाहों से”। (२)

★ इमाम मालिक रहे० के पास निकाह में एलान शर्त है और शहादत शर्त नहीं है लेकिन इमाम शाफ़ई रहे० के पास दो मुसलामान मर्द आक़िल और बालिग़ की गवाही के बग़ैर निकाह जायज़ नहीं। (२,७) हदीस में है कि वली के बग़ैर निकाह नहीं होता।

★ जिन औरतों से मर्द को शर्ई तौर पर निकाह करना जायज़ नहीं है उनको महरमात कहते हैं। इसकी तफ़सील नीचे लिखी गई आयतों और हदीस में बयान की गई हैं। अल्लाह तआला फ़र्माता है:

- हराम की गयीं तुम पर तुम्हारी मायें, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ खालायें, भाइयों की बेटियाँ, बहनों की बेटियाँ और वह मायें जिन्होंने तुम को दूध पिलाया हो और दूध की बहनें, तुम्हारी बीवियों की मायें (सास) और तुम्हारे उन बीवियों की लड़कियाँ जिन से तुम ने सुहबत की हो और उनकी तुम पर्वरिश करते हो, हाँ अगर उनके साथ तुमने सुहबत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह करने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और तुम्हारे सुल्बी बेटों की औरतें तुम पर हराम हैं, और दो बहनों का जमा करना भी तुम पर हराम है। (४:२३)
- और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो उन से निकाह न करो। (४:२२)
- और मुश्रिक औरतों से जब तक वह ईमान न लायें निकाह न करो क्यों कि मुश्रिक औरत ख़ाह तुमको कैसी ही भली लगे उस से मोमिन लौंडी बेहतर है और इसी तरह मुश्रिक मर्द जब तक ईमान न लायें मोमिन औरतों का उनसे निकाह न करो। (२:२२१)

★ बुखारी और मुस्लिम मे हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ी० से रिवायत है कि हराम होता है रज़ाअ (दूसरे के बच्चे को दूध पिलाना) से जो हराम होता है नसब से। मुस्लिम में एक और रिवायत है कि बेशक अल्लाह ने हराम किया रज़ाअत से जो हराम किया नसब से। (२)

★ महरम औरतें वह हैं जो अपने पर हराम हैं और उनसे निकाह जायज़ नहीं है। वह यह हैं :

माँ, नानी, परनानी, और जहाँ तक ऊपर यह सिलसिला जाये, और दादी, पर दादी और जहाँ तक ऊपर यह सिलसिला जाये, और बेटी, पोती, नवासी और जहाँ तक नीचे यह सिलसिला जाये, और बहन, भांजी, भतीजी, फूफी, ख़ाला और किसी का दूध पीने से ऐसा रिश्ता होजाये तो वह भी अपने पर हराम हो जाती हैं। अपनी मन्कूहा की माँ यानि सास भी महरम है और अपनी मन्कूहा से सुहबत करने के बाद उसके पहले शौहर यानि ग़ैर के नुत्फ़े से लड़की हो तो (जिस को रबीबा कहते हैं) वह भी हराम हो जाती है, अगर मन्कूहा से सुहबत न करें तो उसकी लड़की हराम नहीं होती। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस से रिवायत है फ़र्माया हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने कि जो मर्द निकाह करे किसी औरत से और उस से सुहबत करे तो उसकी बेटी से निकाह करना हलाल नहीं है और अगर उस से सुहबत नहीं की तो उसकी बेटी से निकाह करना जायज़ है लेकिन उस औरत की माँ हराम है अपने पर हर दो सूरत में कि उस से सुहबत करे या न करे। (२)

★ अपने सुल्बी बेटे की पत्नी भी अपने पर हराम है और आगोशी (गोद लिया हुआ) बेटे की पत्नी हराम नहीं होती। दो बहनों को निकाह में जमा करना भी हराम है। दो बहनें अपनी लौंडियाँ हों तो उन से भी सुहबत करना हराम है। (२)

★ मुश्रिक औरत से निकाह जायज़ नहीं है जब तक कि वह ईमान न लाये इसी तरह मोमिन औरत का मुश्रिक मर्द से निकाह जायज़ नहीं है जब तक कि वह ईमान न लाये।

★ हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि औरत (पत्नी) के साथ उसकी फूफी या ख़ाला या भतीजी या भांजी को (निकाह में) जमा न किया जाये। यह बुहत से सहाबियों से मर्वी है। उसका कारण यह है कि इन सब औरतों में आपस में इलाक़ए रिहम (गर्भशय सम्बंध) है और निकाह के कारण शायद यह इत्तेहाद (एकता) टूट जाये क्योंकि अक्सर सूरतों में उनमें अदावत (शत्रुता), हसद और इनाद (बुर्ज़) रहा करता है और इसी पर दलालत करता है आँहज़रत सल्ला० का इर्शाद कि “जिस वक़्त तुम ने ऐसा किया तो तुमने उनके रिहम के रिश्तों को काट दिया”। (२)

★ जो औरत ज़िना से हामला हो उस से निकाह जायज़ है और इसी पर फ़त्वा है। लेकिन इमाम अबू यूसुफ़ रहे० के पास निकाह फ़ासिद है। यह इख़तिलाफ़ उस सूरत में है जब कि हामला से ग़ैर ज़ानी निकाह करे, अगर ज़ानी निकाह करे तो वज़ए हमल (बच्चा पैदा होने) तक उस से सुबहत न करे। (२)

★ एसी औरत जिस से ज़िना किया गया हो और ऐसी औरत जिस को शहवत से मर्द ने मसास (मलना/छुना) किया हो या शहवत से उसकी शर्मगाह को देखा हो तो उस औरत के उसूल और फ़ुरो (माँ, नानी, पर नानी, दादी, पर दादी वग़ैरह और बेटी, पोती, नवासी, बहन, भांजी वग़ैरह) चाहे कितने ही दर्जे के हों उस मर्द पर हराम हैं। (७)

★ जिस औरत ने मर्द को शहवत (कामेच्छा) से मसास किया हो या मर्द के आलए तनासुल (लिंग) को शहवत से देखा हो तो उस औरत पर उस मर्द के उसूल और फ़ुरो ख़ाह कितने ही दर्जे के हों हराम हैं। (७)

★ मसास और नज़र की हुर्मत (हराम होना) उस वक़्त तक है जब तक कि इन्ज़ाल (मनी निकल जाना) न हो। अगर मसास या नज़र करने के बाद इन्ज़ाल हो जाये तो हुर्मत साबित न होगी इस लिये कि मसास और नज़र के बाद जिमाअ (संभोग) की इच्छा हुआ करती है मगर इन्ज़ाल के बाद ज़रा भी इच्छा बाकी नहीं रहती। (७)

- ★ मसास और शहवत के ऊपर बयान किये गये मसाइल में जान बूझ कर या भूल कर या ज़बरदस्ती में कोई फ़र्क़ नहीं है यानि किसी तरह पर हो हुर्मते मुसाहरत (निकाह के ज़रीए रिश्ता जोड़ना हराम है) साबित होगी और इन मसाइल में बालिग़ होने के करीब होना या दीवाना होना या मस्त होना बालिग़ की तरह ही समझा जायेगा। (७)
- ★ पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को जिमाअ की गरज़ से सोते हुवे को जगाना चाहा और मर्द का हाथ पत्नी की जवान बेटी को या औरत का हाथ मर्द के जवान बेटे को लग गया तो वह औरत मर्द पर हमेशा के लिये हराम होगी। (७)
- ★ हुर्मते मुसाहरत से तलाक़ के बग़ैर निकाह नहीं टूटता। (७)
- ★ किसी ने अपनी लड़की को शहवत से मसास किया या उसकी शर्मगाह को शहवत की नज़र से देखा तो उस लड़की की माँ उसके बाप पर हराम हो जाती है। (७)

अहकामे रज़ाअत

रज़ाअत का माना है चूसना और बच्चे को दूध पिलाना। अल्लाह तआला फ़र्माता है “और माँये अपने बच्चों को पूरे दो साल दूध पिलायें” (२:२३३)। यह मुद्दत इस लिये है कि शीर ख़ारगी पूरी होनी चाहिये। (आम तौर पर बच्चा २४ महीने के बाद दाँत निकलने और चबा कर खाने के काबिल होता है)। अल्लाह तआला फ़र्माता है “उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ से पेट में रखा और तकलीफ़ ही से जना और उसका पेट में रहना और दूध छोड़ना तीस महीने में होता है” (४६:१५)

- ★ हज़रत इमाम आज़म रहे० के पास दूध पिलाने की मुद्दत दो साल छे महीने है और साहिबैन (इमाम मुहम्मद रहे० और इमाम अबू यूसुफ़ रहे०) के पास दो साल है। (२,७)
- ★ रज़ाई माँ (धाय या दूसरी औरत) ने दूध पिलाया है अगरचे कि दूध की मिक़दार (मात्रा) बिलकुल थोड़ी ही हो और दूध मुंह के ज़रीये या नाक के ज़रीये से पेट में गया हो तो हुर्मते रज़ाअत (धाय कर्म की प्रतिष्ठा) साबित है। (७) (अपनी माँ की तरह उस दूध पिलाने वाली औरत के बाज़ रिश्ते दारों से निकाह नहीं किया जा सकता)।

- ★ अगर किसी लड़के को गाँव की कई औरतों ने दूध पिलाया है और उसके निकाह के वक़्त यह न मालूम हो सके कि किस किस औरत ने दूध पिलाया है और न कोई गवाह मौजूद हो तो ऐसी हालत में गाँव वालों में से किसी के साथ निकाह जायज़ न होगा। (७)
- ★ औरतों पर वाजिब है कि अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर किसी बच्चे को दूध न पिलायें, हाँ अगर उसकी हलाकत का ख़ौफ़ हो (तो पिला सकते हैं) और अगर पिलायें तो याद रखें या लिख कर रखें। (७)
- ★ मर्द को मुनासिब नहीं कि अहमक़ (निर्बुद्धि) औरत का दूध अपने बच्चे को पिला दे। (७)
- ★ जो हुर्मत (हराम होना) नसब से वाक़े होती है वही रज़ाअत से भी वाक़े होती है मगर बाज़ सूरतों में नहीं मसलन् पोते की रज़ाई माँ दादा को हलाल है और मर्द को अपने बेटे की रज़ाई माँ हलाल है। (७)
- ★ एक ही औरत का दूधा पीने वाले दो बच्चे आपस में एक दूसरे पर हलाल नहीं अगरचे कि उन्होंने ने अलग अलग ज़माने में दूध पिया हो और उनके रज़ाई बाप अलग हों। (७)

अक़द का तरीक़ा

दुल्हन यानि ज़ौजा की जानिब से जहाँ तक हो सके उसका महरम वकील मुकर्रर होना चाहिये और दुल्हा (वर) की जानिब से दो गवाह। वकील को चाहिये कि दुल्हन के वली से उस को दुल्हा के निकाह में मुकर्ररा महेर के साथ देने तीन बार गवाहों के सामने इजाज़त हासिल करके अक़द की मज्लिस में ख़तीबे निकाह से तीन बार इस तरह कहे:

“मुसम्मात (नाम) बिनते (पिता का नाम) को मुसम्मी (दुल्हा का नाम) बिन (पिता का नाम) के अक़द में मैं ने () महेर के बदले में दिया है, मैं उस का वकील हूँ और यह दो अस्हाब इस अम्र के गवाह हैं”।

दोनों गवाह तीन बार इस तरह कहें :

“मुसम्मी (दुल्हा का नाम) बिन (पिता का नाम) के निकाह में मुसम्मात (दुल्हन का नाम) बिनते (पिता का नाम) को () महेर के बदले में इन वकील साहब ने दिया है हम दोनों इस बात के गवाह हैं”।

उसके बाद ख़तीब साहब खुत्बाए निकाह पढ़ें।

خطبة نکاح مرتبه حضرت بندگی میاں عبدالملک سجاوندی عالم باللہ

حمدبرکمال وثناء بے مثال بحضرت ذوالجلال کہ ثناء اوُسْت اللہ جمیل یحب الجمال تعالت آلا وہ و تقدست اسماوہ کہ در ذکر محامد ذات قدیم ومدایح تقدس صفات مستدیم نو عروسان طبائع به گلزار صنائع چون عنادل فصیح وصلاصل ملیح برتخت زفاف در جلوہ به لسان حال به این مقال می سرایند کما قال اللہ تعالیٰ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (خطاب بطرف وکیل کردہ گوید) به شرائط ایجاب و قبول بقول رسول مقبول ﷺ کہ فرمود النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي بحضور شرفاء کرام اہل اسلام بدولت شرافت مشرف اقدام پرسیدہ می آید کہ حکم وکالت مرترا ثابت است“ (سہ بار پرسد) وکیل گوید ”آرے ثابت است“

खुत्बाए निकाह मुरत्तबा हज़रत मियाँ आलम बिल्लाह रहे ०

हम्द बर कमाल व सनाए बेमिसाल ब हज़रते जुल् जलाल के सनाए ऊस्त अल्लाहु जमीलुन् युहिबुल जमाल तआलत आलाउहु व तक्रद्सत अस्माउहु के दर ज़िक्रे महामिदे ज़ाते क़दीम व मदायह तक्रद्स सिफ़ाते मुस्तदीम नौं अरूसाने तबाए ब गुल्ज़ारे सनाए चूँ अनादिले फ़सीह व सलासिले मलीह बर तख़्ते ज़फ़ाफ़ दर जल्वा ब लिसाने हाल बई मिक्काल मी सरइंद कमा क़ालल्लाहु तआला सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल् अज़्वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल् अर्ज़ु व मिन अन्फुसेहिम् व मिम्मा ला यालमून।

(फिर वकील से मुखातिब होकर कहे) बशरायते ईजाब व कुबूल ब कौले रसूल मक्बूल सल्ला ० के फ़र्मूद अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन् सुन्नती फ़लैस मिन्नी। शुरफ़ाए किराम और अहले इस्लाम की मौजूदगी में पूछ रहा हूँ “क्या आप की वकालत साबित है” (तीन बार पूछें) - वकील कहे “मेरी वकालत साबित है”। फिर वकील से पूछा जायेगा (तीन बार) : () की लड़की () को () के फ़र्जन्द () के अक़दे निकाह में () महेर ज़रे सुर्ख ख़ालिस जिसके आधे () होते हैं क्या आप ने अपनी वकालत से दिया है? वकील साहब कहेंगे “हाँ मैं ने दिया है”।

फिर नौशा से मुखातिब होकर (तीन बार) पूछेंगे :

आप आज़ाद हैं, आक़िल हैं, बालिग़ हैं, मुसलमानों की मज्लिस में हाज़िर हैं नफ़से मुसम्मात () बित्ते () को () ओक़िये ज़रे सुख़ ख़ालिस जिसके आधे () ओक़िये होते हैं इस महेर के बदले में और चार शरयते शरईया की पाबंदी के साथ क्या आप ने चाहा और कुबूल किया ? नौशा कहेगा - मैं ने चाहा और कुबूल किया।

चार शरायते शरईया यह हैं :

- १) पहली शर्त यह है कि औरत को खाने कपड़े ज़रूरी खर्च से मुहताज न रखे। अगर मुहताज हो भी तो बाहर के काम जैसे पानी, लकड़ी, बाज़ार का सौदा वगैरा खुद लाये और औरत को पर्दे में रखे और उसको अपनी जानिब से किसी तरह की तकलीफ़ न पहुंचाये।
- २) दूसरी शर्त यह है कि जिस वक़्त औरत महेर तलब करे बगैर किसी उज़र के देदे, अगर मौजूद न हो तो वादा करे या माफ़ कराय बहर हाल औरत को रज़ामंद करे।
- ३) तीसरी शर्त यह है कि औरत को दायरए दीन से जहाँ तक हो सके बाहर न लेजाये और माँ बाप के घर जाने से न रोके।
- ४) चौथी शर्त यह है कि छे महीने मौजूदगी की हालत में और एक साल सफ़र की हालत में अगर अपनी ज़ात औरत को न पहुंचाये तो उसका इख़तियार उसको हासिल रहेगा।

उसके बाद यह दुआ करें :

اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَّاءَ
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَهَاجِرَةَ
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ أَيُّوبَ وَرَجِيمًا
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ يُوسُفَ وَزُلَيْخَا
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ مُوسَى وَصَفُورًا
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَبَلْقِيسَ
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةَ
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةَ الزُّهْرَا
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ مُحَمَّدٍ نِ الْمَهْدِيِّ الْمَوْعُودِ وَالْمَهْدِيَّ
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ الْمُحْمُودِ الثَّانِي الْمَهْدِيِّ وَكَدَّ بَانُو
 اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ الْخُونَدَمِيرِ الصِّدِّيقِ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ وَفَاطِمَةَ

बर् हुक्मे सुहानी व तंजीले आयाते आसमानी कमा क़ालल्लाहु तआला “फ़न्केहु मा ताबा लकुम् मिनन् निसाइ मसना व सुलास व रुबाअ फ़इन् ख़िफ़्तुम अल्ला ताअदिलू फ़वाहिदा। क़ालन्नबी सल्ला० ला यन्अक्रिदु उक्वदतन् निकाहि इल्ला बि हज़रतिश् शाहिदैनिन् आक्रिलै नल बलिगै नल मुस्लिमैन - अन् निकाहु मिन सुन्नती फ़मन् रग़िब अन् सुन्नती फ़ लैस मिन्नी।

इसके बाद वकील से तीन बार पूछें कि क्या आप की वकालत साबित है, वकील कहेगा “हाँ साबित है”, इसके बाद वकील से कहें ब बदले महेर () ओक्रिया ज़रे सुर्ख़ ख़ालिस वज़ने मक्का हरस हल्लाहु तआला अनिल आफ़ात वल् बलैयात कि उसके आधे () ओक्रिये होते हैं () की दुखतार () को () के फ़र्जद () के अक़दे निकाह में इस महेर और चार शरायते शरई की पांबदी के साथ क्या आप ने अपनी वकालत से दिया है? वकील कहेगा “हाँ मैं ने दिया है”। (फिर नौशा से तीन बार पूछा जायेगा (जैसा कि ऊपर बयान किया गया है)। फिर चार शरायत बयान करने के बाद दुआ की जायेगी - अल्लाहुम्म अल्लिफ़ ... आख़िर तक ।

अक़द के वक़्त उन शरायत को बयान करने का तरीक़ा पहले से चला आरहा है, इसका फ़ाइदा यह है कि अकसर नौशा इन से वाक़िफ़ नहीं होते और अक़द के साथ उसकी वाक़िफ़ियत ज़रूरी है। इन शरायत का शरई होना फ़िक्ह की मोतबर किताबों से साबित है। चुनांचे नूरुल हिदाया की दूसरी जिल्द के बाब इन्नीन् (नपुंसक) के बयान में चौथी शर्त के विषय में लिखा है कि “इमाम मुहम्मद बिन हसन ने अबू हनीफ़ा से उन्हीं ने इस्माईल बिन असलम मक्की से उन्हींने हुसेन से रिवायत की है कि हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी० के पास एक औरत आई और कहा कि मेरा शौहर मुझ को नहीं पहुंचता है तो उन्हीं ने एक साल की मुद्दत मुकर्रर की लेकिन फिर भी न पहुंचा (शारिरिक संबंध नहीं रखा) तो उन्हीं ने औरत को इख़तियार (अधिकार) दे दिया और उस औरत ने अपने नफ़्स को इख़तियार किया। पूरा बाब उसी से संबंधित है।

महकुमए दारुल क़ज़ा (न्यायालय) में कई ऐसे नज़ायर (मिसालें/उदाहरण) मौजूद हैं कि पत्नी की जानिब से दावा दायर होने पर पत्नी पर पति क़ादिर (संभोग के योग्य) न होने की सूरत में तस्दीक़ (प्रमाणीकरण) कराई जाकर अहकामे शरई के मुताबिक़ ज़ौजैन (पति पत्नी) में सर्कार की जानिब से तफ़रीक़ (अलाहदगी) करादी गयी है।

वाज़ेह हो कि हज़रत महेदी मौऊद अले० की औलाद में महेर ग्यारह ओक्रिये, हज़रत बंदगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर सय्यदुश् शुहदा रज़ी० की औलाद में दस ओक्रिये और दूसरे तमाम

मुसद्दिकीन नौ ओक्रिये महेर बांधने का बेहतर तरीका क़दीम से चला आ रहा है। इस में ख़ूबी यह है कि मिक्कदार बुहत कम है और अदाई के इमकान (संभावना) से ज़्यादा नहीं है। जिस फ़िर्के में महेर की मिक्कदार मुऐयेन नहीं होती उनके अक्द के वक्त बाज़ जगह महेर की कमी व बेशी में बड़े झगड़े पैदा होते हैं और बाज़ जगह तरफ़ैन (दोनों पक्षों) में इख्तिलाफ़ से अक्द भी मन्सूख़ (रद) हो गये हैं। महेर के मुतालबे के वक्त भी मिक्कदार के सुबूत में बड़ी कठिनायों का सामना करना पड़ता है लेकिन गुरोहे मुक़द्दस में मिक्कदार मुऐयेन (निश्चित) होने और उसपर अमल रहने से महेर के मुतालबे और अदाई के मौक़े पर महेर की मिक्कदार के विषय में कोई निज़ाअ (अन बन) पैदा नहीं हो सकती।

ओक्रिया की मिक्कदार

न.	तेदाद ओक्रिया	वज़्न बाहसाब तोला			मौजूदा रायज वज़्न
		तोला	माशा	रती	
1	11	106	11	2 2/3	1247.719 गिराम शुद्ध सोना
2	10	97	2	5 1/3	1134.29 गिराम शुद्ध सोना
3	9	87	6		1020.861 गिराम शुद्ध सोना

हिदाया और दुर्ूल मुखतार में लिखा है कि शरई ओक्रिय चालीस दिर्हम का होता है और दिर्हम शरई चौदा क़िरात का और क़ीरात पाँच दाने जौ का इसतरह एक दिर्हम शरई सत्र दाने जौ का हुआ और एक दाना जौ एक रती का सुलुस (तिहाई) होता है यानि तीन जौ की एक रती। इस हिसाब से चौबीस दाने जौ का एक माशा हुआ और दिर्हम शरई दो माशे 7.33 रती हुआ और चालीस दिर्हम शरई और एक ओक्रिया के 9 तोले 8 माशे 5 ½ रती हुवे। मौजूदा राइजुल वक्त (प्रचलित) वज़्न में एक तोला (बारह माशे) 11 गिराम 665 मिल्ली गिराम (11.665 गिराम) का होता है और एक ओक्रिया 113.429 गिराम का होता है।^(४७)

अहकामे महेर

अल्लाह तआला फ़र्माता है “जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल करो उनका महेर जो मुक़रर किया हुवा है अदा करो”। (४:२४)

^(४७) इस किताब में तीन जौ के दानों का एक रती होना लिखा है इस लिहाज़ से एक तोला के 11.665 गिराम और एक ओक्रिया के 113.429 गिराम होते हैं, लेकिन फ़िक्ह की किताब शर्ह वक़ाया के हाशिये पर अब्दुल हई साहब ने लिखा है कि चार जौ के दानों की एक रती होती है इस लिहाज़ से एक ओक्रिया यानि 40 दिर्हम के 7 तोले 3 माशे 4 रती होते हैं यानि एक ओक्रिया का वज़्न 85.057 गिराम होता है और जामेआ निज़ामिया इसी पर फ़त्वा देता है।

महेर की दो किस्में हैं (१) महेरे मिस्ल (२) महेर मुसम्मा

१) **महेरे मिस्ल** वह है जो बराबर वाली औरतों का महेर हो। बराबर वाली औरतों से मुराद औरत के बाप की तरफ़ की औरतें हैं जैसे बहनें, फूफी वगैरह।

२) **महेरे मुसम्मा** वह है जो मुऐयन (निर्दिष्ट) किया गया हो।

महेरे मिस्ल (तूल्य) या महेरे मुसम्मा हर एक की दो किस्में हैं

(१) **मुअज्जल** (तात्कालिन)

(२) **मुवज्जल** (आसथागत)

★ महेरे मुअज्जल उसको कहते हैं जो माँगने पर तुरंत अदा कर दिया जाये और महेरे मुवज्जल वह है जो अजल यानि मौत के बाद उसकी अदाई लाज़िम आती है। (७)

★ औरत अपने शौहर को महेर माफ़ करना सही है चाहे वह कुबूल करे या न करे बल्कि शौहर के मरने के बाद या तलाक़ बाइन के बाद भी माफ़ करे तो माफ़ हो जायेगा लेकिन शर्त यह है कि यह माफ़ी पत्नी ने अपने मर्जुल मौत में न की हो।(७)

★ तलाक़ से महेरे मुवज्जल मुअज्जल हो जाता है और फिर रजअत (तलाक़ के बाद इद्दत पूरी होने से पहले पत्नी से वापस संबंध जोड़ लेना) करने से मुवज्जल न होगा। (७)

★ महेर का ज़िक्र किये बगैर भी निकाह दुरूस्त है। (२०)

★ औरत को इख़तियार है कि अपना महेर लेने के वास्ते मर्द को सुहबत करने से और दूसरे शहर में ले जाने से रोके अगरचे कि पहले उस से सुहबत करचुका हो। (२०)

ख़िल्वते सहीहा

किसी रुकावट के बगैर मर्द को औरत के साथ गुप्तता ख़िल्वते सहीहा (पूर्ण एकान्त) कहलाती है। (७)

ख़िल्वते सहीहा में मवानेआत (जिमाअ में रुकावट डालने वाली बाधक चीज़ें) हस्बे ज़ेल हैं।

१) कोई ऐसा मर्ज जिस की वज्ह से जिमाअ मुम्किन न हो।

२) शरई रुकावट जैसे रमज़ान का रोज़ा और एहराम।

३) तबई (प्राकृतिक) रुकावट जैसे हैज़

- ४) पति पत्नी के सिवा कोई तीसरा शख्स वहाँ मौजूद हो या आजाने का खौफ हो। अगर तीसरा शख्स सोता हुवा हो या अंधा हो तब भी माने खिल्वत (रूकावट) समझा जायेगा, लेकिन अगर छोटा ना समझ बच्चा हो जो अक्ल न रखता हो या पति पत्नी में से किसी की लौंडी हो तो माने किल्वते सहीहा नहीं है। (७)
- ५) पति पत्नी मकान में नहीं बल्कि मस्जिद में या जंगल में हों तो माने खिल्वते सहीहा है। (७)
- ६) पति का पत्नी को न पहचाना भी शरई रूकावट है क्योंकि पत्नी की पहचान के बगैर जिमाअ की कुद्रत मुम्किन नहीं। (७)
- ७) नज़र, कफ़ारा, क़ज़ा और नफ़िल रोज़ा माने (बाधक) खिल्वते सहीहा नहीं है। (७)

तस्वियते मन्कूहात

मन्कूहात से मुराद वह औरतें जिन से निकाह किया गया है। तस्वियत से मुराद बराबरी है।

- ★ मर्द को लाज़िम है कि हर एक के पास रात गुजारने, लिबास, खाने और मुवानसत (प्रेम व्यवहार) में तमाम मन्कूहात के साथ बराबरी का लिहाज़ रखे, चाहे उन में से कोई बाकिरा (कुआरी) हो या सैइबा (बेवा या मुतलका या जिस से जिमाअ होचुका) नई हो या पुरानी, मुस्लिमा हो या किताबिया अलबत्ता मुहब्बत और जिमाअ में बराबरी शर्त नहीं है। (७)
- ★ औरत का हक़ एक बार जिमाअ करने से हुक्मे क़ज़ा के एतबार से साक़ित (समाप्त) हो जाता है मगर दियानत दारी के एतबार से मर्द को कभी कभी जिमाअ करना वाजिब है। (७)
- ★ अगर मर्द सफ़र किये बगैर एक पत्नी के पास एक महीने तक क़याम किया और दूसरी पत्नी झगडा करे और इन्साफ़ तलब करे तो पति को आइन्दा ज़माने में बराबर बारी से रखने का हुक्म दिया जायेगा और जो ज़माना गुजर चुका उसका मुआवज़ा न होसकेगा क्योंकि क़िस्मत तलब के बाद होती है और तलब ज़मानए मुस्तक़बिल (आगमी) में हुवी है। (७)
- ★ अगर मर्द हालते सफ़र में हो तो उसे इख़तियार है कि जिस पत्नी को चाहे साथ ले जाये क्योंकि दफ़ए हरज (नुकसान से बचने) के लिये सफ़र में बारी नहीं हो सकती मगर मुस्तहब यह है कि पत्नीयों में से एक को कुरआ (लाटरी) के ज़रीये चुना जाये ता कि किसी पत्नी को शिकायत न हो। (७)

★ ऐसे मर्द को जिसकी एक से ज़्यादा पत्नीयाँ हों किसी पत्नी से उसकी बारी (पारी) के सिवाय जिमाअ न करना चाहिये और न क़याम करना चाहिये लेकिन पत्नी या पत्नीयों की इजाज़त से कर सकता है और बारी या दौर की मुद्दत सात दिन से ज़्यादा न होनी चाहिये। (७)

★ मर्द को जायज़ है कि वह औरत को उस चीज़ के खाने पीने या इस्तेमाल करने से मना करे जिस की बू से उसको तकलीफ़ होती हो। (७)

मुतफ़र्रिक़ मसायल :

★ औरत को बिला ज़रूरत शौहर के घर से निकलना जायज़ नहीं अलबत्ता ज़रूरत हो तो निकल सकती है। (७)

★ औरत को जायज़ है कि रिश्ते दारों से मिलने के लिये शौहर की ईजाज़त के बग़ैर जाये अगर वह महेरे मुअज्जल न पा चुकी हो। अगर महेरे मुअज्जल पाचुकी हो तो इजाज़त के बग़ैर घर से न निकले। अगर औरत पर किसी का क़र्ज़ हो या किसी पर औरत का क़र्ज़ हो तो बिला इजाज़त भी निकलना जायज़ है। (७)

अहकामे तलाक़

औरत को निकाह की क़ैद से आज़ाद कर देने का नाम तलाक़ है। अगरचे औरतों को तलाक़ देना जायज़ है और उसके मुतअल्लक़ कुरआन शरीफ़ में एक सूरत नज़िल हुई है लेकिन तलाक़ का देना निहायत मज्बूरी और ला इलाज सबब पैदा होने की सूरत में है। हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया “बुहत ना पंसद हलाल चीज़ों में अल्लाह के नज़्दीक तलाक़ है”। रिवायत किया इसको अबू दाऊद और इब्ने माजा ने और सहीह किया इस को हाकिम ने और कहा अबू हातिम ने कि यह हदीस मुर्सिलं सही है। (२)

तलाक़ के शरायत : (१) औरत मर्द के निकाह में हो (२) मर्द आक़िल और बालग़ि हो लेकिन मर्द कम अक़ल हो या ज़बरदस्ती या तमसख़ुर (मज़ाक़ से) या बिला इरादा या कम फ़हमी या हालते नशा में दे तो भी तलाक़ वाक़े होजाती है। (७)

अक़सामे तलाक़ : (१) तलाक़े रजई (२) तलाक़े बाइन (३) तलाक़े मुग़लिज़ा

(१) **तलाक़े रजई :** वह है कि एक या दो बार तलाक़ दी जाये और फिर इद्दत के अंदर रुजूअ कर लिया जाये (विवाह के बंधन को जयों का त्यों रखा जाये) क्योंकि तलाक़े रजई में मर्द को जदीद निकाह के बग़ैर रुजूअ करना जायज़ है। अल्लाह तआला फ़र्माता है:

- उन औरतों के शौहर (बिला तज्दीदे निकाहा) उनको फिर लौटा लेने का हक़ रखते हैं उस इद्दत के अंदर अगर वह इस्लाह का इरादा रखते हों। (२:२२८)
- तलाक़ सिर्फ़ दो बार है यानि जब दो दफ़ा तलाक़ दे दी जाये तो फिर औरतों को शराफ़त से निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। (२: २२९)
- और जब तुम औरतों को (रजई) तलाक़ देचुके हो फिर वह अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जायें तो उन्हें या तो हुस्ने सुलूक से रजअत करके निकाह में रहने दो या भलाई के साथ रुख़सत कर दो। (२:२३१)

(२) तलाक़े बाइन : वह है कि तीन बार तलाक़ दी जाये इद्दत में या तलाक़े रजई में इद्दत गुज़र जाये या तलाक़ देने वाला यह कहे कि तुझ को तलाक़े बाइन् है या सख़्त तलाक़ है।

★ तलाक़े बाइन में जदीद निकाह की ज़रूरत है बग़ैर निकाह के रुजूअ जायज़ नहीं है। अल्लाह तआला फ़र्माता है “और जब तुम औरतों को तलाक़ दे चुको और उनकी इद्दत पूरी होजाये तो उनको अपने शौहरों के साथ निकाह करने से मत रोको जब वह आपस में जायज़ तौर पर राज़ी हो जाये”। (२:२३२)

(३) तलाक़े मुग़लिज़ा वह है कि तीन बार तलाक़े बाइन् होजायें और तलाक़े मुग़लिज़ा के बाद उस औरत से उस मर्द का निकाह जायज़ नहीं है जब तक कि वह औरत हलाला न हो जाये। हलाला उस सूरत में होगी कि वह औरत दूसरे शख़्स से निकाह करके हम बिस्तर (संभोग) होने के बाद उस से तलाक़े बाइन हासिल करे।

अल्लाह तआला फ़र्माता है “फिर अगर शौहर दो तलाक़ों के बाद तीसरी तलाक़ औरत को देदे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख़्स से निकाह न करले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी हॉ अगर दूसरा शौहर भी तलाक़ देदे और औरत और पहला शौहर फिर एक दूसरे से आपस में मिल जायें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं बशर्तेके दोनों यक़ीन करें कि खुदा की हदों को काइम रख सकेंगे”। (२:२३०)

रज्जुअत : इद्दत में बैठने वाली का निकाह बदस्तूर कायम रखने को रज्जुअत कहते हैं। (७)

★ रजअत साफ़ अलफ़ाज़ से निय्यत के बग़ैर भी सही है लेकिन इशारे के अलफ़ाज़ से निय्यत के बग़ैर सही नहीं। (७)

★ रजअत क़ौली और फ़ेली (वचन और कर्म) दोनों सही हैं। (७)

- ★ फ़ेली यानि ऐसे काम से जो हुर्मते मुसाहरत का मूजिब हों जैसे मसास बग़ैरा (७)
- ★ इद्दत के अन्दर मुत्लक़ा की वती (संभोग) से भी रज़अत जायज़ है (७)
- ★ दीवाने की रज़अते फ़ेली सही है। (७)
- ★ रज़अत सिर्फ़ तलाक़े रजई में जायज़ है। तलाक़े बाइन् में औरत की रज़ा मन्दी (सहमती) और जदीद निकाह के बग़ैर रज़अत जायज़ नहीं है। (७)
- ★ इद्दत की मुद्दत गुज़र जाने के बाद रज़अत जायज़ नहीं है। (७)
- ★ तालक़ के बाद हामला का हमल साक़ित (समाप्त) होजाये और बच्चे के आज़ा मख़लूक होगये (बन गये) हों तो इद्दत गुज़र गई वर्ना नहीं। (७)
- ★ औरत की जानिब से भी रज़अत मुम्किन है अगर शौहर ने उसको मना न किया हो और औरत का फ़ेल उसकी दानिस्त में वाक़े हुवा हो। (७)

खुला : खुला का माना इज़ाला यानि दूर करना और निकालना है जैसे कपड़े को बदन से और मौज़े को पाँव से निकालना। शर्अ में मिलके निकाह ज़ायल करने को खुला कहते हैं यानि निकाह के बंधन से आज़ाद होजाना।

- खुला के शरायत यह है : औरत निकाह में हो और शौहर आक़िल और बालिग़ हो। (७)
- ★ खुला माल के बदले में या माल के बग़ैर हर दो तरह मुम्किन है। (७)
 - ★ खुला से हुकूके ज़ौजियत ख़त्म हो जाते हैं और तलाक़े बाइन् वाक़े हो जाती है। (७)
 - ★ तलाक़े रजई की इद्दत में खुला दुरूस्त है क्योंकि इद्दत के दिनों में निकाह बाक़ी रहता है। (७)
 - ★ खुला के बाद औरत को महेर नहीं मिलेगा अगर खुला से पहले लेचुकी है तो वापस न होगा। (७)
 - ★ औरत क़ब्ल कुबूले ज़ौज खुला से रूजूअ कर सकती है यानि शौहर खुला को कुबूल करने से पहले औरत खुला का मुतालबा छोड़ कर शौहर से वापस रिश्ता जोड़ सकती है।
 - ★ अगर सगीरा (छोटी लड़की) की तरफ़ से उसका बाप या वली शौहर से खुला करे तो उस लड़की पर तलाक़ वाक़े होगी मगर माल वाजिब नहीं (यानि माल वली के ज़िम्मे रहेगा)। सगीर (छोटे लड़के) के माँ बाप सगीर के खुला के मुजाज़ (अधिकृत) नहीं इस लिये कि जब सगीर को तलाक़ का इख़तियार नहीं तो उसके माँ बाप नाइब (प्रतिनिधि) भी नहीं हो सकते। (७)

अहकामे नफ़का : नफ़का उसको कहते हैं जिसको आदमी अपने अहल व अयाल पर खर्च करे और शर्ह में नफ़का से सुराद खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान है। (७)

अल्लाह तआला फ़र्माता है “साहबे वुस्अत को अपनी वुस्अत के मुताबिक़ खर्च करना चाहिये”। (६५:७)

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने हज्जतुल् विदाअ के खुत्बे में यह भी फ़र्माया कि दस्तूर के मुवाफ़िक़ औरतों का रिज़क़ और लिबास तुम पर वाजिब है। (२,७)

★ जो औरत निकाहे सहीह में हो उसके शौहर पर दोनों की हैसियत के मुवाफ़िक़ पत्नी का खाना, कपड़ा और रहने का मकान वाजिब है। (२,५,७)

★ अपने बच्चे, माँ बाप, अज्दाद और जद्दात (दादा दादी) का नफ़का भी वाजिब है अगर वह मुहताज हों। (२०)

★ बाप को अपने नफ़के के लिये अपने बेटे का सामान बेचना दुरुस्त है लेकिन ज़मीन बेचना दुरुस्त नहीं है। (२०)

★ जो औरत तलाक़ की इद्दत में हो उसका नफ़का भी वाजिब है। (३१)

★ उस औरत का नफ़का भी वाजिब है जो अपने कुल या जुज़ (संपूर्ण या भाग) महेरे मुअज्जल के लेने के लिये अपने पति को जिमाअ से रोकती हो चाहे उस से पहले जिमाअ हो चुका हो या नहीं। (७)

★ उस औरत का नफ़का भी वाजिब है जो अपने बाप के घर में रहती हो और पति ने वहाँ से निकल जाने का मुतालबा न किया हो और ससुराल में इस्तमताअ (आनन्द लेने) पर क़ादिर हो सकता हो। (७)

★ अगर पति मालदार (धनवान) हो तो पत्नी के लिये एक ख़ादिम (सेवक) का नफ़का भी वाजिब है और इमाम अबू यूसुफ़ रहे० के पास दो ख़ादिमों का नफ़का वाजिब है, एक घर के अन्दर के कामों के लिये और दूसरा घर के बाहर के कामों के लिये, लेकिन इमाम मुहम्मद रहे० और इमाम अबू हनीफ़ा रहे० के पास एक ख़ादिम दोनों काम कर सकता है और इस पर फ़त्वा है। आगर तंग दस्त (निर्धन) हो तो ख़ादिम का नफ़का वाजिब नहीं लेकिन इमाम मुहम्मद रहे० के पास तंग दस्ती में भी एक ख़ादिम का नफ़का वाजिब है। (२)

★ अगर शौहर की तंग दस्ती के ज़माने में काज़ी ने नफ़का मुकर्रर किया था उसके बाद शौहर ग़नी (मालदार) हो जाये और पत्नी तलब करे तो नफ़का ग़िना (मालदार की हैसियत का नफ़का) अदा करना होगा। (२)

★ अगर शौहर ने एक मुद्दत तक अपनी पत्नी को नफ़का न दिया हो तो गुज़र चुके दिनों का नफ़का साक़ित हो जायेगा, लेकिन अगर काज़ी ने उसके लिये नफ़का मुऐयन (निर्दिष्ट) किया हो या दोनों किसी चीज़ पर राज़ी हुवे हों तो उन सूरतों में गुज़रे हुवे दिनों का नफ़का भी दिलाया जायेगा जब कि दोनों ज़िन्दा रहें। (२)

★ अगर नफ़का पेशगी दिया जाये और कुछ समय के बाद पति पत्नी में से कोई मर जाये तो बाक़ी दिनों का नफ़का वापस न होगा, इसी पर फ़त्वा भी है, लेकिन इमाम मुहम्मद रहे० और इमाम शाफ़ई रहे० के पास हिसाब करके बाक़ी दिनों का नफ़का वापस किया जायेगा। (२)

इन सूरतों में पति पर पत्नी का नफ़का वाजिब नहीं है :

★ जो औरत नाहक़ शरारत से निकल गई हो और बुलाने के बा वजूद शरारत से न आती हो।

★ अगर औरत किसी के क़र्ज़ में कैद होगई हो या अपने बाप के घर में मरीज़ हुवी हो या किसी ने उस को ग़स्ब कर (ज़बरदस्ती) ले गया हो, या औरत शौहर के बग़ैर हज को गई हो।

★ अगर औरत कम सिनी के कारण सुहबत करने के काबिल न हो। (२,२०)

★ औरत को एक अलग घर में रखना शौहर पर वाजिब है। उस घर में शौहर के घर वाले न रहते हों और न उसका दूसरी बीवी का बेटा हो। अगर औरत शौहर के घर वालों के साथ रहने पर राज़ी हो तो घर ऐसा बड़ा हो कि उसमें कई हिस्से हों और उसमें एक ऐसा हिस्सा चाहिये जिसकी ज़ंजीर और कुफ़ल अलग हो। (२,७)

★ शौहर को अधिकार है कि औरत के माँ बाप को और उस के बेटे को जो दूसरे शौहर से हो अपने घर में न आने दे इस लिये कि घर उसकी मिल्क (संपत्ति) है, लेकिन वह जिस वक़्त चाहें औरत से बात करने और उस को देखने से मना करना जायज़ नहीं है। हफ़ते (सप्ताह) में एक बार औरत को माँ बाप के पास जाने से या माँ बाप को उसके पास आने से मना करना और महरमों से मुलाक़ात से साल भर में एक बार रोकना शौहर को जायज़ नहीं है और इसी पर फ़त्वा है। (२,११)

अहकामे इद्दत : इद्दत उस इन्तेज़ार का नाम है जो औरत को तलाक़ या शौहर की मौत के बाद लाज़िम है। (७)

★ इद्दत शौहर की मौत या तलाक़ या फ़स्खे निकाह (निकाह टूट जाने) के बाद फ़ौरन् शुरू हो जाती है और मुऐयना मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाती है अगरचे कि औरत को तलाक़ या मौत का इल्म न हो इस लिये कि इद्दत मुऐयना मुद्दत का नाम है इल्म शर्त नहीं है। (७)

★ हुर्ी (जो बाँदी न हो) का शौहर मर जाये तो उसकी इद्दत चार महीने दस दिन हैं। (७)

अल्लाह तआला फ़र्माता है “और जो लोग तुम में से मर जायें और औरतें छोड़ जायें तो औरतें चार महीने और दस दिन अपने आप को रोके रखें”। (२:२३४)

★ जिस हुर्ी (आज़ाद) औरत को खिल्वत के बाद तलाक़ दी जाये (रजई हो या बाइन) या फ़स्खे निकाह हो, अगर उस को हैज़ आता हो तो तीन हैज़, अगर हैज़ न आता हो तो तीन महीने तक इद्दत वाजिब होगी, लेकिन अगर हैज़ में तलाक़ दी जाये तो वह हैज़ हिसाब में नहीं लिया जायेगा। (७)

अल्लाह तआला फ़र्माता है “और तलाक़ वाली औरतें तीन हैज़ तक अपने आप को रोक रखें”। (२:२२८)

★ अगर आइसा औरत (जिस को उमर के लिहाज़ से अब हैज़ आने की कोई उमीद न हो) को उसके शौहर ने तलाक़ दी हो तो उसे तीन महीने तक इद्दत करना लाज़िम है और अगर तीन महीने गुज़रने से पहले हैज़ जारी हो जाये तो फिर हैज़ों से इद्दत शुरू करे। इसी तरह ग़ैर आइसा ने हैज़ों से इद्दत शुरू की थी और एक या दो हैज़ के बाद आइसा हो जाये तो उसी महीनों से इद्दत शुरू करना ज़रूरी है, और जो ज़माना तुहर (पाकी) या हैज़ का गुज़र गया वह हिसाब में नहीं लिया जायेगा। (७)

★ हामला औरत की इद्दत वज़अ हमल (बच्चा जन्मे) तक है। अल्लाह तआला फ़र्माता है “और हमल वाली औरतों की इद्दत वज़अ हमल यानि बच्चा जन्मे तक है”। (६५:४)

★ इद्दत वाली औरत सजावट न करे (ज़ेवर वग़ैरह) और ज़ाफ़रानी और कुसुम के रंग का कपड़ा न पहने मगर रंगे हुए सूत का (पहन सकती है) और बनाव सिंगार के लेय खुशबू, खुशबू का तेल, मेहंदी और सुर्मा न लगाये मगर दर्द के उज़र से बतौर दवा के लगाना जायज़ है। (२)

★ जब औरत पर इद्दत वाजिब हुवी हो उसको चाहिये कि जिस घर में जुदाई या मौत या तलाक़ हुवी हो उसी घर में इद्दत को पूरी करे। अल्लाह तआला फ़र्माता है “न तुम उन्हें (इद्दत

के दिनों में) उनके घरों से निकालो और न वह खुद निकलें, हाँ मगर जब वह खुली हुई बेहयाई का काम करें"। (६५:१)

★ अगर वह घर से निकाली जाये या माल तलफ़ (नष्ट) होने का डर हो या घर के गिर जाने का या घर का किराया उसको न मिले तो इन सूरतों में औरत को इख्तियार है कि उस घर से निकल जाये। (२)

★ अगर औरत तलाके बाइन की इदत में हो तो उसको घर में पर्दा चाहिये। अगर घर तंग हो तो बेहतर यह है कि शौहर वहाँ से निकल जाये और औरत को भी निकल जाना जायज़ है। इसी तरह अगर शौहर फ़ासिक़ (पापी) हो तो भी निकल जाये लेकिन शौहर का निकल जाना मुनासिब तरीन बात है। (२)

अहकामे निकाहे सानी

इस्लाम में बेवाओं (विधवा) और मुतल्लका औरतों के दूसरे निकाह की इजाज़त और हिदायत दी गई है। अल्लाह तआला फ़र्माता है :

और अपने रिश्तेदार बेवा औरतों और अपने नेक अख़लाक़ नौकरों और कनीज़ों के निकाह करा दिया करो, अगर वह मुहताज हों तो अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से मालदार करदेगा, और अल्लाह बहुत कुशादगी वाला और सब कुछ जानने वाला है (२४:३२)

और जो लोग तुम में से मर जायें और औरतें छोड़ जायें तो औरतें चार महीने दस दिन अपने आप को रोके रखें और जब यह इदत पूरी करलें और अपने हक़ में पसन्दीदा काम यानि निकाह करलें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। (२:२३४)

और जब तुम औरतों को तलाक़ दे चुके और वह अपनी इदत पूरी करलें तो उन्हें उनकी पसंद के जोड़े से निकाह करने से मत रोको। यह नसीहत की जाती है उन लोगों को जो ईमान रखते हैं अल्लाह और आख़िरत के दिन पर, इसी में तुम्हारे लिये पवित्रता और भलाई है और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। (२:२३२)

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया ऐ अली रज़ी०। तीन काम में देर न करो, नमाज़े जनाज़ा में जब वह आजाये, पाँच नमाज़ों में जब कि वक़्त हो जाये और बेवा औरत के निकाह में जब तुम उसका कफू (बराबर मर्द) पाओ।

सदरि दो आलम हुजूर अन्वर हज़रत नबी करीम सल्ला० ने अहले इस्लाम की हिदायत के लिये जिन बेवा औरतों से खुद निकाह फ़र्माया है उनकी तफ़्सील दर्जे ज़ेल है :

- (१) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी ख़दीजतुल कुब्रा रज़ी० बिते ख़वैलद बिन असद का इस्लाम से पहले अबू हाला से पहला निकाह हुआ था उनकी मौत के बाद अतीक़ बिन आयज़ से निकाह हुआ। उन की मौत के बाद हज़रत नबी करीम सल्ला० ने आप से निकाह फ़र्माया। निकाह के वक़्त बीबी ख़दीजा रज़ी० की उम्र मुबारक चालीस साल थी और हज़रत सल्ला० की उम्र शरीफ़ पच्चीस साल थी। आँहज़रत सल्ला० को बीबी रज़ी० के बतन से दो बेटे हज़रत कासिम रज़ी० और हज़रत ताहेर रज़ी० (अब्दुल्लाह) और चार बेटियाँ इज़रत सय्यदतुन्निसा बीबी फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी०, हज़रत ज़ैनब रज़ी०, हज़रत रुक़ैया रज़ी० और हज़रत उम्मे कुल्सूम रज़ी० पैदा हुवे। कुरआन मजीद का नुज़ूल शुरु होने पर सब से पहले आप रज़ी० ईमान लाई। आप रज़ी० के बुहत से फ़ज़ायल (प्रतिष्ठा) बयान किये गये हैं। आप रज़ी० आँहज़रत सल्ला० की पहली बीबी थीं, आप की जिन्दगी में आँहज़रत सल्ला० ने दूसरा अक़द नहीं फ़र्माया और आप ६५ साल की उम्र में दस्वीं रमज़ान शरीफ़ को नबूवत के दस्वें साल वफ़ात पाई और हज़ून् में जो मक्का वालों का क़ब्रिस्तान है मदफ़ूद हुवीं।
- (२) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी सौदा रज़ी० बिते रबीआ बिन कैस का आप के चचा ज़ाद भाई सक्रान उमर बिन अब्द शम्स से निकाह हुआ था, उनके मरने के बाद सदरि दो आलम सल्ला० ने नबूवत के दस्वें बरस आप से निकाह फ़र्माया और माहे शवाल ५४ हिज़्री में आप ने वफ़ात पाई और बक़ीअ में दफ़न हैं।
- (३) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी हफ़सा रज़ी० बिते अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी० का पहले ख़ैस बिन हज़ाफ़ा सहमी से निकाह हुआ था, आप जंगे बदर में शहीद होने के बाद ३ हिज़्री में आप से आँहज़रत सल्ला० ने निकाह फ़र्माया और आपने साठ साल की उम्र शरीफ़ में माहे शाअबान ४५ हिज़्री में वफ़ात पाई और क़ब्रिस्तान बक़ीअ में दफ़न हुवीं।
- (४) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सल्मा रज़ी० बिते अबी उमय्या बिन मुगीरा का पहले अबू सल्मा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद से निकाह हुआ था, उनके इन्तेक़ाल के बाद माहे शवाल ४ हिज़्री में आँहज़रत सल्ला० ने आप से निकाह फ़र्माया। आप ने ८४ साल की उम्र शरीफ़ में ६२ हिज़्री में वफ़ात पाई और बक़ीअ में मदफ़ूद हुवीं।

- (५) हज़रत उम्मुल मौमिनीन बीबी जुवेरिया बिते हारिस बिन अबी अज़रार का पहला निकाह मुसाफ़ेअ बिन सफ़वान से हुआ था, उनकी वफ़ात के बाद माहे शाअबान ५ हिज़्री में आँहज़रत सल्ला० ने आप से निकाह फ़र्माया। आप ने रबीउल अब्वल ५६ हिज़्री में वफ़ात पाई और बक़ीअ में दफ़न हुईं।
- (६) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी ज़ैनब रज़ी० की वालिदा माजिदा का नाम आमिना (हजश) था। आप का पहला निकाह ज़ैद बिन हारिसा रज़ी० से हुआ था। जब उन्होंने ने तलाक़ देदी तो ख़ुदा तआला ने माहे ज़ीकाअदा ५ हिज़्री में आँहज़रत सल्ला० के साथ निकाह फ़र्माया, चुनांचे उसके बारे में यह आयत नाज़िल हुई “फिर जब ज़ैद ने तमाम किया उस से अपनी हाजत को यानि उस को तलाक़ देदी तो हम ने उसके साथ तुम्हारा निकाह कर दिया ता कि मोमिनौं को उन के मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने में हरज न हो जब कि वह तलाक़ देदे और ख़ुदा का हुक्म ज़रूर वाक़े होकर रहने वाला था”। (३३:३७)
- आप ने ५३ साल की उम्र मुबारक में ४० हिज़्री में वफ़ात पाई और बक़ीअ में दफ़न हुईं।
- (७) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे हबीबा रज़ी० बिते अबू सुफ़यान बिन हर्ब का पहला निकाह अब्दुल्लाह बिन हजश से हुआ था, उनके इन्तेक़ाल के बाद सन् ६ हिज़्री में आँहज़रत सल्ला० ने आप से निकाह फ़र्माया। आप ने ७२ साल की उम्र मुबारक में ४२ हिज़्री में वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ीअ में दफ़न हुईं।
- (८) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी मैमूना रज़ी० बिते हारिस हिलालिया आमेरिया का पहला निकाह मसऊद बिन अम्र सक्फ़ी से हुआ था उनके तलाक़ देने के बाद अबी रहम अब्द नअरी से निकाह हुआ, उनकी वफ़ात के बाद ज़ीकाअदा ७ हिज़्री में आँहज़रत सल्ला० ने आप से निकाह फ़र्माया और आपकी वफ़ात ६० हिज़्री में हो कर बक़ीअ में मदफ़ून हुवी।
- (९) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी सफ़िया रज़ी० बिते हैइ बिन अख़तब का पहला निकाह सलाम बिन मुश्कम अल कुर्ता से हुआ था उनके तलाक़ देने के बाद किनाना बिन अबिल हक़ीक़ से निकाह हुआ। किनाना जंगे ख़ैबर में मक़तूल होने के बाद आँहज़रत सल्ला० ने आप से निकाह फ़र्माया और आप ने ६२ साल की उम्र मुबारक में रमज़ान शरीफ़ ५० हिज़्री में वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ीअ में दफ़न हुईं।

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने अपनी बेटियों का भी निकाहे सानी फ़र्माया है, चुनांचे बीबी रूक़ैया रज़ी० का निकाह कुरआन मजीद नाज़िल होने से पहले उत्बा बिन अबू लहब से

हुआ था लेकिन कुरआन नाज़िल होने और दावते इस्लाम के बाद अबू लहब ने मुखालफत की वजह से बीबी रूक़ैया को अपने बेटे से तलाक़ दिलादी, उसके बाद आँहज़रत सल्ला० ने बीबी रूक़ैया का दूसरा निकाह हज़रत उसमाने ग़नी रज़ी० से फ़र्मा दिया। दूसरी बेटी बीबी उम्मु कुल्सूम रज़ी० का पहला निकाह उतैबा बिन अबू लहब से हुआ था, उतैबा के तलाक़ देने के बाद आप का भी दूसरा निकाह हज़रत उसमाने ग़नी रज़ी० से आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्मा दिया क्योंकि उस वक़्त बीबी रूक़ैया रज़ी० का इन्तेक़ाल हो चुका था।

हज़रत महेदी मौऊद अले० की साहब ज़ादी बीबी ख़ुंज़ा फ़ातिमा रज़ी० के शौहर मलिक बुर्हानुद्दीन बाड़ीवाल के इन्तेक़ाल के बाद बीबी का दूसरा अक़द हज़रत बन्दगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर सय्यदुश् शुहदा रज़ी० से हुआ है। इस तरह बहुत सारी मुक़दस बीबियों के दूसरे और तीसरे निकाह हुवे हैं। ऐसी सूरत में बेवा औरतें निकाहे सानी को ऐब समझ कर रुकी रहना या रोकी जाना गुनाहे अज़ीम और उसको नाजायज़ समझना मुजिबे कुफ़्र है।

मुद्दते हम्मल : हम्मल की मुद्दत (गर्भ की अवधि) ज़्यादा से ज़्यादा दो साल और कम से कम छे महीने है। इस विषय में हज़रत इमाम आज़म रहे० की दलील हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ी० के क़ौल से यह है कि “बच्चा पेट में दो साल से ज़्यादा नहीं रहता”, लेकिन इमाम शाफ़ई रहे० के पास इम्मल की ज़्यादा मुद्दत चार साल है। (२०)

बच्चा पैदा होने पर उसके कान में अज़ाँ कहना

वाज़ेह हो कि बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसको गुस्ल देते ही मुर्शिद या कोई फ़कीर या जो कोई बुजुर्ग उस वक़्त मौजूद हों उनकी ज़बान से बच्चे के सीधे कान में अज़ाँ और बायें कान में इक़ामत यानि तकबीर कहलाना सुन्नत है, चुनांचे हज़रत इमाम हसन रज़ी० पैदा होने पर हज़रत नबी करीम सल्ला० ने खुद उन के कान में अज़ाँ और तकबीर फ़र्माई है और पहले से यह मसनून तरीक़ा चला आ रहा है।

अबी राफ़ेअ रज़ी० से रिवायत है कि कहा देखा मैं ने रसूले ख़ुदा सल्ला० को कि जब बीबी फ़ातिमा रज़ी० ने हसन बिन अली रज़ी० को जन्म दिया तो आप सल्ला० ने नमाज़ की अज़ाँ की तरह हसन रज़ी० के कान में अज़ाँ दी। इस हदीस को तिर्मिज़ी और अबू दाऊद रहे० ने नक़ल कि और तिर्मिज़ी रहे० ने कहा कि यह हदीस हसन सहीह है।

अक़ीक़ा : लुगत मं अक् का माना फाड़ना है और बच्चा पैदा होने के वक़्त उसके सर पर जो बाल होते हैं उन बालों को मुंडवा कर बक्रा ज़ब्ह करने की रस्म को अक़ीक़ा कहते हैं।

अनस बिन मालिक रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत नबी करीम सल्ला० ने नबूवत के बाद अपना अक़ीका किया है, और आँहज़रत सल्ला० ने हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० के वास्ते दो बक्रों को ज़ब्ह करके हज़रत ख़ातूने जन्नत रज़ी० से फ़र्माया कि इस बच्चे के सर के बाल मुंडवा कर बालों के वज़न के बराबर चाँदी ख़ैरात करो। हज़रत ख़ातूने जन्नत रज़ी० ने बच्चे के सर के बाल मुंडवा कर तोले तो एक दिर्हम चाँदी के बराबर या उस से कुछ कम हुवे।

सल्मान बिन आमिर रज़ी० से रिवायत है कि कहा सुना मैं ने रसूले ख़ुदा सल्ला० से कि फ़र्माते थे लड़का पैदा होने के साथ अक़ीका करना मसनून् है इस लिये ज़ब्ह करो उसकी तरफ़ से जानवर और दूर करो उस से ईज़ा (पीड़ा)। (१७)

इब्ने अब्बास रज़ी० से रिवायत है कि रसूले ख़ुदा सल्ला० ने अक़ीका किया हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसेन रज़ी० का और उनकी तरफ़ से सक एक दुंबा ज़ब्ह किया। यह अबू दाऊद ने नक़ल की और नसाई के पास दो दो दुंबे।

बेहतर और अफ़ज़ल यह है कि लड़के के लिये दो बक्रे ज़ब्ह किये जायें और एक भी किया जाये तो जायज़ है और लड़की के लिये एक ज़ब्ह करना चाहिये।

लड़के की तरफ़ से दो बक्रियाँ और लड़की के लिये एक और इस में कुछ नुकसान नहीं है कि नर् हों या मादा। इमाम तिरमिज़ी ने कहा यह हदीस सहीह है।

★ अक़ीके का जानवर के आज़ा (अंग) ठीक ठाक होना चाहिये जैसा कि कुरबानी के जानवर के लिये शर्त है। बच्चा पैदा होने से सात्वेँ या चौधवेँ या इकीसवेँ या अठाइसवेँ या पैंतीसवेँ दिन या उसी तरह सात सात दिन या सात सात महीने या सात सात साल के हिसाब से जिस वक़्त हो सके अक़ीका करना चाहिये। इमाम मालिक रहे० और इमाम अहमद रहे० के पास अक़ीका सुन्नते मुअक्कदा है और एक रिवायत से इमाम अहमद रहे० के पास वाजिब है और इमाम आज़म रहे० के पास मुस्तहब है। बुख़ारी और इमाम अहमद हम्बल रहे० रिवायत करते हैं कि जिस बच्चे का अक़ीका न किया गया हो और वह बचपन में मर जाये तो अपने वालिदैन की शफ़ाआत नहीं करेगा। शर्हुल मुक़दिमा में लिखा है कि अक़ीका का हुक्म उस पर है जिस पर लड़के का खाना कपड़ा वाजिब है। अगर बाप अक़ीका करने की हैसियत नहीं रखता है और माँ से हो सकता हो तो माँ ही करले लेकिन वली को लड़के के माल से अक़ीका करना दुरुस्त नहीं है यानि वह माल कि लड़के को किसी ने हिबा किया हो या उस की मीरास का हो।

★ बेहतर यह है कि अक़ीके के जानवर को लड़के का बाप या दादा या चचा ज़ब्ह करे या उनका नायब जिस को वह कहें या कोई और ज़ब्ह करे तो भी दुरुस्त है और ज़ब्ह के बाद बच्चे

के सर के बाल मुंडवा कर बालों के वज़न के बराबर चाँदी या सोना तोल कर मुहताजों को दे दिया जाये और बाल ज़मीन में गाड़ दिये जायें। यह मज़्मून तैयबी मिश्कात की शर्ह में लिखा है। लड़के के सर पर खुशबू की चीज़ यानि ज़ाफ़रान और सन्दल मलें। अक्रीके में गाय और ऊंट ज़ब्ह करना दुरुस्त है और उन दोनों का सात्वॉ हिस्सा एक बक्रे के बराबर है।

अक्रीका ज़ब्ह करने की निय्यत :

اَللّٰهُمَّ هَذِهِ عَقِيْقَةُ ابْنِيْ (فِلَان) دَمَهَا بِدَمِهِ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهَا وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهَا وَسَعْرُهَا بِسَعْرِهَا
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِابْنِيْ مِنَ النَّارِ
اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيْ لِلذِّىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ
صَلٰوَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

अल्लाहुम्म हाज़िही अक्रीकतु इब्नी (बच्चे का नाम) दमहा बिदमिही व लहमुहा बिलहमिही व अज़्मुहा बिअज़्मिही व जिलदुहा बिजिल्दिही व शअरुहा बिशअरिही अल्लाहुम्मज् अल्हा फ़िदाअन् लि इब्नी मिनन्नरि।

इब्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस् समावाति वल् अज़ अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ौ वमा अना मिनल् मुशिरकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बि ज़ालिक उमिर्तु व अना मिनल् मुस्लिमीन अल्लाहुम्म मिन्क व लक बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर

अनुवाद : ऐ अल्लाह यह अक्रीका मेरे फ़र्ज़द () की तरफ़ से है उसका खून इसके खून के बदले और उसका गोश्त इसके गोश्त के बदले और उसकी हड्डी इसकी हड्डी के बदले और उसका पोस्त इसके पोस्त के बदले और उसके बाल इसके बाल के बदले या अल्लाह इस अक्रीके को मेरे बेटे की तरफ़ से दोज़ख़ से बचने को फ़िदया बनादे।

मैं ने मुहं किया उसकी तरफ़ जिसने ज़मीन व आस्मान बनाये इब्राहीम अले० के दीन पर एकसू होकर और मैं नहीं हूँ शरीक करने वाला, बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह की तरफ़ है जो आलम का पर्वरदिगार है कोई उसका शरीक नहीं और यही हुक्म मुझ को हुआ और मैं हुक्म बर्दारों से हूँ, या अल्लाह सब कुछ तुझ ही से और तेरे ही लिये है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है।

★ अगर लड़की की जानिब से अक्रीका किया जाये तो ज़ब्ह की निय्यत में ज़मीर (सर्वनाम) मुजक्कर (पुल्लिंग) की जगह मुअन्नस (स्त्री लिंग) कर दें जैसे बिदमिही की जगह बिदमिहा, बिअज़्मिही - बिअज़्मिहा, बिजिल्दिहि - बिजिल्दिहा, बिशअरिही - बिशअरिहा, लिइब्नी - लिइब्रती।

★ अगर बाप के सिवा कोई और शख्स ज़ब्ह करे तो उस बच्चे के नाम के साथ उसके बाप का नाम भी लें यानि यह अक़ीका () के बेटे () का है।

★ अक़ीके का गोश्त, पोस्त (चमड़ा) और उस्तुखान (हड्डियाँ) वग़ैरह लिल्लाह तक़सीम कर देना या पका कर लोगों को खिलायें और अक़ीके वाले के माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, बेटा, बेटी, पोता, पोती न खायें क्यों कि सालेहों की यही रस्म है। लेकिन शर्ह मुक़द्दिमा इमाम अब्दुल्लाह वग़ैरह में लिखा है कि अक़ीका का गोश्त कुरबानी के गोश्त के मुवाफ़िक़ फ़कीर और गनी और साहबे अक़ीका और उसके माँ बाप वग़ैरह सब को खाना जायज़ है।

अक़ीका के गोश्त की तक़सीम : सर हज्जाम को, एक रान जनाने वाली दाया को, एक हिस्सा फुकरा को, दो हिस्से दोस्तों और पड़ोसियों को।

ख़त्ना : पेशाब की जगह के चमड़े के कुछ हिस्से को काटने को ख़त्ना कहते हैं। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में अबू हुरेरा रज़ी० की रिवायत से साबित है कि हज़रत इब्राहीम अले० का ख़त्ना अस्सी बरस की उम्र में हुआ है और हज़रत इस्हाक़ अले० का ख़त्ना पैदा होने से सातवें रोज़ और हज़रत इस्माईल अले० का ख़त्ना तेरहवें बरस में हुआ है। (२९)

★ इमाम आज़म रहे०, इमाम मालिक रहे० और इमाम अहमद रहे० के पास ख़त्ना सुन्नत है और इमाम अहमद की मुसनद में हदीस शरीफ़ है कि रसूले खुदा सल्ला० ने फ़र्माया “ख़त्ना मरदों के लिये सुन्नत है और औरतों के लिये इज़्जत है”।

★ ख़त्ना के लिये कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। कुछ लोगों का क़ौल है कि बच्चा पैदा होने के सातवें दिन ख़त्ना किया जाना चाहियो और कुछ लोगों ने सात साल के बाद और नौ साल के बाद तज्वीज़ किया है। फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ में लिखा है कि “ख़त्ना का वक़्त उस वक़्त से शुरू होता है कि लड़का ख़त्ना की तकलीफ़ को सह सके और बालिग़ न होने तक बाक़ी रहता है और नौ साल से कम उम्र में ख़त्ना करना बेहतर है और अगर कुछ थोड़ी ज़्यादा उम्र के बाद करें तो मुज़ाइका नहीं”। मज्मउल बरकात में लिखा है कि “सहीह मज़हब यह है कि लड़के का हाल देखें अगर उसको ताक़त हो तो देर न करें और अगर कम ज़ोर हो तो ताक़त आने तक देर करने में मुज़ाइका नहीं है”।

★ जिस लड़के का ख़त्ना हुआ और उसका चमड़ा जितना चाहिये उतना सब न कटा, अगर आधे से ज़्यादा कटा हो तो उस पर ख़त्ना का हुक्म जारी हो गया और सुन्नत अदा हो गई और अगर आधा या आधे से कम कटा हो तो उसका ख़त्ना नहीं हुआ और सुन्नत की अदाई बाक़ी रही।

★ कोई ऐसा लड़का हो कि बगैर ख़त्ना किये उसका बदन ख़त्ना करने के मानिंद ज़ाहिर होता हो और उसको जो कोई देखे यह समझे कि उसका ख़त्ना हो गया है और उसका ख़त्ना बगैर तकलीफ़ के मुम्किन न हो उसको किसी तजरिबाकार हज्जाम को दिखायें अगर वह कहे कि उसका ख़त्ना करने से हद से बढ़ जायेगा तो ख़त्ना न करें उस पर से ख़त्ना का हुक्म उतर गया।

★ कोई बूढ़ा काफ़िर मुसलमान हो जाये और हज्जाम कहे कि उसको ख़त्ना की ताक़त नहीं है तो उसका ख़त्ना न करें और यही हुक़म है उस मुसलमान का जो बूढ़ा हो गया और उसका ख़त्ना नहीं हुआ। (३०)

★ जवाहरुल फ़तावा में लिखा है कि सुन्नत यह है कि ख़त्ना पीर (सोमवार) के दिन सूरज ढलने के बाद करें और इत्वार (रविवार) के दिन मक्रूह है इस लिये कि इतवार का दिन बनाने और ज़्यादती के लिये है और ख़त्ना नुक़सान और कम करने का नाम है।

हज़ानत : औलाद की पर्वरिश (पालन पोषण) और तर्बियत (प्रशिक्षण) को हज़ानत कहते हैं। (७)

★ हज़ानत एक किस्म की विलायत (सर परस्ती) समझी गई है जिन को अपनी ज़ात पर विलायत नहीं (जैसे लौंडी वगैरह) उनको हज़ानत का हक़ भी नहीं है। (७)

★ हज़ानत के शरायत यह है : (१) हाज़िना (पर्वरिश करने वाली) हुर्ी (आज़ाद यानि किसी की कनीज़ न हो), बालिगा और अमीना (विश्वस्त और अमानत दार) हो।

(२) पर्वरिश पर क़ादिर (इस्तिताअत रखती) हो।

(३) अज़्जबी शौहर के निकाह में न हो।

★ अगर मर्द हो तो आख़री शर्त के सिवा बाक़ी शरायत का उस में भी होना ज़रूरी है। (७)

★ पर्वरिश का हक़ नसबी माँ को है अगरचे कि वह किताबिया या मजूसिया (अग्नि पूजक) हो या शौहर से जुदाई हो गई हो लेकिन मुर्तद (धर्म भ्रष्ट) न होगई हो क्योंकि मुर्तदा को उस वक़्त तक पर्वरिश का हक़ नहीं जब तक कि फिर वह इस्लाम कुबूल न करे। (७)

★ अगर माँ फ़ाजिरा या फ़ासिक़ा (पापी) या नौहा गरी (मुर्दे पर रोना) या गाने का पेशा करती हो या मुर्दा शौ या दाई हो या ऐसी हो कि जिस पर इत्मेनान न हो या बच्चे के गैर महरम से निकाह कर लिया हो (यानि उसका शौहर बच्चे से क़रीबी रिश्ता न रखता हो) या ऐसे शख्स के पास रहती हो जिस को छोटे बच्चे से बुज़ (शत्रुता) या कराहत (नफ़रत) हो तो उस को हज़ानत का हक़ नहीं है। (७)

★ अगर माँ मुफ्त पर्वरिश न करे और बाप को नफ़का देने की शक्ति न हो और बच्चे की फूफी मुफ्त पर्वरिश पर रज़ामंद हो तो बच्चा फूफी के हवाले किया जायेगा। (७)

★ जिस औरत को शरई तौर पर हज़ानत का हक़ है अगर वह इन्कार करे तो उस पर ज़ब्र नहीं किया जा सकता लेकिन अगर हाज़िना मुतऐयन हो जाये इस तरह पर कि बच्चा उस औरत के सिवाय किसी की छाती न लेता हो या बच्चे का बाप और बच्चा ऐसे मालदार न हों कि ख़ादिमा रख सकें ऐसी सूरत में हज़िना पर ज़ब्र (मजूबर) किया जायेगा। (७)

★ अगर हाज़िना बच्चे के बाप की मन्कूहा या मोतदा (इद्दत वाली) न हो तो उस को तीन चीज़ें यानि हज़ानत (पर्वरिश) की उज़रत, रज़ाअत (दूध पिलाने) की उज़रत और छोटे बच्चे का नफ़का देना ज़रूरी है। अगर हाज़िना के पास मकान न हो तो बाप को पर्वरिश के दिनों के लिये मकान भी देना होगा, इसी तरह अगर बच्चा ख़ादिम का मुहताज हो तो ख़ादिम भी देना होगा। (७)

★ अगर माँ मर जाये या अपने हक़ को साक़ित करदे तो हज़ानत का हक़ नानी को है रिश्ता और अहलियत की तर्तीब के लिहाज़ से (अगरचे कि नानी दूर की हो जैसे माँ की नानी या नानी की नानी वगैरह) और नानी के बाद दादी को भी इसी तरह है तर्तीब के लिहाज़ से अगरचे दादी दूर की हो, फिर सगी बहन को फिर मादरी बहन को फिर सौतेली बहन को फिर सगी बहन की बेटी फिर मादरी बहन की बेटी को फिर ख़ाला को यानि पहले सगी फिर मादरी फिर सौतेली ख़ाला फिर सौतेली बहन की बेटी को फिर भतीजों को फिर फूफी को फिर माँ की ख़ाला फिर बाप की ख़ाला फिर माँ की फूफी फिर बाप की फूफी को इसी तर्तीब में उनके बाद उस्बात रिजाल को ब तरतीबे विरासत हक़े हज़ानत है, सिवाय उस्बाए फ़ासिक़ और बेहोश के कि उनको हज़ानत का हक़ नहीं और ऊपर बयान की गई औरत और उस्बात में से कोई न हो तो फिर जुल अर्हाम उसी तर्तीब में मुस्तहक़ हैं। (७)

★ हाज़िना माँ हो या कोई और औरत को उस वक्त तक बच्चे को रखने का हक़ है जब तक उस को औरतों के पास रहने की ज़रूरत न हो और इस इसतिगना की मुद्त सात साल है। (७)

अहकामे ज़बीहा : ज़बीहा उस जानवर को कहते हैं जो ज़ब्ह किया जाये।

★ ज़ब्ह गले की रगें काटने को कहते हैं (ज़ब्ह का मक़ाम गले और सीने के ऊपर की हड्डी के बीच में है और ज़ब्ह में नरखरा यानि साँस की रग और मुरी यानि खाने पीने की रग और दोनों शह रगें और उनके अत्राफ़ का हिस्सा काटना चाहिये, अगर उनमें से तीन रगें भी कट जायें तो काफ़ी है। मुसलमान और अहले किताब (यानि यहूदी और ईसाई) का और लड़के,

औरत, गूंगे और बेखत्ना शख्स का ज़बीहा यानि हलाल किया हुआ जानवर हलाल है। (२०)
अल्लाह तआला फ़र्माता है : “आज तुम्हारे लिये सब (हलाल) चीज़ें हलाल करदी गई और
अहले किताब का खाना भी तुम को हलाल है।” (५:५)

★ आतिश परस्त, बुत परस्त, मुर्तद, ना समझ, मजनुँ और ज़ब्ह के वक़्त अल्लाह के नाम
के साथ किसी और का नाम लेने वाले और ज़ब्ह के वक़्त जान बूझ कर बिस्मिल्लाह न कहने
वाले और एहराम बांधे हुए का ज़बीहा दुरुस्त नहीं हराम है। (५)
अल्लाह तआला फ़र्माता है “और जिस चीज़ पर (ज़ब्ह के वक़्त) खुदा का नाम न लिया जाये
उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है”। (६:१२२)

★ अगर भूल कर बिस्मिल्लाह न कहे तो उसका ज़बीहा इमाम आजम रहे० के पास हलाल
है, इस लिये कि आँहज़रत सल्ला० ने इर्शाद फ़र्माया “मेरी उम्मत से भूल चूक माफ़ है”। (२०)

ज़ब्ह का तरीक़ा : जानवर को पानी पिला कर क़िब्ला की तरफ़ मुंह और सर जुनूब की तरफ़
कर के बायें पहलू पर लिटाये और सीधे हाथ से तेज़ छुरी लेकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर
कह कर कुव्वत और तेज़ी के साथ हलक़ पर इस तरह चलायें कि चारों रंगें कट जायें।

★ ज़ब्ह के वक़्त जानवर में कुछ न कुछ यक़ीनी हयात यानि जान रहना शर्त है, अगर ज़ब्ह
के वक़्त जानवर में ज़रा भी जान न रहे तो वह हलाल नहीं है। जान रहने की यह अलामत है
कि खून जारी हो या ज़बीहा कुछ हरकत करे। ज़ब्ह के बाद खून जारी न हो या ज़बीहा कुछ
हरकत न करे तो उसका खाना दुरुस्त नहीं हराम है। यह उस सूरत में है कि जानवर के ज़िन्दा
या मुर्दा होने में शुब्ह हो। अगर ज़ब्ह के वक़्त जानवर यक़ीनी ज़िन्दा हो और ज़ब्ह के बाद उस
से खून जारी न हो या कुछ हरकत न करे तो कुछ मुजायक़ा नहीं है। (२०)

★ गाय या बक़्री वग़ैरह ज़ब्ह करके उसका पेट चाक करने के बाद पेट में से ज़िन्दा बच्चा
निकले तो उसको ज़ब्ह करना चाहिये। अगर पेट में से मुर्दा बच्चा निकले या ज़िन्दा निकल कर
मर जाये तो वह हलाल नहीं मुर्दार है उसको खाना दुरुस्त नहीं। (२०)

अल्लाह तआला फ़र्माता है “और यह भी कहते हैं कि जो बच्चा इन जानवरों के पेटों में है वह
खास हमारे मरदों के लिये है और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है, और अगर वह
बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शरीक़ हैं यानि उसे मर्द और औरतें सब खायें। जल्द ही खुदा
उनको उनके कहने की सज़ा देगा। बेशक़ वह हिकमत वाला जान्ने वाला है”। (६:१४०)

★ यह मसअला बनाया गया था कि जानवर ज़ब्ह करने पर उसके पेट में से बच्चा अगर ज़िन्दा निकले तो मर्द खाये और औरतें न खाये और अगर मुर्दा निकले तो सब खाये। उसके बारे में यह हुक्म हुआ कि उसमें मर्द और औरत का कुछ फ़र्क नहीं है, अगर ज़िन्दा निकले तो ज़ब्ह करके सब खाये बग़ैर ज़ब्ह के मुर्दार है, और अगर मुर्दा निकले और मालूम हो कि जान पड़ी थी तो इमाम आजम रहे० के पास हलाल नहीं।

★ सींग, हड्डी या तेज़ पत्थर या धार वाली ऐसी चीज़ से जो खून जारी करदे ज़ब्ह करना दुरुस्त है। (२०)

ज़ब्ह के आदाब या मुस्तहबात : (१) ज़ब्ह से पहले छुरी को तेज़ करलेना (२) ज़ब्ह से पहले जानवर को पानी पिलाना (३) बड़े जानवर के हाथ पाँव बांधना और उसको नर्मी से बाये पहलू पर लिटाना (४) ज़ब्ह के वक़्त जानवर का मुंह क़िब्ले की तरफ़ होना (५) ज़ब्ह करने वाला बा तहारत होना और उसका मुंह क़िब्ले की तरफ़ होना (६) सीधे हाथ से ज़ब्ह करना (७) हलक़ पर छुरी चलाने में जल्दी करना (८) दिन के वक़्त ज़ब्ह करना।

मक्रूहाते ज़ब्ह : (१) छुरी कुंद रहना (२) जानवर का पाँव पकड़ कर ज़ब्ह के मक़ाम तक खींच लाना (३) एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ब्ह करना (४) जानवर को लिटा कर उसके सामने छुरी तेज़ करना (५) जानवर का मुंह क़िब्ले की तरफ़ न होना (६) ज़बीहा के गले को हराम मज़ तक काटना या सर को धड़ से जुदा करदेना (७) गर्दन के पीछ से ज़ब्ह करना (८) ज़बीहा ठंडा होने से पहले उसका चमड़ा छीलना या गोश्त काटना (९) हामला (गर्भवति) जानवर जो जन्मे के करीब हो उसको ज़ब्ह करना (१०) रात के वक़्त ज़ब्ह करना। (५)

शिकार : हलाल जानवर को तेज़ चीज़ यानि तीर वग़ैरह या सिधाये हुवे शिकारी जानवर से शिकार किया जाये लेकिन शर्त यह है कि तीर या शिकारी जानवर को बिस्मिल्लाह पढ़ कर छोड़ें। ऐसे शिकार किया हुवे जानवर को ज़ब्ह किये बग़ैर खाना दुरुस्त है। अगर तीर या शिकारी जानवर को छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह न पढ़ें या सिधाये हुवे जानवर के साथ कोई और ऐसा जानवर मिल जाये जो सिधा हुवा न हो या सिधा हुवा जानवर शिकार करके खुद भी खाये या तेज़ चीज़ का ज़ख़म उसकी धार की तरफ़ से न लगे तो उसका खाना जायज़ नहीं है।

★ ज़ब्ह किये हुवे जानवर के यह चीज़ें खाना मक्रूहे तहरीमी है: पित्ता, गुदूद, फुकना, शर्मगाह, खस्यतैन, अज़ूए तनासुल, हराम मज़।(५)

★ खूने जारी की हुर्मत नसे सरीह से साबित है। (५)

★ इन मुर्दार जानवरों का खाना जायज़ नहीं है : तेढ़े दाँत के कोचलियों वाले दरिंदे, पंजे से शिकार करने वाले परिन्दे, हशरातुल अर्ज़ यानि साँप, बिच्छू, घूस, चिचोदंर, चियूटी च्यूटा, दीमक, केचवा, चिपकली, गिर्गुट बग़ैरह और देसी कव्वा जो मुर्दार खाता है, बस्ती का गधा, खच्चर, सुव्वर, बिज्जू, भिड़, कच्चा, गिद्ध, हाथी, न्योला वग़ैरह। (२०)

अल्लाह तआला फ़र्माता है “उसने तुम पर मरा हुआ जानवर और लहू और सुव्वर का गोश्त और जिस चीज़ पर खुदा के सिवाय किसी और का नाम पुकारा जाये हराम कर दिया है, हाँ जो ना चार हो जाये बशर्ते कि खुदा की ना फ़र्माणी न करे और हदे ज़रूरत से बाहर न निकल जाये उस पर कुछ गुनाह नहीं बेशक खुदा बख़्ताने वाला और रहम करने वाला है”?(२:१७३)

★ भूक से मुज़तर (परेशान) को जब कि हलाकत की नौबत पहुंचे उसको हराम यानि मुर्दार भी हलाल हो जाता है बल्कि इमाम आज़म रहे० के पास उस हालत में उसका खाना फ़र्ज़ है अगर न खा कर मर जायेगा तो गुनाहगार होगा, लेकिन जान बचाने की मिक्ददार तक खाना चाहिये न कि पेट भर। (४)

★ पानी के जानवरों में सिर्फ़ मछली ज़ब्ह किये बग़ैर हलाल है लेकिन जो खुद मर कर पानी पर तीर आई हो उस का खाना हराम है, मछली के सिवा पानी का कोई जानवर हलाल नहीं है। (२०)

★ हलाल जानवर बग़ैर ज़ब्ह किये किसी सदमे से या बुलंदी से गिर कर या गला घोटने से मर जाये या उस को किसी काफ़िर ने ज़ब्ह किया हो या जिस जानवर के ज़ब्ह के वक़्त जान बूझ कर बिस्मिल्लाह न कहा गया हो उसका खाना हराम है। (२०)

अल्लाह तआला फ़र्माता है : “तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सुव्वर का गोश्त और जिस चीज़ पर खुदा के सिवाय किसी और का नाम पुकारा जाये और जो जानवर गला घोटने से मर जाये और जो चोट लग कर मर जाये और जो गिर कर मर जाये और जो सींग लग कर मर जाये यह सब हराम हैं और वह जानवर भी जिस को दरिन्दे फाड़ खायें मगर जिस को तुम मरने से पहले ज़ब्ह कर लो”। (५:३)

★ तोता और मोर वग़ैरह हलाल हैं। (६)

★ जंगली कव्वा जो खेती खाता है नापाकी नहीं खाता और जंगली गधा यानि गोर खर (ज़ेब्रा) हलाल है। (२०)

★ ऊंट, बैल, गाय, भैंस, बक्रे, हरन, नील गाय वगैरह घांस पत्ते खाने वाले चौपाये हलाल हैं। अल्लाह तआला फ़र्माता है “तुम्हारे लिये चार पाये जानवर जो चरने वाले हैं हलाल कर दिये गये हैं”। (५:१)

★ अगर कोई हिन्दू मुर्शिक या मजूसी वगैरह गोश्त बेचता हो और वह यह कहे कि मैं ने इस जानवर को मुसलमान से ज़ब्ह कराया है तो इस मामले में उसके कहने का एतबार न होगा, उस गोश्त को ख़रीदना और खाना दुरुस्त नहीं है। अगर मुर्शिक ने मुसलमान से जानवर ज़ब्ह कराया और उस मुसलमान के सामने अपनी बहू बेटी या किसी और मुर्शिक के हाथ से उस ज़बीहा जानवर के गोश्त में से उस मुसलमान के घर में गोश्त रवाना करे तो उसका लेना और खाना दुरुस्त नहीं।

★ ज़ब्ह के बाद मुसलमान की नज़र से एक लहज़ा भी गोश्त ग़ायब हो जाये तो मुर्शिक के पास से उस गोश्त का ख़रीदना और खाना जायज़ नहीं है लेकिन ज़ब्ह के बाद उसको अपनी नज़र से ग़ायब न होने दें तो उस में से ख़रीदना और खाना जायज़ है। १३१८ हिज़्री में छपी हुवी किताब माला बुद्द मिन्दु के आख़िर में इसके मुतअल्लक़ फ़त्वा भी दर्ज है।

अहकामे तक्रूवा : खाना इस क़दर खाना फ़र्ज़ है कि जिस से ज़िन्दगी बाक़ी रहे। आधे पेट तक खाना सुन्नत है। (४)

★ इस क़दर खाना जिस से नमाज़ खड़े हो कर पढ़ सके और रोज़ा रखने की ताक़त हासिल हो मुस्तहब है। जहाद में ताक़त हासिल होने और इल्मे दीनी में मेहनत करने की निव्यत से भी पेट भर खाना मुस्तहब है और पेट भर खाना मुबाह भी है (४)

★ पेट भर से ज़्यादा खाना हराम है लेकिन रोज़ा रखने के इरादे से या मेहमान की ख़ातिर से जायज़ है। कई किस्म के मेवे और तरह तरह की लतीफ़ ग़िज़ायें खाना जायज़ है लेकिन उस में हद से ज़्यादा खर्च करना इस्राफ़ (फ़ुज़ूल खर्ची) है और वह मना है। (४)

★ सोने और चाँदी के बर्तन में खाना पीना मर्द और औरत दोनों के लिये हराम है। (५)

★ सोना और चाँदी के बर्तन में कफ़गीर, चमचा, आइना, क़लम, दवात, और वह बर्तन जिस से खुशबूदार तेल वगैरह डाल कर इस्तेमाल किया जाता है दाख़िल है। (५)

★ ताँबा और पीतल के बर्तन में खाना और पीना मक़रूह है। (५)

★ इस्तेमाल के लिये मिट्टी के बर्तन अफ़ज़ल (बेहतरीन) हैं क्योँ कि हज़रत नबी करीम सल्ला ० ने फ़र्माया जो कोई मिट्टी के बर्तन अपने घर में रखे मलाइका उसकी ज़्यारत को आते हैं। (५)

- ★ खाना खाने के वक़्त पहले बिस्मिल्लाह और आख़िर में अल्हमदु लिल्लाह कहना सुन्नत है। (४)
 - ★ पानी तीन बार करके पियें और हर बार पहले बिस्मिल्लाह और आख़िर में अल्हमदु लिल्लाह कहें। (४)
 - ★ मर्ज़ में दवा खाना वाजिब नहीं बल्कि जायज़ है और अगर दवा न खाये और मर जाये तो गुनहगार न होगा। (४)
 - ★ ज़ालिम अमीर, नाचने गाने वाली और चिल्ला चिल्ला कर रोने वाली औरतों की दावत और उनका तोहफ़ा कुबूल करना मना है उस सूरत में जब कि उन का अकसर माल हराम हो और अगर यह मालूम हो कि उनका अकसर माल हलाल है तो दुरुस्त है। (४)
- लिबास :** सत्रे औरत (खास अंग और नाफ़ से घुटनों तक) के छुपाने के मुवाफ़िक़ और ऐसा लिबास पहन्ना फ़र्ज़ है जो मोहलिक (मार डालने वाली) गर्मी और सर्दी से बचा सके (४)
- ★ सुन्नत यह है कि ऐसा लिबास न पहनें जिसकी तरफ़ लोगों की उंगलियाँ उठें। तह बंद या पाएजामा आधी पिंडली तक हो और टख़ने तक भी जायज़ है लेकिन उस से ज़्यादा लम्बा हराम है। सुन्नत की निय्यत से शम्ला एक बालिशत छोड़ना मुस्तहब है, उस से ज़्यादा कपड़ा ज़ीनत और खुदाए तआला की नेमत का शुक्रिया अदा करने की निय्यत से पहन्ना मुस्तहब है और फ़ख़र के इज़हार (अभिमान) के ख़याल से लिबास में ज़्यादा तकल्लुफ़ (दिखावा) और फुज़ूलख़र्ची करना मक़्रूह और हराम है, अगर ऐसी निय्यत न हो तो मुबाह है। (४)
 - ★ मर्दों के लिये ज़र्द (पीला), जाफ़रानी और सुर्ख़ रंग का कपड़ा और वह रेशमी कपड़ा जिस का ताना और बाना रेशम का हो जायज़ नहीं मक़्रूह है और जिस कपड़े का बाना सूत का और ताना रेशमी हो वह मशरूअ है और उसका पहन्ना दुरुस्त है।
 - ★ रेशमी कपड़े का बिछोना और तकया बनाना इमाम आज़म रहे० के पास दुरुस्त है लेकिन साहेबैन रहे० के पास मना है। (४)
 - ★ औरतों को रंगीन और रेशमी कपड़े और चाँदी और सोने का ज़ेवर पहन्ना दुरुस्त है। (४)

हदीस शरीफ़ :

- मेरी उम्मत के मर्दों पर सोना और रेशमी कपड़ा हराम है। (३५)
- मूछें कटवाव और डाढ़ियाँ छोड़ो (१३, ३६)
- हाथ में लकड़ी रखना मुसलमानों की अलामत और पैग़म्बरों का तरीका है। (३७)

★ मर्दों को सोने और चाँदी का ज़ेवर पहना हराम है लेकिन चाँदी की अंगूठी और उसके नगीने के अत्राफ़ सोना लगा हुआ पहना दुरुस्त है। (४)

★ लोहे और पीतल वगैरह की अंगूठी पहना जायज़ नहीं। (४)

अपनी औरत या लैंडी या किसी मर्द के पीछे की शर्मगाह में वती (संभोगा) करना हराम न जाना कुफ़्र है (४) अल्लाह तआला फ़र्माता है।

- जब हम ने लूत को पैग़म्बर बना कर भेजा तो उस वक़्त उन्होंने ने अपनी क़ौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुम से पहले दुन्या वालों में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया यानि ख़ाहिशे नफ़्सानी पूरा करने के लिये औरतों को छोड़ कर लौंडों पर गिरते हो हक़ीक़त यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। (७:८०:८१)
- क्या तुम औरतों को छोड़ कर लज़ज़त हासिल करने के लिये मर्दों की तरफ़ मायल होते हो, हक़ीक़त यह है कि तुम लोग अहमक़ हो। (२७:५५)

★ अज्जबी औरत और मर्द को शहवत से देखना, उस पर हाथ डालना और हराम कारी की कोशिश में चलना फिरना हराम है। हदीस शरीफ़ में आया है कि आँख का ज़िना देखना, हाथ का ज़िना पकड़ना, पाँव का ज़िना चलना, ज़बान का ज़िना बात करना है। (४)

★ मर्द को दूसरे मर्द का बदन देखना जायज़ है लेकिन सत्र यानि नाफ़ से ज़ानू तक़ देखना हराम है मगर तबीब (डाक्टर) या ख़त्ना करने वाले या हुक़ना करने (गुदा में जल या दवा चढ़ाने) वाले वगैरह को जरूरत के वक़्त और ज़रूरत की हद तक़ देखना दुरुस्त है। औरतों को दूसरी औरत का बदन देखने के बारे में यही हुक़म है और औरत को मर्द के सत्र के सिवा बाक़ी बदन का देखना दुरुस्त है उस सूरत में कि शहवत न हो और शहवत की हालत में हर गिज़ दुरुस्त नहीं है और मर्द को अज्जबी औरत का बदन देखना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। (४)

अल्लाह तआला फ़र्माता है: “मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़्रें नीची रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त किया करें। यह उनके लिये बड़ी पाकीज़गी की बात है और जो काम यह करते हैं खुदा उन से ख़बरदार है। और मोमिन औरतों से भी कहदो कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त किया करें।” (२४:३०, ३१)

हदीस शरीफ़ में आया है कि जिस ने अज्जबी औरत की तरफ़ शहवत से देखा तो क़यामत के दिन पिघला हुआ सीसा उस की आँखों में डाला जायेगा।

★ अपनी औरत और लौंडी का तमाम बदन देखना दुरुस्त है लेकिन शर्मगाह न देखना मुस्तहब है। (४)

★ माँ, बहन, बेटी, पोती, महरम औरतों के मुंह, पिंडली और बाजू को देखना और उन को हाथ लगाना दुरुस्त है लेकिन शहवत से अमन होने की सूरत में, और पीठ, पेट और रान देखना दुरुस्त नहीं है। (४)

अहकामे लुक्ता : लुक्ता से मुराद वह माल ग़ैर महफ़ूज़ा है जिस का मालिक मालूम न हो। (७)

★ लुक्ता मालिक को देने की निय्यत से उठाना अफ़ज़ल और बेहतर है लेकिन अपने वास्ते उठाना हराम है। (७)

★ लुक्ता पाने वाला अपनी ज़ात पर इस बात का एतमाद न रखता हो कि वह लुक्ता की तारीफ़ कर सकेग या न कर सकेगा यानि शक हो तो उस का न उठाना बेहतर है। (७)

★ लुक्ता पाने वाले की तारीफ़ करते रहने के यह माने हैं कि वह लोगों से कहे कि “जिस को तुम सुनो कि वह इस माल का मालिक है तो उस को मेरे पास भेज दो”। इसी तरह उसको लोगों के मज्मे, मसाजिद, बाज़ार और रास्तों में एलान करना चाहिये कि “में ने किसी की चीज़ पाई है और उसके मालिक को नहीं जानता हूँ उसके मालिक को चाहिये कि मेरे पास आकर पता बता दे”। अगर ऐसा न कर सकता हो तो लुक्ता दूसरे को देदे ताकि वह ऐसा करे। इस तरह पुकारने और मालिक को तलाश करने की मुद्दत हस्बे ज़ेल हैं।

अगर लुक्ता एक दिर्हम की मालियत का हो तो एक दिन, तीन दिर्हम की मालियत हो तो तीन दिन, दस दिर्हम की मालियत हो तो सात दिन, दस दिर्हम से दो सौ दिर्हम या उस से ज़्यादा मालियत की सूरत में एक साल। (७)

★ अगर तलाश के बाद भी लुक्ता का मालिक न मिले और मुल्तक़ित (पाने वाला) मुहताज हो तो उस को अपनी ज़ात के लिये खर्च कर सकता है, अगर उसके बाद वह मालदार हो जाये तो उस पर लाज़िम है कि उसके मिस्ल (समान) या उसी मिक्दार (मात्रा) में ख़ैरात करदे। अगर लुक्ता पाने वाला मुहताज न हो तो फ़कीरों को ख़ैरात करदे चाहे फ़कीर उस के उसूल (जैसे बाप दादा वग़ैरह) या फ़ुरोअ (जैसे औलाद) या ज़ौजा ही से क्यों न हो, लेकिन अगर मालूम हो कि लुक्ता ज़िम्मी (इस्लामी शासन में रहने वाले ग़ैर मुस्लिम) का है तो वह बैतुल माल में रखा जायेगा। अगर मालिक मौजूद होने की उमीद हो तो पाने वाले पर उसकी वसियत करना वाजिब है। (७)

- ★ ख़ैरात करने के बाद लुक्ता का मालिक आजाये तो मालिक को इख़तियार है कि ख़ैरात को जायज़ रखे या मुल्लक़ित से उसका बदल ले या उन फुकरा से जिन्होंने उसको ख़ैरात में पाया है, मौजूद होने की सूरत में वापस हासिल करले। (७)
- ★ सग़ीर (नाबलिग़) या गुलाम लुक्ता पाये तो उसकी तारीफ़ (लोगों को सुचित करना) वली या मौला (आक्रा) पर लाज़िम है। (७)
- ★ अगर मुल्लक़ित (पाने वाला) लक़ीत (वह बच्चा जो पड़ा हुआ मिले और उसका वाली मालूम न हो) या लुक्ता (पड़ी हुई चीज़) पर कुछ ख़र्च करे तो उसका इस तरह एहसान है जैसे ग़ैर का क़र्ज़ ग़ैर की इजाज़त के बग़ैर अदा किया उस का तक्राज़ा मालिक से नहीं कर सकता, लेकिन अगर क़ाज़ी के हुक्म से वापसी की शर्त पर ख़र्च किया हो तो उसके पाने का मुस्तहक़ है। (७)
- ★ अगर लुक्ता जानवर तसरुफ़ (इस्तेमाल) के काबिल हो मसलन् धोड़ा तो हाकिम की इजाज़त से उसे किराए पर देना और उसकी उज़्रत से उसके अख़राजात (ख़र्चे) पूरे करना जायज़ है। अगर जानवर के रखने में इजारे का नफ़ा न हो जैसे भेड़ बकरे तो हाकिम को चाहिये कि उसको बेच कर उसकी क़ीमत रख छोड़े, अगर उस पर ख़र्च करना मुनासिब हो तो हाकिम दो तीन दिन मालिक ज़ाहिर होने की उमीद पर मुल्लक़ित को ख़र्च करने का हुक्म दे। (७)
- ★ मुल्लक़ित को जायज़ है कि लुक्ता का नफ़का हासिल करने के वास्ते उस को रोक रखे और मालिक को न दे, इसी तरह गवाही के बग़ैर ज़बरदस्ती लुक्ता उस पर दावा करने वाले को नहीं देना चाहिये, लेकिन तस्दीक़ की सूरत में मुल्लक़ित को देने का इख़तियार है। (७)
- ★ लुक्ता मुल्लक़ित के पास से गुम हो जाये और वह किसी दूसरे शख्स के पास पाया जाये तो बाज़ के क़ौल के मुताबिक़ पहले मुल्लक़ित को मुतालबे का हक़ नहीं है वदीअत के ख़िलाफ़ लेकिन सही यह है कि वह सबक़त के सबब ज़्यादा हक़दार है इसलिये मुतालबा कर सकता है। (७)
- ★ अगर कोई शख्स ऐसे जंगल में मर जाये जो वतन से दूर हो तो उसके साथी को उसका सामान और सवारी का बेचना और उस की क़ीमत उसके लोगों को पहुंचाना जायज़ है। अगर जंगल वतन से क़रीब हो तो सामान वग़ैरह वैसा ही पहुंचा देना मुनासिब है। (७)
- ★ अगर कोई मुसाफ़िर किसी के घर में मर जाये और उसके वारिसों का पता मालूम न हो और उसका माल ज़्यादा मिक्दार में न हो तो वह मिस्ल लुक्ता के है और अगर ज़्यादा हो तो वह बैतुल माल में भेज दिया जायेगा। (७)
- ★ देहात में ऐसे पड़े हुवे फलों का खाना जायज़ है जिन के बारे में साफ़ तौर पर या इशारों

से मालिक ने मुमानिअत (मनाही) न की हो लेकिन शहरों में जब तक यह न मालूम हो कि मालिक ने साफ़ तौर पर या इशारों में उनके खाने की इजाज़त दी है खाना जायज़ नहीं है इस लिये कि शहरों में मुबाह करने (इजाज़त देने) की आदत नहीं है। अगर फल ऐसे हों जो सड़ते गलते नहीं जैसे बादाम अखरोट वगैरह उनका लेना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह ऐसे फलों का जो दरख्त पर हों मालिक की इजाज़त के बगैर लेना जायज़ नहीं सिवाय उस सूरत के कि उस मक़ाम पर फल इस क़दर कसरत से होते हों कि उस क़िस्म के फलों के खाने और देने में कंजूसी नहीं की जाती हो। (७)

शाने क्रौमे महेदवियह

अल्लाह तआला फ़र्माता है: ऐ ईमान वालो अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जायेगा तो खुदा एक ऐसी क्रौम को लायेगा जिन को वह दोस्त रखता होगा और वह उसको दोस्त रखते होंगे और जो मोमिनों के हक़ में नर्मि करेंगे और काफ़िरों से सख़ती से पेश आयेंगे, खुदा की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। यह खुदा का फ़ज़्ल है वह सिसे चाहता है देता है और खुदा बड़ी कशायश वाला और जानै वाला है। (५:५४)

हज़रत नबी करीम सल्ला० के बाद और आइन्दा ज़माने में जब कि अहले ईमान अपने दीन से फिर जायेंगे उस वक़्त एक दूसरी क्रौम को लाने का खुदा तआल ने इर्शाद फ़र्मा कर उस क्रौम के औसाफ़ (गुण) जिन साफ़ अल्फ़ाज़ में बयान फ़र्माया है वह तमाम सिफ़तें (विशेषण) क्रौमे महेदवियह मं मौजूद हैं। चुनांचे हज़रत नबी करीम सल्ला० के आठ सौ साल के बाद उस क्रौम को खुदाए तआला लाया यानि पैदा किया है और इस आयत के मुवाफ़िक़ खुद हज़रत महेदी मौऊद अले० ने भी इर्शाद फ़र्माया है कि “बन्दे का आना उस वक़्त हुआ है जब कि ईमान मजज़ूबों में बाक़ी रह गया” हालाँकि उस वक़्त भी हज़ारों लोग ज़ाहिरी तौर पर मुत्तक़ी (संयमी), परहेज़गार (सदाचारी), उलमा, फ़ुज़ला, मशायख़ीन और सज़्ज़ादगान मौजूद थे लेकिन सब के सब तलबे खुदा (जो दीन व ईमान की जान है) छोड़ कर तालिबे दुन्या हो गये थे और उस आयत के मुताबिक़ वही दीन से फिर जाना था चुनांचे जिन उलमा, फ़ुज़ला (विद्वान) और सलातीन वगैरह ने हज़रत सय्यद मुहम्मद महेदी मौऊद अले० पर ईमान न लाकर मुख़ालफ़त (विरोध) किया उसकी भी एक वजह थी कि ईमान लाते ही ज़र व जवाहर, मालो दौलत, ऐशो आराम, हुकूमत व सल्तनत छोड़कर तारिके दुन्या और तालिबे खुदा होजाना फ़र्ज़ हो जाता था, इस लिये तालिबाने दुन्या उसको छोड़कर किस तरह महेदी मौऊद अले० पर ईमान लाते बल्कि अल्लाह तआला के इर्शाद के मुताबिक़ जिन पर खुदा का फ़ज़्ल हुआ वह ईमान

लाये। खुदाए तआला के इर्शाद के मुवाफ़िक़ यह भी एक अजीब मुनासबत है कि क़दीम ही से तारिके दुन्या फ़ुकराए क़ौमे महेदवियाँ (खुदा के दोस्त) के लक़ब से पुकारे जाते हैं और हस्बे इर्शाद जनाबे बारी महेदवी मोमिनीन पर बेइन्तहा नर्मी और काफ़िरों पर सख़ती करने वाले होते हैं और खुदा की राह में पूरी खुशी से बेदरेग़ (निःसंकोच) अपनी जानें नज़र करदेते हैं और अल्लाह की राह में शहीद होने को खुश किस्मती जानते हैं और अपने नफ़्स पर बड़ा जहाद करने वाले होते हैं और कोई महेदवी किसी मलामत करने वाले से नहीं डरता और न अपने मज़हब को छुपाता है।

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया कि मैं ऐसी क़ौम को जानता हूँ जो मेरे मर्तबे में है। सहाबा रज़ी० ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्ला० ऐसा कैसे हो सकता है जब कि आप खातिमुन् नबीईन हैं और आप के बाद कोई नबी न होगा। आप सल्ला० ने फ़र्माया वह अंबिया नहीं है लेकिन उनका मक़ाम अल्लाह से इतना नज़दीक़ है कि वह अंबिया के दर्जे में हैं और वह लोग अल्लाह तआला से मुहब्बत रखते हैं। (तफ़्सीरे कबीर जिल्द सानी)

अल्लाह तआला फ़र्माता है : और जिहाद किया अपने मालों और अपनी जानों के साथ खुदा की राह में यही लोग ईमान के सच्चे हैं। (४९:१५) यह आयत भी क़ौमे महेदवियह से मुतअल्लक़ है, चूँकि हज़ारों वाक़िआत इस बात के गवाह हैं कि हज़ारों महेदवी खुदा की राह में शहीद हो गये और इख़राज (निष्कासन) और तर्के दुन्या के वक़्त खुदा की तलब में अपने मालों को छोड़ दिये हैं। अल्लाह तआला के इस इर्शाद से साबित हो रहा है कि यही एक क़ौम सच्ची है:

“ख़ैरात उन फ़कीरों के वास्ते है जो खुदा की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ़ जाने की ताक़त नहीं रखते और मांगते भी नहीं यहाँ तक कि न मांगने की वजह से नावाक़िफ़ शख्स उनको मालदार समझता है और तुम चहेरे से उनको साफ़ पहचान लो कि हाजत मंद हैं और शर्म के सबब लोगों से मुंह खोल कर और लिपट कर नहीं माँगते”। (२:२७३)

हज़रत महेदी मौऊद अले० के फ़र्मान से फ़ुकरा के लिये सवाल (मांगना) हराम और फ़कीरी को तोड़ने वाली चीज़ों में शामिल है। आज भी कोई महेदवी फ़कीर किसी से किसी किस्म का सवाल नहीं करता और न लिपट कर किसी से कुछ मांगता है। रियाज़त, तवक्कुल, उज़्लत् ज़िक़्रे दवाम वग़ैरह की वजह से उनके चहेरे कुछ ऐसे नूरानी होते हैं कि हज़ारहा आदमियों में देखर पहचान लिया जा सकता है। इस लिये यह आयत भी साफ़ तौर पर क़ौमे महेदवियह के फ़ुकरा के हाल और अमल के बिल्कुल मुवाफ़िक़ है। सिवाय इस गुरोह के फ़ुकरा के दुन्या के तमाम फ़िक़ों के किसी फ़कीर में यह सिफ़त नहीं पाई जाती।

आयाते कुरआनी के अलावा अहादीस के मोतबर किताबों में तवातुरे मानवी को पहुंची हुवी हज़रत महेदी मौऊद अले० के वजूद और आप के पैदा होने से मुतअल्लक सदहा सहीह अहादीस मौजूद है, चुनांचे हज़रत नबी करीम सल्ला० ने फ़र्माया:

- महेदी मौऊद का पैदा होना ज़रूरियाते दीन से है।
- जब तक महेदी पैदा न हो क्रियामत नहीं आयेगी।
- सारी दुन्या खत्म होने अगर एक दिन भी बाकी रह जाये तो अल्लाह तआला उस दिन को इतना लंबा करेगा कि उसमें ऐसे शख्स का ज़हूर हो जाये जो मेरे अहले बैत से हो और मेरा हमनाम (सम नाम) हो और उसके माँ बाप के नाम और मेरे माँ बाप के नाम एक ही हों। (१८)
- कैसे हलाक होगी मेरी उम्मत जब कि मैं उसके अब्वल हूँ और ईसा उसके आखिर में और महेदी मेरे अहले बैत से उसके वस्त (बीच) में हैं। (२२)
- महेदी खलीफ़तुल्लाह होंगे।
- महेदी मौऊद का हुकम खुदा और रसूल के हुकम के मुवाफ़िक़ होगा।
- महेदी ख़ता नहीं करेंगे।
- महेदी मुझ से है मेरे क़दम बक़दम चलेगा और ख़ता नहीं करेगा।
- महेदी की ज़ात मासूम अनिल ख़ता होगी वह कभी ख़ता नहीं करेंगे।
- महेदी दाफ़ैअ हलाकते उम्मत होंगे।
- तुम महेदी से बैअत करो अगर तुम को उनके पास वर्फ़ पर से होकर गुजरना पड़े। (१५)

हज़रत नबी करीम सल्ला० ने आप के आने की ख़बर मोज़े के तौर पर बयान फ़र्माई है जो मुग़ैयबात (भविष्य-कथन) से है और उन चीज़ों का बुकूअ में आना निहायत ज़रूरी है जिन को हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने मुग़ैयबात के तौर पर बयान फ़र्माया है।

हज़रत महेदी मौऊद अले० की विलादत बा सआदत और दावत

हज़रत सैयद मुहम्मद जोनपूरी महेदी मौऊद अले० इमामे आखिरुज़् ज़माँ खलीफ़ तुल्लाह ने १४ जमदिउल अब्वल ८४७ हिज़्री (१४४३ ईसवी) पीर (सोमवार) की रात मं शहर जोनपूर (उत्तर परदेश) में जन्म लिया। आप के जन्म के समय ग़ैब से यह आवाज़ आई “हक़

आया और बातिल मिट गया बेशक बातिल मिटने ही वाला था'' (१७:८१) और शहर के तमाम बुत खानों में सब हुत गिर पड़े। जनाब मखदूम शेख दानियाल जो उस वक्त वहाँ वलीए कामिल माने जाते थे यह आवाज़ और कैफ़ियत सुनकर जान गये कि ज़रूर कोई वलीए कामिल पैदा हुआ होगा। सुबह में उसकी तहकीक़ और तलाश में हज़रत के घर पर जा कर हाल पूछा। आप के पिता जनाब सैयद अब्दुल्लाह अलमुखातिब सैयद खाँ ने फ़र्माया कि "रात में मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है जो जन्म के समय आलाइश (मल) वग़ैरह से पाक व साफ़ था और शर्मगाहों पर हाथ रखे हुवे था, कपड़े पहनाने के बाद हाथ हटा लिये, रात में मैं ने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० को ख़ाब में देखा इर्शाद फ़र्माते हैं कि इस सआदत मन्द फ़र्ज़न्द (भाग्यवान पुत्र) को मैं ने अपने नाम से मौसूम किया है, इसलिये मैं ने इस फ़र्ज़न्द का नाम मुहम्मद रखा है"। यह वाक़ेआत सुन कर हज़रत शेख़ दानियाल जान गये कि यह लड़का ज़रूर महेदीए मौऊद है।

हज़रत महेदी मौऊद अले० का नसब

हज़रत सैयद मुहम्मद महेदी मौऊद अले० बिन सैयद अब्दुल्लाह (सैयद खाँ) बिन सैयद उस्मान बिन सैयद ख़िज़र बिन सैयद मूसा बिन सैयद कासिम बिन सैयद नज़्मुद्दीन बिन सैयद अब्दुल्लाह बिन सैयद यूसुफ़ बिन सैयद याहया बिन सैयद जलालुद्दीन बिन सैयद नेमतुल्लाह बिन सैयद इसमार्ईल बिन इमाम मूसा काज़िम बिन इमाम जाफ़र सादिक़ बिन इमाम मुहम्मद बाक़र बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन अबी अब्दुल्लाह अल हुसेन शहीदे कर्बला बिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तुज़ा कर्रमुल्लाहु वज्हेहु।

आप अले० कमसिनी में ही यतीम हो गये थे। आपने जनाब मखदूम शेख़ दानियाल रहे० के पास तालीमे ज़ाहिरी पाई और सात साल की उम्र मुबारक में कुरआन शरीफ़ हिफ़ज़ फ़र्माया और बारह साल की उम्र में फ़ारिगुत तहसील होगये (पूरा इल्म हासिल कर लिया), उस वक्त वहाँ के तमाम उलमा ने आप को असदुल उलमा का और बीस साल की उम्र में बड़े बड़े औलिया ने सैयदुल औलिया का खिताब देने की इज़्जत हासिल की।

८८७ हिज़्री में खुदाए तआला की जानिब से हज़रत महेदी अले० को दावत का हुक्म हुआ। ९०१ हिज़्री (१४९६ ईसवी) में पीर के रोज़ मक्का मुअज़्ज़मा में तवाफ़ के बाद आम मज्मे में हज़रत अले० ने खुदाए तआला के हुक्म से बुलंद आवाज़ से महेदियत की दावत फ़र्माई और ९०५ हिज़्री में बड़ली के मक़ाम पर आम मज्मा और जमाअते कसीर में खुदाए तआला के ताकीदी हुक्म से दावये मुअक्कद इस तरह फ़र्माया कि बन्दे को खुदाए तआला का फ़र्मान

बताकीद होता है कि “तू महेदी मौऊद खातिमे विलायते मुहम्मदी है, इस दावे का इज़हार करदे अगर न करेगा तो ज़ालिम होगा”। पस बन्दा खुदाए तआला के हुक्म से इस दावे का इज़हार करता है कि मैं महेदी मौऊद खातिमे विलायते मुहम्मदी और खुदाए तआला का खलीफ़ा और जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० का ताबे हूँ जिस ने मेरी इत्तेबा की वह मोमिन है और जिस ने इन्कार किया वह काफ़िर है। कलामुल्लाह और इत्तेबाए मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे इस दावे के दोनों गवाह और मददगार हैं। यह हुक्म मुझ को ख़ाब में या मआमला या इल्हाम या कश्फ़ के तौर पर नहीं हुआ है बल्कि बिल वास्ता सिर्फ़ खुदाए तआला की ज़ात से हुआ है, इस वक़्त मुझ को पूरी सिहत है बीमार नहीं हूँ, पूरी अक्ल रखता हूँ मज्ज़ू नही हूँ, होशियार हूँ नींद और नशे में नहीं हूँ और मुझे कोई एहतियाज (आवश्यकता) नहीं है”।

उस वक़्त ३६० हज़रात ने आमन्ना व सदक़ना कहा और ईमान लाये उसके बाद हज़रत अले० ने अपने वतन को हमेशा के लिये छोड़ कर बहुकमे खुदा हिज़्रत इख़तियार फ़र्माई और मेहदियत का दावा फ़र्माते हुवे सदहा मक़ामात को नूरे ईमान से मुनव्वर फ़र्माया। हर जगह उलमा और फ़ुज़ला से मुबाहस और मुकाबले होते रहे, हज़ारहा मेमिनीन और मोमिनात ने जिन के हिस्से में नूरे ईमान था मेहदियत की तस्दीक़ की और ईमान लाये। बड़े बड़े उलमा व फ़ुज़ला (विद्वान), दौलतमन्द, मसाकीन और मशायख़ीन वग़ैरह ने तस्दीक़ के बाद अहलो अयाल के साथ और बाज़ लोग तन्हा अपने अहलो अयाल, माल व दौलत, हुकूमत और राहत को छोड़कर हज़रत अले० की गुलामी और सुहबत में फ़क्र व फ़ाक़ा के साथ पैदल सफ़र की सख़्त तकालीफ़ को राहत और गुर्बत को दौलत जानकर और मुख़ालफ़ीन के बड़े मज़ालिम और मसायब को निहायत खुश दिली से सहते हुवे सदहा की तेदाद में हमेश के लिये आप के साथ पर्वाने की तरह रह कर अपनी खुश किस्मती से ख़लीफ़तुल्लाह की सुहबत में लाज़वाल दौलत और सभ्रए आख़िरत हासिल फ़र्माया और खुश नसीबी से जल्द उस मक़ाम पर पहुंच गये कि सर की आँखों से खुदा का दीदार हासिल करके फ़ना फ़िल्लाह होगये।

हर मक़ाम पर और हर वाज़ में हज़रत महेदी मौऊद अले० कुरआन पाक के कुछ ऐसे हक़ाइक़ (सच्चाई), दक़ाइक़ (बारीक़ बातें), मआरिफ़ (ज्ञान) और मतालिब (अर्थ) खुदाए तआला की ज़ात से बिला वास्ता मालूम करके बयान फ़र्माते थे कि किसी ने कभी किसी आलिम व फ़ाज़िल से सुना था न किसी तफ़सीर में देखा था। हाज़िरीन में बुहत से नूरानी कुलूब वाले हज़रात उन हक़ाइक़ व मआरिफ़ के बयान से ज़ब्बए हक़ में मुस्तगरक़ (मग्न) और मद होश हो जाते थे। हज़ारहा लोगों के बड़े मज्मे में नज़्दीक़ और दूर वाले हाज़िरीन सब बराबर सुन सकते थे।

हज़रत अले० के बयाने कुदसी के वक़्त हाज़िरीन पर कुछ ऐसी हालत तारी होती थी कि वह न तो हज़रत के बयान को लिख सकते थे और न वैसा ही ज़हन नशीन् होता था बल्कि उस बयान का लुत्फ़ ना क़ाबिले बयान होता था और हर वक़्त के बयान का नया लुत्फ़ दिलों पर उम्र भर के लिये कायम रहता था। हर मक़ाम पर और हर मज्लिसे वाज़ में आने वाले नये हाज़िरीन हज़ार जान से फ़िदाई हो कर तस्दीक़ से मुशर्रफ़ और गुलामी में दाख़िल होते जाते थे। जिन के दिल नूरे ईमान से ख़ाली होते थे वह मशीयत और आदते ज़माना के लिहाज़ से हज़रत नबी करीम सल्ला० के मुख़ालफ़ीन की तरह किस्म किस्म की मुख़ालफ़तें और ईज़ा रसानी (कष्ट देने) की कोशिश में लगे रहते थे।

हज़रत महेदी मौऊद अले० के कुल हालात, औसाफ़, अख़लाक़ व आदात बिल्कुल हज़रत नबी करीम सल्ला० के जैसे ही थे। ग़ौर करने वालों के लिये हज़रत अले० के हक़ीकी महेदी मौऊद होने के हज़ारहा दलाइल मौजूद हैं और खुद हज़रत अले० ने भी उलमाए मोतरिज़ीन के सवालात के माकूल जवाबात अदा फ़र्माते रहे लेकिन दौरे नबूवत की तरह मशीयत से ही जो नूरे ईमान से महरुम थे यहाँ भी ईमान नहीं लाये बल्कि सख़्त विरोध किया।

हज़रत महेदी मौऊद अले० ने दावत की तकमील, अहकामे विलायत की मुकम्मल तालीम और ज़िक़े ख़फ़ी की तल्कीन के बाद फ़राह मुबारक (अफ़ग़ानिस्तान) में १९ ज़ी क़ादा ९१० हिज़्री (१५०५ ईसवी) को ६३ साल की उम्रे मुबारक में विसाल फ़र्माया और वहीं आप का रोज़ए मुनव्वर है। तफ़सीली हालात सवानेह महेदी मौऊद वग़ैरह कुतुब से मालूम होसकते हैं।

फ़रायजे विलायत : इन फ़रायजे विलायत को हज़रत महेदी मौऊद अले० ने खुदा के हुक्म से फ़र्ज़ फ़र्माया है और इन की फ़र्जियत का सुबूत आयाते कुरआनी से भी मिलता है।

तर्के दुन्या : अल्लाह तआला फ़र्माता है “जो लोग दुन्या की ज़िन्दीगी और उसकी ज़ेबो ज़ीनत के तालिब हों हम उनके आमाल का बदला उन्हें दुन्या ही में दे देते हैं और इसमें उनकी हक़ तलफ़ी नहीं की जाती। यह वह लोग हैं जिन के लिये आख़िरत में दोज़ख़ के सिवा और कुछ नहीं”। (११:१५, १६)

हदीस में है कि “दुन्या की मुहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है”। (३६)

तलबे दीदारे खुदा : “जो शख्स अपने पर्वरदिगार से मिलने की उमीद रखे तो चाहिये कि नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न बनाये”। (१८:११०)

ज़िक़े दवाम : “खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में खुदा को याद करो”। (४:१०३)

तवक्कुल : “खुदा पर भरोसा रखो बेशक खुदा भरोसा रखने वालों से मुहब्बत फ़र्माता है”। (३:१५९)

सुहबते सादिक़ीन : ऐ ईमान वालो! खुदा से डरो और सच्चों की सुहबत में रहो। (९:११९)

हिज़्रत : फ़रिश्ते कहते हैं क्या खुदा की ज़मीन वसीअ नहीं थी कि तुम उस में हिज़्रत करजाते, ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख़ है और वह बुरी जगह है। (४:९७)

उज़्लत अज़् ख़ल्क़ : और हर तरफ़ से बे तअल्लुक़ होकर उसी की तरफ़ मुतवज्जह हो जाओ। (७३:८)

अय्यामे नहस (अशुभ दिन)

वाज़ेह हो कि बाज़ अय्याम (दिनों) की नहुसत आयाते कुरआनी से साबित है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है:

- तो हम ने भी उन पर नहुसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई। (४१:१६)
- हम ने उन पर सख़्स मन्हुस दिन में आँधी चलाई। (५४:१९)

हज़रत अली रज़ी० और हज़रत बन्दगी मियाँ सैजद शहाबुद्दीन शहीद रहे० के फ़र्मान से हर महीने में दर्जे ज़ेल दो तारीखें नइस (अशुभ) होना मन्कूल और बुज़रगाने दीन ने इन तारीखों में ग़ैर मामूली और नये काम के इख़तियार करने में एहतियात फ़र्माई है।

ज़िलत हज्या	जी कादा	शव्वाल	रमज़ान	शाअबान	रज्जब	जमादीउल आख़र	जमादीउल अव्वल	रबीउल आख़र	रबीउल अव्वल	सफ़र	मुहर्रम
6	2	8	3	4	11	10	10	5	10	1	4
20	3	20	20	6	13	14	11	20	20	20	11

सफ़र के वक़्त देखने वालों के लिये कैफ़ियत रिजालुल् ग़ैब, तवारीख़ और दिशायेँ

हज़रत शेख़ मुहीयुद्दीन इब्ने अरबी रहे ० (यह वह बुजुर्ग हैं जिन की निसबत हज़रत महेदी मौऊद अले ० ने नीस्ताने वहदत का शेर फ़मीया है) अपनी शुहरा आफ़ाक़ (संसार में मशहूर) कितबा फ़तूहाते मक्किया में लिखा है कि अफ़राद रिजालुल् ग़ैब एक ऐसी जमाअत है कि जिन में एक कुतुबे वक़्त होता है कि उसकी ज़ात बा बरकात महले नज़र हक़ सुब्हानहु तआला होती है और वह बारगाहे ईजदी में अब्दुल्लाह के नाम से मौसूम है और उसके दायें और बायें दो शख्स होते हैं जिन को इमाम कहते हैं। कुतुब के दायें जानिब जो इमाम होता है उसकी नज़र हमेशा आलमे मलकूत पर होती है और उसका नाम अब्दुर् रब् है, बायें जानिब के इमाम का नाम अब्दुल मलिक है और उसकी नज़र हमेशा आलमे मलक पर होती है उस जमाअत में और चार शख्स (बाज़ ने उनकी तेदाद बारह बतलाई है) होते हैं उनको औताद कहते हैं। औताद सुतून (खम्भा) को कहते हैं क्योंकि यह बुजुर्ग काइनात के सुतून हैं इस लिये औताद कहलाते हैं उनमें का एक पूरब में होता है जो अब्दुल हैइ के नाम से पुकारा जाता है, दूसरा पश्चिम में कि उसका नाम अब्दुल अलीम है, तीसरा उत्तर में है जिस का नाम अब्दुल मुरीद है और चौथा दक्षिण में है जिस का नाम अब्दुल कादिर है। उस जमाअत में उनके सिवा और सात अशखास हैं जो अब्दाल के नाम से नामज़द हैं। उन्हें अब्दाल इस वजह से कहते हैं कि सानेअ हकीक़ी ने उन को अपना जसद और सूरत बदल कर दूसरी सूरत और जसद हासिल करने की कुदरत दी है। उस जमाअत में ३१२ अशखास नुक़बा के नाम से नामज़द हैं जो असरोरे नुफूस पर आगाही रखते हैं और ४८ नुजबा हैं जो हम्ल व सिक़ले ख़लायक़ पर मामूर हैं और उस जमाअते उज़्मा में ४० हज़रात रजबीन नामी होते हैं। उन का नाम रजबीन होने का सबब यह है कि उनमें अवाइले माहे रजब में सिक़ले अज़ीम पैदा होता है और उस सिक़ल का ज़वाल अवाइले माहे शाबान से शुरु होता है। आख़िर में उनकी यह हालत होजाती है कि हरकत की ताक़त भी उनमें नहीं होती।

अलहासिल यह कसीर जमाअत जिन के अफ़राद की तफ़सील ऊपर बयान होचुकी है रिजालुल् ग़ैब के नाम से मौसूम है जिन को मर्दाने ग़ैब भी कहते हैं। यह जमाअत रोज़ाना मुकर्ररा तारीख़ पर कुर्रए अर्जी के सिमतौं (दिशा) में अपने मामूरा (आदिष्ट) कामों की तामील के लिये बिला कम व बेश सर्गर्म सैर हुआ करती है। इस जमाअते फ़ाज़िला का यह असर है कि अगर कोई शख्स सफ़र के लिये उनके रुख़े मुकाबिल (सामने की दिशा) से निकले तो अपने सफ़र

में नाकाम रहने के सिवा दुख व रंज उठाने का अन्देशा है। इस लिये रिजालुल् ग़ैब की सैर का नक़शा तारीख़ और सिम्त के साथ नीचे दिया गया है। अगर किसी को ऐसा शदीद मौक़ा दर पेश हो कि सफ़रे मुकाबिल ज़रूरी हो तो नीचे दी गई दुआ के ज़िरीए उन्ही से मदद् लेकर सफ़र करे इनशा अल्लाह बलाओं से महफ़ूज रहेगा।

यह कुल अधिकारी (४२७) हैं। उनके उहदों में हस्बे मरातिब अल्लाह की जानिब से तरक्की भी होती है, मसलन अगर ग़ौस का इन्तेक़ाल हो जाये तो औताद में से किसी एक इमाम को क़ाइम मक़ाम ग़ौस कर दिया जाता है। अगर इमाम का इन्तेक़ाल हो जाये तो औताद में से कोई एक इमाम बनाया जाता है। ग़र्ज़ जैसा जैसा ज़माना क़यामत से क़रीब होता जायेगा वैसा वैसा उस जमाअत की तेदाद घटती जायेगी लेकिन मुकर्ररह उहदों में कमी न होगी, एक एक को दो दो चार चार उहदे अल्लाह की जानिब से मिलते चले जायेंगे और काम बराबर होते रहेंगे। आख़िर कार एक वक़्त ऐसा आयेगा कि सब उहदे एक ही फ़र्दे वक़्त के हवाले कर दिये जायेंगे। इधर उसका इन्तेक़ाल हुआ और उधर मग़रिब की तरफ़ आफ़ताब निकला क़ियामत बर्पा होजायेगी। *इन्ना लिल्लाहि व इन्ना हलैहि राजिऊन*

दुआ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رِجَالَ الْغَيْبِ يَا أَرْوَاحَ مُقَدَّسَةِ أَعْيُنُونِي بِعَوْنِي وَأَنْظُرُونِي بِنَظَرَةٍ وَأَعْيُنُونِي بِعَوْنِي أَيَّاكُمْ يَا
رُقَبَاءَ يَا نُقَبَاءَ يَا نَجَبَاءَ يَا أَبْدَالَ يَا أَوْلَادِيَا أَخِيرَ يَا عَمَدَ يَا غَوْثَ يَا قَطْبَ أَعْيُنُونِي بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ بِرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

अस्सलामू अलैकुम या रिजालुल् गैबि या अर्वाहु मुकद्दसतिन् अगीसूनी बिगौसतिन्
वंजुरुनी बि नज़रतिन् व अईनूनि बि औनतिन् इय्याकुम या रुक़बाउ या नुक़बाउ या नुजबाउ
या अब्दालु या औतादु या अख़यरु या अमदु या गौसु या कुतुबु अगीसूनी बिहुर्मति मुहम्मदिन
बिरहमतिक या अर्हमुर् राहिमीन।

रिजालुल् ग़ैब की सैर की दिशा और तारीखें

१) शिमाल (उत्तर)	८, १५, २३, ३०	चन्द्र मास
२) शिमाल मशरिक् (उत्तर पूर्व)	६, २१, २८	चन्द्र मास
३) मशरिक् (पूरब)	७, १४, २२, २९	चन्द्र मास
४) जुनूब मशरिक् (दक्षिण पूर्व)	१, ९, १६, २४	चन्द्र मास
५) जुनूब (दक्षिण)	३, ११, १८, २६	चन्द्र मास
६) जुनूब मगरिब (दक्षिण पश्चिम)	२, १०, १७, २५	चन्द्र मास
७) मगरिब (पश्चिम)	४, १२, १९, २७	चन्द्र मास
८) शिमाल मगरिब (उत्तर पश्चिम)	५, १३, २०	चन्द्र मास

